Administrative & Editorial Board

RNI No. UPBILL/2015/63870 ISSN (Print) : 2350-0441

SJIF - 4.076

Shodh Chetna

A Peer-Reviewed International
Reffered & Multifocal Research Journal

Year : 6 **Jan. to Jun. 2020** **Vol - 1-2**

ADVISORY BOARD

- Prof. V.P. Upadhayay *(Punjab University, Chandigarh)*
- Prof. Safat Ahmad *(SHUATS, Naini, Prayagraj)*
- Prof. L.C. Chaudhary *(Principal Scientist, IVRI, Barellei)*
- Prof. Sanjay Shanker Mishra *(TRS College, Rewa)*
- Prof. R.K. Singh, Prog. Coordinator *(KVK Barellei, Govt. of India)*
- Prof. S.P. Singh *(CM.P. Degree College, Prayagraj)*
- Dr. Dinesh Singh *(Education, UPRTOU, Prayagraj)*
- Prof. Ashok Kumar *(Floriculture, NDUAT, Kumarganj, Ayodhya)*
- Dr. Surya Narayan Gautam *(Shri JJT University, Jhunjhunu, Raj.)*
- Shri Ajay Srivastava *(State Central Library, Rewa)*
- Prof. D.N. Triapthi *(D.S. College, Aligarh)*
- Dr. Ram Dhani *(Principal, Dr. Rajeshwar Sewashram Degree College, Pratapgarh)*

EDITORIAL BOARD

Chief Managing Editor
Sushil Kumar Kushwaha
Mob. : 9532481205
e-mail : ghpublication@gmail.com

Managing Editor
Harsh Kushwaha, Prayagraj
R.L. Vishwakarma, Rewa

Editor
Dr. Sheetla Prasad Verma
Kulbhaskar Ashram P.G. College, Prayagraj
Mob. : 9415645164

Sub Editors

1. Dr. (Mrs.) Aditi Sakia (Assoc. Prof. M.D.K.G. College, Dibrugarh, Assam)
2. Dr. (Smt.) Poonam Mishra (TRS College, Rewa)
3. Dr. Dinesh Kumar Singh (Shri JJT Univ., Jhunjhunu, Raj.)
4. Dr. R.P. Chaturvedi (TRS College, Rewa)
5. Dr. Umesh Kumar Mishra (Govt. Science College, Rewa)
6. Dr. Dilip Singh (CMP Degree College, Prayagraj)
7. Dr. Gaurav Patel (Asstt. Prof. Law, CMP Degree College, Prayagraj)
8. Shri Vineet Kumar Gupta (Govt. Acharya Sanskrit College, Alwar, Rajasthan)
9. Dr. Akhilesh Kumar Gupta (Education & Training Centre, Rewa)
10. Dr. Sudha Soni (Govt. Girls Degree College, Rewa)
11. Prof. Preeti Vishwakarma (Govt. Naveen Degree College, Chhatarpur, M.P.)
12. Dr. Jeetendra Kumar Pandey (Govt. College Nashtigawan), Rewa (M.P.)

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remunaration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issues will be released every year in (January to March) - 1, (Apr. to Jun.) - 2, (July to Sept.) - 3, (Oct. to Dec.) - 4

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध चेतना', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहरारा बाग, इलाहाबाद-211 003 से प्रकाशित एवं श्री विष्णु आर्ट प्रेस, 332/257, चक जीरो रोड, इलाहाबाद-3 से मुद्रित। प्रधान संपादक : सुशील कुमार कुशवाहा, (Ph.) 0532-2563028, (M) 9532481205, E-mail : ghpublication@gmail.com website : www.shodhchetna.com

जनरल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इलाहाबाद रहेगा।

G.H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

E-mail : ghpublication@gmail.com | website : www.shodhchetna.com

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III –खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on evidence produced by the teacher such as : copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the University and acknowledge for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc.)

S. N.	Academic/Research Activity/	Faculty of Science Engineering/Agriculture/ Medical/Veterinary Sciences	Faculty of Languages/ Humanities/Arts/Social Sciences/Library/Education / Physical Education/Commerce /Management & other related disciplines
1.	**Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals**	08 per paper	10 per paper
2.	**Publication (other than Research Papers)**		
	(a) Books authored which are published by :		
	International publishers	12	12
	National Publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	08	08

	(b) Translation works in Indian and Foreign		
	Languages by qualified faculties		
	Chapter or Research paper	03	03
	Book	08	08
3.	**Creation of ICT mediated Teaching Learning padagogy and content and development of new and innovative courses and curricula**		
	(a) Development of Innovative pedagogy	05	05
	(b) Design of new carricula and courses	02 per curricula/course	02 per carricula/course
	(c) MOOCs		
	Development of complete MOOCs in 4 quadrants (420 credit course) (In case of MOOCs of lesser credits 05 marks/credit)	20	20
	MOOCs (developed in 4 quadrant) per module/lecture	05	05
	Content writer/subject matter expert for each module of MOOCs (at least one quadrant)	02	02
	Course Coordinator for MOOCs (4 credit course) (In case of MOOCs of lesser credits 02 marks/credit)	08	08
	(d) E-Content		
	Development of e-Content in 4 quadrants for a complete course/e-book	12	12
	e-Content (developed in 4 quadrants) per module	05	05
	Contribution to development of e-content module in complete course/ paper/e-book (at least one quadrant)	02	02
	Editor of e-content for complete course/paper/e-book	10	10
4.	**(a) Research guidance**		

For Guidelines & Membership Fee Authors/Researchers can contact to Registered Office :

G. H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

website : www.shodhchetna.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 9532481205

LIST OF REVIEWERS

1. Prof. K.P. Chaudhary, Ag. Ext. (Aijol)
2. Dr. Vineet Verma, Mathematics (Lucknow)
3. Dr. Vikram Singh, Agronomy (Prayagraj)
4. Dr. Amitabh Dwivedi, Zoology (Prayagraj)
5. Dr. Sunil Chandra, Agronomy (Prayagraj)
6. Dr. Ramesh Chandra, Dairy Technology (Prayagraj)
7. Dr. Surya Narayan, Horticulture (Prayagraj)
8. Dr. Aradhana Kumari, History (Prayagraj)
9. Prof. Parvati Singh, H.Sc. (Prayagraj)
10. Dr. Praveen Singh, Chemistry (Prayagraj)
11. Dr. Aizaz Ahemad, Social Convention (Prayagraj)
12. Dr. Arvind Verma, Agriculture Engg. (Mathura)
13. Dr. A.K. Verma, Animal Nutrition (Bareliy)
14. Dr. Saleem Uddin, Genetic & Plant Breeding ()
15. Dr. Umakant Mishra, Sanskrit (Rewa)
16. Dr. Piyush M. Maurya, Chemical Science (Rajasthan)
17. Dr. C.L. Sharma, English (Rajasthan)
18. Dr. Chandra Lekha Sharma, Physiology (Rajasthan)
19. Dr. Sikha Verma, Education (Ayodhya)
20. Dr. Sandeep Kashyap, L.P.M. (Sant Kabir Nagar)
21. Dr. A.K. Roy, Agri. Eco. (Prayagraj)
22. Dr. J.P. Verma, Economics (Lucknow)
23. Dr. Faizan, Political Science (Badaun)
24. Dr. Dinesh Kumar Patel, English (Badayun)
25. Dr. Mansa Ram Verma, Sanskrit (Gonda)
26. Prof. Gyan Prakash Verma, Commerce (Varanasi)
27. Dr. P.K. Pachauri, Physical Education (Prayagraj)
28. Dr. VIkram Singh, Physics (Prayagraj)
29. Dr. S.K. Tripathi, Agri. Chem. (Prayagraj)
30. Dr. Ratan Kumari Verma, Hindi (Prayagraj)
31. Dr. Deena Nath, Hindi (Prayagraj)
32. Dr. Vinay Kumar Patel, Sociology (Bareily)
33. Dr. Manvendra Verma, Defence Studies (Prayagraj)
34. Dr. Hanuman Prasad Gupta, Law (Prayagraj)
35. Dr. R.B. Singh, Statistics (Merrut)

अनुक्रम

1. **वाल्मीकि रामायण : एक विहंगम दृष्टि** 9-13
सुनीता शर्मा, डॉ. सूर्य नारायण गौतम

2. **क्रिकेट के खेल का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव** 14-16
दलीप सिंह

3. **मध्यप्रदेश में फल उत्पादन का विश्लेषणात्मक अध्ययन** 17-23
दीपशिखा तिवारी

4. **शिक्षा का भारतीयकरण एवं भारतीय शिक्षा** 24-26
रवीन्द्र नाथ यादव

5. **''उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के अध्येताओं के स्मृति स्तर को प्रभावित करने वाले सामाजिक पर्यावरण का तुलनात्मक अध्ययन''** 27-30
सुमन जायसवाल, डॉ. प्रीसियस श्योरान

6. **बाण सागर परियोजना के निर्माण-निर्णय से अद्यावधि तक की परिचयात्मक पृष्ठभूमि** 31-33
डा. विमला पाण्डेय

7. **Assessment of Prey-Predator Species Diversity in Bandhavgarh Tiger Reserve** 34-35
Pushpendra Singh, Balramdas Anand

8. **प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सतत मूल्यांकन की भूमिका** 36-40
डा. प्रतीक चतुर्वेदी

9. **Forest and Wildlife : Conservation** 41-43
Dr. S.P. Verma

10. **रत्नत्रयी गीता** 44-50
रंजना अग्रवाल

11. **'सात नदियाँ एक समन्दर' के बहाने स्त्री अस्मिता के प्रश्न** 51-54
शबनम आरा, प्रो. दिनेश कुशवाह

12. **बेलदार जाति में सामाजिक परिवर्तन** 55-63
ऋषि कुमार सेन, डा. कुमारेश स्कन्दन कश्यप

13. **''पाणिनीयव्याकरणे आधुनिक परिप्रेक्ष्ये षड्विधसूत्राणामुपयोगित्व** 64-67
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी

14. **गीतरामायणम् गीतमहाकाव्य के रचयिता स्वामी रामभद्राचार्य का कृतित्व एवं व्यक्तित्व** 68-73
संतोष कुमार त्रिपाठी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी

15. **राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका** 74-78
डा. अखिलेश कुमार गुप्ता

16. **कृषक असन्तोष रीवा जिले के जवा तहसील के शिवपुर गाँव के विशेष संदर्भ में** 79-81
सतीश कुमार द्विवेदी, डॉ. (श्रीमती) शाहेदा सिद्दीकी

17.	**वर्तमान समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति** *डा. राजकुमार शुक्ल*	82-89
18.	**जनपद जौनपुर में पर्यावरणीय समस्याएँ एवं संरक्षण (एक भौगोलिक अध्ययन)** *अर्चना तिवारी, डॉ. बी.के. शर्मा*	90-95
19.	**Yield Analysis of *Lipidum sativum* Linius with Particular reference to Kymore Plateau Region** *Dr. Ashish Dwivedi*	96-97
20.	**यशपाल के महिला केन्द्रित उपन्यासों में स्त्री जीवन की विसंगति** *पारूल मिश्रा, डॉ. ममता उपाध्याय*	98-102
21.	**ओमप्रकाश वाल्मीकि एवं शरण कुमार की आत्मकथाओं का तुलनात्मक अध्ययन** *प्रवीन कुमार टाँडिया*	103-107
22.	**हिन्दी-ग़ज़ल और चंद्रसेन 'विराट' के ग़ज़ल साहित्य में प्रेमाभिव्यक्ति** *डॉ. उमाकान्त गुप्ता*	108-110
23.	**''दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकारी प्रयास''** *डा. एस.पी. वर्मा*	111-113
24.	**ग्रामीण भारत में बेहतर विद्यायलीन शिक्षा उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ** *डॉ. विभा सिंह*	114-119
25.	**Tragedy of Society in the Novels of Mulk Raj Anand** *Pradeep Kumar, Dr. A.K. Mishra*	120-122
26.	**Conservation of Water Resources of Naigarhi Area Rewa District, M.P.** *Kalpana Mishra, Dr. A.K. Tripathi*	123-127
27.	**प्रतिनिधि कहानियों में प्रेम के विविध संदर्भ** *पूजा गर्ग, डॉ. ज्ञानवती अवस्थी*	128-134
28.	**पन्ना पठार में परिस्थितिकी पर्यटन एवं पर्यावरण संरक्षण विकास एवं संभावनाएँ** *सुमन सिंह बघेल, सुजीत कुमार चौहान*	135-140
29.	**स्वच्छता अभियान में सामाजिक संगठनों की भूमिका का समाजशास्त्रीय अध्ययन** *शिवबिहारी कुशवाहा, डॉ. अखिलेश शुक्ल*	141-146
30.	**महिलाओं के राजनीतिक जीवन में आधुनिकीकरण का प्रभाव** *सुनीता शुक्ला, डॉ. रचना श्रीवास्तव*	147-155
31.	**कौटिल्य के समय में राष्ट्रीय आय का निर्धारण** *डॉ. संध्या कुमारी*	156-159
32.	**वित्तीय बाजारों का एक परिदृश्य** *शालिनी सिंह परिहार*	160-164
33.	**प्लास्टिक प्रदूषण : मानव और पर्यावरण के लिए बना खतरा** *डॉ. सारिका सिंह*	165-169
34.	**भूमिगत जल स्तर का भौगोलिक अध्ययन खरगोन जिले (म.प्र.) के विशेष सन्दर्भ में** *प्रो. आर. आर. आर्य*	170-176

Our New Life Member

- Shri J.J.T. University, Jhunjhunu, Rajasthan
- Kulbhashkar Ashram P.G. College, Prayagraj
- International Federation of Astrology and Spiritual Science Regd. & Recognised by Govt. of India and Sri Lanka.

© *Publishers*

Processing Fee :	**Rs. 1500.00**
Single Copy	**Rs. 250.00 (Individual)**
Annual (4 Issues)	**Rs. 1000.00 (Institution)**
Life Member Fee (Individual)	**Rs. 5000.00**
Life Member Fee (Institution)	**Rs. 7000.00**

Mode of Payment :

DD/Cheque/Cash should be sent in favour of

G. H. PUBLICATION
Union Bank of India
Chowk, Allahabad-211 003
A/c. No. 394301010122432
IFSC-UBIN 0539431

Special Appearence
R.L. Vishwakarma, Rewa
(Mob. : 9827262820)

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

वाल्मीकि रामायण : एक विहंगम दृष्टि

❒ सुनीता शर्मा*
❒ डॉ. सूर्य नारायण गौतम**

शोध सारांश

वाल्मीकि काल में समाज व्यवस्था संयुक्त परिवारों पर आधारित थी। उस काल में समाज में वेदकालीन समाज व्यवस्था का पूरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जिसके कारण कुटुम्ब के सभी सदस्यों को धन, प्रेम और सहायता की कभी भी कमी नहीं रहती थी। उसे परिवारीय भरण–पोषण के परिप्रेक्ष्य में दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। आज के युग में संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही घर में रहें, एक ही भोजनालय में सबकी भोजन व्यवस्था हो, सबका आराध्य देव एक ही हो, सबकी एक ही पूजन विधि हो, एक ही व्यक्ति घर का प्रमुख हो तो फिर उसे घर नहीं स्वर्ग कहा जायेगा। किन्तु यदि यह सबकुछ होते हुए उस घर का मुखिया यदि मनमाने ढंग से दूसरों की इच्छा और भावनाओं का हनन करते हुए शासन करे तथा अधिक सहनशील और परिश्रमी व्यक्ति कार्यभार से बोझिल रहें और कामचोर तथा तथा आलसी व्यक्ति सभी सुविधाओं का उपभोग करें तो फिर नक्र को कहीं अन्यत्र ढूढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी।

संभवतः इन्हीं दोषों के कारण आज संयुक्त परिवार टूट रहे है। वाल्मीकि रामायण में संयुक्त परिवार की व्यवस्था इससे भिन्न और मानवीय उदात्त गुणों के कारण स्थायित्व लिए हुए।[1] वस्तुतः तत्कालीन समाज में संयुक्त परिवार व्यवस्था होने के बावजूद भी यह आवश्यक नहीं था कि परिवार के सभी सदस्य एक ही भवन में रहें तथा उनका भोजनालय इत्यादि भी एक ही हो। राजा दशरथ की तीनों रानियाँ पृथक्–पृथक् भवनों में रहती थीं। विवाह के बाद राम और सीता भी अलग भवन में रहने लग गए थे।[2]

शब्द कुंजी – रामायण, परिवारिक सौहार्द, सम्बन्ध, मर्यादा।

* शोधार्थी–संस्कृत विभाग, श्री जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, झुन्झुनू, राज.
** आचार्य–संस्कृत विभाग, श्री जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, झुन्झुनू, राज.

वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि, राजा जनक के छोटे भाई दूसरे नगर में रहते हुए भी संयुक्त परिवार के सदस्य माने जाते थे। यह परम्परा न केवल भद्र जनों में थी बल्कि राक्षसों में भी उसी प्रकार का वातावरण था। रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण और मेघनाद एक संयुक्त परिवार के सदस्य होते हुए भी उसी नगर में पृथक्–पृथक् भवनों में रहते थे। लंका से सुदूर, समुद्र के इस पार खर, दूषण और शूर्पणखा भिन्न–भिन्न स्थानों में रहते हुए भी एक संयुक्त परिवार के सदस्य थे। अतः वाल्मीकि रामायण में संयुक्त परिवार के लिए यह आवश्यक नहीं था कि परिवार के सभी सदस्य एक ही भवन में रहें।[3] अयोध्या की बात करें तो महारानी कौशल्या, कैकेयी तथा परिवार के अन्य सभी सदस्यों का भोजनालय भी पृथक्–पृथक होने के बावजूद भी एक परिवार के लोग माने जाते थे।[4]

तत्कालीन समाज में संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों को पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता थी। प्रत्येक सदस्य को अपनी सुविधानुसार ईष्वरोपासना का अधिकार था।[5]

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि संयुक्त परिवार को सुखी और सफल बनाने के लिए स्नेह, प्रेम, सहिष्णुता, त्याग और आदर, भाव आदि गुणों का होना आवश्यक है उस परिप्रेक्ष्य में मुख्य आधार पारिवाररिक संबंधों का स्वरूप ही है। अतः अब वाल्मीकिय रामायण के आधार पर तत्कालीन समाज में पारिवारिक संबंधों के स्वरूप का विवेचन निम्नानुसार है–

रामायण एवं विभिन्न पक्ष :–

वस्तुतः उस काल में पारिवारिक मुखिया की प्रमुखता के साथ–साथ जनमानस और व्याप्त माता–पिता, गुरु की भक्ति सन्तति का प्रेम, पति–पत्नी की अनुरक्ति, भाइयों का आपसी सौहार्द आदि कतिपय आधारभूत तत्व परिवार के सदस्यों को परस्पर बांधे रहते थे। उन संबंधों का संक्षिप्त विवेचन निम्न प्रकार है–

पिता–पुत्र :–

सन्तानहीनता की स्थिति में पिता निरन्तर पुत्र प्राप्ति के लिए चिन्तित रहा करता था, अनेकों कर्म–काण्डादि क्रियाएँ वा पुत्रेष्टि यज्ञ किया करता था।[6] वंश परम्परा अक्षुण्ण रहे एवं उसे स्वयं उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सके इसके लिए पुत्र प्राप्त करने की इच्छा करता था। साथ ही साथ पुत्र भी इन कृत्यों के माध्यम से पिता का पुम् नामक नरक से उद्धार करता है इसीलिए वह पुत्र कहा गया है। वही पुत्र है जो पितरों की सब ओर से रक्षा करे। अतः पिता को बहुत से गुणवान और बहुश्रुत पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए। सम्भव है कि प्राप्त हुए उन पुत्रों में से कोई एक भी पितरोद्धारक हो सके।[7]

पुत्र पिता के प्रति अपार श्रद्धा एवं विश्वास रखता था। दशरथ के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति को प्रदर्शित करते हुए राम सीता से कहते हैं कि हे सीते ! पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है। इस लिए मैं (वनवास के संबंध) में उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। जिनकी आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोकों की आराधना सम्पन्न हो जाती है उन माता, पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है।[8]

पिता की आज्ञा पालन के अतिरिक्त उत्तम पुत्र वही माना जाता था जो पिता की भूल को ठीक कर देता है।[9] पिता का भी पुत्रों के प्रति अगाध स्नेह होता था। वाल्मीकि ने दशरथ एवं अन्धमुनि के पुत्र–स्नेह का मार्मिक चित्रण कर पुत्र के प्रति मानव की स्वाभाविक ममता को साकार स्वरूप प्रदान करने का प्रयत्न किया।[10]

माता–पुत्र :–

तत्कालीन समाज में यह दिखाया गया है कि माता का पुत्र के प्रति किस प्रकार जन्मजात अगाध प्रेम होता था।[11] ''पुत्र माता के अंग–प्रत्यंग और ह्रदय से उत्पन्न होता है''[12] इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है। माता के लिए पुत्र और पुत्र के लिए माता की तुलना में अन्य भाई–बन्धु केवल प्रिय ही होते हैं किन्तु ये परस्पर एक दूसरे के लिए प्रियतर होते हैं। माता के लिए पुत्र ही सर्वश्रेष्ठ निधि थी। वह पुत्र के प्रणाम करने पर

उसका आलिंगन करती थी तथा प्यार से मस्तक सूँघती थी। पुत्र राम के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण ही कौशल्या उनके वनवास के समाचार को सुनकर अचेत हो जाती है।[13] अपने पुत्र की हितकामना के लिए माता निरन्तर चिन्तित रहा करती थी।[14]

भाई–भाई :–

रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने भाइयों के परस्पर सौहार्द व स्नेहपूर्ण संबंधों का जो स्थान–स्थान पर उल्लेख किया है वह वैदिक साहित्य का अनुवर्तन ही है। क्योंकि वेद का आदेष है 'मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्'[15] अर्थात् कोई भाई अपने भाई से द्वेष न करे। यही भ्रातृ प्रेम रामायण में राम और उनके अन्य तीनों भाइयों के बीच निश्छलता और प्रगाढ़ताके साथ दर्शाया गया है।

राम अपने भाईयों को प्राणों से अधिक प्रेम करते थे। वे जबतक लक्ष्मण को देख नहीं लेते थे उन्हें नींद ही नहीं आती थी, उनके पास कोई भी उत्तम प्राप्त होता तो वे पहले लक्ष्मण को दिया करते थे। लक्ष्मण भी राम की रक्षा में सदा तत्पर रहते हुए छाया की भाँति लगे रहते थे।[16] वे लक्ष्मण की ही तरह भरत और शत्रुध्न से भी प्रेम करते थे।[17]

भरत के विषय में राम कहते हैं कि वे मुझसे भी अधिक राजोचित गुणों से युक्त है। इसीलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया है। अतः आपको अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए।[18]

अपने भाइयों के प्रति राम का प्रेम चित्रकूट पर भी उस समय उज्जवल रूप में प्रकट हुआ है जब उनसे अयोध्या लौट चलने की अनुनय, विनय की गई थी। लक्ष्मण ने राम के लिए निःस्वार्थ आत्मोत्सर्ग कर रखा था और राम के भी वह बाह्य प्राण ही थे।[19]

अनार्य परिवारों में भी भाई का भाई के प्रति में परस्पर प्रेम रहता था। कुम्भकर्ण खर–दूषण, विभीषण आदि सभी निरन्तर रावण का सम्मान करते थे तथा उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके सौतेले भाई महोदर एवं महापार्श्व भी शोक से व्याकुल हो गये थे।[20]

पति–पत्नी :–

वेदकाल में दम्पति के लिए कहा गया है कि, वे परस्पर मित्र होकर रहें। वे दोनों ही जैसे अपने लिए धनादि की उन्नति करें वैसे हीं अन्यों के लिए भी करें और पुरुषार्थ के द्वारा गृहाश्रम को सुषोभित करते हुए उत्तम विद्यादि एवं सद्गुणों का प्रचार–प्रसार करें।[21]

रामायण कालीन समाज में पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व होता था। महर्षि वाल्मीकि ने स्थान–स्थान पर स्त्री के लिए पति की सेवा–शुश्रूषा का उपदेश दिया है। समाज में यह धारणा व्याप्त थी कि सत्यवान् की पत्नी सावित्री पति सेवा करके ही स्वर्गलोक में पूजित हो रही हैं। सम्पूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ रोहिणी भी पति सेवा के प्रभाव से ही एक मुहूर्त के लिए चन्द्रमा से विलग होती नहीं देखी जाती।[22] वेदकाल में पति भी पत्नी का समान भाव से समादर करता था। जिसका प्रभाव रामायण पर दिखाई देता है। वेद में पत्नी को 'जायेदस्तम्'[23] अर्थात् घर कहा गया है।[24]

तारा भी अपने पति वाली की मृत्यु के पश्चात् अपने जीवन को असहाय समझती हुई कहती है कि वानरो! जब मेरे महाभाग पतिदेव कपिसिंह वाली ही नष्ट हो रहे हैं तब मुझे पुत्र से, राज्य से तथा अपने इस जीवन से भी कोई प्रयोजन नहीं है।

इसी प्रकार पति भी पत्नी को यथेष्ट सम्मान एवं स्नेह देने का सदा ही प्रयत्न करता था। बालकाण्ड में प्रसङ्ग आता है कि सीता राम के हाथ में पत्नी स्वरूप से समर्पित की गई थी। सीता के पातिव्रत्य आदि गुणों से तथा उनके सौन्दर्य गुण से भी राम का उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता के हृदय में भी राम अपने गुणों एवं सौन्दर्य के कारण द्विगुण प्रीतिपात्र बनकर रहते थे। वह राम के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही और अधिक रूप में जान लेती थीं तथा स्पष्ट रूप से बता देती थी, अतः राम–सीता की कामना करते थे तथा सीता राम की।[25] तात्पर्य यह है कि स्त्री के लिए पति की सेवा से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं था।[26]

उस समय पति–पत्नी परस्पर एक दूसरे में अनुरक्त रहते थे। पतिपरायणा, सुख–दुःख में समान रूप से साथ देने वाली पतिव्रता पत्नी का त्याग करना निन्दनीय था। बीरों और शास्त्रवेत्ताओं के लिए पत्नी का त्याग अनुचित और अपयशकर होता था।[27]

भाभी–देवर :–

तत्कालीन समाज में देवर अपनी भाभी का पूर्ण रूप से सम्मान करता था तथा वह माता के ही समान भाभी को स्थान देता था। भाभी के अनुचित व्यवहार करने पर भी देवर उसे पूर्ण रूप से सहन कर लेता था। सीता की अप्रिय बाते सुनने के बाद भी लक्ष्मण यही कहते हैं कि मैं आपकी बात का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि आप मेरे लिए आराधनीया देवी के समान है।[28] मन्दोदरी भी रावण से बैर होने के बावजूद अपने देवर विभीषण की निरन्तर प्रशंसा करती है।[29]

सास–बहू :–

तत्कालीन समाज में बहू का प्रधान कर्तव्य था कि वह सास का निरन्तर सम्मान करे। वनवास अवधि में भी सीता अपनी सास कौशल्या का स्मरण करती है। राम के द्वारा त्याग देने के बाद भी लक्ष्मण से विदाई लेते समय वह कहतीं हैं कि तुम मेरी सब सासुओं को समान रूप से हाथ जोड़कर मेरी ओर से उनके चरणों में प्रणाम करना, साथ ही महाराज के भी चरणों में मस्तक नवाकर मेरी ओर से उनकी कुशल पूँछना।[30] उन दिनों केवल बहू के लिए ही यह कर्त्तव्य नहीं था कि वह अपनी सास की सेवा और सम्मान करे। बहू की हीं भाँति सास भी अपनी पुत्रवधू को अत्यधिक स्नेह देती थीं।[31]

भाई–बहन :–

महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के बालकाण्ड में एक स्थान पर बहन के स्नेह को व्यक्त करते हुए विश्वामित्र के उपाख्यान को प्रस्तुत किया है। विष्वामित्र राम से कहते हैं कि राघव ! मेरे कुल में सत्यवती नाम की ज्येष्ठ बहिन थी जो उत्तम व्रती थी। वह अपने पुण्यकर्मों के प्रभाव से सशरीर स्वर्गलोक गई थी। जो आज महानदी कौशिकी के रूप में प्रकट हो भूतल पर प्रवाहित है। मेरा अपनी इस बहिन कौशिकी के प्रति अति स्नेह है। यही कारण है कि मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियमपूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ।[32]

शूर्पणखा को नासिका विहीन देखकर खर को अत्यधिक क्रोध आता है तथा अपनी बहिन के रामबध रूपी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कतिपय राक्षसों को युद्ध करने के लिए भेजता है। रावण भी बहिन शूर्पणखा के प्रति किए गए अपकार का बदला लेने के लिए ही सीता हरण रूपी कार्य पर मन ही मन विचार करता है।[33]

चाचा–भतीजा :–

रामायण में चाचा व भतीजे के मध्य भी वात्सल्यपूर्ण संबंधों का संकेत किया है। भतीजे इन्द्रजीत के साथ युद्ध के समय विभीषण राम से कहते हैं कि राम, मैं इनके पिता का छोटा भाई हूँ। अतः मैं अपने इस भतीजे को मारने के लिए इस पर हथियार चलाना चाहता हूँ, परन्तु इसके प्रति मेरी वत्सलता होने के कारण शस्त्र चलाते समय आँसू मेरी दृष्टि बन्द कर देते है।[34]

श्रद्धेय पिता का छोटा भाई होने के कारण भतीजा भी अपने चाचा का पूर्ण सम्मान करता था। इन्द्रजित का विभीषण से यही कथन है कि तुम राक्षस कुल में ही जन्में हो तथा यहीं तुम्हारा पालन–पोषण हुआ है। तुम मेरे सगे चाचा हो, फिर तुम अपने पुत्रवत मुझसे क्यों द्रोह करते हो? प्रतीत होता है कि वर्तमान समय में आपने मेरे प्रति अपनी स्वाभाविक वत्सलता का त्याग कर दिया है तथा आप में कर्त्तव्य–अकर्त्तव्य की मर्यादा, भ्रातृ प्रेम और धर्म सब नष्ट हो चुका है।[35]

निष्कर्ष –

उद्धरणों से एक दूसरे का परस्पर वात्सल्य स्पष्ट हो जाता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रामायणकालीन समाज में प्रत्येक परिवार अपनी–अपनी कुल क्रमागत पारिवारिक परम्पराओं का निर्वाह करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु सजग रहता था और अतिथि–अभ्यागतों का स्वागत करना, माता–पिता, गुरु एवं ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था रखना, प्रत्येक वर्ग के सदस्य का यथोचित सम्मान करना आदि तत्कालीन समाज के परिवार की मुख्य विशेषताएँ थीं। जो रामायण

कालीन समाज व्यवस्था का परिस्कृत स्वरूप कही जा सकती है।

सन्दर्भ :–

1. वाल्मीकि रामायण में राज्य, समाज एवं अर्थव्यवस्था, पृष्ठ– 29
2. वा0 रा0 (2.3.3–4)
3. वा0 रा0 (2/7/20)
4. वाल्मीकि रामायण में राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था, पृ– 30
5. वा. रा0 (2.20.14–18)
6. वा0 रा0 (1.8.8–9)
7. वा0 रा0 (2.108.12–13)
8. वा0 रा0 (2.30.32–38)
9. वा0 रा0 (1.106.15)
10. वा0 रा0 (1.18.24)
11. वा0 रा0 (2.74.13)
12. तस्त्रिया.....भावयन्ति।। (ऐ.उ. 2/1/2)
13. वा0 रा0 (2.20.21–23)
14. वा0 रा0 (2.101.21)
15. अथर्ववेद संहिता
16. वा0 रा0 (1.18.16–32)
17. वा0 रा0 (2.26.33)
18. वा0 रा0 (2.73.33)
19. वा0 रा0 (2.18.30, तथा 2.109.24)
20. वा0 रा0 (4.24.9)
21. अभ्यर्षतं....मधुवत्पवन्ते।।(यजु. 17.98)
22. वा0 रा0 (2.118.9–10)
23. ऋग्वेद 3/53/4
24. वा0 रा0 (2.28.4–8)
25. वा0 रा0 (1.77.26–28)
26. वा0 रा0 (2.118.2–9)
27. वा0 रा0 (2.30.19–20)
28. वा0 रा0 (3.45.7–28)
29. वा0 रा0 (3.49.24)
30. वा. रा0 (7.48.10)
31. वा. रा0 (2.118.7)
32. वा0 रा0 (1.34.8–10)
33. वा0 रा0 (3.35.1–2)
34. वा0 रा0 (6.89.17–08)
35. वा0 रा0 (6.87.11–12)

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

क्रिकेट के खेल का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

❑ दलीप सिंह*

शोध सारांश

नियम पालन एक अत्यन्त हितकर और उन्नति कारक गुण है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए नियम पालन, चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, अत्यन्त आवश्यक है। इसी नियमपालन के गुण में आज्ञापालन का महत्वपूर्ण गुण भी जुड़ा हुआ रहता है। अतः इस गुण को अधिक विकसित करने के लिए खेल का विषेष महत्व है। इसके द्वारा शारीरिक, मानसिक लाभों के अतिरिक्त सामाजिक और व्यावहारिक लाभ भी होते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्वास्थ्य का आपस में गहरा सम्बन्ध है। शारीरिक स्वास्थ्य मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। परन्तु मानसिक स्वास्थ्य के बिना जीवन व्यर्थ है। एक प्रसिद्ध कथन है कि ''स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है'' मानसिक रूप से स्वस्थ्य व्यक्ति ही शारीरिक सुखों का जीवन में ढंग से सुख प्राप्त कर सकता है।'' कई बार देखा जाता है कि विद्यार्थी शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होते हुए जीवन का सही आनन्द लेने से वंचित रह जाते हैं।

शारीरिक चेष्टाओं द्वारा प्रायः सभी प्रमुख सहज प्रवृत्तियों की न्यूनाधिक अंश में अभिव्यक्ति और उदात्तीकरण होता है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति का उदात्तीकरण व्यक्ति के स्वास्थ्य विशेषतया मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है। स्वाग्रह, स्वार्पण, युयुत्सा आदि सहज प्रवृत्तियों का उदारीकरण जितनी अच्छी प्रकार शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा होता है, उतना अन्य किसी भी कार्य से नहीं होता। शारीरिक चेष्टाओं में भी दलीय खेलों या क्रियाकलापों द्वारा यह कार्य विशेष दृष्टि से प्रभावी होता है।

सामूहिक गतिविधियों में सहभागी होने से व्यक्तियों में कई सामाजिक गुणों जैसे सहयोग, भ्रातृभाव, स्वार्थत्याग, आज्ञाकारिता, स्वार्पणभाव आदि का बीजारोपण होने या उनकी वृद्धि होने में सहायता मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप वे अच्छे सामाजिक सदस्य बनने में सफल हो जाते हैं इस प्रकार खेलों का शारीरिक महत्व होने से तथा साथ ही उनके मानसिक और सामाजिक मूल्य उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

सम्बन्धित क्षेत्र में पूर्व विद्वानों ने शोध किया जिसका विवरण निम्नानुसार है–

सारिका तिवारी एवं राजेश पाण्डेय (2009) ने 'विद्यार्थियों में समायोजन क्षमता का अध्ययन' शीर्षक पर शोध किया। उनके अनुसार–''शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के उ. मा. स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों

* शोध छात्र–शारीरिक शिक्षा, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, म.प्र.

की सामाजिक समायोजन क्षमता इस बात से प्रभावित नहीं होती है कि वे शहरी विद्यालयों में अध्ययनरत हैं या ग्रामीण विद्यालयों में।''

कुल्हन के अनुसार– ''वह समायोजन अच्छा है जो विफलताओं और मानसिक तनाव द्वारा उत्पन्न संघर्षों को कम करे एवं विफलता उत्पन्न करने वाली परिस्थिति में परिवर्तन कर सके।''

अपनी इन्हीं सारी विशेषताओं के कारण क्रिकेट का सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक महत्व है। अब वे दिन चले गये जब क्रिकेट को व्यर्थ व विना उद्देश्य का खेल माना जाता था। अब तो इसके बिना न तो शिक्षा को ही पूर्ण माना जाता और न ही मानव के समुचित स्वास्थ्य व उसके विकास को ही देखा जा रहा है। क्योंकि क्रिकेट एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे मनुष्य आदिम काल से सतत् करता चला आ रहा है।

यह ऐसा मनोरंजन का साधन है जिसे प्रत्येक आयु वर्ग का व्यक्ति अपना रहा है। जबकी सभी खेल किसी न किसी मायने में शारीरिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित कहे जा सकते हैं किन्तु इसका कोई मुकाबला नहीं। खेल में भी मन का अपना अलग ही महत्व है क्योंकि मनुष्य उसके द्वारा ही अपने शरीर की चेष्टाओं की अभिव्यक्ति करता है। अन्य खेलों में पूर्व नियोजन का अभाव होता है तथा ये किसी हेतु से खेले जाते हैं, ये सारी क्रियायें स्वान्तः सुखाय होती हैं। ये क्रियायें नियमादि बन्धनों से मुक्त होती हैं। इस प्रकार खेल मुख्यतः नियामादि के हेतु से रहित वैयक्तिक स्वरूप, स्वान्तः सुखाय और नियमादि बन्धन से मुक्त होता है। दौड़–कूद प्रायः सांघिक और हेतुपूर्ण होते हैं तथा उनमें व्यक्ति को नियमादि का पालन करने का एक अप्रत्यक्ष बन्धन होता है। खेलकूद की भिन्नताओं के कारण भी उनका अलग ही महत्व होता है। क्रिकेट में अनेक व्यक्ति समाविष्ट होने के कारण सहभागी व्यक्तियों को सहकार्य, सामाजिक लेनदेन, नियम पालन, आज्ञाकारिता, ध्येयनिष्ठा, स्वार्थत्याग की भावना का उदय, पदाधिकार–विचार, स्वकर्तव्यनिष्ठा आदि अनेक उपयोगी गुणों के अनुभव स्वतः ही हो जाते हैं, क्योंकि इन गुणों या इन अनुभवों के बिना क्रिकेट में आनन्द प्राप्त हो ही नहीं सकता। अतः उपरोक्त गुणों को किसी भी व्यक्ति में पनपाने में सहायक होता है।

क्रिकेट के माध्यम से बालक सभी प्रकार के व्यवहारों को सफलता पूर्वक, रुचिकर ढंग से शीघ्र ही सीख लेता है तथा वे उसके आचरण के लिए स्थायी अंग के रूप में विकसित और स्थिर हो जाते हैं। नैदानिक मनोविज्ञान के लेखक एस.आर. स्लावसन ने कहा है कि, क्रिकेट की क्रियाओं को सम्पन्न करने के परिणामस्वरूप बालक केवल मानवसिक व शारीरिक ढंग से आगे नहीं बढ़ता बल्कि इसके द्वारा वह तनाव और उत्तेजनाओं से भी मुक्त रहता है। जिसका परिणाम यह होता है कि वह भावात्मक सन्तुलन बनाये हुए रहकर भावनात्मक विकास के लिए अग्रसर होता जाता है। क्रिकेट के सहारे बालक अपनी मान्यताओं के अनुरूप वस्तुस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है, जिससे वे आन्तरिक व बाह्य–जगत् के बीच स्वस्थ तादात्म्य स्थापित कर लेता है और क्रिकेट के माध्यम से जीवन प्रक्रिया के वे सारे नियम सीख जाता है जिनके द्वारा वह आत्मविकसित हो सके।

क्रिकेट क्रियाओं द्वारा बालक को परोक्ष रूप में जीवन के विभिन्न पक्षों में सम्बद्ध विविध प्रकार के व्यवहारों को संपादित करने के अभ्यास का प्रचुर अवसर प्राप्त होता है तथा जीवन की वस्तुस्थितियों के कठिन पक्षों के साथ सफलतापूर्वक अन्तः क्रिया करने की बालक की व्यक्तिगत क्षमता का विकास होता है। क्रिकेट के माध्यम से बालकों को नये–नये तथ्यों का ज्ञान होता है तथा उन्हें जीवन में जांचने और परखने का अवसर भी प्राप्त होता है। यही विधा किसी बालक के व्यक्तित्व विकास के बंद कपाट खोलने के लिए उत्तरदायी सिद्ध हो जाते हैं। वास्तविक जीवन की परिस्थितयों के साथ सम्पूर्ण समायोजन से सम्बद्ध स्वानुभूति तथा स्वाभिव्यक्ति के शिक्षा के लक्ष्य तक स्वप्रयत्नों से पहुंचने में खेल बालकों की प्रभावी सहायता करता हैं। इतना ही नहीं बालक के शरीर और मन को स्वस्थ रखने में तथा उसे बीमारियों से भी दूर रखने में सहायता करते हैं।

क्रिकेट से सम्बद्ध सिद्धान्तों तथा उनके महत्व को सार रूप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है–

1. मानव की आत्मरक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तों की मूलप्रवृत्ति व अन्य उर्जस्विताओं को सन्तुष्ट करती है।

2. मानव के षारीरिक संघटक तथा उसकी सामान्य एवं मूलभूत षक्तियों को पहचानने के अवसर प्रदान करती है।

3. जीवन से सम्बद्ध कार्यों को लघुरूप में मूलभूत शक्तियों को पहचानने के अवसर प्रदान करती है।

4. जीवन में उत्पन्न होने वाली कुण्ठाओं, नैराष्य तथा असफलताओं को दूर करती है।

मनोविज्ञान के सिद्धान्तों की बारीकियों में न जाते हुए भी यह सरलतापूर्वक कहा जा सकता है कि लड़कों में क्रिकेट की प्रवृत्ति स्वाभाविक है और यह प्रकृति किसी आन्तरिक प्रेरणा के कारण ही होती है। प्रायः यह देखा जाता है कि स्वस्थ बालक स्कूल से निकलते हैं और स्वयं ही किसी प्रकार की हरकत करने के लिए उत्सुक होते हैं। यही प्रवृत्ति बालकों को क्रिकेट खलने के लिए प्रेरित करती है।

निष्कर्ष :–

किसी भी विधा के ज्ञान के स्रोतों का पुनरावलोकन करने से सदा ही अध्येता का पथ–प्रदर्शन ही होता है। उद्देष्य चयन के पश्चात् तत्सम्बन्धित साहित्य का जितना अधिक अवलोकन व बारम्बार अवलोकन किया जायेगा उस सम्बन्ध में अध्येता का ज्ञान उतना ही अधिक चरमोत्कर्ष को प्राप्त होता जायेगा। इसके बिना किसी भी विषय के षोध में प्रवृत्त होना केवल धूल में लठ्ठ मारने जैसा ही रहता है। समाज व्यापक है और उसी के समान समस्यायें भी व्यापक हैं। उन समस्याओं के समाधान भी किये गये कार्य की षैली व दिषा के आधार पर निर्धारित हो पाते हैं। षोध यह सिखाता है कि जितना खोज कर लिया गया उतना ही नहीं अभी और खोजना बाकी है। प्रस्तुत शोध में मानसिक, शारीरिक एवं क्रियात्मक चरों से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन किया गया और उक्त शीर्षक को ध्यान में रखते हुए शोध को आगे बढ़ाया गया है।

खिलाड़ियों के लिए सुझाव–

1. खिलाड़ियों को मानसिक व शारीरिक गतिविधियों के महत्व को भलीभांति समझना चाहिए और उनके मध्य आवश्यक गतिविधियों का चयन करना चाहिए।

2. खिलाड़ियों को चाहिए कि वे उत्साह के साथ खेल की सभी गतिविधियों में भागीदारी निर्धारित करें।

3. खेल में प्रवेश करने के पूर्व जिस खेल में भागीदारी निश्चित करें उसके विषय में पूर्णतः परामर्श व सन्तुष्ट होकर ही प्रवेश करे।

भावी अनुसंधान के लिए सुझाव–

1. जो स्नातक स्तर में अध्ययन रत हैं तथा जो क्रिकेट नहीं खेलते उनके व्यक्तित्व को तुलनात्मक अध्ययन करना।

2. क्रिकेट खिलाड़ी तथा जो क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं हैं ऐसे युवाओं के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ का तुलनात्मक अध्ययन करना। आदि।

सन्दर्भः–

1. अनुसंधान विधियाँ, लेखक–कपिल एच.के. प्रकाशक–कचहरी घाट आगरा, 1992
2. शारीरिक शिक्षा के आधार तथ्य एवं आधार, लेखक– कमलेश एम.एल. प्रकाशक– पी.पी. पब्लिकेशन प्रा. लि. फरीदाबाद 1983।
3. शारीरिक शिक्षा का संगठन एवं प्रशासन, लेखक–संतोष कुमार उपाध्याय, प्रकाशक– मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल 1987।
4. लोक मान्य शिक्षक, राजस्थान विद्यापीठ (मान्य विश्वविद्यालय) डबोर, उदयपुर।
5. शिविरा पत्रिका, निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, राजस्थान। जुलाई 1995 अंक।

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

मध्यप्रदेश में फल उत्पादन का विश्लेषणात्मक अध्ययन

❐ दीपशिखा तिवारी*

शोध सारांश

मध्य प्रदेश राज्य भारत का हृदय स्थल होने के कारण देश के सभी प्रमुख कृषि बाजारों से आसान दूरी पर स्थिति है। मध्य प्रदेश कीं राजधानी भोपाल सभी जिला मुख्यालयों ब्लॉक, तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य सड़क मार्ग विकसित है जो आवागमन के लिये उपयुक्त है।

देश भर में विभिन्न मृदा के प्रकार और जलवायु के अनुसार 16 कृषि जलवायु क्षेत्र है इस दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है एवं इसमें 7 प्रकार की मृदा, 11 प्रकार की कृषि जलवायु क्षेत्र एवं 5 फसलीय क्षेत्रों का उपलब्ध होना एवं इसके साथ ही यह सभी प्रकार के उत्पादन के लिए अनुकूल है कुल बुवाई क्षेत्र के 11 फीसदी क्षेत्र में सब्जियां और फल फसले बोई जाती है मध्यप्रदेश की प्रमुख उद्यानिकी फसलों में, फलों मे आम, अमरूद, केला, संतरा और पपीता है। मध्यप्रदेश में कृषि विपणन के लिए कुल 257 कृषि उपज मण्डी समितियां एवं 299 उप मण्डियां स्थापित है। भूमिधारी किसानों की संख्या 88.16 लाख है जिसमें 76 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसान है।

उद्यानिकी फसलों, अमरुद, टमाटर, लहसुन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, वही ऑवला, संतरा, मटर धनियॉ फसलों के उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। ''किसान भाईयों की अथक मेहनत से प्रदेश कृषि विकास के क्षेत्र में सर्वोपरि है।''

शब्द कुंजी—फल उत्पादन, प्रदूषण एवं अस्तव्यस्त जनजीवन।

प्रस्तावनाः—

इसमें पूर्व की इकाई में अपने शोध प्रतिवेदन के प्रारूप के बारे में जानकारी प्राप्त की इसके साथ ही यह भी जानकारी प्राप्त की, कि इसकी रचना के लिए हम किन चरणो से होकर गुजरते हैं प्रस्तुत इकाई में हम ''मध्यप्रदेश में फल उत्पादन का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' के बारे में पढ़ेगे किसी समस्या में शोध करके उसका निष्कर्ष निकालना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है बल्कि उसे एक वैज्ञानिक तरीके से प्रतिवेदन करना उसका मुख्य उद्देश्य होता है।

उद्देश्य :—

(1) शीर्षक का उद्देश्य :—''मध्यप्रदेश में फल उत्पादन का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' शीर्षक के चयन के पीछे का उद्देश्य आज के भाग—दौड़ तथा प्रदूषित

* वाणिज्य विभाग, डिग्री कॉलेज सतना, मध्यप्रदेश

वातावरण के कारण मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता बहुत ही कम होती जा रही है। जिस कारण फलों की उपयोगिता हमारे जीवन में बढ़ती जा रही है। आज के समय में कई प्रकार के विटामिन्स जो फलों के द्वारा शरीर में प्रवेश करते है। उनकी भरपाई करने के लिए चिकित्सक द्वारा फल व फलों की कमी को पूरा करने के लिए उनसे बनी दवाईयों का सेवन करने की सलाह देते है। आज के प्रदूषित वातावरण में हर परिवार का काई न कोई सदस्य किसी न किसी प्रकार से बीमार रहता है। जिससे फलों के उपयोग की क्षमता बढ़ रही है।

(2) फल उत्पादन में विपणन का उद्देश्य :–

- फलो की बिक्री बढ़ाना फल बाजार के विपणन का प्राथमिक उद्देश्य
- उत्पाद जागरुकता बढ़ाना।
- किसानों की कृषि उपज की ब्रिकी पर शीध्र भुगतान सुनिश्चित करना।
- बाजार प्रांगण में किसानों की उपज की सही तुलाई सुनश्चित करना।
- किसानों की विचोलियों के शोषण से बचाना।
- बुनयादी सुविधाओं मे ंसुधार के द्वारा कृषि उपज के व्यावस्थित विपणन को बढ़ावा देना।
- उत्पादन, कताई, खरीद, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैण्लिंग, विपणन बिक्री सदस्यों के प्राथमिक उत्पाद का निर्यात या उनके फायदें के लिए वस्तुओं या सेवाओं का आयात।
- मुख्यतः इसके सदस्यों को आपूर्ति के लिए मशीनरी उपकरणों व अन्य उत्पादों का निर्माण व बिक्री।

समंको का विश्लेषण

मध्यप्रदेश अमरुद उत्पादन के अधिकता का पूर्वानुमान

वर्ष	उत्पादन	पीएचएल के बाद का उत्पादन	उपभोग	आधिक्य
2017–18	631451.8899	531177.3298	114341.4862	416835.8
2018–19	638323.5035	536957.7311	116478.8716	420478.9
2019–20	645269.8956	542801.0362	118656.2111	424144.8
2020–21	652291.88	548707.9295	120874.2517	427833.7

मध्यप्रदेश आम उत्पादन के अधिकता का पूर्वानुमान

वर्ष	उत्पादन	पीएचएल के बाद का उत्पादन	उपभोग	आधिक्य
2017–18	618876	540278	138377	401902
2018–19	675689	589576	140963	448913
2019–20	732502	639474	143598	495876
2020–21	789315	689071	146283	542789

मध्यप्रदेश केला उत्पादन के अधिकता का पूर्वानुमान

वर्ष	उत्पादन	पीएचएल के बाद का उत्पादन	उपभोग	आधिक्य
2017—18	1952995	1801442	407079	1394364
2018—19	2136622	1970820	414688	1556132
2019—20	2320249	2140198	422440	1717758
2020—21	2503876	2309575	430336	1879238

मध्यप्रदेश संतरा उत्पादन के अधिकता का पूर्वानुमान

वर्ष	उत्पादन	पीएचएल के बाद का उत्पादन	उपभोग	आधिक्य
2017—18	1688583	1524959	47598	1477361
2018—19	1788513	1615206	48488	1566719
2019—20	1873003	1691509	49394	1642115
2020—21	1946191	1757606	50317	1707289

मध्यप्रदेश नासपाती उत्पादन के अधिकता का पूर्वानुमान

वर्ष	उत्पादन	पीएचएल के बाद का उत्पादन	उपभोग	आधिक्य
2017—18	145675	128194	45736	82475
2018—19	171179	150637	46592	104046
2019—20	196683	173081	47462	125618
2020—21	222187	195524	48349	147175

मध्यप्रदेश में फलों की निर्यात क्षमता

मध्यप्रदेश में अमरूदफल की निर्यात क्षमता

Year	M.P Surplus 35%	Export forecast MT	M.P Surplus Over Indian Export M.P.
2017&18	145892-53	11813-02	1235-01%
2018&19	147167-61	12994-32	1132-57%
2019&20	148450-68	14293-75	1038-57%
2020&21	149741-79	15723-12	952-37%

मध्यप्रदेश में आम फल की निर्यात क्षमता

Year	M.P Surplus 35%	Export forecast MT	M.P Surplus Over Indian Export M.P.
2017—18	140666	160104	87.86%
2018—19	15719	176115	89.21%
2019—20	173557	193726	89.59%
2020—21	189976	213099	89.15%

मध्यप्रदेश में केला फल की निर्यात क्षमता

Year	M.P Surplus 35%	Export forecast MT	M.P Surplus Over Indian Export M.P.
2017—18	488027	102112	478%
2018—19	544646	112324	485%
2019—20	601215	123556	487%
2020—21	657733	135911	483.94%

मध्यप्रदेश में संतरा फल की निर्यात क्षमता

Year	M.P Surplus 35%	Export forecast MT	M.P Surplus Over Indian Export M.P.
2017—18	517076	31936	1619%
2018—19	548351	35129	1561%
2019—20	574740	38642	1487%
2020—21	597551	42507	1406%

मध्यप्रदेश में नासपाती फल की निर्यात क्षमता

Year	M.P Surplus 35%	Export forecast MT	M.P Surplus Over Indian Export M.P.
2017—18	28860	780.04	3700%
2018—19	36416	858.04	4244%
2019—20	43966	943.84	4658%
2020—21	51511	1038.23	4961%

फल उत्पादन विश्लेषण (2016-17)

फलो के नाम	राज्य	क्षेत्र (000. HA)	उत्पादन (000.MT)
अमरूद	मध्यप्रदेश	32.55923	624.6543
आम	मध्यप्रदेश	43.61	588.51
संतरा	मध्यप्रदेश	118.69	1612.15
केला	मध्यप्रदेश	26.97	1873.67
नासपाती	मध्यप्रदेश	12.48	147.19

परेशानिया.:–

दूसरी फसलों की तहर बागवानी उत्पादों के लिए भी लाभकारी, मूल्य पर विपणन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, फलों, को संरक्षित रखने के लिए शीत–गृहों, वातानुकुलित परिवहन और जल्द खराब होने वाले उत्पादों केयक उत्पादन से सम्पर्क रखने वाले संगठित खुदरा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने से भी वाजिब दाम पर बिक्री सुनश्चित की जा सकती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वाले उत्पादों की सूची में एक भी फल या सब्जी का नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। एमएसपी की सूची में कुछ प्रमुख फलों एवं सब्जियॉ को भी शामिल करना बेहद जरुरी है। बहुत जल्दी खराब होने वाले इन कृषि उत्पादों के आयात–निर्यात से संबंधित स्थाई निति नहीं होने को काफी हद तक इनकी कीमतों में आस्थिरता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों के मूल्य में स्थिरिकरण के लिए एक कोश वर्षो के मावजूद लेकिन मामूली फण्ड निकम्में प्रशासन के चलते हुए मकसद पूरा कर पाता है। अब समय आ गया है कि सरकार प्रमुख फलों एवं सब्जियों की उपज को धरेली एवं निर्यात बजार बढती मांग अनरुप बढ़ाने के लिए एक सक्षम दीर्घकालिक नीतिगत पहल करे।

1. फलों का जीवनकाल का कम होना
2. उत्पादन और विक्रय का स्थान अलग–अलग होना।
3. कुछ फलों की पैदावार राज्य से दूर होने के कारण लागत की अपेक्षा विक्रय मूल्यबहुत अधिक हो जाता है।
4. ग्रामीण शहरी विभाजन।
5. कृषि में निवेश का आभाव
6. प्रभावी नीतियों का अभाव
7. प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग का अभाव
8. वीमुद्रीयकरण का प्रभाव
9. कीमतों पर अत्याधिक हस्ताक्षेप
10. सिचाई सुविधाए
11. सुस्त उर्वरक उद्योग
12. मानसून पर निर्भरता

सुझावः–

1. मजबूरन बिक्री से बचने के लिए फलों के रखरखाव के लिए शीत गृह और गोदाम की व्यवस्था
2. फलों को उत्पादन स्थान से विक्रय स्थान पर लाने के लिये परिवहन व्यवस्था
3. अधिक से अधिक फलों की पैदावार राज्य के अन्दर हो तथा उचित उपजाऊ खाद्य और मिट्टी का विशलेषण कर उनकी उपयोगिता
4. उचित कीमत के लिए बिक्री के लिए उचित ग्रेडिंग, पैकिंग, और लेवलिंग की जानी चाहियें।
5. उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए उचित बाजार/मण्डी में बिक्री के लिए जाय।
6. अधिकतम लाभ के लिए उपज का भण्डारन करके ऑफ सीजन में बिक्री करनी चाहिये।
7. मजबूरन बिक्री से बचना चाहिये।
8. बेहतर विपणन सुविधाओं के लिए किसान समूह में सहकारी विपणन समितिया गठित कर सकते है।
9. विपणन समितिया खुदरा और थोक दुकाने खोल सकती है।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम :–

1. सिंचाई की समस्याओं को दूर करने के लिए ''प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना'' को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है।
2. इसके अलावा खाद्यानों के भण्डारन और उनके प्रसंशकरण से जुडी ढ़ाचागत विकास पर भी ध्यान केन्द्रीत किया जा रहा है।
3. कृषि उत्पादों को एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के लिए ई–नैम व्यवस्था और एपीएमसी एक्ट भी लाया गया है।
4. कृषि में जोखिम को कम करने के लिए ''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'' भी कियान्वित भी की जा रही है।
5. खेती में वित्त की समस्या से निपटने के लिए लोन की सुगमता, किसान क्रेडिट कार्ड और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे पहल किये जा रहे है। सरकार का

लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाना है। इस दिशा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक ओर नई पहल है।

6. कृषि में अनुसंधान एवं विकास को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

निष्कर्ष :–

उपयुक्त शीर्षक के माध्यम से फल बाजार को महत्ता का पता चलता है। जो एक बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। जिससे देश को अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन आता है। जैसा कि हम जानते है। कि भारत देश के हृदय में स्थित मध्यप्रदेश कृषि से भरा पूरा है। जिससे फलों के बाजार का आवगमन बहुत क्रियाशील है। किसी भी बाजार को विकसित करने के लिए विपणन माध्यमों को होना अत्यन्त आवश्यक है। चूँकि व्यवसाय की वृद्धि विपणन माध्यमों जैसे परिवहन, पैकेजिंग इत्यादि बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर निर्भर करता हैं व्यवसाय को भलिभॉति चलाने के कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों को पार करते हुए इनके सुझावों की खोज कर व्यवसाय को बढ़ाने के सजग प्रयास करते रहना चाहिए। फल बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का महत्वपूर्ण पहलू है। आज के समाज में फलों का विक्रय हर वर्ग के लोग कर रहे है। कीमतों में वृद्धि होने के कारण मात्रा में कमी जरुर आती है। पर बिक्री नहीं रुक सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Internet Web Search.
2. fruit market satna.
3. mpkrishi.mp.gov.in
4. krishi vipdan book (writer- dr. prakash Mehta and dr. D.S. Thakur.
5. krishi samsya (writer-Mahendra Chandra pandey).
6. Indian Agriculture (writer- Dr. Taara Chandra Sharma).

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

शिक्षा का भारतीयकरण एवं भारतीय शिक्षा

❒ रवीन्द्र नाथ यादव*

शोध सारांश

भारतीय शिक्षा पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। यह उपभोक्तावादी न होकर सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय की भावना से प्रेरित रही है। यही कारण है कि गुरु द्रोण के द्वारा एकलब्य का गुरुदक्षिणा के रूप में दाहिने हाथ के अंगूठे की याचना कर लेने से उनका गुरुत्व कलंकित हो गया। आज भी उन्हें उत्कष्टतम् विद्याओं का स्वामी होने के बावजूद भी वह पूजा का स्थान नहीं मिल सका जिसके वे हकदार थे। भारत की षिक्षा प्रणाली मजदूरीवादी नहीं रही। अपने जीविका के निर्वहन हेतु कतिपय सामग्री का संचयन उन्हीं विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता था जो उनके शिक्षा ग्रहण करते थे। इसके बदले में वे उनसे पुत्रवत स्नेह करते थे और अपने जीवन की साधना से प्राप्त सभी विद्यायें सहर्ष न्योछावर कर देते थे।

उसका प्रभाव यह होता था कि जब कोई भी शिशु अपने जीवन के प्रारम्भिक क्षणों में एक आदर्श व्यक्तित्व को देखता था, उसके मार्गदर्शन में जीवन निर्वाह करता था तो उसके जीवन में अपने उस गुरु के चरित्र व व्यवहार को सीधा असर होता था।

शिक्षा का सम्बन्ध रटने की अपेक्षा व्यवहार से अधिक है। जो शिक्षा रटी जाती है वह एक निश्चित अवधि के साथ विस्मृत भी हो जाती है किन्तु जिसका जिया जाता है अथवा दैनन्दिनी में जिसका अभ्यास किया जाता है वह जीवन का अंग बन जाती है और वह विद्या कभी विस्मृत नहीं होती।

आज आवश्यकता है कि भारतीय शिक्षा जो वर्तमान में विदेषी पद्धति पर आधारित हो चुकी है उसके स्थान पर शिक्षा का भारतीयकरण किया जाय। उसके लिए कतिपय बिन्दु निम्नलिखत हैं जो इस शोध का मुख्य विषय है।

शब्द कुंजी–भारतीयकरण, मानवमूल्य, चारित्रिक विकास, शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकास।

* शिक्षा विभाग बलिया उ.प्र.

शिक्षा में भारतीयकरण सही अर्थों में तभी होगा जब हम स्थितियों को बदलेंगे। समाज शब्द का अर्थ है, सम् धन आज अर्थात् साथ–साथ चलना। भारतीय समाज की चिन्तन सदैव यही रहा है कि जन जन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पहले हो तथा सुविधाओं का विस्तार उसके बाद में। इन आदर्शों पर चलकर ही हम भारतीय समाज की आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं।

भारतीयकरण से सीधा सा अर्थ है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज की आकाक्षाओं, भारतीय समाज की आवश्यकतओं एवं भारतीय जीवन मूल्यों के साथ रागात्मक एवं भावात्मक संबंध स्थापित करना।

भारतीयकरण से कहीं भी यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इसका संबंध मात्र हमारी प्राचीन संस्कृति एवं जीवन मूल्यों से है, इसमें आधुनिकता का कोई स्थान नहीं है। ऐसा सोच भारतीय समाज को प्रगति में बाधक सिद्ध हो सकती है।

शिक्षा का भारतीय करण तभी संभव है, जब हम निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दें तथा पाठ्यसामग्री को शिक्षा के पाठ्यक्रम में समुचित स्थान दें–

1. भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा–

किसी भी देश की पहचान उस देश की संस्कृति से ही बनती है। शिक्षा संस्कृति का उदात्तीकरण करती है। शिक्षा, संस्कृति का संरक्षण एवं परिवर्द्धन भी करती है। शिक्षा आत्मवत् को सात्विक अनुभूति कराती है और इसी को सच्ची मानवता अथवा वसुधैव कुटुम्बकम् की उदात्त भावना कहते हैं। हमारी संसृति मानव संस्कृत है। इसके पश्चात् सिद्धान्तों को अपनाना भारतीयकरण है।

2. लोकतन्त्र के अनुकूल बनाना–

भारत ने लोकतन्त्र शासन को अपनाया है। भारत सदैव व्यक्तिशः ही स्वतन्त्रता को महत्व देता रहा है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपना पूरा सन्देश देने के पश्चात् यही कहा कि मुझे जो कुछ कहना था कह दिया अर्थ तुम अपना निर्णय लेकर तदनुकूल आचरण करो। कल लोकतन्त्र के रू‍प में भारत विश्व में एक पहचान बना सके, इसके लिए आवश्यक है कि स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों पर चलकर व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों को अपनी रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार विज्ञान का अवसर दे तथा ऐसे व्यक्तियों के योग से राष्ट्र समृद्ध हो सके।

3. धर्म निरपेक्षता की भावना–

भारतीयकरण की एक आवश्यकता धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्तों पर चलना भी है। आज देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। धर्म कोई भी हो, पर संबकी मंजिल एक ही है, अतः सभी धर्मों के प्रति समान आदर की भावना का विकास ही हमें भारतीयकरण की ओर ले जा सकेगा।

4. शिक्षा में आधुनिकीकरण–

भारत की एक आवश्यकता यह भी है कि वह दुनिया के अन्य देशों में हुए वैज्ञानिक आविश्कारों एवं प्रौद्योगिकी विकास की सहायता से जो भी नया आ रहा है, उसे देखें, परखें तथा आवश्यकतानुसार राष्ट्र हित में उसका उपयोग करें। हमें अतीत के प्रति आदर का भाव रखते हुए उनकी चुनौतियों एवं आवश्यकताओं को भी दृष्टि में रखना होगा।

तभी देश समृद्ध होगा, देशवासियों के जीवन स्तर में बड़ा अन्तर आयेगा। अन्धविश्वास की दुनिया को छोड़ हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। श्रद्धा एवं तर्क का समन्वय ही हमें 'भारतीयकरण' की ओर प्रवृत्त करेगा।

5. राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता–

भारतीयकरण के लिए आवश्यक है कि हमारे देश के नागरिकों में देश के प्रति अटल अनुराग, देश की एकता में अखण्ड विश्वास हो तथा राष्ट्रीय एकता बनाये रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाय। वह तभी संभव है जब शिक्षा हमारे बालकों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का विकास कर सके। भावात्मक रूप से हम एकता को भावना का विकास हो तथा हम एक सशक्त एवं अखण्ड राष्ट्र के रूप में खड़े रहें तो सही अर्थ में भारतीयकरण की ओर प्रवृत्त हो सकेंगे।

6. शिक्षा में चारित्रिक विकास–

भारतीयता सदैव इस बात पर विश्वास करती है कि और कुछ हो या न हो, हम चरित्र की दृष्टि से

उत्कृष्ट बने रहें। हमारा सब कुछ खो जाय तो हमें चरित्र की दृष्टि से उत्कृष्ट बने रहना है। सबकुछ खो जाने के बावजूद भी हमें चिन्ता नहीं होगी पर चरित्र के खो जाने पर खो जाने के लिए शेष कुछ नहीं बचा ऐसा आभास होने लगता है। शिक्षा के माध्यम से चरित्र का विकास अवश्य किया जाना चाहिए। हमारे देश में प्राचीनकाल से ही चारित्रिक विकास पर बल दिया जाता रहा है।

7. अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना–

'वसुधैच कुटुम्बकम्' हमारा सिद्धान्त रहा है। मानव मात्र के लिए ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र के प्रति हमारा आदर्श रहा है। हमने सारी दुनिया को ही अपना परिवार समझा है। यह भारतीय जीवनशैली की विशेषता रही है।

भारतीयता हमारा सबसे बड़ा धर्म रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः के आदर्श हैं, किसी राजनैतिक बाड़े में न बंधते हुए मानवमात्र के कल्याण सोचें, इस प्रकार हम भारतीयकरण की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं।

स्वामी दयानन्द सरस्वती के शैक्षिक विचारों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक है कि हम भारतीय सांस्कृतिक मूल्य बालकों को प्रदान करें। भारतीय दर्शन को समझने का अवसर दें। सर्वधर्म समभाव को अपनायें, लोकतन्त्र के योग्य नागरिक बनाने का प्रयास करें।

शिक्षा से जोड़ते हुए औद्योगिक विकास पर बल दें, आधुनिकीकरण को अपनायें, इससे समाजवादी समाज की स्थापना होगी और इस प्रकार सही अर्थ में भारतीयकरण संभव होगा।

8. नारी शिक्षा का प्रोत्साहित करना–

स्वामी विवेकानन्द का यह वाक्य आज कितना प्रासांगिक है यह देखना आवश्यक हो जाता है जिसमें उन्होंने कहा था–''स्त्रियों की अवस्था में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। किसी पंक्षी का एक पंख के सहारे उड़ना नितान्त असंभव है''। षिक्षा ही वह प्रभावशाली उपकरण है जिसके द्वारा स्त्रियों के जीवन स्तर को उन्नत किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा नारियाँ बाह्य संसार को जान पाती हैं, उसे देख पाती है और समझ पाती हैं। उसके आधार पर ही उन्हें समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तथा समाज में कार्य की भागीदारी भी सुनिश्चित हो पाती है। महिलाओं को सशक्त बनाने व उनके मध्य गुणात्मक वृद्धि हो सके इसके लिए उच्च शिक्षण संस्थायें प्रयत्नशील हैं। जिनके आधार पर नारियाँ आज वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संक्षम हो रही हैं। वर्तमान में नारी शिक्षा की स्थिति संन्तोषजनक है। अब उनका शैक्षिक प्रति. 67 से भी अधिक है।

खेद का विषय यह है कि उच्च षिक्षा संस्थाओं में उनके प्रवेष का प्रति 24 होने की वजह से निराशाजनक है। उनके सामने यह विवशता है कि वे उच्च शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाती हैं, इसके लिए सामाजिक बन्धन और सरकारी उपेक्षा तथा सुविधाओं का अभाव ये तीनों ही जिम्मेदार ठहरते हैं।

निष्कर्ष :–

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा में भारतीयकरण के लिए उपयुक्त जो भी अध्ययन किया गया है वह सार्थक है तथा उसका लागू करना नयी शिक्षा नीति के लिए हितकर सिद्ध होगा।

सन्दर्भः–

1. सोशल सांइकोलोजिकल कोरिलेट्स आफ हैपोनेस इन एडोलेट्स, लेखक– अनीता शर्मा एवं दलीप मल्होत्रा, पृ. 1–16 वर्ष 2010।

2. उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान, लेखक अरुण कुमार सिंह, प्रकाशक– मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली–7।

3. विकास का समाजशास्त्र, शिवबहाल सिंह, प्रकाशक–रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 2010।

4. भारत में शिक्षा, लेखक–पूनम मदान एवं सुषमा गर्ग, प्रकाशक– अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा। 2015

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

''उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के अध्येताओं के स्मृति स्तर को प्रभावित करने वाले सामाजिक पर्यावरण का तुलनात्मक अध्ययन''

❐ सुमन जायसवाल*
❐ डॉ. प्रीसियस श्योरान**

शोध सारांश

उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सम्मुख बड़ी चुनौतियाँ हैं। वास्तव में ये चुनौतियाँ तो शिक्षकों के लिए हैं क्योंकि ऐसे विद्यार्थियों का सम्बन्ध शिक्षकों से है और उनको पूर्णतया जागरुक करने की जिम्मेवारी भी। शिक्षक के लिए आज की परिस्थिति में यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि वह जिस परिवेश में शिक्षा प्रदान कर रहा है वह उनके अनुकूल है अथवा नहीं। जो शिक्षक इस बात का आंकलन जितनी शक्ति व लगन से कर सकेगा वह उतना ही श्रेष्ठ शिक्षक सिद्ध हो सकेगा। वह अपने विद्यार्थियों को उतना ही श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान कर सकेगा।

शब्द कुंजी :– स्मृति स्तर, सामाजिक पर्यावरण।

प्रस्तावना –

अध्येताओं की स्मृति उनके व्यक्तित्व का एक प्रमुख अंग है। अध्येता क्या याद रखते हैं और क्या भूल जाते हैं यह सब बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। भाषा, दृष्टि, श्रवण, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम तथा ध्यान की तरह स्मृति भी मस्तिष्क की एक प्रमुख बौद्धिक क्षमता है। हमारे मस्तिष्क में जो कुछ भी अनुभव, सूचना और ज्ञान के रूप में संग्रहीत है वह सभी स्मृति के ही विविध रूपों में व्यवस्थित रहता है। मानव मस्तिष्क की इस क्षमता का अध्ययन एक काफी व्यापक विषय वस्तु है। मुख्यतः इसका अध्ययन मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान एवं आयुर्विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है।

अध्येताओं की स्मृति कैसे काम करती है या फिर भी किसी चीज को अध्येता कैसे याद रख पाते हैं? स्मृति अध्येताओं के मस्तिष्क में किस प्रकार संग्रहीत होती है? अध्येता किसी चीज को क्यों भूल जाते हैं और कुछ चीजे भुलाए नहीं भूलती। इन मूलभत प्रश्नों ने मानव मन को सदा से ही आंदोलित किया है तथा इनके उतर देने के समय–समय पर प्रयास भी किये

* पी–एच.डी. (छात्रा), श्रीजे.जे.टी.विश्वविद्यालय, चुड़ैला, झुंझुंनूं
** एसो. प्रो. शिक्षा विभाग, श्रीजे.जे.टी.विश्वविद्यालय, चुड़ैला, झुंझुंनूं

गये हैं। सभी के अंदर पुरानी बातों को याद रखने की क्षमता होती है। हम किसी व्यक्ति, स्थान, घटना और स्थितियों–परिस्थितियों को याद करते रहते हैं। उनसे कुछ सीखते हैं। फिर आगे उन्हें अनुभवों और ज्ञान के रूप में सुरक्षित कर लेते हैं। हमारे आगे का व्यवहार इसके द्वारा नियंत्रित होता है कि हमने क्या सीखा है। प्रारंभ में स्मृति की तुलना किसी भौतिक स्थान से की जाती थी और उसमें संग्रहित सूचनाओं को उस स्थान में रखे गए विभिन्न वस्तुओं के तौर पर देखा जाता था। इस उपमा को समझने के लिए एक पुस्तकालय का उदाहरण लिया जा सकता है। पुस्तकालय एक भौतिक स्थान अर्थात् संपूर्ण स्मृति का निरूपण करता है और उसमें रखी पुस्तकें विभिन्न सूचनाओं की तरह होती है। स्मृति की इस व्याख्या को लंबे समय तक मान्यता भी मिली।

मानव जीवन में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। प्रत्येक पग पर उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नवीन परिस्थितियों का सामना तभी हो सकता है, जबकि अध्येताओं के स्मृति स्तर सम्बन्धी प्रतिभा को विकसित किया जाये।

अध्येता का पर्यावरण, व्यक्तित्व समायोजन स्मृति स्तर को प्रभावित करते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्न उठते हैं कि क्या अध्येता के स्मृति स्तर को प्रोन्नत किया जा सकता है। क्या अध्येता की बुद्धि, व्यक्तित्व समोयाजन, सामाजिक पर्यावरण एवं अभिवृत्ति की सहायता से अध्येता से स्मृति स्तर को अपेक्षित दिशा प्रदान की सकती है?

इन्हीं प्रश्नों के उतर जानने हेतु शोधकर्त्री ने उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के अध्येताओं के स्मृति स्तर को प्रभावित करने वाले सामाजिक पर्यावरण का तुलनात्मक अध्ययन को अपना शोधकार्य चुना।

अध्ययन का महत्व :–

स्मृति अधिगमकर्ता की बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन रूचिकर समस्याओं में से एक है। जो कुछ हम समरण करते हैं उसका कितना अंश हम धारण कर पाते हैं? हम क्यों भूलते हैं? अनेको बार हम साधारण वस्तुओं को स्मरण क्यों नहीं कर पाते? स्मृति में विघटन अथवा विकार क्यों उत्पन्न होते हैं? आदि ऐसे प्रश्न हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को परेशान करते हैं।

अच्छी स्मृति के लिए अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है। इसके साथ ही जो पढ़ा जा रहा है उससे भावनात्मक लगाव भी आवश्यक है। कुछ एकाग्रमा बढ़ाने वाली विधियां जैसे कि ध्यान और प्राणायाम आदि भी स्मृति की क्षमता बढ़ाने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है।

प्रस्तावित शोधकार्य द्वारा शोधकर्त्री उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर अध्येताओं के स्मृति स्तर को प्रभावित करने वाली मनो–सामाजिक दशाओं यथा– उनकी शैक्षिक अभिवृत्ति, व्यक्तित्व समायोजन, संज्ञानात्मक क्षमता एवं सामाजिक पर्यावरण की स्थितियों को ज्ञात करेगी। उचित शैक्षिक अभिवृत्ति विकास के लिए किस प्रकार शिक्षण कार्य मिलना चाहिए, इसे प्रस्तुत करनें का प्रयास करेगी। यद्यपि संज्ञानात्मक क्षमता किशोर काल समाप्त होने तक पूर्ण परिपक्व हो जाती है, इसके पश्चात संज्ञानात्मक क्षमता पूर्ण व्यवहार का विकास होता है। व्यक्ति व्यवहार को स्वयं पर्यावरण की अंतःक्रिया से अर्जित करता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र की सृजनकारी योग्यता समस्या समाधान, अमूर्त चिन्तन योग्यताएं धीरे–धीरे स्थायी होने लगती है। प्रस्तावित शोध कार्य द्वारा शोधकर्त्री संज्ञानात्मक क्षेत्र के ताक्रिक, तुलनात्मक, अमूर्तता, संख्यात्मक एवं प्रधानता व्यवहार में युक्ति युक्तता किस प्रकार लाता है। इसे सर्वोपरी किस सीमा तक माना जाये ? आदि के सम्बन्ध मे उपयोगी तथ्य प्रस्तुत करेगी।

अध्ययन का औचित्य :–

आज तक हुए अध्ययनों में वर्मा, मधुरिमा (2003) ने ''लाभान्वित व अलाभान्वित विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, अध्ययन आदतों एवं व्यक्तित्व का अध्ययन'' किया, गिरि, मीना (2005) ने ''खेल के प्रति स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन'' किया, चावला, परमजितकौर एवं शर्मा, एस. (2007) ने ''विद्यालयी छात्राओं (7–9 वर्ष) में पोषण स्तर एवं मानसिक योग्यता पर पोषण परामर्श का प्रभाव'' पर अध्ययन किया, साफिह जबरन–अल–घामरी

(2007) ने ''यमन गणराज्य में माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में मानसिक योग्यता के साथ आयु, लिंग एवं विद्यालय उपलब्धि के सम्बन्धों का अध्ययन'' किया, भारती, ए. के. (2010) ने ''ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के किशोरो के व्यक्तित्व समायोजन का अध्ययन'' किया, सोनी अनीता (2010) ने ''सहशिक्षा एवं बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की समस्याओं का समायोजन एवं व्यक्तित्व का अध्ययन'' किया, सारण, धर्माराम (2015) ने ''विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, व्यक्तिगत मूल्य, अध्ययन आदतों एवं आकांक्षा स्तर का अध्ययन'' किया।

परन्तु शोधकर्त्री ने ऐसा अध्ययन नहीं पाया जिसमें माध्यमिक स्तर के अध्येताओं के स्मृति स्तर को प्रभावित करने वाले उनके व्यक्तित्व का प्रभाव देखा गया है, जबकि अध्येता विद्यालय में 6–8 घण्टे तक विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर आपस में साथ–साथ रहते हैं। ऐसे में उनकी स्मरण शक्ति पर उनकी रूचि एवं व्यक्तित्व का प्रभाव परस्पर क्रिया–प्रतिक्रिया से पड़ता है। अतः यह अध्ययन किया जाना आवश्यक व औचित्यपूर्ण है। इस अध्ययन के द्वारा हम अध्येता के स्मृति स्तर के विकास की विधा प्रस्तुत कर सकते हैं।

समस्या कथन :–

''उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के अध्येताओं के स्मृति स्तर को प्रभावित करने वाले सामाजिक पर्यावरण का तुलनात्मक अध्ययन''

अध्ययन के उद्देश्य :–

1. उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत् अध्येताओं की स्मृति स्तर का मापन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ :–

1. उच्च प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत् अध्येताओं की स्मृति स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन का परिसीमन :–

1. शोध का क्षेत्र राजस्थान राज्य के चूरू जिले तक सीमित है।

2. अध्ययन के लिये प्रयोज्य जनता के रूप में उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत् अध्येताओं को चुना गया है।

3. प्रस्तुत अध्ययन में चूरू जिले के 600 छात्र–छात्राओं (300 राजकीय + 300 अराजकीय) को शोध कार्य हेतु चयनित किया गया है।

4. प्रस्तुत अध्ययन में 300 राजकीय अध्येताओं में (150 उच्च प्राथमिक स्तर के + 150 माध्यमिक स्तर के) तथा 300 अराजकीय अध्येताओं में (150 उच्च प्राथमिक स्तर के + 150 माध्यमिक स्तर के) को लिया गया है।

शोधविधि :–

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है क्योंकि अनुसंधान की यह एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वैध एवं विश्वसनीय होते हैं।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी मध्यमान (M), प्रमाणिक विचलन (SD) एवं C.R. टंसनम की गणना की जायेगी।

समंकों का सारणीयन एवं विश्लेषण :–

प्रस्तुत शोधकार्य में अनुसंधानकर्त्री ने संकलित एवं व्यवस्थित आंकड़ों का विश्लेशण जिस प्रकार किया है, उसका परिकल्पनानुसार विवरण निम्न प्रकार है–

सारणी संख्या – T.IV.1
उच्च प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत् अध्येताओं की स्मृति स्तर के फलांको के सम्बन्ध में मध्यमान अन्तर की सार्थकता

अध्येता	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	क्रांतिक अनुपात मान (C.R..Value)	सार्थकता स्तर	
					.05	.01
उच्च प्राथमिक स्तर	300	124.51	52.61	1.81	सार्थक अन्तर नहीं है।	
माध्यमिक स्तर	300	120.68	50.27			

विश्लेषण :–

उपर्युक्त सारणी में गणना द्वारा प्राप्त मान तालिका मान से कम है। इस आधार पर परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है। अर्थात् उच्च प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत् अध्येताओं की स्मृति स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

प्रस्तुत अध्ययन की शैक्षिक उपयोगिता :–

1. प्रस्तुत शोध अध्येताओं के स्मृति स्तर को सुधार कर उन्हें समाज में प्रभावशाली बनाने में सफल सिद्ध हो सकता है।

2. प्रस्तुत शोध अध्येताओं के स्मृति कौशल को प्रभावित करने वाली मनोदशाओं यथा– व्यक्तित्व समायोजन, अध्यापन अभिवृत्ति, संज्ञानात्मक क्षमता एवं सामाजिक पर्यावरण के स्तर को सुधारने में सफल सिद्ध हो सकता है।

3. प्रस्तुत शोध शिक्षक–शिक्षार्थी के मध्य मधुर सम्बन्धों के निर्माण में अध्येताओं में सकारात्मक सोच उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है।

4. प्रस्तुत शोध अध्येताओं की शैक्षिक अभिवृत्ति को बढ़ाकर एवं सन्तुष्टि उत्पन्न कर तथा वचनबद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

संदर्भ :–

1. पाण्डेय, रामशक्ल, शिक्षा मनोविज्ञान, मेरठ, सूर्या पब्लिकेशन, 2003.
2. वाजपेयी, एस. आर., सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण, कानपुर, किताब घर, 1967.
3. सिंह, एस.पी., सांख्यिकी–परिमाणात्मक विश्लेषण, नई दिल्ली, ए. नन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड, 1984.
4. रस्तोगी, कृष्ण गोपाल, मानवीय मूल्य विकास व्यावहारिक आचरण, रा. मु. वि. नई दिल्ली, 2001.

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

बाण सागर परियोजना के निर्माण-निर्णय से अद्यावधि तक की परिचयात्मक पृष्ठभूमि

❑ डा. विमला पाण्डेय*

शोध सारांश

परियोजना प्रस्ताव एवं उसका संसदीय स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, डूब भूमि का निर्धारण, वन भूमि एवं कृषि योग्य भूमि तथा उसका सम्भाव्य प्रभाव, पुनर्वास की व्यवस्था, डूब भूमि की क्षतिपूर्ति, परियोजना प्रदा–सिचाई हेतु जल के रूप में, विद्युतशक्ति के रूप में, परियोजना की अद्यावधि तक की प्रगति का प्रतिवेदन।

शब्द कुंजी :– बाण सागर, किसान, सरकारी योगदान।

नर्मदा के साथ ही सोनभद्र का नाम सर्वप्रथम स्कंद पुराण में मिलता है। विन्ध्य पर्वत माला के मेकल पर्वत से इन दोनों नदियों का उद्‌गम हुआ है। सोन नदी के पुराणों में तथा बाणभट्‌ट के साहित्य में शोणभद्रया श्रोणभद्र महानद कहा गया है। मेंकल पर्वत के अमरकंटक षिखर से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। पौराणिक गाथा के अनुसार नर्मदा जिसका नाम रेवा भी है तथा श्रोण प्रेमी थे। अभिघात से निराश होकर दोनों ने अलग–अलग दिशायें ग्रहण कर लीं और इधर रेवा आजन्म कुवांरी रह गयी।

श्रोणभद्र भी गम्भीर मुद्रा लिए बहता रहा है। युगों से जितना का वह गया, किन्तु दोनों नदियों में कभी भी अपने तटों पर कोई कृषकों का उपकार नहीं किया प्लावन जअवर्तियों के लिए एक विवाद ही बना रहा। सोनभद्र सदियों से यों ही बहता आ रहा है विहार में डेहरी ओन सोन पर बने बैराज को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी सोन नदी सिंचाई के का न आ सकी। मध्य प्रदेश शासन ने सर्वप्रथम 1974 में योजना आयोग के समय सोन नदी से सिंचाई की परियोजना प्रस्तुत की। इस योजना का नाम छठवीं से सातवीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत कवि हर्षचरितम् व कादम्बरी जैसे महान ग्रन्थों के लेखक बाणभट्‌ट के नाम पर रखा गया है, जो इसी क्षेत्र के निवासी थे।

बाणसागर परियोजना एक अन्तर्राज्यीय बृहद् परियोजना है। जो मध्यप्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित की जा सकी है। मुख्य व्यास 63 मीटर ऊँचा तथा 1020 मीटर लम्बाई में सोन नदी पर निर्मित किया गया है। यह बाँध रीवा के दक्षिण में में रीवा शहडोल मार्ग पर रीवा से 50 कि.मी. दूर स्थित है। योजना आयोग द्वारा 1978 में स्वीकृत इस योजना के पूर्ण होने पर 1.54 लाख हे. 161 प्रतिषत सिंचाई सघनता से प्रतिवर्ष 2.49 लाख हे. क्षेत्र की सिंचाई होती है।

बाण सागर परियोजना द्वारा मध्यप्रदेश में 161 प्रति. 154687 हे. प्रस्तावित सिंचाई सघनता को वर्तमान में 125 प्रति. करते हुए सिंचाई का विस्तार किया

* सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, यमुना प्रसादशास्त्री महाविद्यालय सिरमौर

जाना प्रस्तावित था। परियोजना की कुल पुनरीक्षित मात्रा रूपये 984.00 करोड़ आंकी गयी है। परियोलना का निर्माण कार्य अप्रैल 1978 में प्रारम्भ किया गया। बाद में सम्बन्धित विभिन्न अवयवों का का कार्य लगभग 85 प्रति. पूर्ण किया जा चुका है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार जून 1995 तक टेस्ट मैदान तक 326. मी. एवं बांध का पूर्ण कार्य जून 1998 तक पूरा किये जाने का प्रस्ताव है। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग द्वारा वर्ष 1984 में परियोजना की पर्यावरणीय निकासी प्राप्त हुई तथा वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से परियोजना के लिए 4691 हे. वन भूमि की स्वीकृति 1989 में प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं विहार राज्यों के बीच हुए समझौते के अनुसार परियोजना का शीर्ष कार्य सहयोगी राज्यों के वित्तीय सहयोग सहयोग से निर्मित किया जा रहा है। निर्माण हेतु अंशदान 21/1 के अनुपात में उपलब्ध कराया गया है। जलाशय की 4 एम.ए.एफ. उपयोगी जल की मात्रा का उपयोग भी म.प्र., उ.प. एवं विहार राज्यों द्वारा अनुपात 21/1 में किया जायेगा।

इस योजना के अन्तर्गत 4 जल विद्युत गृहों द्वारा 435 मेगावाट जल विद्यतुत उत्पादन का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही लघु जल विद्युत योजनाओं द्वारा विद्युत का भी प्रस्ताव है, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 850 कि. वाट है। निर्माण पर अगस्त 1992 तक रूपये 281.59 करोड़ व्यय हुआ है। नहर कार्य पर रुपये 52. 77 करोड़ तथा संयुक्त का वाहिनी पर रुपये 42.37 करोड़ व्यय किये गये हैं।

महानद सोनभद्र को बाणसागर बाँध के द्वारा अवरुद्ध करनें के पश्चात् जो जलप्लावन होगा वह 51779 हे. क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जलप्लावन सतना जिले की मैहर एवं अमरपाटन, शहडोल जिले की व्योहारी एवं सोनभद्र तथा जबलपुर जिले के विजयराघवगढ़ तहसील में है।

जल भराव की क्षमता 4.405 मि.ए.फिट अनुमानित है। इतने से 0.405 मि.ए. फीट उत्तर प्रदेश एवं मि.ए. फिट विहार के उपयोग में जाता है। मध्य प्रदेश को आवंटित 2 मी.ए. फिट से 1.54 फिट द्वारा 6.15 लाख एकड़ वार्षिक सिंचाई प्रस्तावित है तथा शेष 0.46 मि. ए. फिट विद्यतु उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया गया है। जिससे 405 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है।

बाँध निर्माण के पष्चात् 1253000 टन वाधान्य एवं 455000 नगद देने वाली फसलों का अतिरिक्त उत्पादन होता है है तथा जल पर से प्रत्येक वर्ष लगभग एक करोड़ उनसठ लाख रुपये के राजस्व की प्राप्ति होती है। एक अनुमान के अनुसार 975 मीट्रिक जन मत्स्य उत्पादन भी होने लगा है। जिसकी वर्तमान कीमत लगभग एक करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है।

परियोजना से उत्तर प्रदेष एवं विहार राज्य की अपनी 3.3 लाख एकड़ एवं 2.32 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। जलप्लावित क्षेत्र से प्रभावित होने वाले ग्रामों की संख्या 336 है। इसमें कुठ ग्राम पूर्ण एवं कुछ आंशिक डूब में हैं। इस 336 ग्रामों में बाणसागर डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि के अर्जन से लगभग एक लाख व्यक्ति प्रभावित हुए हैं जिनके पुनर्वास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाए शासन द्वारा पूर्ण की गईं हैं।

इकाई –1 शीर्ष कार्य– प्रशासकीय स्वीकृति 448.03 करोड़ रुपये की थी जिसमें भूमि अर्जन हेतु 223.92 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस मद में मुआवजे के तौर पर 3191 तक 5228.32 लाख राशि का भुगतान किया गया था।

डूब क्षेत्र से प्रभावित परिवारों की बसाहट के लिए आदर्श ग्राम योजना में प्रत्येक परिवार के आवास हेतु 90 गुणे 50 के आधार का नागरिक सुविधाओं से युक्त भू–खण्ड निःशुल्क दिये गये हैं। आजीविका हेतु उपलब्धता के आधार पर कृषि योग्य भूमि आवंटित की गई है एवं उन्हें उद्योगों में रोजगार दिलाने का प्रयास किया गया है। आदर्श ग्रामों में नागरिक सुविधायें जैसे– पहुँचमार्ग, आन्तरिक सड़के, जल प्रदाय की निकासी, विद्युत कनेक्सन, शैक्षणिक सुविधायें, प्रशासनिक एवं सामाजिक कल्याणकारी संरचनाओं का निर्माण भी निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप परियोजना द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आंशिक डूब के ग्रामों में सार्वजनिक सुविधायें संरचनायें डूब में आने वाले क्षेत्र के बाहर बनायें जाने का प्रावधान किया गया था। ये संरचनायें पुनरस्थापना के आधार पर वर्तमान स्वीकृति मानदण्डों के अनुरूप बनाई गयीं हैं।

परियोजना के विभिन्न अवयवों की मूलतः पुनरीक्षित लागत निम्नानुार है–

इकाई	विवरण	अनुमानित लागत	मूल्य आधार	राज्यों की हिस्सेदारी	रिमार्क
1.	शीर्ष कार्य	91.30	1977	म.प्र., उ.प्र. विहार	Fnl- 89 में प्राप्त म.प्र. शासन के संषोधन विस्थापन मी.टन
	भू अर्जन एवं पुनर्वास कार्य सहित	448.03 एवं 740.00	1987 1991	185.00	अप्रैल 1989 के आधार पर, म.प्र. विहार के परिवारों के लिए 152 व 185 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान। उ.प्र. का अनुमानित लागत में 185. 00 सम्मिलित है। जो कालान्तर में बाण सागर नियन्त्रण परिषद् के 185.00 पर विचाराधीन भी था।
2.	नहरें	237.10 एवं 345.00	1984 1991	म.प्र. द्वारा 332.00 उ.प्र. द्वारा 13.00	केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा जनवरी 93 में स्वीकृत
कुल योग =					1085.00 करोड़ रुपये

निष्कर्ष :–

निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि म.प्र., उ. प्र. व विहार राज्यों द्वारा सोन नदी में बाण सागर नामक बाँध का निर्माण करवा कर न केवल इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान की गई है बल्कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक व सामाजिक उन्नति का मार्ग भी प्रसस्त किया गया है। उक्त तीनों की राज्यों के संयुक्त प्रयासों से भारत सरकार भी दृढ़ हुई है। राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास निर्भर करता है। उक्त क्षेत्र के किसान जहाँ साधनहीन होकर कृषि करते थे और मजदूर जहाँ कार्य विहीन जीवन यापन करने के लिए विवश थे वहीं इस परियोजना से भारी परिवर्तन हुआ है। किसानों की भूमि सिंचित हुई जिससे खेती भी लाभ का धंधा बन गई और जो किसान व मजदूर मजबूर होकर गावों का परित्याग कर नगरों की ओर पलायन कर रहे थे वे अब अधिक संख्या में अपने घर पर रहते हुए ही जीविकोपार्जन कर रहे हैं।

विन्ध्य के लिए यह अत्यन्त ही गौरव की बात है कि भारतीय संस्कृति के पोषक महाकवि बाणभट्ट के नाम से इस बाँध का निर्माण किया गया जिससे उनका नाम युगों युगों तक लिया जाता रहेगा और आम जनमानस को यह ज्ञात होता रहेगा कि इस क्षेत्र में संस्कृत के मूर्द्धन्य विद्वान भी हुए थे। साथ ही पौराणिक कथाओं के आधार पर जनश्रुति है कि सोन और नर्मदा का आपस में प्रेम था किन्तु वे किसी कारण वष नहीं मिल सके। उक्त जनश्रुति को ही यदि आधार मान लिया जाय तो दो प्रेमियों को मिलाने में तीन राज्यों की सरकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिससे सदियों की प्रेम पिपासा का समन हो सका है।

सन्दर्भ :–

1. मुख्य अभियन्ता बाण सागर परियोजना रीवा संभाग, रीवा म.प्र.।

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

Assessment of Prey-Predator Species Diversity in Bandhavgarh Tiger Reserve

❐ Pushpendra Singh*
❐ Balramdas Anand**

ABSTRACT

Bandhavgarh Tiger Reserve, forming part of the gondwana Tract was inhabited by two main aborignal tribes, namely the "Gond" and the "Baiga". Ex-Rulers of Rewa State kept the National Park areas as a "Shikargarh" (Hunting grounds). This areas is unique from the point of Prey-Predator species diversity. Present study deals with the assessment of Prey-Predator species diversity of Bandhavgarh Tiger Reserve. Bandhavgarh has typical Central India Predators with more than 03 (three) species of Mammels have been listed. Nearly 06(six) species of Prey of Mammal have also been recorded in this area.

Key words : Assessment, Prey- Predator species diversity, Bandhavgarh Tiger Reserve.

Introduction :

Bandhavgarh Tiger Reserve comprised of two units viz. the Bandhagarh National Park (448.842 Sq.Km. Inclusive of 12.66 Sq.Km. Reserve Patches) and Panpatha Wild life Sanctuary (245.842 Sq.Km.) adding up to 694.684 Sq.Km. under the unified administration of Bandhavgarh Tiger Reserve.

The Bandhavgarh Tiger Reserve is a part of the Indo-malayan Realm Floristically and a member of the oriental Region Zoo-geo graphically. According to Biogeographic classification it lies in zone 6E Deccan Peninsular Central highlands. The diverse Mix habitats in Bandhavgarh Supports a corresponding Platitude of fauna. Its luxuriantly rich ecosystem provides amply for everyone from tiny Butter flies to the Majestic Tigers. It has earned Reputation worldwide for tigers and their Prey-Predator species diversity here is pleasant surprise for wildlife lovers.

The Reserve lies within the Tropical zone having three distinct seasons in this area. Due to great Variations in temperature, humidity, wind, velocity and precipitation in different seasons. These factors serve as regulators of vegetation and habits of wild animals in the Reserve.

Methodology

Pabla (1998). studied wild life and their habitats of 'Bandhavgarh' and submitted Ph.D. thesis on "Development of user-friendly wild life monitoring Methodology for procticed area in India."

Sale and Berkmullar (1988) and Rodgers (1991) have employed Methods for the estimation of population density of wildlife animals.

The Present study has been conducted in following three phases to cover different study aspects. Phase-I- Collection of Back ground

* Dept. of Zoology, Govt. P.G. College, Amarpatan, Satna (M.P.)
** Dept. of Zoology, Govt. P.G. College, Amarpatan, Satna (M.P.)

Information, Phase-II-Study of Prey-Predator species diversity, Phase-III-Data Interpretation and synthesis.

Result and discussion

The data Collection (Table-1) from such continuous monitoring should be analysed into very intrested trends and bases for species specific and habitat specific planning in the Tiger Reserve. Total number of 03 (three) Major species of Predator of Mammals estimated during the study area. Such as Tiger (*Panthera tigris tigris*), Leopard (*Panthera pardus*) and wild dog (*Cuon alpinus*). Tiger is dominated By leopard and Wild dog. Sinclair, ARE, PD Olsen & TD Red head (1990). Can Predators Regulate small Mammal Population? Evidence from house mouse outbreaks in Australia. Nearly 06 (six) species of Prey of Mammals have also been Recorded in this area. Such as Chital (*Axis axis*), Sumbar (*Cervus unicolor*), Nilgai (*Boselaphus tragocamelus*), chinkara (*Gazella gazella*), Barking dear or Muntjac (*Muntiacus muntjak*), Wild boar (*Sus scrofa*). Chital is the most probable speices in this area. Chakrabarty, B. (1991), Habitat use by Radio instrumented Chital, Sambar and Nilgai in Sariska Tiger Reserve.

Table # 1
List of Major Predator and Prey species of Mammals in Bandhavgarh Tiger Reserve in (M.P.) India.

S.No.	Predator Species	Prey Species
1	Tiger (*Panthera tigris tigris*)	Chital (*Axis axis*)
2	Leopard (*Panthera pardus*)	Sambar (*Cervus unicolor*)
3.	Wild Dog (*Cuon alpinus*)	Nilgai (*Boselaphus tragocamelus*)
4.	--	Chinkara (*Gazella gazella*)
5.	--	Barking deer (*Muntiacus muntjak*)
6.	--	Wild boar (*Sus scrofa*)

References :

Chakrabarty, B. (1991). Habitat use by Radio Instrumented Chital, Sambar and Nilgai in Sariska tiger Reserve M. Sc. dissertation Saurashtra University, Rajkot, pp. 44

Choudhary, L.K. and S.A. Khan (2003). Bandhavgarh National Park, fort of the tiger-the Definite Guide.

Gopal, Rajesh (1992a). An Assessment of Population increase of Tiger and some Prey animals. Journal of tropical forestry 8(iv) :pp. 335-342.

Pabla, H.S. (1998). Development of a user friendly wildlife monitoring Methodology for Protected areas in India. Ph.D. thesis wild life Institute of India. FRI Deemed University, Dehradun., India.

Rodgers, WA& HS Panwar (1988). Planning wild life protected area network in India, Vol. I & II, wildlife Institute of India Dehradun.

Sale, JB & K Berkmuller (1988). Mammal of Wildlife Techniques for India Field Doc. No. 11, wildlife Instt. of India, dehradun.

Sinclair, ARE, PD Olsen & TD Red head (1990). Can Predators Regulate small Mammal Population? Evidence from house mouse outbreaks in Australia, Oikos. 59.382-392

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सतत मूल्यांकन की भूमिका

❒ डा. प्रतीक चतुर्वेदी*

शोध सारांश

स्वभावतः बालक में सीखने की प्रवृत्ति होती है। शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान के माध्यम विद्यालय जहां जहां बालक पढ़कर निरंतर सीखने की प्रवृत्ति को बनाए रखता है। शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, जो माता के गर्भ से आरम्भ होकर अनवरत जारी रहती है। मां की गोद, प्रकृति परिवेश, कौतूहल, खेल, संगीत, कल्पना, सौन्दर्य, चिन्तन, सृजन, ज्ञान–विज्ञान, सुख–दुख, ध्यान–योग, आशा–निराशा, अर्थ, काम, मोक्ष का एक विराट विश्व शिक्षा का संसार है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के चार प्रधान उद्देश्य थे–प्रथम उद्देश्य, चरित्र–निर्माण, द्वितीय उद्देश्य, मनुष्यय के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, तृतीय उद्देश्य, विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व और कर्तव्य की भावना जागृत करना और चतुर्थ उद्देश्य प्राचीन संस्कृति और साहित्य का संरक्षण करना था। किन्तु इतनी विशेषताओं के होते हुए भी वैदिक काल में बालक शिक्षा के लिए था न कि, शिक्षा बालक के लिए। शिक्षा बाल केन्द्रित न होकर ज्ञान केन्द्रित थी। शिक्षा जड़ नहीं अपितु चेतन तथा स्वैच्छिक प्रक्रिया है। वस्तुतः आधुनिक युग में शिक्षा का स्वरूप और अवधारणा बदल गई है, और बालक का सर्वांगीण विकास ही इसमें निहित अर्थ हो गया है।

''शिक्षा से मेरा तात्पर्य है–बालक और मनुष्य के शरीर मस्तिष्क और आत्मा में पाये जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुंमुखी विकास।'' यह कथन सहस्त्राब्दि महापुरुष महात्मा गांधी का है।

किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके विद्यालय की कक्षाओं में लिखा जाता है। शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बनाने एवं विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए नित–नूतन उपायों की खोज कर उसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बनाया जा रहा है। सतत मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो अतीत के अनुभव के समन्वय के साथ वर्तमान और भविष्य की उपयोगिता के सम्मिश्रण से कार्य को प्रभावोत्पादक एवं सुगमता से सम्पन्न करने का कौशल प्रदान करती है।

मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अति महत्वपूर्ण अंग है, और जो शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित है। जैसा समाज होगा, वैसी ही शिक्षा होगी।

* उच्च माध्यामिक शिक्षक, शा.कन्या एस. के. उ. मा. विद्यालय, रीवा (म.प्र.)
www : prateekrewa@gmail.com

शोध कार्य का उद्देश्य

शोध पत्र शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर सतत मूल्यांकन के महत्व पर आधारित है। वर्तमान समय में इस प्रकार की मूल्यांकन प्रक्रिया का सकारात्मक परिणाम है अथवा नहीं। निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है–

1. प्राथमिक स्तर पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के मापन की नवीन अवधारणा का औचित्य प्रतिपादित करना।

2. प्राथमिक स्तर पर लागू सतत मूल्यांकन प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करना।

3. छात्रों के सर्वांगीण विकास में सतत मूल्यांकन के प्रभाव का अध्ययन करना।

4. परम्परागत मूल्यांकन प्रणाली एवं सतत मूल्यांकन के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएँ :

शोध पत्र के सम्बन्ध में शोधार्थी की निम्न परिकल्पनायें हैं। परिकल्पना शोध की सम्भावित निष्कर्ष होती हैं, तथा इससे अनुसंधान की दिशा स्पष्ट होती है।

1. सतत मूल्यांकन से छात्रों के भावनात्मक, क्रियात्मक एवं ज्ञानात्मक पक्ष में वृद्धि हुई है।

2. सतत मूल्यांकन से शिक्षकों के अध्यापन कौशल सम्बन्धी दक्षता का विकास हुआ है।

3. सतत मूल्यांकन से छात्रों में प्रतियोगितात्मक जागरुकता का विकास हुआ है।

सारणी क्रमांक–1

सारणी क्रमांक 1 में भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष एवं ज्ञानात्मक पक्ष को सतत मूल्यांकन का आधार मानते हुए विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को दर्शाया गया है, जो निम्नलिखित तथ्यों को समाहित किए हुए है–

स क्र	जानकारी संकलन के स्रोत	न्यादर्श संख्या	संगत प्रश्न क्र.	छात्रों के भावनात्मक क्रियात्मक एवं ज्ञानात्मक पक्ष के विकास का आकलन											
				भावनात्मक				क्रियात्मक				ज्ञानात्मक			
				हॉ	%	नहीं	%	हॉ	%	नहीं	%	हॉ	%	नहीं	%
1	प्रधानाध्यापक	10	5	3	30	0	0	4	40	0	0	3	30	0	0
2	शिक्षक	20	6	8	40	0	0	6	30	0	0	6	30	0	0
3	छात्र	100	7,8 , 9	150	50	0	0	90	30	0	0	60	20	0	0

विश्लेषण :

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 1 में भावनात्मक, क्रियात्मक एवं ज्ञानात्मक पक्ष को सतत मूल्यांकन का आधार मानते हुए विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को दर्शाया गया है, जो निम्नलिखित तथ्यों को समाहित किये है। न्यादर्श में यादृच्छिक विधि से चुने गये 10 विद्यालयों में कुल 100 छात्रों में से भावनात्मक पक्ष को विकसित होना मानते हैं लगभग 50% वहीं पर प्रधानाध्यापक महोदय 30% विकास होना पाते हैं। जबकि 40% शिक्षक इसे छात्रों में विकसित होना बताते हैं। इसी प्रकार छात्रों में सतत मूल्यांकन से क्रियात्मकता का विकास होना विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय 40% का योगदान मानते हैं, जबकि विद्यालय के शिक्षकों का 30% मानना है वहीं पर छात्र भी 30% की वृद्धि मानते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित होना प्रधानाध्यापक महोदय के अनुसार 30% व शिक्षक भी 30% सहमत हैं तथा छात्रों का मानना है कि केवल 20% ही वृद्धि है।

व्याख्या :

उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के साथ–साथ उनकी सृजनात्मकता

एवं रचनात्मकता की क्षमता में भी विकास देखा गया। उपर्युक्त आंकड़ों के अनुसार हम कह सकते हैं कि न्यादर्श विद्यालयों में भी इन स्तरों के विकास में सतत मूल्यांकन का ही कारण माना है। चयनित विद्यालयों में प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण एवं छात्रों के भावनात्मक स्तर को बढ़ाया है साथ ही क्रियात्मकता को सुधारता है व ज्ञानात्मक स्तर में वृद्धि को प्रगतिकारी बनाता है।

सारणी क्रमांक–2

सारणी क्रमांक 2 में शिक्षकों के अध्यापन कौशल सम्बतन्धी दक्षता के विकास का आकलन (इकाईवार, मासिक परीक्षा) है, जो निम्नलिखित तथ्यों को समाहित किए हुए हैं–

सरल क्रमांक	जानकारी संकलन के स्रोत	न्यादर्श संख्या	संगत प्रश्न क्रमांक	शिक्षकों के अध्यापन कौशल सम्बन्धी दक्षता के विकास का आकलन (इकाईवार, मासिक परीक्षा)			
				हॉ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
1	प्रधानाध्यापक	10	7, 8	12	60	8	40
2	शिक्षक	20	8, 9	30	75	10	25
3	छात्र	100	10, 11	130	65	70	35

विश्लेषण :

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 2 जो सतत मूल्यांकन सम्बन्धी शिक्षकों की अवधारणा को स्पष्ट करती है से निम्नांकित तथ्य स्पष्ट होते हैं– यादृच्छिक विधि से चुने गये 10 विद्यालयों में कुल 10 प्रधानाध्यापक तथा 20 शिक्षक एवं 100 छात्रों में से लगभग 60% प्रधानाध्यापक तथा 75% शिक्षक व 65% छात्र मूल्यांकन की इकाईवार परीक्षा प्रणाली को अधिक महत्वपूर्ण एवं बेहतर मानते है, किन्तु 100% शिक्षकों ने मासिक परीक्षा प्रणाली को भी सतत मूल्यांकन का एक चरण मानकर प्राथमिकता दी है। मासिक परीक्षा प्रणाली में 75% शिक्षकों ने परीक्षा को पाठ्यक्रम आधारित बनाया है जबकि 25% परीक्षा की दिनांक तक पढ़ाये सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित करना अधिक उपयुक्त माना है।

कुल 20 शिक्षकों में से 90% शिक्षकों ने मासिक परीक्षा हेतु विद्यालय के समय–सारणी के एक कालखण्ड को परीक्षा अवधि माना है। जबकि शेष शिक्षकों ने दो कालखण्ड को इकाईवार परीक्षा अथवा मासिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, लघुउत्तरीय प्रश्न देने वाले शिक्षकों का 90% है। जबकि 10% शिक्षक इस प्रकार के प्रश्नों के अतिरिक्त प्रश्नों को भी समाहित करते हैं। 12% शिक्षकों ने परीक्षा के दौरान छात्रों की उपस्थिति 100% बताई है। 70% शिक्षकों ने 75% से अधिक, 12% शिक्षकों ने 50% से 75% के बीच छात्रों की उपस्थिति बताई है। 4% शिक्षकों ने इन परीक्षाओं के दौरान छात्रों की उपस्थिति 90% से भी कम स्वीकार किया है। छात्रों के लगातार मासिक मूल्यांकन में शिक्षकों ने उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में लगातार वृद्धि पाया है। अधिकांश छात्रों के कक्षा में लगातार उपस्थित रहने के कारण व अध्ययन में रुचि रखने से शिक्षक अपनी शिक्षण विधि को अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं, जिसके कारण शिक्षकों में अध्यापन कौशल सम्बन्धी दक्षता का विकास हुआ है।

व्याख्या :

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि न्यादर्श विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा परीक्षा के सतत मूल्यांकन प्रणाली के अन्तर्गत इकाई परीक्षा योजना को विशेष महत्व दिया है। इन परीक्षाओं द्वारा न केवल पूरे पाठ्यक्रम की सार्वभौमिकता का उचित निर्वाहन होता है वरन पाठ्यक्रम के प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग की

भी छात्रों को जानकारी होती है। जिससे छात्रों की शैक्षिक कमियों को दूर करने में शिक्षक अपने अध्यापन कौशल को और अधिक दक्षता के साथ कक्षा शिक्षण के दौरान विकसित कर पाते हैं एवं छात्रों को समुचित शिक्षण का लाभ प्राप्त होता है।

सारणी क्रमांक–3

सारणी क्रमांक 3 में छात्रों में प्रतियोगितात्मक जागरूकता के विकास का अध्ययन विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान पहेली, विज्ञान प्रश्न मंच, गणित दौड़ दर्शाया गया है, जो निम्नलिखित तथ्यों को समाहित किए हुए हैं–

क्र.	जानकारी संकलन के स्रोत	न्यादर्श संख्या	संगत प्रश्न क्र.	छात्रों में प्रतियोगितात्मक जागरुकता के विकास का अध्ययन															
				विज्ञान प्रदर्शनी				विज्ञान पहेली				विज्ञान प्रश्न मंच				गणित दौड़			
				हॉ	%	नहीं	%	हॉ	%	नहीं	%	हॉ	%	नहीं	%	हॉ	%	नहीं	%
1	प्रधानाध्यापक	10	6	4	40	0	0	3	30	0	0	3	30	0	0	0	0	10	10
2	शिक्षक	20	7	8	40	0	0	6	30	0	0	6	30	0	0	0	0	20	10
3	छात्र	100	18, 19, 20	70	23.3	30	10	60	20	40	13.3	50	16.7	50	16.7	0	0	100	100

विश्लेषण :

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 3 में प्रतियोगितात्मक जागरुकता को सतत मूल्यांकन का आधार मानते हुए छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को दर्शाया गया है जो निम्नलिखित तथ्यों को समाहित किये है–

यादृच्छिक विधि से चुने गये 10 विद्यालयों में कुल 10 प्रधानाध्यापक तथा 20 शिक्षक के साथ कुल 100 छात्रों में से विज्ञान प्रदर्शनी तथा विज्ञान पहेली एवं विज्ञान प्रश्न मंच व गणित दौड़ में छात्रों की रुचि प्रधानाध्यापक महोदय के अनुसार विज्ञान प्रदर्शनी में 40% तथा विज्ञान पहेली के अन्तर्गत 30% एवं विज्ञान प्रश्न में 30% तथा गणित दौड़ में किसी भी छात्र की रुचि न होने का अभाव बताया है। इसी तारतम्य में शिक्षकों के अनुसार विज्ञान प्रदर्शनी में 40% तथा विज्ञान पहेली के अन्तर्गत 30% एवं विज्ञान प्रश्न मंच में 30% व गणित दौड़ में छात्रों की अरुचि बताया है। छात्रों की स्वयं की अभिव्यक्ति क्रमशः विज्ञान प्रदर्शनी में 23% ने भाग लिया व 10% ने नहीं भाग लिया, जबकि विज्ञान पहेली के अन्तर्गत 20% छात्रों ने रुचि दिखाई व 13% छात्रों ने अरुचि को दर्शाया है तथा विज्ञान प्रश्न मंच में 16% ने रुचि व 16% ने अरुचि दिखाई है तथा गणित दौड़ में किसी भी छात्र ने प्रतिभागी के रूप में हिस्सा नहीं लिया तथा जानकारी का अभाव पाया गया।

व्याख्या :

उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार छात्रों की बौद्धिक क्षमता के साथ–साथ उनकी विज्ञान विषयों में छात्रों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष विज्ञान प्रदर्शनी तथा विज्ञान पहेली एवं विज्ञान प्रश्न मंच व गणित दौड़ एवं अन्य विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। उपर्युक्त आंकड़ों के अनुसार हम कह सकते हैं कि हमारे न्यादर्श विद्यालयों में भी इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और विभिन्न स्तरों पर सफलता के साथ जो मूल्यांकन के द्वारा उनकी उपलब्धियों के सूचना भी बने। जिससे छात्रों में प्रतियोगितात्मक जागरुकता का विकास हुआ है।

शोध निष्कर्ष :

शोधपत्र में शोधार्थी के शोध कार्य के मूल तत्व हैं। इससे संबंधित अन्य समस्याओं में उनके महत्व को दृष्टिगत रखते हुये ऐसा करना अत्यधिक उपयुक्त होगा। सतत मूल्यांकन में मासिक लिखित परीक्षा एवं इकाईवार लिखित परीक्षा का स्वरूप 80% छात्रों को अधिक उपयुक्त् लगती है।

1. सतत मूल्यांकन की प्रणाली को अपनाये जाने के कारण छात्रों में न केवल 25% भावनात्मक पक्ष वरन 35% क्रियात्मक एवं 40% ज्ञानात्मक स्तर में भी सुधार आया है। विज्ञान विषयों के अध्ययन से छात्रों ने अपनी ज्ञानात्मक क्षमता के अतिरिक्त सृजनात्मक एवं रचनात्मक दक्षता को भी विकसित किया है।

2. इकाईवार अथवा मासिक या त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा 100% विषय शिक्षकों द्वारा ली जाती है। इससे शिक्षकों को परीक्षा लेते समय अपने छात्रों की योग्यता एवं पढ़ाये गये पाठ्यक्रम का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। निष्कर्ष परीक्षा मूल्यांकन के अवधारणा के अनुरूप होती है।

3. पाठ्येतर गतिविधियों में सांस्कृतिक एवं खेलकूद मूल्यांकन के व्यावहारिक पक्ष के मूल अवधारणा को समाहित किये होते है। उनके द्वारा छात्रों के मूल्यांकन के साथ–साथ उनके व्यक्तित्व के 33% सामाजिक एवं 46% व्यावहारिक पक्ष को सुसंगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होता है। मूल्यांकन के सन्दर्भ में छात्रों की 55% सृजनात्मकता एवं 45% रचनात्मकता के मापन में आयोजित कार्यक्रमों का सतत मूल्यांकन से सीधा सम्बन्ध होता है। इन कार्यक्रमों में विज्ञान विषयों से सम्बन्धित 60% प्रदर्शन, 20% वर्ग पहेली एवं 20% विज्ञान पहेली जैसे कार्यक्रम प्रमुख है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पाठक, पी.डी. (1974) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर।
2. पाठक, पी.डी. (1986) शिक्षा मनोविज्ञान, आगरा– विनोद पुस्तक मंदिर।
3. पाल, एस.के. और अन्य (1997) शिक्षा दर्शन, इलाहाबाद – कैलाश प्रकाशन।
4. पाण्डेय, राम सकल (1998) शिक्षा दर्शन, आगरा– विनोद पुस्तक मंदिर।
5. भटनागर, आर.पी. (1986) शैक्षिक अनुसंधान मेरठ– लायल बुक डिपो।
6. सिंह, रामपाल (1970) शैक्षिक मूल्यांकन, आगरा– विनोद पुस्तक मंदिर।
7. सक्सेना, सरोज (1996) शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, आगरा– साहित्य प्रकाशन।
8. त्रिपाठी, लाल बचन एवं अन्य (1987) आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान, आगरा – हर प्रसाद भार्गव कचेहरी घाट।
9. त्रिपाठी, आर.वी. (1992) अनुसंधान के मूल तत्व इन्दौर – खालसा पब्लिकेशन।
10. दास त्यागी, डा. गुरुशरण – भारतीय शिक्षा का परिदृश्य।

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

Forest and Wildlife : Conservation

❒ Dr. S.P. Verma

ABSTRACT

Conservation of forest to preserve and manage the plant and animal species to protect them from being extinct. Forest can be conserved by maintaining biosphere reserves, wild life sanctuaries and national parks, zoological parks and botanical gardens, present study covers the man and biosphere, wildlife, forest and wildlife conservation, biosphere reserves and different project like Tiger and Elephants.

Keywords : Forest, Wildlife, Biosphere reserve, Project Tiger

Introduction :

To a huge population of tribal people, a forest is a home, a livelihood, their very existence. It provides them food, fruits of all kind, edible leaves, honey, nourishing roots and wild game. It provides them with material to build their houses, and herbs for practicing their art. The importance of forest in tribal economy is well known as they are the source of sustenance and livelihood for tribal communities. It is commonly believed that the tribal communities live the harmony with nature and protect forests. Out of a total of 593 districts 188 have been identified as tribal districts. The tribal districts account for above 59.61 percent of the total forest cover of the country while it is only 33% of the total geographic area. So forest and tribals are very closely related.

Wildlife :

Wildlife of India is great natural heritage. It is estimated that about 4.5 percent of all known plant and animal species on the earth are found in India. The main reason for this remarkable diversity of life forms is the great diversity of the ecosystem which this country has preserved and supported through the ages. Some of the important reasons of the declining of wildlife are as follows-

(a) Industrial and technological advancement brought about a rapid increase in the exploitation of forest resources.

(b) More and more lands were cleared for agriculture, human settlement, road, mining, reservoirs, etc.

(c) Pressure on forest mounted due to lopping for fodder, fuel/wood removal of small timber by the local people.

(d) Grazing by domestic cattle caused an adverse effect on wildlife and its habitat.

(e) Hunting was taken up as sport by the elite.

(f) Incidence of forest fire.

Wildlife conservation in India :

The protection of wildlife has a long tradition in India. Many stories of Panchtantra and jungle books etc. have stood the test of time relating in the love for wildlife.

In 1972, a comprehensive Wild Life Act was enacted, which provide the main legal framework

* Associate Professor (Animal Husbandry), Kulbhaskar Ashram P.G. College, Prayagraj, E-mail : drspverma_kadc@rediffmail.com

for conservation and protection of wildlife in India. The two main objectives of the Act are to provide protection to the endangered species listed in the schedule of the Act and to provide legal support to the conservation areas of the country classified as National Parks, Sanctuaries and closed areas. This act has been comprehensively amended in 1991, making punishments more stringent and has also made provisions for the protection of specified plant species and conservation of endangered species of wild animals.

There are 102 National Parks and 515 wildlife sanctuaries covering an area of 15.67 million ha in the country.

For the purpose of effective conservation of flora and fauna special steps has been initiated by the Govt. of India in the collaboration with UNESCO's 'Man and Biosphere' programme. The Biosphere Reserve aims at achieving the three objectives-

1. Conservation of Biodiversity and ecosystem.

2. Development (Association of environment with development).

3. Logistics (International network for research and monitoring).

Biosphere Reserve in India :

There are eighteen Biosphere Reserve in India only eleven Biosphere Reserve have been recognised by the UNESCO on World Network of Biosphere Reserve.

Table : Biosphere Reserve in India

Sl. No.	Name & Area (Km^2)	Date of Designation
1.	Nilgiri (5520)	01.08.1986
2.	Nanda Devi (5860)	18.01.1988
3.	Nokrek (820)	01.09.1988
4.	Munas (2837)	14.03.1989
5.	Sundarban (9630)	29.03.1989
6.	Gulf of Mannar (10500)	18.02.1989
7.	Great Nicobar (885)	06.01.1989
8.	Similipal (4374)	21.06.1994
9.	Dibru Salkhera (765)	28.07.1997
10.	Dehang Debang (5111)	02.09.1998
11.	Panchmarhi (4981)	03.03.1999
12.	Khangchendzonga (2619)	07.02.2000
13.	Agasthiamtal (3500)	12.11.2001
14.	Achanakawtar Amarkantak (3835)	30.05.2005
15.	Kachchh (1245)	29.01.2008
16.	Cold desert (7770)	28.08.2009
17.	Seahachalan (4755)	20.09.2010
18.	Panna (2998)	25.08.2011

Some special schemes like Project Tiger (1973) and Project Elephant (1992) have been launched to conserve these species and their habitat in a sustainable manner.

The main objective of the Project Tiger is to ensure maintenance of vital population of tigers in India for scientific, aesthetic, cultural and ecological values and to preserve area of biological importance as natural heritage for the benefit, education and

the enjoyment of the people. Initially the Project Tiger was launched in nine tiger reserves which has now increased to 50 tiger reserves distributed in 18 states. The tiger population in the country has registered an increase from 1411 in 2006 to 2967 in 2018.

Project Elephant was launched in 1982 to assist states having free ranging population of wild elephants. It was aimed at ensuring long term survival of identified viable population of elephant in their natural habitat. The project is being implemented in 17 states.

Apart from this, some other projects such as Crocodile Breeding Project, Project Hangul, conservation of Himalayan Musk deer and Project Dolphin have also being launched by the Govt. of India.

References :

1. Kashmir Stage (Hangul) https//en.m.wikipedia.
2. Project Tiger https://en.m.wikipedia.org.
3. Crocodile conservation, wildlife conservation in Odissa Odisha wildlife.org>projectcrocodile.
4. India : physical environment NCERT New Delhi.
5. Biosphere Reserve in India wikipedia.org.
6. http://www.wiienvis.nic.in/

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

रत्नत्रयी गीता

❑ रंजना अग्रवाल*

शोध सारांश

भगवान श्री कृष्ण के मुख से उच्चरित गीता वेदों और उपनिषदों का सार है। सभी शास्त्रों और दर्शन गीता में ही समाहित है तथा गीता का ज्ञान मानव एवं समाज के लिए उपयोगी है। इस सार शून्य संसार में गीता के उपदेश ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और मोक्ष के साधन है। यह प्रकृति त्रिगुणमयी रचना है – "त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत"। इसलिए गीता को भी रत्नमत्रयी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें सत्त्व, रज और तमोरूपी गुणों का वर्णन है, जो मानव जीवन के पथ प्रदर्शक है। यह प्रकृति और जीवात्मा इन तीनगुणों से निबद्ध है–

सत्त्वं रजस्तमः इति गुणाः प्रकृति सम्भवाः।
निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्।।

प्रकृति के ये तीन गुण–सत्त्व, रज और तम क्रमशः इस जगत की स्थिति, उत्पत्ति और अन्त के कारण है। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी देवता और मनुष्य नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो, सब के सब त्रिगुणात्मक है ये गुण सभी प्राणियों में रहते हैः–

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः।
सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः।।

मनुष्य से सत्त्वादि गुणों के भेद से शुभ, अशुभ और मिश्र तीन प्रकार के कर्म होते रहते हैं इन्हीं कर्मों के आधार पर मनुष्य को भिन्न–भिन्न गतियाँ प्राप्त होती रहती है। श्रीमदभगवतगीता में सत्त्व, रज और तम तीनों गुणों के आधार पर त्रिविध दान, त्रिविध आहार, त्रिविध तप, त्रिविध ज्ञान, त्रिविध कर्म, त्रिविध कर्त्ता, त्रिविध सुख, त्रिविध धारणा, त्रिविध बुद्धि, त्रिविध त्याग, त्रिविध श्रद्धा आदि का वर्णन है जो प्रत्येक काल और परिस्थितियों में प्रमाणिक है तथा जीवमात्र का कल्याण करने वाले हैं।

गीता का महत्त्व

महर्षि वेदव्यास विरचित महाभारत एक अति विशाल और आकर्षक काव्य है। श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत के शांति पर्व का ही एक हिस्सा है। इस काव्य की आत्मा श्रीमदभगवत गीता मानी जाती है, क्योंकि यह साक्षात् भगवान श्री कृष्ण की दिव्यवाक् है। बाकी सब ग्रंथ हमारे ऋषि–मुनियों ने लिखे हैं। गीता ही सब वेदों और उपनिषदों का सार है, इसलिए

* रा.उ.प्रा.वि., डढ़ीकर, उमरैण, अलवर (राजस्थान)
पत्राचार पता–राजपूत छात्रावास के पीछे, प्लाट न. 3, मौहल्ला अखैपुरा, अलवर (राजस्थान)–301001

इसे गीतोपनिषद भी कहते है। महाभारत में भगवद्गीता के महत्त्व के विषय में वेदव्यास जी ने कहा है– "सर्वशास्त्रमयी गीता"। (भीष्म पर्व 43/2)

गीता सुगीता कर्त्तव्या किमन्यैः शास्त्रसड.ग्रहैः।
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः सृता।।
(महाभारत/भीष्म पर्व/3/1)

और संतों ने भी कहा है–

समता त्याग सिखवनि, हरि मुख की बानी।
सकल शास्त्र की स्वामिनि, श्रुतियों की रानी।।

पदमपुराण में भगवान विष्णु ने गीता को स्वयं का स्वरुप बताया हैं–

श्रुणु सुश्रोणि वक्ष्यामि गीतासु स्थितिमात्मनः।
वक्त्राणि पञ्च जानीहि पञ्चाध्यायाननुक्रमात्।।
दशाध्यायान् भुजांश्चैकमुदरं द्वौ पदाम्बुजे।
एवमष्टादशाध्यायी वाङ्मयी मूर्तिरैश्वरी।।
(पदम. उत्तर 271/27–28)

अर्थात् श्रीमद्भगवद्गीता के क्रमशः एक से पाँच अध्याय तक भगवान का मुखारविन्द है, दस से पन्द्रह अध्याय तक भगवान विष्णु की दस भुजाएँ है, सोलहवां अध्याय भगवान का उदर है तथा सत्रहवां व अठारहवां अध्याय भगवान के चरण कमल है। इस प्रकार अठारह अध्यायों की वाङ्मयी गीता ईश्वरीय मूर्ति का ही स्वरुप है।

भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जीवमात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया है जो ज्ञान समाज एवं मानव के कल्याण के लिए परमावश्यक है। अतः यह सार्व भौम ग्रंथ है। गीता से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि–

गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च ।
नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च।।

त्रिगुणमयी गीता

इस सार शून्य संसार में सत्संग, केशव भक्ति और गंगा के जल में स्नान ये तीन ही सार माने गये है। गीता का पठन, अध्ययन, श्रवण ही केशव भक्ति का साधन है। जिसमें भी गीतारुपी जल में स्नान करने वाले का पुर्नजन्म नहीं होता है–

सत्संग केशवेभक्तिर्गंगाम्भसि निमज्जनम्।
असारे खलु संसारे त्रीणि साराणि भावयेत।।
सकृद् गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशम्।।
गीतागंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।।

भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस संसार को त्रिगुणमयी रचना बताया है–

"त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत।"

इसमे सत्त्व, रज और तमरूपी गुण है जो मानव जीवन के पथ प्रदर्शक है। इसलिए गीता को रत्नत्रयी के नाम से भी जाना जाता है। ये त्रिगुण प्रत्येक काल और परिस्थितियों में सटीक प्रमाणिक माने जाते हैं।

त्रिविध गुणकथन–

सत्तवं रजस्तमश्चैव त्रीन्विद्यात्मनो गुणान्।
यैर्व्याप्येमान्स्थितो भावान्महान्सर्वानशेषतः।।
(मनुस्मृति 12/24)

महर्षि मनु के अनुसार आत्मा के सत्त्व, रज तथा तम ये तीन गुण है जिनसे युक्त यह महान् आत्मा सम्पूर्ण चराचर पदार्थों में व्याप्त होकर स्थित है। यह प्रकृति और जीवात्मा इन तीनों गुणों से निबद्ध है। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते है–

सत्त्वं रजस्तमः इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः।
निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्।।
(श्रीमद्भगवतगीता 14/5)

प्रकृति के ये तीन गुण–सत्त्व, रज और तम क्रमशः इस जगत की स्थिति, उत्पत्ति और अन्त के कारण है। पृथ्वी को तमस, सूर्य को रजस और चन्द्रमा को सत्व माना जाता है। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी देवता और मनुष्य नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो, सब के सब त्रिगुणात्मक है–

न तदस्ति पृथ्वियां वा दिवि देवेषु वा पुनः।
सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः।।
(गीता 18/40)

सात्त्विक, राजस और तामस तीनों गुण सभी प्रणियों में रहते हैं। किसी में सत्त्व गुण की प्रधानता होती है, किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है और

किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है। हमारे जीवन के अलग–अलग चरण भी इन गुणों पर आधारित है। व्यक्ति का जन्म तमस के अन्तर्गत होता है। जब वह जीवन–यापन से जुड़कर संसाधन जुटाना प्रारम्भ करता है तब रजस की शुरुआत होती है। और जब ये दोनों गुण मिलते है और पूर्णता आती है तब सत्व की बारी आती है। अर्थात् ज्ञान हमें तब मिलता है जब हम जीवन के प्रति पूरी तरह जागरुक होते हैं, तब मनुष्य जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था सब दुःखों से छुटकर परमानन्द को प्राप्त होता है। वेद तीनों गुणों से बाहर नहीं है वे इन तीनों गुणों को ही प्रकाशित करते हैं। गीता में श्रीकृष्ण ने इन तीनों गुणों को वेदों का आधार भी बताया है–

त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैयः गुण्यो भवार्जुन।
(गीता 2/45)

गुणत्रय स्वरुप–

सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतम्।
एतद्वयाप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः।।
(मनुस्मृति 12/26)

प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवत्तिनियमार्थाः।
अन्योन्याभिभवाश्रयाजननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः।।
(सांख्यकारिका/12)

वस्तु का यथार्थ ज्ञान सत्त्वगुण, प्रतिकूल ज्ञान तमोगुण और राग–द्वेष रजोगुण कहलाता है। सब प्राणियों का शरीर इन गुणों का आश्रित है। सत्त्वादि गुणमय का स्वरुप क्रमशः प्रीति, अप्रीति और विषाद है और वे परस्पराभिभव, परस्पराश्रय, परस्परजनन, परस्परमिथुन और परस्परवृत्ति वाले हैं।

(1) सात्त्विकगुण का लक्षण–

तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किंचिदात्मनि लक्षयेत्।
प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत्।।
(मनुस्मृति 12/27)

वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम्।।
(मनुस्मृति 12/31)

आत्मा में जो कुछ प्रीति और सुख से युक्त, क्लेशरहित तथा प्रकाशमान लक्षित हो, उसे सत्त्वगुण जानना चाहिए। वेदों का अभ्यास, प्राजापत्यादि तप, शास्त्रों के अर्थ का ज्ञान, जल आदि के द्वारा शुद्धि, इन्द्रियसंयम, दान आदि धर्म कार्य और परमात्मा का चिन्तन ये सब सत्वगुण के लक्षण हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार सत्त्वगुण–निर्मल (स्वच्छ) होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है–

"तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्।"
(गीता 14/6)

(2) राजसिक गुण का लक्षण–

यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः।
तद्रजो प्रीतपं विद्यात्सततं हारि देहिनाम्।।
(मनुस्मृति 12/28)

आरम्भरुचिताऽधैर्यमसत्कार्यपरिग्रहः ।
विषयोपसेवा चाजस्त्रं राजसं गुणलक्षणम्।।
(मनुस्मृति 12/32)

जो दुःखयुक्त, अप्रीतिकारक तथा शरीरियों को विषयों की ओर आकृष्ट करने वाला प्रतीत हो, उसे तत्त्वज्ञान का विरोधी रजोगुण जानना चाहिए। फलप्राप्तयर्थ आरम्भ किये गये कार्य में रुचि होना, धैर्य का अभाव, शास्त्र वर्जित कर्म का आचरण, तथा सर्वदा रुप, रस, शब्द आदि विषयों में आसक्ति ये राजसिक गुण के लक्षण है।

गीता के अनुसार रजोगुण–तृष्णा और आसक्ति पैदा करने वाला रागस्वरूप है–

"रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङगसमुद्भवम्।"
(गीता 14/7)

(3) तामसिक गुण के लक्षण–

यत्तु स्यान्मोहसंयुक्त्मव्यक्तं विषयात्कम्।
अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्।।
(मनुस्मृति 12/29)

लोभः स्वप्नोधृऽतिः क्रौर्यं नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता।
याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्।।
(मनुस्मृति 12/33)

जो मोहयुक्त हो, जिसके विषय का आकार स्पष्ट हो तथा जो तर्क से शून्य एवं दुर्ज्ञेय हो, उसे तमोगुण समझना चाहियं। लोभ, निद्रा, अधैर्य, क्रूरता, नास्तिकता, नित्य कर्म का त्याग, मांगनेका स्वभाव होना और प्रमाद, ये तामसिक गुण के लक्षण है।

और गीता के अनुसार तमो गुण–सम्पूर्ण देह ध ाारियों को मोहित करने वाला और अज्ञान से उत्पन्न होने वाला है–

"तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनम्।"

(गीता 14/8)

गुणों की श्रेष्ठता – तमोगुण, रजोगुण और सत्त्वगुण तीनों में परस्पर दस गुना अन्तर है। तमोगुण से दस गुना श्रेष्ठ रजोगुण है और रजोगुण से दसगुना श्रेष्ठ सत्त्वगुण है। तात्पर्य यह है कि तमोगुण और रजोगुण पास–पास में है जबकि सत्त्वगुण दोनों से बहुत दूर है। क्योंकि तमो गुण का लक्षण काम, रजोगुण का लक्षण अर्थ और सत्त्वगुण का लक्षण धर्म होता है, इनमें से पहले वाले की उपेक्षा आगे वाला श्रेष्ठ होता है–

तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते।
सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः श्रैष्ठयमेषां यथोत्तरम्।।

(मनुस्मृति 12/38)

गुण त्रय से त्रिविध गति प्राप्ति– सत्त्वगुण त्याग (संबंध विच्छेद) करता है, रजोगुण संबंध जोड़ता है और तमोगुण मूढ़ता पैदा करता है। इसलिए सात्त्विक पुरुष ऊर्ध्वलोक में, राजस पुरुष मध्यलोक में और तामस पुरुष अधोलोक में जाते हैं, कहा भी है–

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः।
जद्यन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः।।

(गीता–14/18)

सत्त्वगुण का व्यवहार करने वाले देवत्व को, रजोगुण का व्यवहार करने वाले मनुष्यत्व को और तमो गुण का व्यवहार करने वाले तिर्यक्त्व (पशु–पक्षी, वृक्ष–लता–गुल्म आदि) की योनि को प्राप्त करते है। मनुष्य अपने गुणों के अनुसार इन तीन प्रकार की गतियों को प्राप्त होता है–

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङक्ते प्रकृतिजान्गुणान्।
कारणं गुणसङगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु।।

(गीता–13/21)

देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः।
तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः।।

(मनुस्मृति 12/40)

सत्त्वगुण के वृद्धि होने पर यदि मनुष्य की मृत्यु होती है तो वह निर्मल लोक में जाता है। रजोगुण की वृद्धि होने पर मरने वाला प्राणी मनुष्य योनि में जन्म लेता है और तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी मूढ़ योनि में जन्म लेता है।

तीनों गुणों के कार्य–

सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत।
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रसादे सञ्जयत्युत।।

(गीता–14/9)

सत्त्वगुण मनुष्य को सुख में लगााकर विजय करता है, रजोगुण कर्म में लगााकर विजय करता है और तमोगुण ज्ञान को ढ़ककर मनुष्य को प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए सत्त्वगुण का फल निर्मल है, राजस कर्म का फल दुःख है और तामस कर्म का फल अज्ञान है।

उत्तरोत्तर तीनों गुणों की वृद्धि–

रजस्तमश्चाभिभूयं सत्त्वं भवति भारत।
रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्था।।

(गीता–14/10)

रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्त्वगुण बढ़ता है। सत्त्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। सत्त्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। सत्त्वगुण के बढ़ने पर मनुष्य के शरीर में इन्द्रियों और अन्तःकरण में प्रकाश और विवेक प्रकट होता है। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरम्भ, अशान्ति और स्पृहा ये वृतियाँ उत्पन्न होती हैं। तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति; प्रमाद और मोह ये वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं।

श्रीमदभगवतपुराण के अनुसार मनुष्य से सत्त्वादि गुणों के भेद से शुभ, अशुभ और मिश्र तीन प्रकार के

कर्म होते रहते हैं। जब तक मनुष्य का मन सत्त्व, रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है जब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों से शुभाशुभ कर्म करता है यह मन वासनामय, विषयासक्त, गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इन्द्रिरूप सोलह कलाओं में मुख्य है। इसलिए पण्डित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं–

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्।
जन्ममृत्यु जरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते।।

(गीता–14/20)

श्रीमदभगवत गीता में त्रिगुण सम्बन्धी बहुत से उद्धरण मिलते हैं–जैसे त्रिविधदान, त्रिविधआहर, त्रिविध यज्ञ, त्रिविधतप, त्रिविधज्ञान, त्रिविधकर्म, त्रिविधकर्त्ता, त्रिविधसुख, त्रिविध धारणा, त्रिविध बुद्धि, त्रिविध त्याग, त्रिविधप्रदा (श्रद्धामय) और नरक प्राप्ति के तीन द्वार आदि। इनमें से कतिपय वर्णित है।

त्रिविध तप –

श्रीमदभगवतगीता के 17वें अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक नामक त्रिविध तप का वर्णन किया है मन, कर्म और वाणी से पवित्र रहना ही त्रिविध तप कहलाते हैं–

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः।
अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते।।

(गीता–17/17)

परम श्रद्धा से युक्त, फलेच्छारहित मनुष्यों के द्वारा शरीर, वाणी और मन से तीन प्रकार का तप किया जाता है उसको सात्त्विक तप कहते है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों से स्वयं को दोष रहित रखना ही सात्त्विक तप कहलाता है।

(1) शारीरिक तप–

देवद्विज गुरू प्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्।
ब्रह्मवर्समहिंसा च शारीरं तप उच्चते।।

(गीता–17/14)

देवता, ब्राह्मण, गुरूजन और जीवन्मुक्त महापुरूष का यथायोग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, जीवन में सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा नहीं करना यह शारीरिक तप कहलाता है। इसमें हिंसा नहीं करने को श्रेष्ठ धर्म बताया है – "अहिंसा परमो धर्मः"। अपने कर्मों से किसी जीव को कष्ट नहीं देना ही शारीरिक या कायिक तप कहलाता है। क्योंकि यह शरीर परोपकार के लिए ही बना है– "परोपकारार्थं इदं शरीरम्"। और यह शरीर ही धर्म का साधन भी है– शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्।

(2) वाङ्मय तप–

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत्।
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते।।

(गीता–17/15)

इसको वाणी तप अथवा वाचिक तप भी कहते है। किसी को भी उद्विग्न न करने वाला, सत्य और प्रिय तथा हितकारक वाणी, स्वाध्याय और नाम जप आदि का अभ्या वाङ्मय तप अथवा वाचिक तप कहलाता है। अर्थात् जिस वाणी से श्रेष्ठ कार्य सम्पादित होते हैं वह वाक्तप कहलाता है। अपनी वाणी से किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना ही वाङ्मय तप है।

कहा भी है "वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जानि"। महाकवि भारवि ने भी किरातार्जुनीयम् मे कहा है– मनोहरं हितकारी च दुर्लभं वचः। वाङ्मय तप में सत्य, प्रिय और हितकारक युक्त वाणी का होना आवश्यक है। अर्थात् ऐसी वाणी जो सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकारक भी हो और वह वाणी किसी को दुःखी भी नहीं करें वही वाचिक तप हो सकता है। मनुस्मृति में भी सत्य युक्त प्रिय वचनों को सनातन धर्म माना है–

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्।
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेव धर्मः सनातनः।।

(मनुस्मृति 4/138)

क्योंकि यह बात भी सत्य है कि–

प्रिय वाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः।
तस्मात्तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता।।

और भी –

ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय।
और को शीतल करै आपहुँ शीतला होय।।

इसलिए वाचिक तप अत्यन्त कठिन तपस्या है।

(3) मानसिक तप–

मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः।
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते।।

(गीता 17/16)

मन की प्रसन्नता, सौम्यभाव (द्वेष रहित), मननशीलता, मन का निग्रह, भावों की भली–भाँति शुद्धि यही मानसिक तप होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदैव प्रसन्न रहना, दूसरे की प्रतिकूल बात सुनकर भी सौम्य (द्वेष रहित) रहना, मन की स्वतन्त्रता का त्याग करके मनन करना तथा अपने मन में किसी के भी प्रति विकार अथवा अहित का भाव न लाना यह सब मानसिक तप कहलाता है। इस तप में मन को प्रसन्न रखना होता है, अपने विचारों को शान्त रखना होता है तथा अन्तः करण को शुद्ध रखकर दूसरों की भलाई का ही प्रयास करना मानव को उच्च कोटि का बनाता है।

त्रिविध दान –

शास्त्रों में दान की महत्ता विशेष रूप से बतायी गई है गीता के अनुसार दूसरे के हित के लिए कर्म करना 'यज्ञ' है, प्रसन्न चित्त रहना 'तप' है और तेरा तुझको अर्पण की भावना से उसकी चीज उसी को दे देना 'दान' कहलाता है। धर्म के चार चरण होते है–

"सत्यं दया तपो दानमिति"

(श्रीमदभगवतगीता–12/31)

इन चारों चरणों में से कलियुग एक ही चरण की प्रधानता है वह है 'दान' कहा भी है– "दानमेकं कलौयुगे" (मनुस्मृति,186)। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है–

प्रगट चारि पद धर्म के कलि महुँ एक प्रधान।
जेन केन बिधि दीन्हें दान करहू कल्यान।।

(मानस 7/103 ख)

क्योंकि धन की भी तीन ही गति बतायी गयी है–"दानं भोगो नाशः"।

यह दान भी श्रीकृष्ण ने भगवतगीता में तीन प्रकार का कहा है–

(1) सात्विक दान का लक्षण–

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे।
देशे काल च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्।।

(गीता–17/20)

प्रिय वाक्य सहित निस्वार्थ भाव से दिया हुआ दान सात्विक दान होता है। दान देना कर्त्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश (काशी, प्रयाग पुष्कारादि तीर्थ स्थलों पर) काल (सूर्य चन्द्रादिग्रहण पर्वों के अवसर पर) पात्र व्यक्ति (सत्पात्रों में ब्राह्मणादि को) को निष्काम भाव से दिया जाता है वही दान सात्विक दान कहलाता है। अर्थात् जिस दान को देने से वस्तु, फल और क्रिया के साथ अपना सम्बन्ध विच्छेद होता है वह दान सात्विक कहा गया है। यह सात्विक दान वास्तव में 'त्याग' है। महर्षि दधीचि राजा शिवि इस सात्विक दान के मुख्य दाता है।

(2) राजसिक दान का लक्षण–

यतु प्रत्युपकारार्थं फलमुदिश्य वा पुनः।
दीयते च परिकिलष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्।।

(गीता–17/21)

जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति के लिए दिया जाता है, वह दान राजस दान कहलाता है। दान के बदले में कुछ पाने के कामना करने से वह राजस दान हो जाता है, यह वह दान है जिसके लिए कहा जाता है कि "एक गुना दान सहस्रगुणा पुण्य"।

(3) तामसिक दान का लक्षण–

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते।
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाद्धतम्।।

(गीता–17/22)

जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञापूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस दान कहलाता है। तामसदान फलादायी नहीं होता है।

त्रिविध आहार –

प्राणी मात्र के शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए आहार बहुत आवश्यक तत्त्व है इसलिए अन्न को

देवता भी कहा गया है। श्रीमदभगवद्गीता में भी श्रीकृष्ण ने कहा है– "अन्नाद्भवन्ति भूतानि"। (गीता–3/14) उपनिषदों में कहा जाता है 'जैसा खाये अन्न वैसा रहे मन'। अन्न से ही मन की वृत्तियां संचालित होती हैं। "अन्नमयं हि सोम्य मनः" (छान्दोग्य. 6/5/4)। यह आहार भी तीन तरह का कहा गया है– सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार – आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः (गीता–17/7)। इनको क्रमशः उत्तम आहार, मध्यम आहार और अधम आहार भी माना जाता है।

(1) सात्विक आहार–

आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीति विवर्धनाः।
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः।।

(गीता–17/8)

आयु, सत्त्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले रसयुक्त तथा चिकने आहार सात्त्विक आहार कहलाते हैं। सात्त्विक आहार को शाकाहार भी कहते है, उपनिषदों में कहा भी है –

'आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः'

(छान्दोग्य. 2/26/2)

सात्त्विक आहार से शरीर में रोग नहीं होते है, मन में प्रसन्नता और शांति रहती है, तथा अन्तःकरण निर्मल होता है। सात्त्विक आहार से सत्संग, स्वाध्याय, संकीर्तन, जप, ध्यान और चिन्तन में मन लगने से सुख मिलता है।

(2) राजसिक आहार –

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।
आहाराः राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः।।

(गीता–17/9)

अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गर्म, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक आहार राजसिक आहार कहलाते हैं। जो दुःख शोक और रोगों को देने वाले हैं। राजसिक आहार से सांसारिक भोगों में मन लगता है और मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। वह अपनी इन्द्रियों और विषयों को सुख देने में ही लगा रहता है।

(3) तामसिक आहार –

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्।
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्।।

(गीता–17/10)

जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गन्धित, बासी और जूठा होता है तथा अपवित्र होता है वह तामसिक आहार कहलाता है। तामसिक भोजन से मनुष्य में तामसी वृत्तियाँ जागृत हो जाती है तथा वह अविवेकी हो जाता है। वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद को ही अपना सुख मानने लगता है।

संदर्भ ग्रन्थ

1. श्रीमद्भगवत गीता– गीताप्रेस गोरखपुर
2. रामचरित मानस– गीताप्रेस गोरखपुर
3. श्रीभगवतमहापुराण– गीताप्रेस गोरखपुर
4. साधक संजीवनी– गीताप्रेस गोरखपुर
5. मनुस्मृति – चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी, प. श्री हरगोविन्द शास्त्री

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

'सात नदियाँ एक समन्दर' के बहाने स्त्री अस्मिता के प्रश्न

❑ शबनम आरा*
❑ प्रो. दिनेश कुशवाह**

शोध सारांश

स्त्री विमर्श को केन्द्र में रखकर नासिरा शर्मा ने अपने कथा साहित्य के माध्यम से स्त्री अस्मिता की तलाश को नई ऊँचाईयों तक पहुँचाया है। जहाँ उन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से स्त्री होने की विडम्बना को बड़ी ही संजीदगी के साथ के पात्रों के माध्यम से बताने का सफल प्रयास किया। उन्होंने स्त्री की दर्दनाक हालत को उकेरते हुए, पुरुष प्रधान समाज की ओर एक प्रश्न चिह्न उठाया। इस दरम्यान उन्होंने अपने हर एक उपन्यास के पात्रों के माध्यम से स्त्री मुक्ति की पृष्ठभूमि को भी पाठक के सामने रखा।

भ्रूणहत्या, बलात्कार, सामाजिक आत्मनिर्भरता जैसे गंभीर सवालों के प्रति नासिरा जी अपने उपन्यासों में बहुत सजग नजर आती हैं। वो खुद ही एक जगह कहती हैं कि–''मैंने एक भी रचना नहीं की। मेरा लक्ष्य सिर्फ स्त्री को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर देना है।''[1] (नासिरा शर्मा–शब्द और संवेदना की मनोभूमि, पृष्ठ 07, सम्पादक ललित शुक्ल)

भारतीय स्वतंत्रता के बाद स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए जो पहल की गयी उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजेन्द्र यादव द्वारा सम्पादित 'हंस' पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसी के माध्यम से वास्तविक रूप में स्त्री मुक्ति की बात की गयी। इक्कीसवीं सदी में नासिरा शर्मा जैसी कथाकार अपनी एक पूरी वैचारिक पृष्ठभूमि एवं तैयारी के साथ उपन्यास लेखन में प्रवृत्ति हुई। उन्होंने पहला उपन्यास ईरानी सभ्यता पर 'सात नदियाँ एक समन्दर' लिखा। जिसमें ईरानी क्रांति के इतिहास, साहित्य संस्कृति, राजनीति तथा जनजीवन की संघर्ष गाथा को बयान करते हुए स्त्री अस्मिता की गहन पड़ताल अयातुल्लाह खुमैनी के रक्तरंजित इस्लामी क्रांति के माध्यम से की। ईरान की दो दशक की सांस्कृतिक संकट के बहाने मानवीय संकट की पड़ताल इस उपन्यास का मूल ध्येय था। इस उपन्यास के संदर्भ में नासिरा शर्मा ने एक साक्षात्कार दिया जो बहुत महत्वपूर्ण है ''मैंने ईरान की क्रांति के दौर को समेटने की कोशिश की उस पर मैं बहुत आब्जेक्टिव थी। इस उपन्यास के किरदारों का बहुत विस्तार है। इसमें औरत, बच्चे, मर्द, आम जनता से लेकर साम्यवादी और इस्लामिक कर्मचारी सभी है। इसमें ईरानियों की मानसिकता की अभिव्यक्ति भी है।''[2] (हिन्दी उपन्यास का इतिहास, गोपाल राय, पृष्ठ 66)

* शोधार्थी, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** आचार्य एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, अ.प्र. सिंह वि.वि., रीवा (म.प्र.)

इस उपन्यास में स्त्री अस्मिता की बात क्रांति के बहाने आयी। जो क्रांति हो रही है उसमें स्त्रियों की स्थिति पीड़ादायक है। सबसे अधिक नुकसान भी स्त्रियों को सहना पड़ता है। इस उपन्यास के केन्द्र में सात स्त्रियॉ हैं। तय्यबा, मलीहा, परी, महनाज, सूसन, अख्तर और शहनाज एक की साथ एक विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं। युवा होती हैं किन्तु अपने भविष्य के सपनों में डुबी रहती है और भविष्य के प्रति भयाक्रांत रहती है। यह उपन्यास थके तन–मन का मनोरंजन मात्र करने की कहानी नहीं है। बल्कि प्रचलित अर्थों में इतिहास में राजाओं–महाराजाओं संत–सुधारकों और नेताओं की कहानी है। जहाँ उनकी नजरों में जनता के दुःख–दर्द गायब हो जाते हैं। उन्हीं दुखियारी, दर्द भरे जीवन की दासतां की कहानी है। जो अपनी अस्मिता के तलाश के बहाने क्रांति करते हुए अधिकारों के प्रति सजग हो रही हैं और फलागीरन जैसे महिला ज्योतिषी के झूठे भाग्यवाद का विरोध करती है और स्त्री का भाग्य कुछ नहीं होता है उसके कर्म ही उसका भाग्य है। यह बात तय्यबा के माध्यम से कहती है। ''मेरा भाग्य पढ़ना इतना आसान नहीं है उसकी भाषा तुम्हारे लिए अनजान है। मेरा भाग्य मेरा कर्म है। न की कहवे की तलछट।''3 (सात नदियाँ एक समन्दर–नासिरा शर्मा, पृष्ठ 10) यहाँ तय्यैबा प्रगतिशील पात्र है जो स्त्री अस्मिता के लिए संघर्ष करते नजर आती है बाकि छः महिला ज्योतिष की बात मानकर उन्हीं रूढ़ियों में बंधी रहना चाहती हैं जो समाज द्वारा पहले से निर्धारित है।

लेखिका ने इस उपन्यास को क्रांति की कहानी के रूप में सृजित न करके जनजीवन की कहानी के रूप में किया है। स्त्रियाँ उस क्रांति से कैसे प्रभावित हैं, इस चित्र को उकेरा है। इस क्रांति के केन्द्र में नारी का जनजीवन है। नारी ही धूरी है इस सृष्टि की वही नरक का द्वार है चिरप्रेयसी, चिर सुकुमारी और उर्वशी, वही अन्नपूर्णा, वही रणचण्डी है। सरस्वती भी। वही है और लक्ष्मी भी वहीं तो जननी है। उस पुरुष की जो उसे मात्र भोग्या मानता है। ऐसी धारणाओं को नासिरा शर्मा जी अपने इसी उपन्यास में लेकर आती है। वह उपन्यास के माध्यम से कहती हैं–''यह नारी शरीर सिर्फ भोगने के लिए बना है। चाहे प्रेम से चाहे तिरस्कार से।''4 (सात नदियाँ एक समन्दर–नासिरा शर्मा, पृष्ठ 266) यही नारी जीवन की त्रासदी है, क्रांति तो मात्र साधन है। साध्य तो यही त्रासद नारी जीवन जो नारी को परम्परा से मिला। इस परम्परा का खण्डन तय्यैबा के माध्यम से करती हैं और उसी के माध्यम से नारी अस्मिता की एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार करनी है। वह भाग्यवादी नहीं है वह कहती हैं–''नहीं ये रेखायें मेरा भाग्य नहीं है। ये कारावास और घर इसे मुझे संवारना है।''5 (सात नदियाँ एक समन्दर–नासिरा शर्मा, पृष्ठ 10)

लेखिका को प्रेम परहेज नहीं है लेकिन वह मात्र रोमांस नहीं है बल्कि जीवन की समग्रता का एक अहं अंग है। क्रांति इसका एक प्रतिरूप है। उसे नये ढंग से ढालने की कला है। इसी इश्क और क्रांति के दासतां के बीच हो रहे नारी शोषण को पुरुष सत्ता के चरम द्वन्द्व के बीच नारी चित्रित किया गया है। साम्राज्यी जुल्मों–सितम को खत्म करते हुए कैसे मज़हबी पागलपन के गिरफ्त में आ गया और खून से नहायी ईरानी सरज़मी पर पहले से अधिक खून की होली खेली जाने लगी। यह खून की होली स्त्रियों की दैहिक शोषण पर टिकी हुई है। इस उपन्यास में इस्लामिक वैवाहिक तरीके के दर्दनाक नियम और उसकी अमानवीय दृष्टि को पेश किया गया। इस्लाम धर्म के निकाह के संबंध में नासिरा शर्मा का कथन है कि–''मूल रूप से सिंगा न अमानवीय है न स्त्री का शोषक बल्कि यह अल्पकालिक कान्ट्रेक्ट मैरिज है। यह अवधि छः घंटे से छः वर्ष तक होती है। इसे मुताह भी कहते हैं। यह अधिकार विधवा को ही दिया गया है। घर से बहुत समय तक दूर रहने वाले मर्द भी ऐसा विवाह कर सकते हैं। पर निकाह तो अनिवार्य है। यह औरत मर्द की कुदरती जरूरत को ध्यान में रखकर बनाये गये नियम है। इससे बलात्कार या

अवैध संबंधों के जुर्म को रोकने की व्यवस्था की गयी तथा अवैध संबंधों के लिए इस्लाम धर्म में कड़ी सजा है।''6 (औरत के लिए औरत–नासिरा शर्मा, पृष्ठ 88)

इस वक्तव्य से नासिरा शर्मा इस तरफ संकेत करना चाहती है कि यह नियम केवल औरतों पर लागू होता है। पुरुष दस विवाह करें, उसमें उन्हें कोर्ट की सजा का प्रावधान नहीं है। विश्वविद्यालय के अध्ययन काल में सात सहेलियों में से एक सहेली महनाज का एक लड़के असलम से प्रेम हो जाता है। वह एक चर्चित शायर हैं किन्तु परम्परा और परिस्थितियों की प्रतिकूलता के कारण उसका प्रेम सफल नहीं होता है। शिक्षा समाप्त होने के बाद सहेलियों का समूह बिखर जाता है।

साम्यवादी और धार्मिक स्थलों में ईरान की स्त्रियाँ भी शाह के खिलाफ सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि शाह ने स्त्रियों की रूढ़िवादिता में स्वतंत्रता तो दिखाई किन्तु दूसरी तरफ कैद भी हो गयी। ''मसहद में लगभग साठ हजार औरतों ने जुलूस निकाला। काली चादर से लिपटा सारा शरीर, आधे–खुले चेहरे औरतें अपनी बंद मुट्ठी लिए उसके पीछे पति उसके पीछे बच्चे। जो सजना–सवरना जानती थी उन्होंने बंदुक उठा लिया। जिसका मूल उद्देश्य धार्मिक एकता और मॉडलाइजेशन के प्रति भीषण प्रतिरोध है। इनका कहना था कि ''हम इस सेक्स और नंगी नाच से तंग आ गये हैं।''7 (औरत के लिए औरत–नासिरा शर्मा, पृष्ठ 40, 46)

ईरान के शाह को विश्वास में लेकर अमेरिका ने जो बहुराष्ट्रीय कम्पनी फैलाई उससे स्त्रियों को बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने स्त्रियों का भी शोषण करना शुरू किया। तभी तो स्त्रियों को क्रांति करना पड़ा। इस क्रांति का सबूत इस उपन्यास में मिल जाता है। ईरान के इस माहौल में सात सहेलियाँ, सात नदियाँ और सात स्त्रियाँ के माध्यम से नासिरा शर्मा जी क्रांति का आह्वान करती है। उसमें से एक अख्तर शाह क्रांति में शहीद हुई महिला के संदर्भ में कहती है–''वह हम सबसे जीवट और भाग्यवान निकली, जो चाहा वह उसे जीवन मिला। शहादत भी कैसी गौरवपूर्ण हुई।''8 (औरत के लिए औरत–नासिरा शर्मा, पृष्ठ 63)

माननीय सभ्यता में धर्म की भूमिका रही है उसी से खून खराबा होता रहा। आज धर्मान्ध होकर मनुष्य–मनुष्य को रौंद रहा है। ईरान की स्थिति पूरे विश्व की स्थिति है। उसका ज्वलन्त उदाहरण अयातुल्लाह खुमैनी और उसका शासन है। जहाँ तय्यबा जैसे वर्ग अब अर्थहीन होकर नहीं रहना चाहती किन्तु रूढ़िवादिता का दानवीय समाज उसे निगलने को आतुर है। तय्यबा के अलावा उसकी सभी सहेलियों की शादी हो जाती है। महनाज जर्मनी में सुलेमान के साथ रहती है। नासिरा जी संपूर्ण उपन्यास में पुरुष मानसिकता की पर्त को खोलती है। परी के पति खालिद के बारे में जब बात आती है तो उसका पति भौरे जैसे है उसे हर दिन नई लड़की चाहिए। परी सुन्दर है, अमीर है, पर पति हरजाई है। परी परेशान है। यहाँ वह जिन्दगी और मौत के घूँट को जी रही है। वह पेरिस से ईरान लौटने की सोचती है और अंत में वह मर्द से लड़ जाती है। वह औरत होने की व्यवस्था से प्रताड़ित है। जैसे–जैसे व्यावस्था बढ़ी वैसे–वैसे स्त्रियाँ झेलने के लिए बाधित हुई। आज वह अस्मिता और मुक्ति आंदोलन के लिए आंदोलन में कुद पड़ी। अंजाम बदलाव आयेगा ऐसा विश्वास है। अमानवीयता की बेड़िया टुटेगी और मुक्ति होगी। सही अर्थों में तो तय्यबा ही क्रांतिकारी है। अथ से इति तक वह क्रांति का हिंसा बनी रहती है। भयानक से भयानक यंत्रणा और बलात्कार भी उसे नहीं डिगा सका, रक्तरंजित राह से। मर्द की प्यास उसे भी थी। पर अपने चाहने वाले से जो उसी की राह का राही हो। उसकी इच्छा यह है कि ''संघर्ष परिवार के साथ भी हो सकता है।''9 (सात नदियाँ एक समन्दर–नासिरा शर्मा, पृष्ठ 362) पर उसका प्रेमी उसके तन के दुनिया में नहीं मन के दुनिया में हो, तभी तो तय्यबा यातना के आखिरी इन्तिहान से गुजरती है। उसका शरीर गोलियों से बिधा रहता है। फिर भी वह कहती हैं। ''अलविदा मेरे प्यारे वतन।''10 (सात नदियाँ एक समन्दर–नासिरा शर्मा, पृष्ठ 364) सूसन अपने पति असद से तलाक ले लेती है क्योंकि उसका पति

किसी और से प्यार करता है। स्त्री अस्मिता और अपने अस्तित्व की तलाश के लिए वह कुछ दिन अपने पति के गाँव के माहौल खराब होने के कारण और उसे असहनीय कष्ट देने के कारण हिन्दुस्तान चली आती है। भूख की मार के कारण जिस्म फरोशी करने लगती है। जिसका वर्णन नासिरा जी करती है। लेखिका पात्रों के संवाद के द्वारा इस बात का पर्दाफाश करती है। ईरानी औरतें कैसे जिस्म बेचती है। ''पेरिस में ईरानी वेश्याओं से मिलोगी शाम को ले चलता हूँ। पेरिस के इन इलाकों में जहाँ पैसा हकीकत है। मान–मर्यादा वह भी हमें मुँह चिढ़ाती है। उन लड़कियों से पूँछना, पेट कितना जालिम होता है। जान कितनी प्यारी होती है।''11 (औरत के लिए औरत–नासिरा शर्मा, पृष्ठ 152)

धर्म ऐसी महामारी है जिसके चपेट में सभी लोग रहते हैं। धर्म लोगों को निर्मम और क्रूर बना देता है। धर्म के आधार पर महिलाओं का दैहिक शोषण और नाना प्रकार के व्याभिचार हो रहे हैं। औरत का सबसे बड़ा दुश्मन धर्म है। सामंती व्यवस्था ने औरतों को वस्तु के रूप में बदल दिया। धर्म ने भी औरत को कभी धन तो कभी वस्तु कहा। उपन्यास की सातों स्त्रियाँ खुमैनी के धार्मिक क्रांति का शिकार हो गई और अपनी वतनरूपी समन्दर से अलग–अलग बिखर गई। लेखिका तय्यबा के माध्यम से इस बात की तरफ खुद संकेत करती है–''मेरी सारी सहेलियाँ एक–एक करके छूट गई कौन कहाँ है? कुछ पता नहीं। दो वर्ष पहले मलीहा के बारे में परी ने कुछ लिखा था। हुसैन लापता है फिर परी के पत्र मिलने बंद हो गये। शहनाज, सनोबर, अख्तर, सूसन किस हाल में है कुछ पता नहीं है।''12 (औरत के लिए औरत–नासिरा शर्मा, पृष्ठ 165)

नासिरा शर्मा जी पात्रों के माध्यम से स्त्री विमर्श को नये बुलंदियों तक ले जाना चाहती है और उसमें बाधक तत्वों की तरफ ध्यान आकर्षित करती है और अख्तर की तरफ संकेत करते हुए कहती हैं कि वह बदसूरत है किन्तु मर्द की भूख वैसी ही तेज है। उसमें वह क्रांति में कूद पड़ती है और जी भर भोगती है। किन्तु उसको मर्द की इतनी भूख थी कि वह केवल उस मर्द का एहसास मांग रही थी। भयानक त्रासदी यहाँ पर यह भी बताया गया है कि हर बदलाव का असर औरतों की पीठ पर पड़ता है। जहाँ खुमैनी को जाकर बताना पड़ेगा। गोलियों से भूनने वाले गुनाहगार आकर देख खुर्चिस्तान से दो मिलियन भागी औरतें, पेशा करते कमसिन लड़कियाँ पूरे ईरान में फैल गई है। इस इकबाल के प्रति की जद्दोजहद के बीच रोज शहीद होने वाले लड़कियों में आधी जवान लड़कियाँ है। जेल में गर्भवती औरतें को मारा जा रहा और बलात्कार किया जा रहा। ऐसी भयानक त्रासदी महिलाओं के साथ ऐसा ख़ौफनाक मंजर जहाँ गर्भनिरोधक देने की बात हर स्त्री कर रही है। उस बीच तय्यबा पूरी नंगी पड़ी है उसके जिस्म पर कपड़े नहीं है। सामने दीवार पर टेक करके कामरान बैठा है। उसके सामने सहरान, कासिम, फरीद सब बिना लिबास के थे। कोई घूटने पर सिर रखा है। तो कोई अपनी आँख बंद रखा है।

निष्कर्षतः ईरानी सभ्यता के बहाने नासिरा जी स्त्री जीवन के यथार्थ प्रश्न को उद्घाटित करते हुए तय्यबा के माध्यम से स्त्री स्वतंत्रता और मुक्ति के चरम बिन्दु को छूने का प्रयास करते हुए स्त्री अस्मिता के पक्ष में एक समाजिक क्रांति का आवाह्न करती है।

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

बेलदार जाति में सामाजिक परिवर्तन

❐ ऋषि कुमार सेन*
❐ डा. कुमारेश स्कन्दन कश्यप**

शोध सारांश

किसी भी जाति में अपने स्वरूप को नवीन परिवेश में परिवर्तन के साथ स्थापित करने की असीम संभावनायें होती है। बेलदार जाति भी उसका एक अनुपम उदाहरण है पलायन विस्थापन नई संस्कृतियों से समायोजन उपरान्त आज बेलदार जाति के सदस्य सामाजिक आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। नवीन शैक्षणिक व्यवस्थाओं से आत्मसात् कर ये सम्पूर्ण विकास में अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर रही है।

प्रस्तावना

भारत वर्ष में लगभग 3000 जातियां एवं उपजातियां निवास करती है। इतनी अधिक भिन्नता के कारण ही शायद भारत को जातियों का अजयाबघर कहा गया है। पूर्व में चार वर्ण की अवधारणा प्रचलित थी। जाति शब्द मूल रूप से भारतीय नही है। इसे व्यापक रूप से अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं मे उपयोग किया जाता है। भारत में जाति व्यवस्था का रूप इतना जटिल व विवाद पूर्ण रहा है कि हट्टन के अनुसार आज तक जाति विषय पर लगभग 5000 पुस्तके व लेख लिखे जा चुके है। अगर हम जाति व्यवस्था का सम्पूर्ण अध्ययन करने का प्रयत्न करे तो इसके लिये विशेषज्ञ की एक सेना की आवश्यकता होगी। पूर्ण समानता का विश्वास करने वाले मुसलमानों में रक्त की शुद्वता व्यवसाय वंश के आधार पर सौ से ज्यादा उच्च, पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों का निर्माण हो चुका है। 2011 की जनगणना के देश में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ हैं जो देश की कुल आवादी का 16.6 प्रतिशत हैं। वही मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या 1.134 करोड़ है जो कि म.प्र. की कुल आबादी का 15.6 प्रतिशत है।

मध्यप्रदेश की जनसंख्या का लगभग छठवां भाग अनुसूचित जाति का है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार म.प्र. में अनुसूचित जातियों की कुल आवादी 9155117 है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.17 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में 48 अनुसूचित जाति समूह निवासरत है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान में इनकी स्थिति पर विचार–विमर्श कर इन्हें अनुसूचित जाति घोषित किया गया है। तथा समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है। इन्हें सामाजिक तथा शैक्षणिक आरक्षण के साथ–साथ अन्य सुविधाओं का प्रावधान भी संविधान में किया गया है। स्वंतत्रता के पश्चात केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन द्वारा इनके विकास के लिए अनेकों प्रयास किये जा रहे हैं, यथा शासकीय सेवाओं में आरक्षण के साथ–साथ अनके

* शोधार्थी, सहा. प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय, बड़ामलहरा
** शोध निर्देशक, विभाग बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

आर्थिक विकास के लिये भी अनेक सुविधायें प्रदान की जा रही है। जिससे वे मुख्य धारा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रदेश के कुछ जातियों के जाति नामों में समानता के कारण तथा कुछ जातियों के अन्य प्रान्तों से म.प्र. में बसने के कारण जैसे बेलदार समुदाय जिनको भारत सरकार के अनुरोध पर राज्य शासन द्वारा राज्य में बसाया गया है। इनकी जातियों के संबंध में जिले में पदस्थ राजस्व अधिकारियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। इसी प्रकार की स्थिति पश्चिमी पाकिस्तान के मुल्तान से विस्थापित होकर आई बेलदार ओड जाति के साथ निर्मित हुई है। जो मूलतः म.प्र. में भोपाल संभाग के रायसेन और सीहोर जिलों में निवासरत है।

बेलदार कौन है—मानव विज्ञानी बिलियम कुक (1896) ने अपनी पुस्तक द ट्राईब्स एण्ड कास्ट आफ दी नोर्थ वेस्टन इंण्डिया टवसनउ. प्ट में उल्लेख किया है कि "बेलदार निम्न हिन्दू जनजातियों के समुच्चय के लिये एक सामान्य शब्द है जो पृथ्वी पर अपना काम करके जीवन यापन करते है"। बेलदार जिसे लोनिया के रूप में भी जाना जाता है निर्माण श्रमिक है जो खुदाई का काम करते है निर्माण स्थलों पर ईट, मिट्टी, रेत की आपूर्ति करते है। एक विशिष्ट समूदाय के रूप में इनका अस्तित्व उत्तरी भारत के एक अफगान शासक शेरशाह सूरी (1539—1545 ई.वी.) के शासन काल से पता लगाया जा सकता है। उस समय जो निर्माण और सड़क माप में लगे थे उन्हें धाकबेल कहा जाता था, बेलदार शब्द बेल से लिया गया है। जिसका अर्थ है हो और दार का अर्थ जो हो को सभालता है इस प्रकार बेलदार का अर्थ है जो कुदाल से काम करता है। बिहार और पश्चिम बंगाल में पृथ्वी श्रमिकों एवं खुदाई करने वाले श्रमिकों के रूप बेलदार कार्यरत थे। आज वे व्यापक रूप से मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब में मिलते है।

उत्पत्ति—लेखक आर व्ही रसेल ने अपनी किताब ट्राईब्स एण्ड कास्ट आफ द सेन्ट्रल प्रोविसेन्स आफ इंडिया वाल्यूम 2 में बताया है कि बेलदार जाति सूचक शब्द न होकर व्यवसायिक समूह है। जो पीढ़ी—दर—पीढ़ी नहर निर्माण खुदाई मकान बनाने में ईट गारा चूना का काम करने वाले को बेलदार कहा गया है।

दि ट्राईब्स एण्ड कास्ट आफ द नार्थ वेस्टर्न इंडिया 1974 पुस्तक में लेखक डब्लयू कुक्स बताते है बेलदार या ओढ़ की उत्पत्ति बुलन्द शहर एवं अलीगण के आस पास बताते है एवं किस प्रकार इनके परिवार के सदस्य निर्माण कार्य में एक दूसरे का सहयोग करते है। इनका मुख्य कार्य तालाब बनाना बताया गया है।

दि शेड्यूल कास्ट (प्यूपल आफ इंडिया नेशन) के लेखक के. एस. सिंह के अनुसार बेलदार जाति सूचक शब्द न होकर कार्यत्मक परन्तु उसके बावजूद देश के कई राज्यों में यथा मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा में इन्हें अनुसूचित जाति में अनुसूचित किया गया है। इसी पुस्तक में बेलदार राजपूत हरियाणा में ओढ़ के नाम से जाने जाते है। जो चार उपसमूहों में विभक्त हैं दिलीवाले, मुल्तानी, सिंधी, और मारवार जो अपनी उत्पत्ति प्राचीनकाल में उड़ीस के ग्रामीण क्षेत्र से मानते है। ओढ़ अकुशल घरेलू नौकर वर्ग जो लुहार से उच्च वर्ग में शामिल है। हरियाणा के हिसार से संबंध रखते हैं। परन्तु हरियाणा के सभी जिलों में पाये जाते है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओढ़ या बेलदार समाज की उत्पत्ति उड़ीसा से हुई जो कालान्तर में पाकिस्तान के मुल्तान क्षेत्र में पहुंच गया एवं 1947 में देश विभाजन के समय इनको भारत में म.प्र. के रायसेन एवं सीहोर में विस्थापित रूप से बसाया गया है। वर्तमान में ये पश्चिमी उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एवं मध्यप्रदेश में ये काफी संख्या में हैं।

श्री हरबर्ट रिजले ने अपनी पुस्तक प्यूपल्स आफ इंडिया में बताया है कि ये मूलतः द्रविडियन प्रजाति के है जो जमीनी कार्य करते है। रिजले द्वारा इनकी तीन उपजातियॉ वाछल, चौहान, खरौट का उल्लेख किया है, एवं बताया है कि बेलदार की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत ढंग से बताया है। ये मुख्यतः निम्न हिन्दू जाति टर्म है जो कुआं बनाने का कार्य करती है, बिहार, पश्चिमी बंगाल, में कई लोग रानीगंज एवं बरकर में खदानों में खुदाई के कार्य में कार्यरत है।

इतिहास— बेलदार समुदाय दावा करते हैं कि वे उत्तर भारत के मूल निवासी है और ओढ़ समुदाय

के समान है। वे केवट समुदाय के साथ सामान्य वंशावली का दावा करते हैं वे स्वयं को पश्चिम भारत की नौ सेनाओं के समान मानते है। महाराष्ट्र बेलदार जाति मुख्य रूप से औरंगाबाद, नासिक, पुणे, सतारा, यवतमाल, अकोला और मुम्बई शहर में पाये जाते है। बेलदार समाज का दावा है कि लगभग पांच शताब्दी पहले उनका पलायन राजस्थान से हुआ वे अभी भी बाहरी लोगों के साथ राजस्थानी और मराठी में बात करते है। वे एक भाषा जिसको बेलदारी कहते है का उपयोग करते है। इनके मुख्य वंशज नौनिया, नरोरा, छपावर, बहार, गौराला, महोरे, पन्नीर, आदि है। इनका व्यक्तिगत इतिहास अधिकांशतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए है। उत्तर भारत मे निवास करने वाले बेलदार जाति अधिकांशतः अपने पारम्परिक व्यवसाय में लगी हुई है ज्यादातर वे सरकार द्वारा जो सड़क निर्माण करायी जाती है, कुंआ का निर्माण किया जाता है, नहरों का निर्माण किया जाता है एवं नदीयों में खुदाई का कार्य किया जाता है के कार्य मे संलग्न है। बेलदार जाति भारत की व्यवसायिक जाति बेलदार का तात्पर्य ही होता है कुदाल चलाना। उत्तर भारत में ये अनुसूचित जाति में आते है। आमतौर पर बेलदार समाज का पूरा परिवार निर्माण कार्य में भाग लेता है, बेलदार जाति प्रकृति से घुमन्तू है और विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते है। बेलदार समुदाय के कुछ लोग फल एवं सब्जियों का व्यवसाय भी करते है। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों मे (मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) ये पाये जाते है, इन्होंने अपने को हिन्दू जाति घोषित किया हुआ है। बोलचाल की भाषा में हिन्दी का प्रयोग करते है, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों मे ये पाये जाते है। बेलदार जाति को आगे कई छोटी उपजातियों में विभाजित किया गया है कुछ किवदन्तियों के अनुसार बेलदार जाति को पृथ्वीराज चौहान का वंशज माना जाता है, वे पश्चिमी भारत के निर्माण श्रमिकों ओढ के समान ही है ये दोनों समुदाय लोनिया समुदाय के समान वंश का दावा करते है। बेलदार जाति की उत्पत्ति के बारे में ये माना जाता है कि बेलदारों और उनकी सहयोगी जातियों की उत्पत्ति गैर–आर्य जनजातियों से हुई है। ये देश के उत्तरी जिलों के मुहरा बांध जनजाति के सहायक जैसे लगते हैं, इसके अलावा जिन्हें मटकुड़ा या पृथ्वी खुदाई करने वालों के रूप में जाना जाता है। कुछ लोग इन्हें गौढ़ जनजाति का वंशज मानते है। राज मिस्त्री शब्द का प्रयोग उत्तरी क्षेत्र में बेलदारों के लिये किया जाता है, मुरहा, नुनिया, संससिया जातियों को अकसर बेलदार के रूप में जाना जाता है वे जाहिर तौर पर बेलदारों की मुख्य जाति से अलग नही है, सौगोर भी स्वयं को बेलदार जाति का होने का दावा करते है। उनके पूर्वज ज्यादातर नमक को परिष्कृत करने का कार्य करते थे, उनके पास अपनी स्वयं की समृद्व संस्कृति थी संगीत और नृत्य उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। बेलदार समुदाय के कई स्वदेशी रिवाज है जिनका वे ईमानदारी से पालन करते वे स्वभाव से धार्मिक है, किवदन्ती के अनुसार बेलदार भगवान शिव के भक्त है उनके द्वारा बेल के पत्ते प्रसाद के रूप में दिये जाते है इसलिये उन्हे बेलदार कहा जाने लगा, जो इनका मूल कार्य या पारम्परिक पेसा चिनाई का था उसकी जगह अब ये निर्माण उद्योग में एवं ईट–भट्टों पर ये कार्य करने लगे है। कुछ लोग इनको खानाबदोश भी कहते है।

बेलदार जाति को प्रायः घुमन्तु कहा गया है इनका मूल स्थान उत्तर भारत बताया गया है। उसके उपरान्त ये सम्पूर्ण भारत में फैलते गये एक किवदन्ती अनुसार ये उड़ीसा से उत्तपत्ति के कारण ओढ कहलाये, इनकी भाषा ओढकी कहलाई कालान्तर में यह पलायन करके मुल्तान आ गये उसके उपरान्त ये आजादी के बाद रायसेन सीहोर में विस्थापितों के रूप में बसाये गये। पॉचवी शताब्दी में इनका राजस्थान से पलायन बताया गया है। उसके उपरान्त ये महाराष्ट्र पहुचे है, अभी ये जिस स्थिति में जहॉ रह रहे है वो अपने मूल उत्पत्ति के स्थान का एक या दो या तीन स्थानों पर बसने के उपरान्त बसे है। या हम कह सकते हैं कि घुमन्तु प्रवृत्ति के कारण ये अपनी उत्पत्ति के मूल स्थान से दूसरी जगह पहुंच गये इसका कारण रोजगार की तलाश, विस्थापन, अनुकूल परिस्थतियों का न होना, भौगोलिक समांजस्य न बिठा पाने के कारण इनका पलायन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहा है। अब ये संविधानिक प्रावधानों

के प्रति जागरूकता के कारण, रोजगार मिलने के कारण स्थाई होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे है।

प्रायः बेलदार जाति का इतिहास ये बताता है जो कुदाल चलाते है, मिट्टी का काम करते है बे बेलदार कहलाते है। प्रायः मिट्टी का काम तो कुम्हार जाति के लोग करते है, लेकिन बेलदार प्रायः श्रमिको के समतुल्य रहे एवं मिट्टी की दीवाले बनाने का काम या राज्य द्वारा पूर्व में नहरो या तालाबो या कुओ की खुदाई का काम इनके द्वारा किया जाता रहा है। धीरे–धीरे इनका कार्य भी बदलता गया, अब ये ईट बनाने, ढोने, देत बेचने का कार्य करने लगे है, मिस्त्री का कार्य करने लगे है। बेलदार जाति के लोगो को नवीन निर्माण एवं औधोगिक इकाई में हर जगह श्रमिको एवं मिस्त्रियो का कार्य करते हुये देखे जा सकते है। मिस्त्री का मुख्य कार्य निर्माण करते समय चिनाई का होता है, एवं अन्य श्रमिकों को यह मार्ग दर्शन देने का भी कार्य करता है। आज कल औद्योगिकी करण एवं विकास के कारण अधिकांश श्रमिक बेलदारों का निवास इन औद्योगिक इकाईयों के आस पास या उपनगरीय इलाको में होता है, परम्परागत कार्य धीरे–धीरे ये छोडते जा रहे है एवं रोजगार के नवीन साधनों को ये अपना रहे है।

वर्तमान में बेलदार जाति के लोग सामान्य जीवन यापन कर रहे है, जो षिक्षा प्राप्त कर लेते है वो शासकीय सेवा में अपनी भूमिका निभा रहे है। जो कम पढे लिखे है वे कृषि कार्य कर रहे है या ड्राईवर बनकर अपना जीवन यापन कर रहे है। सामाजिक परिवर्तन जाति एवं समुदाय में प्रत्येक स्तर पर परिवर्तन लाता है रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज, मानदण्ड उसी का हिस्सा है। मूलतः यह परिवर्तन अन्य जातियों ये प्रभु जाति के साथ सम्पर्क में आने पर होता है, पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे चलती रहती है एवं कब सात्मीकरण हो जाता है पता ही नही चलता है, इस कारण जातियों का प्रत्येक पहलू लगभग अभिन्न हो जाता हैं। आधुनिकी करण के कारण बेलदार जाति अपने आपको परिवर्तित कर रही है एवं नवीन व्यवस्थाओं के अनुरूप अपने आपको ढाल रही है, जो व्यवस्थायें उनको नवीन जीविका उर्पाजन के साधन प्रदान करते है। संविधानिक संसाधनों के प्रति जागरूकता रखने वाले सदस्य समाज में उच्च प्रस्थिति प्राप्त किये हुये है एवं जो लोग समाज की मुख्यधारा में नही आ पाये वह अपना पारंम्परिक कार्य या ईट बनाने या रेत के परिवहन का कार्य कर रहे है। लगभग सम्पूर्ण भारत मे पायी जाने वाली बेलदार जाति में परिवर्तन देखने को मिलता है क्योकि विस्थापन के बाद इन्होने वहॉ रहने वाली जातियों के जैसे व्यवहार को अपनी दिनचर्या में अपनाया है। नवीन संविधान की व्यवस्था के अनुरूप इनको अनुसूचित जाति में स्थान दिया गया है। समाज के जागरूक लोग संविधानिक प्रावधानों के तहत शासकीय सेवाओं में जगह पाने के उपरान्त अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर दे रहे है और उन्हें मेडिकल एवं इन्जीनियरिंग एवं अन्य व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश दिलवा रहे है। इसका कारण जागरूकता से बेलदार जाति के सदस्य मुख्य धारा मे आ रहे है। व्यवसायें मे परिर्वतन से तात्पर्य कार्य करने के ढंग से है। जैसे कृषि में आधुनिकीकरण को अपनाना, पशुपालन करना, दुग्ध उत्पादन करना आदि। रेत परिवहन के लिये अब ये गधों की जगह टैक्टर ट्राली का उपयोग कर रहे है। छोटे–छोटे कार्यों में अपनी जीविकोपार्जन की जगह अब ये बड़े–बड़े निर्माण एवं उद्योग–धन्धों में मिस्त्री का कार्य कर रहे है, आधुनिक ढंग से ईटों का निर्माण कार्य कर रहे है एवं शहरों में बेच रहे है। दैनिक जीवन में परिवर्तन के साथ साथ पूर्व में कैसी परम्परायें विवाह एवं अन्तिम संस्कार की रही, हिन्दू समाज से निकटता होने के कारण अधिकांश रीति–रिवाज हिन्दुओं जैसे ही है।

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति 1950 के अनुसार भोपाल राज्य के लिये जारी अनुसूचित जाति की इस सूची में सरल क्र. 04 पर बेलदार को अनुसूचित अधीसूचित किया गया है। इस सूची में इन जातियों के सिवाय अन्य कोई उपनाम या उपजाति का उल्लेख नही किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति नोटीफिकेशन आदेश 1956 के द्वारा जारी अनुसूचित जाति की सूची के बिन्दु क्र. 15 के सरल क्र. 02 पर बेलदार एवं सुनकर को क्षेत्रीय बन्धन के साथ अधीसूचित किया गया है। इसी प्रकार बिन्दु क्र. 15 के सरल क्र. 05 पर बेलदार जाति को रायसेन एवं

सीहोर जिलों के लिये अनुसूचित जाति मान्य किया गया है। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा वर्ष 1976 में जारी संशोधित अनुसूचित जाति के सरल क्र. 10 पर बेलदार एवं सुनकर जातियों को सम्पूर्ण म.प्र. के लिये अनुसूचित जाति मान्य किया गया है। इस समाज के कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि उनके समाज के पूर्वज उड़ीसा के निवासी थे और औरंगजेब के शासन काल में उड़ीसा से भाग कर मुल्तान (पाकिस्तान) मे जा बसे थे। 1947 के आन्दोलन उपरान्त मुल्तान से भागकर उनका समाज भारत के पंजाब, हरियाण, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश में आकर बस गये। म.प्र. शासन द्वारा इनको रायसेन एवं सीहोर जिलों के ग्रामों में बसाया गया है रायसेन में किशनपुर, तरावली, पाठाखेड़ा, भिलाडियां, सुल्तानपुर केम्प नं. 03, 04, 05 राजलवाड़ी, तामोट, खिलकीखेड़ा आदि ग्रामों में बेलदार समाज के लोगों को बसाया गया है। बसाने के समय इन्हें प्रति परिवार 15 एकड़ जमीन भी शासन द्वारा प्रदाय की गई, कुछ परिवारों को बीएचईएल क्षेत्र मे विस्थापित किया गया था। तब से यह जाति म.प्र. में निवासरत है। छः ग्रामों में केवल बेलदार जाति के विस्थापित लोग ही निवास करते है। 13 ग्रामों में बेलदार समाज के साथ अन्य जातियां भी निवास करती है। बेलदार जाति का परंम्परागत पुस्तैनी व्यवसाय नहरों, खदानों का उत्खनन, मिट्टी खोदना, मिट्टी की दीवाल बनाना आदि है। वर्तमान में कृषि एवं मजूदरी इनका मुख्य व्यवसाय है। इसके अलावा ये लोग पशुपालन भी करते है। बेलदार समाज का धार्मिक स्वरूप निरंकारी है। इनके आराध्य देव डाडा, इनका एक छोटा पूजा स्थल होता है, जिसमे मूर्ति नहीं होती है। वर्ष में एक बार बली की प्रथा है। प्रत्येक गौत्र का एक धार्मिक स्थल होता है। जिसे थान कहते है एक गौत्र वाले एकत्र होकर साल भर में एक बार सामूहिक पूजा करते है। बेलदार समाज द्वारा अपनाई गई बोली बेलदारी बताई गई है जो आज भी पश्चिमी पाकिस्तान के साथ–साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में बोली जाति है। इसका उल्लेख संदर्भ ग्रन्थों में भी पाया जाता है। इस जाति से संबंधित गठित सामाजिक संस्था राष्ट्रीय ओड महासभा कहलाती है। वे इनकी निज भाषा ओडकी बताते है, जिसे मूल रूप से उड़ीसा में बोला जाता है। जिसे ये लोग अपना उदगम स्थल मानते है। शिक्षा के प्रति इस समाज का झुकाव आज भी बहुत कम है।

गहनता से विचार करने पर हमको लगता है कि ओढ मूलतः जाति है और बेलदार एक व्यवसायिक कार्य करने वाला वर्ग या ऐसा कार्य करने वालो का समूह जो मिट्टी या जमीन या निर्माण से संबंधित कार्य करते है। लेकिन म.प्र. में जो विस्थापित बेलदार समूदाय है वह ओढ बेलदार समूह ही है। पहले ये लोग वही कार्य करते रहे जो बेलदार जाति के लोग करते है। लेकिन विकास के साथ ही कृषि के अलावा अन्य छोटे–मोटे कार्य करने लगे है। शासकीय नौकरियों में इस समुदाय के काफी लोग आ गये है। बेलदार जाति का जो मूल काम है वह इस जाति के लोग वहुत कम ही या न के बराबर कर रहे है, पर संस्कृति ग्रहण के साथ ही शासकीय सुविधाओं का प्रयोग इन्होने बहुत उचित ढंग से किया है। नवीन व्यवसायों में ये कुशल ढंग से कार्य कर रहे है। शिक्षा का महत्व यह समझते है इसलिये व्यवसाय या पारम्परिक कार्यों की अपेक्षा अपने बच्चो को शिक्षित एवं साक्षर करने एवं शासकीय सेवाओं में अपना योगदान देने को ये प्राथमिकता देते हैं।

विवरण– कई समाज शास्त्रियों ने जाति व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन अपने दृष्टिकोण से किया है। जाति व्यवस्था एवं उसके प्रकार्यों उसकी संरचना का विस्तृत अध्ययन उसमें समाहित है। जैसे श्रीनिवासन ने मैसूर के एक गॉव रामपुरा का अध्ययन किया उनके अनुसार ग्राम में निवास करने वाली जाति किसी न किसी व्यवसाय से जुडी है। कई जातियॉ अपना पुस्तैनी व्यवसाय भी करती है। वर्तमान में कई जातियॉ अपना परम्परात्मक व्यवसाय त्याग कर नये व्यवसाय को ग्रहण करती जा रही है। अधिकांश जातियॉ अपना जीवन–यापन कृषि से करती है। उसी प्रकार बेलदार/ओढ जाति के लोग है, जो परम्परात्मक ढंग से मिट्टी से संबंधित अपने कार्यो को छोडकर अन्य कार्य करते जा रहे है यो लोग कृषि को अपनाने के साथ ही आधुनिक तकनीकों को अपनाकर व्यवसायिक फसलों को अपना रहे है, इसके साथ ही कई लोग शासकीय सेवाओं में जा रहे है। पुरूषो द्वारा वाहन चालक (ड्राईवरी) का कार्य किया

जा रहा है। जातियां अपने परम्परागत कार्य त्यागती जा रही है एवं योग्यता के आधार पर नये व्यवसाय अपनाती जा रही है। म.प्र. में विस्थापित बेलदार जाति जो मूलतः पाकिस्तान के मुल्तान प्रान्त से यहाँ विस्थापित हुई वे जाति (सरनेम) में ओढ एवं बेलदार दोनों का प्रयोग करते है। समाज शास्त्रियों ने अपने अध्ययन में प्रायः बताया है कि बेलदार एक विशेष प्रकार के कार्य करने वाले को कहते है जिसे हम मिस्त्री कह सकते है। जो प्रायः भवन निर्माण या किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यो में कार्यरत है। इस प्रकार ये मूलतः कार्यात्मक प्रकार हो गया न कि जाति सूचक लेकिन म.प्र. के रायसेन में जो विस्थापित समाज है। वह ओढ/बेलदार दोनों जातियों के नाम प्रयोग करते है। विस्थापित जाति की मूलतः पूर्ववत विशेषतायें वही है जो बेलदार जाति की रहती है, जैसे— सम्पूर्ण मिट्टी संबंधी कार्य एवं नहरों का निर्माण कार्य करना। विस्थापन के समय अन्य जातियो से या प्रभु जातियों से जो छूआछूत की भावना रही वो कम या खत्म हो गई लगभग 73 वर्ष हो गये बेलदार जाति को अपने विस्थापन के, काफी परिवर्तन हो चुका है। जहाँ आवागमन के साधनों, जातिगत पंचायतों के विकास में दूर दूर फैले बेलदार जाति के सदस्यों के संपर्क में काफी मदद की है बही अपनी व्यक्तिगत पहचान एवं जो इनकी मूल मौलिकतायें है। जैसे भाषा, पहनावा, सामाजिक संबंध सभी को इन्होंने बचा के रखा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जो पाकिस्तान के पश्चिमी भाग को छूता हुआ इलाका है। वहाँ बेलदार राजपूत जातियों का केन्द्रण ज्यादा रहा है। नवीन आरक्षण व्यवस्थाओं स्थानीय निकाये एवं प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी ने बेलदार समाज को सशक्त बनाया है। जाति में हमेशा गतिशीलता विद्यमान रही है। इसके स्वरूप का निर्धारण इसकी अन्तःक्रिया पर निर्भय करता है। विस्थापित जातियों के (बेलदार) आधे ग्राम जिनमें पूर्ण रूप से बेलदार जाति के ही लोग निवास करते है एवं ऐसे ग्राम जहाँ अन्य जातियों के साथ ये लोग रहते है कोई विशेष अन्तर देखने को नही मिलता है। समय के बहाव में इन्होंने संस्कृति एवं यहाँ के आदर्श नियमों परम्पराओं का आत्मसात उचित ढंग से किया है। अन्य जातियों के साथ रहते हुये भी कभी इनका जातिगत एवं सांस्कृतिक संघर्ष किसी अन्य जाति से नही हुआ है। यहाँ की मूल पहचान आत्मसात की जो दूसरों के गुण अपने में समाहित करने की रही वह बेलदार समाज ने अपनाई है। आज भी अपनी मूल विशेषताओं को आध ाार में रखकर नवीन परम्पराओं के साथ यह पर संस्कृति ग्रहण एवं आत्मसात करते हुये विकास के प्रत्येक कदम पर अपना योगदान दे रहे है।

बोली— बेलदार उन क्षेत्रों की भाषा या बोलियाँ बोलते है जिनमें वे रहते है। उत्तरप्रदेश में हिन्दी व भोजपुरी बोलते है। मध्यप्रदेश में बघेलखण्डी और हिन्दी का उपयोग किया जाता है। उड़ीसा व छत्तीसगढ में एक इण्डो आर्यन भाषा उनकी मातृ भाषा है जबकि उडिया और हिन्दी लिंक भाषायें है। बिहार और पश्चिम बंगाल में मगही और खोटक उनकी भाषायें है। बेलदार को विभिन्न राज्यों में विभिन्न उपसमूहों में उपजातियों में विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिये पश्चिम बंगाल के बेलदार तीन उपसमूह में विभाजित है— 1. पुरहा 2. सुरहा 3. भागल पुरिया, जो बकरे की बली देते है उन्हें पुरहा, जो सुअर की बली देते है उन्हें सुरहा, जबकि बिहार में अन्तिम दावा भागल पुरिया बेलदार लोगों का है जो उसे उनकी मूल मातृ भूमि बताते है।

बिहार के बेलदार लोगों का कहना है कि वे समबलगढ़ से भागकर दिल्ली के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान एवं मुहम्मद गौरी के बीच हुये युद्व में सोन नदी के किनारे छिप गये थे, बाद में यहाँ के बेलदार दो उपसमूहों में बट गये उनमें से एक चौहान है।

बेलदार को मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्व किया गया है। यह दर्जा उन्हे निम्न जाति के लोगों के लिये भारत की सकारात्मक कार्यवाही की नीति के तहत कई लाभों को प्रदान करता है। सदियों से इन लोगों के खिलाफ उच्च जातियों के प्रति भेदभाव और अपमान किया गया है सरकार द्वारा प्रदान किये गये लाभों में सरकारी नौकरियों उच्च शिक्षा हेतु कॉलेजो में प्रवेश के साथ छात्रवृत्ति साथ ही देश की संसद सहित सभी विधायी निकायें में आरक्षित सीटे शामिल है।

बेलदार कईबार ऊँची जातियों के उपनाम इस्तेमाल करते है जिससे उच्च स्तर जैसे समाज के लोग उन्हें देखे लेकिन वे स्थानीय पदानुक्रम में खुद को कमतर मानते है और दूसरों के द्वारा ऐसे ही देखे जाते है। वे जाति व्यवस्था के चौथे और सबसे निचले पायदान पर है। बेलदार अन्य समुदायों के साथ संरक्षण–ग्राहक, जमीदार–किरायेदार, कृषक–श्रम संबंध बनाये रखता है। वे राजपूत, बनिया, कृषक (कुर्मी) जैसी जातियों से भोजन और पानी स्वीकार करते है। लेकिन ये हरिजन, धौबी, एवं डोम (श्मशान परिचारक) का भोजन पानी स्वीकार नही करते है।

जीवन यापन– बेलदार का पारम्परिक व्यवसाय निर्माण कार्यो के लिये ईट, मिट्टी और रेत की आपूर्ति के साथ–साथ मिट्टी की खुदाई और ढुलाई है। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में वे मिट्टी और रेत ले जाने के लिये गधों का उपयोग करते है। पानी की टंकियों की खुदाई, नहारों का निर्माण, भूमि को खोदना उनके पारम्परिक व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। आज उनका प्राथमिक व्यवसाय चिनाई और मजदूरी है। बेलदार सहायक व्यवसायों में भी लगे हुये है। जैसे पशुपालन, गोबर के कण्डे बनाना एवं बेचना, वानिकी, पेडों का दोहन, ताडी बनाना और बेचना, औद्योगिक क्षेत्रो में कार्य करना और अकुशल श्रम। कुछ बेलदार जो कृषि योग्य भूमि के छोटे भूखण्ड है, उन पर कृषि का कार्य करते है, जबकि बहुत से भूमिहीन बेलदार जाति के लोग कृषि श्रम पर निर्भर है उनका पूरा परिवार बडे कृषकों के यहॉ मजदूर के रूप में जीवन पर्यन्त कार्य करते है, जिन्हें हरवाहा कहा जाता है, उनकी महिलायें भी नौकरानी के रूप में कार्य करती है। कुछ बेलदारों ने जो मुख्य रूप से उड़ीस से संबंधित है उन्होंने धान से परवल चावल तैयार करने और पीसने के पत्थर बनाने जैसे नये व्यवसाय किये है।

कुछ शिक्षित बेलदार सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में अपनी सेवायें प्रदान कर रहे है। रक्षाकर्मियों के रूप में भी बेलदार कार्यरत है। बीएचईएल जैसे महत्वपूर्ण उपक्रम में कॉफी संख्या में ये लोग कार्यरत है, ग्रामीण स्तर पर स्थानीयों निकायों में राजनैतिक पदो पर भी बेलदार समाज के लोग कार्यरत है। परिवहन के कार्य में अधिकांशतः बेलदार समाज के पुरूष कार्यरत है। वर्तमान में संवैधानिक प्रावधानों के तहत समाज के जागरूक लोग अधिकांशतः शासकीय सेवाओं में कार्यरत है एवं उनके बच्चे विभिन्न शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे है। समाज में जीविका उपार्जन का जो मौलिक कार्य था जो कि मिट्टी से संबंधित था बहुत कम संख्या में आज बेलदार समाज के लोग करते है।

इस समुदाय के अधिकांश लोग चाहते है कि उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें लेकिन आमतौर पर उनकी शिक्षा माध्यमिक स्तर तक हो पाती है। इसका मुख्य कारण गरीबी है, और बच्चों को काम करने की आवश्यकता के साथ–साथ उनकी पढ़ाई जारी रखने मे रूचि की कमी है। इसलिये साक्षरता दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है और उनकी महिलाओं के लिये यह वास्तव में अस्तित्त्वहीन है। वे आधुनिक चिकित्सा स्वीकार करते है हालांकि वे अभी भी स्वदेशी इलाज का उपयोग करते है। अधिकांश लोग परिवार नियोजन को अपनाते है। बेलदार संचार, सिचाई और बैकिंग सुविधाओं जैसी सेवाओं का अच्छा उपयोग करते है। उन्हें एकीकृत ग्रामीण विकास जैसे विकास कार्यक्रमों से लाभ हुआ है। वर्तमान समय मे बेलदार समाज के लोग सम्पूर्ण शासकीय योजनाओं का लाभ उचित ढंग से ले रहे है। जैसे कृषक लोग अपने यहॉ रोजगार गांरटी योजना के तहत फल उद्यान विकसित कर रहे है, वे कपिल धारा कूप जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत कुओं का निर्माण करवा रहे है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।

इनके आहार में शाकाहार एवं मांसाहार दोनों ही शामिल है, अधिकांश बेलदार समाज के लोग हिन्दू रीति रिवाजों का पालन करते है, इसलिये वे गौ मांस का सेवन नहीं करते एवं शाकाहारी भोजन करते है। इनके मुख्य आहार में गेहूं, चावल और दालें पुरूषों में शराब पीने की आदत बहुतायत होती है। तम्बाकू का सेवन भी अधिकांश लोगों के द्वारा किया जाता है।

रिवाज– बेलदार समाज में एंडोगेमी का पालन किया जाता है अर्थात वे एक विशेष समूह के भीतर शादी करने के लिए प्रथा या कानून द्वारा प्रतिबंधित होते है और पैतृक और मातृ रिश्तेदारों के साथ वैवाहिक गठबंधन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी राज्यों को छोड़कर जहॉ किसी की मां के भाई

की बेटी के साथ अनुमति दी जाती है और पसंद की जाती है। मोनो गेमी आदर्श है और विवाह दोनों पक्षों के बीच बातचीत से तय होता है। बाल विवाह बेलदार के बीच प्रचलित है। लेकिन दुल्हन अपने पति के घर बिदा होकर युवा अवस्था में ही जाती है वह भी गौना नामक समारोह के उपरान्त विवाह में भोजन का आयोजन दोनो पक्षों द्वारा होता है। दूल्हे के निवास पर भस्म का आयोजन होता है दहेज का चलन है इसमें नगद राशि एवं गृहस्थी का सामान दिया जाता है। महिलाओं के लिए सिंदूर का निषान माथे के साथ–साथ पैर की अंगुली पर भी होना चाहिये यह विवाह का प्रतीक है। बेलदार समाज में तलाक की अनुमति जाति परिषद की मंजूरी के उपरान्त ही प्रदान की जाती है। पीड़ित पक्ष अपना अनुनय जाति परिषद के समक्ष प्रस्तुत करता है। बेलदार समाज मे तलाक के उपरान्त पुनर्विवाह एवं विधवा के साथ ही विधुर पुनर्विवाह को अनुमति प्रदान की जाती है। बेलदार समाज के लोगों में परमाणु या नाभिकीय परिवारों साथ–साथ मिश्रित, विस्तारित परिवार आम है। पैतृक सम्पति बेटों के बीच समान रूप से सांझा की जाती है। परिवार के बडे बेटे को मुख्य रूप से उत्तराधिकारी समक्षा जाता है। महाराष्ट्र के बेलदार समाज में एक परम्परा प्रचलित है जिसके अन्तर्गत परिवार के बडे बेटे को सम्पति का एक हिस्सा अतिरिक्त प्रदान किया जाता है। महिलाओं की स्थिति पुरूषों के अधीन है घरेलू कार्यों के अलावा महिलायें कृषि कार्यों में अपना योगदान देती है। ईधन के लिये जंगल से लकडी लाना एवं घरेलू जानवरों के गोबर से कन्डे बनाने का कार्य करती है। महिलायें घरेलू मवेशियों पालतू जानवरों की देखभाल का भी कार्य करती है। महिलायें सामाजिक कार्यो, धार्मिक गतिविधि ायों और निर्णय लेने मे भी भाग लेती है। बेलदार समाज के पास अपने पारंम्परिक लोकगीत और लोक कथायें है जिनको वे विशेष अवसरों पर गाते है वे एक ड्रम का प्रयोग संगीत के लिये करते है। धार्मिक अनुष्ठानों पर महिलाओं द्वारा पारम्परिक लोकगीतों को गाया जाता है।

अधिकांश बेलदार हिन्दू मान्यताओं के अनुरूप अपनी जीवन व्यतीत करते है, या हम कह सकते है कि वे हिन्दू ही है। हनुमान एवं संतोषी माता उनके सामुदायिक देवी देवता है शकंर भगवान, दुर्गा (काली का स्वरूप जो वाद्य की सवारी करती है) भैरो देव, देवी माई आदि बेलदार समाज द्वारा पूजे गये ग्राम देवताओं के नाम है। जिनको हम ग्रामीण भाषा खेड़ापति भी कहते है। कुछ बेलदार समाज के लोग रेणुका देवी (विष्णु के छटवे अवतार परशुराम की मॉ) कालीमाता (काली) बलिमाता (बलिदान की प्रेरक) ज्योतिमाता, और भीम सेना (भीम सेनानी–महाकाव्य के नायक) शामिल है। इनके बीच पूर्वजों की पूजा का भी प्रचलन है।

बेलदार समाज द्वारा धार्मिक तीर्थ यात्राओं में हरिद्वार, गंगा के उदगम स्थल गंगोत्री, प्रयागराज एवं चार धामों की तीर्थ यात्रा जैसे सभी प्रमुख हिन्दू धार्मिक स्थलों पर जाने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में सरस्वती नदी को ये अधिक पवित्र मानते है एवं हिन्दूओं द्वारा मनाये जाने वाले लगभग सभी त्यौहारों को वे समान रूप से मनाते है। वे बुरी आत्माओं और जादू टौना मे भी विष्वास करते है वे अपने समुदाय के एक विशेष व्यक्ति जिसे हम ओझा या जादूगर भी कह सकते है भूत भगाने और इलाज कराने के लिए की सलाह लेते है। बेलदार समाज में ब्राह्मण अपने सभी जीवन चक्र अनुष्ठान करते है। ये अपने मृतकों का अन्तिम संस्कार दाह संस्कार की प्रक्रिया द्वारा करते है और एक अवधि के बाद मृत्यु प्रदूषण का निरीक्षण करते है।

निष्कर्ष– विस्थापित समुदाय/जाति का अध्ययन करने से हमें उनकी सम्पूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, भोगौलिक, आर्थिक, परिस्थितियों के बारें में विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता, वह जाति सामाजिक सांस्कृतिक गुणों को किस प्रकार आत्सात करती है। उसकी क्षमता कैसी है, पर संस्कृति ग्रहण करते समय क्या वह प्रभु जातियों से सामंजस्य बिठा पाई। आज विश्व में विस्थापितों की समस्या बहुत गंभीर है। क्या एक समुदाय, जाति अन्य जगह जाकर सम्पूर्ण अलग परिवेश में अपने आपको उस जगह या देष के मानदण्डों के अनुसार ढाल सकती है या नही। क्या वे अपनी परम्पराओ रीतियों को पूर्ववत अपनाते या संशोधित रूप में अपनाते है। बेलदार समाज भी पष्चिमी पाकिस्तान से भारत में आया इसके पूर्व ये भारत से

ही वहॉ पहुंचे थे। इस प्रकार की जाति का अध्ययन समाज के लिये महत्वपूर्ण है, कहा जा सकता सामुदायिक सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक क्षेत्र में बेलदार समाज का योगदान सकारात्मक एवं सराहनीय है। समुदाय के सर्वागीण विकास हेतु समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। बेलदार समाज के लोग क्षेत्र एवं अपने समुदाय के विकास के प्रत्येक स्तर पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। अपनी संस्कृति एवं अपनी परम्पराओं को जीवित रखकर विकास में बेलदार जाति का योगदान सतत जारी है।

परिणाम– सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान कभी भी परिणाम रहित नही होता है। शोध के परिणाम सदा जीवन के किसी न किसी क्षेत्र को अवश्य प्रभावित करते है। पश्चिमी पाकिस्तानी प्रान्त से विस्थापित मुल्तानी बेलदार समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक परिस्थितियों एवं उनमें हुये विकास की महत्वपूर्ण जानकरी प्रदान करेगा। प्रस्तावित अध्ययन के स्वरूप बेलदार समाज की वास्तविक स्थिति उनमें शिक्षा का स्तर रोजगार का न्यूनतम स्तर शासन स्तर की योजनाओं की जानकारी का अभाव या कृषि अधिकारियों द्वारा आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्रदान करने का अभाव। महिलाओं की भागीदारी बेलदार समाज में महिलाओं का विकास एवं समाज की मुख्य धारा क्या भूमिका है। सर्वेक्षित समाज के प्रति जो छूआछूत का भाव पूर्व में प्रचलित था वह समय के साथ कम हुआ है। मजदूर के रूप में कार्य करने, निर्माण संबंधी कार्यो में संलग्न रहने के साथ अपनी योग्यता के आधार पर शासकीय सेवाओं में शामिल होकर अपने क्षेत्र समुदाय के लिये योगदान दिया है। बेलदार समुदाय के सभी लोगो ने अपने स्थान विशेष को सम्पूर्ण दृष्टि से विकसित करने का प्रयास किया है। वर्तमान समय में सामाजिक, सांस्कृतिक परम्पराओं, नैतिक मूल्यों का पतन निरन्तर हो रहा है। लेकिन बेलदार समाज द्वारा निरन्तर सजगता के साथ परिवर्तन एवं आधुनिकता के दौर में अपनी संस्कृति एवं विशेष पहचान को बनाये रखा है। ग्रामीण सामुदायिक विकास जैसे कार्यो में सभी ने सहयोग किया है। चाहे वह बेलदार समाज का जनप्रतिनिधि हो या समाज का अन्य कोई सदस्य कृषि सड़क निर्माण कार्य, पेयजल समस्या, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, एवं प्रत्येक तक स्वास्थ्य लाभ पहुचाना आदि कार्य किये जा रहे है। यदि समाज विस्थापित होकर नये निवासित जगहों के आदर्ष नियमों परम्पराओं को आत्मसात नही कर पाता तो संस्कृति संघर्ष एवं विघटन की स्थितियॉ निर्मित होती है। लेकिन बेलदार समाज के साथ ऐसा नही है। स्थानीय परम्पराओं को धीरे–धीरे इन्होंने आत्मसात कर लिया है। एवं विकास के सम्पूर्ण चक्र में अपना योगदान दे रहे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची (निर्धारित प्रारूप में)–

1. आहूजा राम, सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, रावत पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2008
2. दुबे श्यामाचरण, भारतीय ग्राम, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, 1955
3. इवेटसन डेन्जिल, पंजाब कास्ट, गवरमेन्ट प्रिटिंग प्रेस पंजाब, 1916
4. मेरियट मैकियम, सोशल स्ट्रक्चर एण्ड चेंज इन यू.पी. विलेज, एशिया पब्लिकेशन हाऊस बाम्बे, 1955
5. सिंह योगेन्द्र, भारतीय परम्परा का आधुनिकीकरण, रावत पब्लिकेशन जयपुर 2006
6. कुक्स डब्ल्यू, दी ट्राईब्स एण्ड कास्ट ऑफ दी नार्थ वेस्टर्न इंडिया, 1974
7. रसेल आर.बी., ट्रईव एण्ड कास्ट दी सेन्ट्रल प्रोविन्सेंस ऑफ इंडिया, 1975
8. William Kuks, The Tribale and Cast of the North Western India, Vol. IV
9. H. Resely, The People of India.
10. J.h. hutton, Cast in India.

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

''पाणिनीयव्याकरणे आधुनिक परिप्रेक्ष्ये षड्विधसूत्राणामुपयोगित्व

❐ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी*

शोध सारांश

यदा षडङ्गवेदाध्ययनार्थं व्याकरणाय चत्वारि वर्षाण्येवास्माकमन्तिके वर्त्तन्ते, तत्र च ''रक्षार्थं वेदानामध्येयं व्याकरणम्''3 व्याकरणशास्त्राध्ययनस्य प्रयोजनानि ब्रुवता भगवता पतंजलिमुनिना ''साधनं व्याकरणं न तु साध्यम्''4 इति समुद्घोषितं भवति। व्याकरणरूपाया नद्याः पारे गत्वैवान्यशास्त्रेषु लभते गतिमित्यादि सर्वमभिलक्ष्य समुद्घोव्यते तर्ह्यस्माभिः ''अष्टाध्यायीक्रमेणैवास्य सम्भवः, अष्टाध्यायीपठनपाठनमेव शरणम्'' इति।5

प्रस्तावना

इह खलु लोकव्यवहारनिर्वहणाय भाषैव जुषते प्रधानभावम्। अन्तरेण भाषां लोकाः समर्था न प्रभवन्ति नैजमाशयं प्रकाशयितुम्। अपरं च भाषयाऽपि सुसंस्कृतया भवितव्यम्। तथैव सुसंस्कृता भाषा च शब्द साधुत्वम् अपेक्षते। साधु शब्द प्रयोगे हि व्याकरणाध्ययनं प्रधानं प्रयोजकम्। प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति।

अत एव भर्तृहरिरप्याह –

साधुत्वज्ञान विषया सैषा व्याकरणस्मृतिः' । इति1

वैदिककालादारभ्य चतुर्दशशतक पर्यन्तं काले काले संस्कृतभाषायाम् विभिन्न व्याकरणानाम् अनेके ग्रन्था विरचिता अभूवन। तेषु पाणिनितिन्त्रस्यैव लौकिकवैदिकोभय प्रक्रियालङ्कृतत्वात् वेदाङ्गत्वं स्वीक्रियते नेतरेषाम्। तदिदं पाणिनीयं व्याकरणम् अष्टभिरध्यायैर्गुम्फितत्वाद् अष्टाध्यायीति पदेन परिभाष्यते। स एष पाणिनिमुनिः अक्षरसमाम्नायादारभ्य लोकवेदोभयपथा स०चरमाणः किमपि व्याकरणान्तरविलक्षणं तन्त्रं प्रणिनाय। सैषा पाणिनीया व्याकरणस्मृतिः सूत्रेषूपनिबद्धा। तानि चास्य तन्त्रस्य सूत्राणि अल्पाक्षराणि सन्ति, सूत्रगतपदानां च सूत्रान्तरेषु अनुवृतिः, न तु प्रतिसूत्रमनुवृत्तिपद प्रयोगः।

कृत्रिमाऽकृत्रिमाः संज्ञाश्चापि टि, घु, भ, घ, घि, लुक्, कृत्, इत् इत्येवंविधाः प्रायशः अल्पाक्षरा एव प्रणिबद्धाः। अस्मिन् पाणिनीयाष्टके प्रत्यध्यायं चत्वारः पादा अनुस्यूताः। तत्र च प्रथमेऽध्याये संज्ञानां परिभाषाणां वर्णनं विद्यते। विभक्त्यर्थाः समासाश्च द्वितीयाध्यायस्य वर्ण्यविषयाः। तृतीयेऽध्याये धातुभ्यो विहिताः प्रत्ययाः सुव्यवस्थापिताः। तुर्यप०चमाध्याययोस्तु अवशिष्टास्तद्धितप्रत्यया निरूपिताः। षण्ठेऽध्याये प्रकृतिसम्बन्धिकार्यव्यांजेन तिङ्–सन्धि स्वरादीनां निरूपणं विद्यते। सप्तमे अङ्गाधिकारस्थो विषयः सन्निवेशितः। तस्मिन् प्रसङ्गे प्रत्ययसम्बन्धीनि निखिलानि कार्याणि निरूपितानि। अष्टमाध्यायस्य पूर्वचरणे द्वित्वसमबन्धि–

* प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष संस्कृत, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

विधानानि समावेशितानि। तदनु पूर्वत्र प्रकल्पितानि असिद्ध प्रकरणानि अष्टमाध्यायस्य अवशिष्टेषु द्वितीय–तृतीय–चतुर्थचरणेषु समायेजितानि। तानि च प्रकरणानि द्वित्व–स्वर–सन्धि– षत्व–णत्वादिनामभिः समाकलितानि।

आचार्य पाणिनेर्महत्वम

सोऽयं महामुनिः पाणिनिः न केवलं शब्दशास्त्रस्यैवोपदेष्टा आसीत् अपि तु तस्य सम्पूर्णऽपि लौकिकवैदिक वाड्मये अव्याहता गतिरासीदीति सर्ववादिसम्मतम्।

'भगवान् पत०जलिरपि स्वीये भाष्ये महता समादरेण पाणिनेः गौरवं समुद्घोषितवान्।

स एवमाह– ''प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणिः शुचाववकारो प्राड्मुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्रं प्रणयतिस्म। तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुं किं पुनरियता सूत्रेण'' ।2

ततो लोकानुजिघृक्षया शेषावतारो भगवान् पतंजलिः पाणिनीयसूत्रतत्वार्थं विशदतया व्याचिख्यासुः महाभाष्यास्यं ग्रन्थरत्नं प्रणिनाय।

व्याकरणं साधनं न तु साध्यम्

अन्यथाऽऽप्रलयमपि वेदाध्ययनस्य प्रचारो न सम्पत्स्यते। न चैतदनुष्ठानं बिना संस्कृतभाषा भारतस्य राष्ट्रभाषा भवितुमर्हति।

''संस्कृत व्याकरणं (अष्टाध्यायी ग्रन्थः) मानवमस्तिष्कस्य प्रतिभाया आश्चर्यतमो भागोऽस्ति, यो मानवमस्तिष्कस्य समक्षमागतः'' ।6

अष्टाध्यायीक्रम एव पुनः समुपस्थितः
''वर्षेण भूमिः पृथिवी वृतावृता।।7

यथा चायं भूगोलो वर्त्तुलाकारः, तत्र 'यतश्चलितुमारब्धस्य तत्रैव पुनः प्रत्यावृत्तिर्भवतीति' जनश्रवस्तथ्यश्च, तथैवायमष्टाध्यायीक्रमोऽद्य स्वतन्त्रभारते पुनरपि यथाक्रमं सम्प्राप्त। मूलतोऽतिदूरड्गता व्याकरणस्याध्येतार इति पूर्वमस्माभिः प्रतिपादितम्, यस्य वृक्षस्य मूलात् सम्बन्धो विच्छिद्यते, कालक्रमेण स्वयमेव तस्य वृक्षस्य पत्राणां पुष्पाणा०च नाशो दुर्निवारः, अतः पुनर्मूलस्यैवाश्रये कल्याणसम्भव इति सुधिय एव प्रमागम्। अतोऽधुनाऽष्टाध्यायीपद्धत्याश्रयणं संस्कृताध्यायिनां भारतस्य च कृते कल्याणकरं स्वश्रेयस्साधक०च भवेदित्याशास्यते।

व्याकरणाध्ययनं यदाऽनिवार्यं, नानेव विना संस्कृतसाहित्ये प्रवेशस्यापि संभव इत्यस्माभिः पूर्वमुक्तम्, अस्यामवस्थायां ''व्याकरणाध्ययनस्य कश्चन सरलोपायः स्यात्'' इति विचारे समुत्पन्नेऽस्माभिरेकमेवं सूत्रमुद्घोष्यते–

अष्टाध्यायीक्रमेणाध्ययनस्य पुररूद्धार एवास्य सर्वस्य महौषधम् ।8

अल्पाक्षरमसन्दिधं सारवद्विश्वतोमुखम्।
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्र विदो विदुः।।9

अल्पाक्षरैः अधिकर्य बोधनक्षमताः, सन्देहरहित विषयस्य प्रस्तुतिः, सारतम् प्रक्रियासारणिः, आवश्यकेषु सर्वस्थलेषु प्रवृत्तिक्षमता, दोषाणाम् अभावः, निन्दाराहित्यम् च इमानि षड्विधानि सूत्र लक्षणानि।

सूत्राणाम् अल्पाक्षरता विषये इयमुक्तिरति प्रसिद्धा वैयाकरणेषु –

''अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः''
'एओड्' 'ऐऔच्' सूत्रयोर्ध्वनिर्तेषा भाष्ये ।10

तत्रानेकपदघटित सूत्रे प्रायेण पदलाघव विचार एव, न तु मात्रालाघव विचार इति 'उकालोऽच्' (1–2–27) 'अपृक्त एकाल्' (1–2–41) इत्यादि सूत्रेषु भाष्ये ध्वनितम्। तत्र हि सूत्रे ''अल् ग्रहणहल्ग्रहणयोर्विशेष विचारे संज्ञायां हल्ग्रहणं 'ण्यक्षत्रिया' (2–4–58)''11 इति सूत्रेऽणि०ोणिते वाच्यमिति त्रीणि पदान्यल्गेहणे, तदेकं स्वादिलोपे हल्ग्रहणं ण्येतिसूत्रेऽणि०ोरिति न वाच्यमपृक्तस्येति वाच्यमिति त्रीण्येव पदानीति नास्ति लाघवकृतो विशेष'' इत्युक्तम्।

'अचिश्नु' (6–4–77)12 इति सूत्रे इण इत्येव सिद्धे य्वोरिति सम्मृद्य ग्रहणान्न पूर्वेणेण्ग्रहणम्। तत्र विभक्तिनिर्देशे सम्मृद्य ग्रहणे च सार्धास्तिस्त्रो मात्रा इण् ग्रहणे तिस्त्रो मात्रा इति लणसूत्रे भाष्यात्तेः। तथा 'ओतः श्यनि' (7–3–71)13 अति सूत्रे शितीति न वक्तव्यम्। तत्रायमर्थः – 'ष्ठिवुक्लमु' (7–3–75) इति सूत्रे शितीति न कर्तव्यं भवतीति भाष्ये न केवलं मात्रालघवं यावदयमप्यर्थ इति कैयटोक्तेः प्रायेणेति शिवम्''

संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च।
अति देशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्।।
संज्ञा सूत्रम् – "संज्ञा करणं व्यवहारार्थ लोके"
"संज्ञासञ्ज्ञि प्रत्यायकं सूत्रं सञ्ज्ञा सूत्रम्"14

व्याकरण शास्त्रस्य व्यवहाराय संज्ञायाः आवश्यकता भवति। यानि सूत्राणि संज्ञा नाम विधानम् कुर्वन्ति, तानि संज्ञा सूत्राणि अथवा संज्ञा विधायक सूत्राणि कथ्यन्ते।

अष्टाध्यायां प्रायः अशीत्यधिकं द्विशतम् संज्ञा सूत्राणि सन्ति।

यथा–वृद्धिरादैच्, अदेङ्ग गुणः, अदर्शनं लोपः, शेषो घ्यसखि, इत्यादीनि।

महार्षि पाणिनिः अनेक विध संज्ञानां प्रयोगं कृतवान् यथा– अन्वर्थ संज्ञा, कृत्रिम संज्ञा, परम्परागत संज्ञा

अन्वर्थ संज्ञा– सर्वनाम संज्ञा, सम्प्रदान, अपादान, अव्यय आदि अन्वर्थ संज्ञाः सन्ति।

कृत्रिम् संज्ञा– टि, घु, घि, भ इत्यादि कृत्रिम संज्ञाः सन्ति।

परम्परागत संज्ञा–सर्वनामस्थान, प्रातिपादिक, आर्धधातुक, सार्वधातुक, अङ्ग इत्यादि परम्परागत संज्ञाः सन्ति।

"अनियमे नियमकारिणी परिभाषा"
सा च अव्यवस्थायां व्यवस्थामापादयति

अर्थात् – नियमाभावे नियम विधानं परिभाषा कथ्यते। 'परितः सर्वतो भाष्यन्ते नियमाः यया सा परिभाषा'15 यया नियमानाम् व्यवस्था क्रियते सा परिभाषा उच्यते। इमानि परिभाषा सूत्राणि निर्णयकतर्खणि सूत्राणि परिभाषा सूत्राणि कथ्यन्ते।

परिभाषा सूत्राणि स्वयं विधायकानि न भवन्ति किन्तु विधि सूत्राणां सहायकानि भवन्ति, विधि सूत्राणाम् प्रवृत्तौ यत्र सन्देहास्थितिरूतपद्यते तत्र परिभाषा सूत्राणि उपस्थाय तत् सन्देहस् निवृत्तिं कुर्वन्ति। यथा– तस्मिन्नितिनिर्दिष्टे पूर्वस्य, यथासंख्यमनुदेशः समानाम्, स्थानेऽन्तरतमः, अनेकालशित् सर्वस्य' इत्यादीनि।

पाणिनीव्याकरणे सर्वाधिकं विधि सूत्राणि ततः संज्ञा सूत्राणि ततोन्यूनानि परिभाषा सूत्राणि ततोन्यूनानि अधिकार सूत्राणि भवन्ति।

अष्टाध्यायां प्रायः षट्त्रिंशत् परिभाषा सूत्राणि सन्ति।16
"येन विधीयते स विधिः"

अर्थात् येन यण्, गुण, वृद्धि, दीर्घादीनाम्
विधानम् क्रियते तद् विधि सूत्रम् कथ्यते।
"आदेशादिविधायकं सूत्रम् विधि सूत्रम्"

अष्टाध्यायां विधि सूत्राणाम् सर्वाधिक संख्या अस्ति।

यथा– इको यणचि, आदगुणः, वृद्धिरेचि, अकः सवर्णे दीर्घः, एचोऽवयवायावः इत्यादि।

विधि सूत्रैः प्रत्यय विधानं तथा लोपागम, वर्गविकाराद्यनेक कार्याणि सिद्धयन्ते। निषेध सूत्राणाम् अभावरूपापूर्वबोधकत्वेन विधिसूत्रेषु अन्तर्भावो भवति।

"विधिनियमसम्भवे विधिरेव ज्यायान्"18

यत्र कस्यचित् शास्त्रस्य सम्बन्धे विधि च नियम द्वयोः सम्भावनास्ति, तत्र विधि : मन्यते।

विधि नियमश्च सम्बन्धे तन्त्रवार्तिकस्य श्लोकः प्रसिद्ध :–

विधि रत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति।
तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते।।19
"नियम्यन्ते निश्चीयन्ते प्रयोगाः येन सः"20

अर्थात् येन प्रयोगाणाम् नियमनं क्रियते तत् नियम सूत्रम् उच्यते।

अष्टाध्यायां प्रायशः सप्तदशाधिकं द्विशतम् नियम सूत्राणि प्राप्यन्ते।

केनचित् सूत्रेण कार्यम् सिद्धयन् तत् कार्यार्थ एव यदि कस्यचित् अन्यत् सूत्रस्य कथनं भवति तदा तत् नियम सूत्रम् कथ्यते।

"सिद्धे सत्यारम्भमाणो विधिः नियमाय भवति"21

अर्थात् सिद्धे सत्यपि पुनः विधानेन् एकस्य विशेष नियमस्य संकेतः तेन प्राप्यते।

"प्राप्तस्य विधे– नियामकं सूत्र नियमसूत्रम्" ।22

यथा– नलोपः सुपस्वरसंज्ञातुग्विधिषुकृति, पतिः समास एव, एच इग्घ्रस्वादेशे, कृत्तद्धित समासाश्च।

''अतिदिश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते कार्याणि येन सोऽतिदेशः''23

अर्थात येन समानता प्रदीयेत्, अथवा आरोपः क्रियेत् सोऽतिदेशः।

अष्टाध्यायां प्रायेण अष्टादशोत्तरैकशतम् अतिदेशः सूत्राणि सन्ति।

वैयाकरणाः सप्तधा मन्यन्ते अतिदेश सूत्राणि च–

1. निमित्तादिदेश
2. व्यपदेशातिदेश
3. तादात्म्यातिदेश
4. शास्त्रातिदेश
5. कार्यातिदेश
6. रुपातिदेश
7. अर्थातिदेश

तादृशे असत्वे तादृशं स्वीकरणं अतिदेशः

यथा– गुरुवत् गुरुपुत्रे वर्तितत्यम्। सूत्राणिऽपि बहुषु स्थलेषु एवमेव कुर्वन्ति, एवं विधानि सूत्राणि अतिदेश सूत्राणि कथ्यन्ते।

यथा– अन्तादिवच्च, गोतो णित्

''एकत्र उपान्तस्य अन्यत्र व्यापारः अधिकारः ''24

एकस्मिन् स्थले प्राप्तस्य अन्यत्र व्यापारः एवं अधिकारः कथ्यते। कानिचित् सूत्राणि एवं भवन्ति यानि स्वक्षेत्रे न किमपि कार्यं कुर्वन्ति, किन्तु अन्य सूत्राणाम् क्षेत्रे स्वाधिकारं स्थापयन्ति, तेषाम् सहायकानि भवन्ति एवं अधिकार सूत्राणि कथ्यन्ते।

अधिकार सूत्रम् स्वक्षेत्रागतानि सर्वाणि सूत्राणि अनुवर्तन्ते। अधिकारः अनुवृत्तिश्च उभावपि पर्यायौ, अतिवितृत क्षेत्र पर्यन्तं अनुवर्तनं अधिकारः, तथा स्वल्प स्थान पर्यन्तं अनुवर्तनं अनुवृत्तिः कथ्यते। सम्पूर्ण सूत्रस्य पाद पर्यन्तं अध्याय पर्यन्तं वा अनुवर्तनं अधिकारः कथ्यते।

अष्टाध्यायां प्रायः अष्टचत्वरिंशत् अधिकार सूत्राणि सन्ति।

यथा– कारके, ङयाप्प्रातिपदिकात्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च इत्यादि।

पाणिनिः अधिकार सूत्रस्य सूचनाम् स्वरित चिन्हद्वारा करोति।25

यथा– स्वरितेनाधिकारः।

प्रवृत्तेः अनुसार अधिकारः त्रिधा कथ्यते–

सिंहावलोकितं चैव मण्डूकप्लुतमेव च।
गङ्गाप्रवाहवच्चाऽपि अधिकारास्त्रिधा मताः।।26

''स्वदेशे वाक्यार्थबोधशून्यत्वेसति पदरेशेवाक्यार्थ–बोधकत्वमधिकारत्वम्'।

संदर्भ स्रोत

1. वाक्यपदीयम् प्रथम काण्ड, 143
2. महाभाष्य प्रथमाह्निकम्
3. महाभाष्य प्रथमाह्निकम्
4. महाभाष्य प्रथमाह्निकम्
5. महाभाष्य प्रथमाह्निकम्
6. अर्थवेद काण्ड 12/1/52
7. महाभाष्य प्रथमाह्निकम्
8. महाभाष्य प्रथमाह्निकम्
9. वायुपुराण
10. परिभाषेन्दु शेखरम् –133
11. अष्टाध्यायी 2/4/58
12. अष्टाध्यायी 4/4/77
13. अष्टाध्यायी 7/3/75
14. लघुशब्देन्दु शेखरम् –अभिनव टीका
15. शब्दकौस्तुभम्
16. शब्दकौस्तुभम्
17. शब्दकौस्तुभम्
18. शब्दकौस्तुभम्
19. तन्त्रवार्तिक
20. शब्दकौस्तुभम्
21. महाभाष्य
22. परिभाषेन्दु शेखरम्
23. शब्दकौस्तुभम्
24. शब्दकौस्तुभम्
25. अष्टाध्यायी
29. वाक्यपदीयम्

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

गीतरामायणम् गीतमहाकाव्य के रचयिता स्वामी रामभद्राचार्य का कृतित्व एवं व्यक्तित्व

❑ संतोष कुमार त्रिपाठी*
❑ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी**

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में गीतरामायणम् गीतमहाकाव्य के रचयिता स्वामी रामभद्राचार्य जी के जीवन चरित्र पर आधारित है जिसकी व्याख्या निम्नानुसार की गई है –

श्यामश्यामाङ्ग जं देवं शंस्वरुपं कृपानिधिम्।
सीमाराघव–दासाख्यं सद्गुरुं तं नमाम्यहम्।।
ज्ञान रुपं क्षमा सिन्धुं शान्ति दं पापनाशनम्।
सच्चिदानन्दकेलिज्ञं सद्गुरुं तं नमाम्यहम्।।
प्रेमभक्ति–प्रकाशाय अवतीर्णो हि यः प्रभुः।
रामरागनुगं नित्यं सद्गुरुं तं नमास्मयहम्।।
साकारश्च निराकारो यस्याधो भवतः किल्।
रामभद्र पदं प्राप्तं सद्गुरुं तं नमास्यहम्।।
सद्गुरुं वेदतत्वज्ञं प्राणनाथं प्रणम्य तम्।
चित्रकूटे रमन् भव्यं यस्य गाथां लिखाम्यहम्।।

गीता ब्रह्मसूत्र और उपनिषद प्रस्थान त्रयी कहे जाते हैं। इन ग्रन्थों का मनन, चिन्तन एवं स्वाध्याय करके भारतीय सनातन हिन्दू धर्म के कई आचार्यों ने उसी परम तत्व का विश्लेषण अपनी–अपनी सत्यनिष्ठा वैचारिक मति के अनुसार किया है। जैसे– शंकराचार्य, रामानुजाचार्य रामानन्दाचार्य, माध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री हितहारिवंशचन्द्र महाप्रभु, निम्वाकार्यचार्य, व करपात्री जी इत्यादि।

इन्हीं आचार्यों की भाँति अपने अपरिमित स्वाध याय से ब्रह्म तत्व का निरुपण करने वाले एवं अपने ज्ञान भण्डार से वेदाङ्गतत्वों की समुचित व्याख्या करने वाले श्री श्री 1008 श्री जगद्गुरु रामभद्राचार्य 'गिरधर' जी के जन्म वृत्त, शिक्षा–दीक्षा, उपलब्धियाँ एवं पुस्कारादि विविध आयामों को प्रस्तुत आलेख में सम्मिलित किया गया है।

* शोधार्थी संस्कृत, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
** प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष संस्कृत, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

जन्म–वृत्त

सच्चिदानन्दघन परब्रह्म ने अपने अवर्णनीय सृष्टि में मानव के अन्तर्गत उन सम्पूर्ण शक्तियों को समेटा है, जिनके सहारे मनुष्य नर से नारायण, सूक्ष्म से विराट, अणु से महत् तथा पुरुष से पुरुषोत्तक बन सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति अपने अंदर निहित आत्मशक्तियों को पहचाने और उनका विस्तार करने की साधना करें। उन्हीं अन्तर्निहित शक्तियों को पहचानने वाले श्री श्री 1008 श्री जगद्गुरु 'रामभद्राचार्य' जी के नाम का स्मरण करते हुए उन्हीं की जीवन यात्रा को अपनी लेखनी का विषय बनाने की धृष्टता कर रहा हूँ। जो वाणी व लेखनी का विषय नहीं हो सकती उसी को पंच प्रशाखी का विषय बनाने का उद्योग है।

श्री ना पद में नमन कर, कलुषित मन को त्याग।
गुण गण प्रतिपल ध्यान धर, लेश न मन में आस।।
युगल चरण छपि हृदय में है विशेष अति भाग।
सद्गुरु प्रभु राममय, हौं दासन के दास।।

जय गुरुवर संत हितकारी।
भारत भूमि आपको प्यारी।।
जन्म जौनपुर जनपद लेके।
हृदय प्रकाश किये जन लेखे।।
बाजै मंगल बाज बधाई।
भुवन चौदहों आनँद पाई।।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के शांडी खुर्द ग्रामवासी वशिष्ट गोत्रोत्पन्न निगम– आगम, पुराण विद पण्डित राम बिहारी मिश्र वंश की परम्परा में, परम सत्यवादी उदार हृदय वाले श्रीयुत् पण्डित राजदेव मिश्र एवं उनकी धर्म–पत्नी शची देवी के द्वितीय पुत्र के रूप में श्री स्वामी का जन्म परम पवित्र मकर संक्रांति को रात्रि 10 बजकर 34 मिनट पर हुआ। आपके धरती पर आगमन से ही प्रसूतिका गृह में अलौकिक प्रकाश हो गया। जिस अलौकिक प्रकाश को देखकर श्री स्वामी जी के पिता पं. राजदेव मिश्र एवं पितामह श्रीयुत् पं. रास बिहारी मिश्र देश–देशान्तर के बहुतायत ज्योतिर्विदों को आमंत्रित कर आपके भविष्य की घोषण एवं नामकरण करने की प्रार्थना की। तब सम्पूर्ण ज्योतिर्विदों द्वारा आपके अत्यंत प्रतिभासम्पन्न तथा महान संत होने की भविष्यवाणी की गयी तथा श्री स्वामी जी की चचेरी बुआ ने उन्हें 'गिरधर' नाम से अलंकृत किया। ज्योतिर्विदों की भविष्यवाणी को सुनकर सम्पूर्ण परिवार आनंदमग्न हो गया तथा माता–पिता अत्यंत प्रभुदित होकर गिरधर के जन्म का आनंदमंगलोत्सव अपार धनराशि खर्च करके किया। आपकी सुंदरता देखने में अत्यंत मोहक थी, जिससे आसपास के बहुत से आबाल वृद्ध निरंतर दर्शन के इच्छुक बने रहते थे। आपके आगमन से सम्पूर्ण शाण्डी खुर्द ग्राम एवं मिश्र कुल धन्य–धन्य हो गया। नारद जी का कथन है कि 'ऐसे निर्मल संत का जहाँ आविर्भाव हो जाता है वह भूमि सनाथ हो जाती है। माता–पिता प्रसन्न हो जाते हैं तथा देवगण जन्म का समाचार पाकर नृत्य करने लगते है''–

''मोदन्ते पितरौ, नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं–भूर्भवति।''1

वास्तव में माता होना उसी का सार्थक है जिसके गर्भ से ईश्वर–भक्त पुत्र का जन्म होता है। जन्म और मृत्यु स्वरूपमय इस परिवर्तनशील संसार में गर्भधारण तो प्रायः सभी योनि की माताएं करती है किन्तु उसी का गर्भ सार्थक होता है जिसके गर्भ से ईश्वरभक्तों की मंडली में हर्षध्वनि होने लगे। जिसके दर्शन मात्र से रोमांच स्वेद एवं स्वर भंग आदि सात्विक स्वयं प्रस्फुटित होने लगे अथवा जिसके ऊपर विद्वान या शूरवीरों की सभा में सभी लोगों की समान भाव से दृष्टि पड़े। किसी कवि ने कहा है कि–

जननी जने तु भक्तजनि या दाता या सूर।
नाहीं तो जननी बाँझ रह क्यों खोवे है नूर।।

भाग्यवती शची माता ने यथार्थ में माता शब्द को सार्थक बना दिया जिसके गर्भ से दूसरे पुत्र के रूप में श्री स्वामी जी का आविर्भाव हुआ। माता का स्नेह पुत्र के प्रति अगाध होता ही है। पुत्र के सुंदर मुख को निहारती हुयीं माता के कमल–मुख दुलकते हुए अश्रुबिन्दुओं से सुशोभित होने लगा। माँ ने प्रथमतः मोती का माला से ही अर्चन किया। उसके बाद वात्सल्य रस सार स्तनदुग्ध का नैवेद्य अर्पित किया। अब जननी का हृदय अमृतसागर एवं आनंद–मंदाकिनी में स्नान करने लगा। माँ की गोद में सुंदर शिशु को किलकारी मारते देखकर सभी को ऐसा लगता था जैसे माँ का शरीर मानो मल्लिका की लता हो और शिशु उसका सुंदरतम प्रसून। आइए, हम सभी मंगलगीत

द्वारा श्री स्वामी जी के शिशु रूप को प्रसन्न करने का उद्योग करें–

सोहर :–

अरी सखि आवहु मंगल गावहु हिय हरषावहु हो।
रूप सुधर पुनि निरखहु नयन जुड़ावहु उर धरि ध्यावहु हो।।
नेह रस वरसत शुचि प्रेम टपकत जिय सरसावहु हो।
सत्य जगावहु मिथ्या भगावहु धाम सुख पावहु हो।।
शिशु चिर जीवै जगत् जस सीवै साथ हिय भावहु हो।
गिरधर वेणु जबावहिं ग्वाल सुख पावहिं रामभद्र हरषावहु हो।।2

बालक की शिशु–लीला का आनंद लेते हुए दो माह ही व्यतीत हुए थे कि काल की गति से श्री स्वामी जी आँखों को रोहुआ रोग ग्रस लिया जिसकी चिकित्सा में ग्रामीण चिकित्सकों के नित्य–निरंतर अथक प्रयास के बाद भी सफलता न प्राप्त हो पाने के कारण लखनऊ, मुम्बई तथा कई बेड़ शहरों में चिकित्सा कराई गयी, किन्तु दुर्दैव से आपके दोनों सुदर्शन नेत्र क्षतिग्रस्त हो गये। नेत्रहीन बच्चे को देखकर सम्पूर्ण क्षेत्र के लोग कहने कि ज्योतिष की गणना व्यर्थ है, अन्यथा यह अनर्थ कभी न होता, अब तो ज्योतिष की गणना से हम सब का विश्वास ही टूटा जा रहा है, किन्तु हम सभी ईश्वर की इच्छा के आगे नतमस्तक हैं। सम्पूर्ण जीवन की आशाएँ, निराशा में परितर्तित होने लगीं। श्री स्वामी जी की बुआ उन्हें पूर्ण मनोयोग के साथ मीरा जी के भजन सुनाया करती थीं और कहती थीं– ''मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।''3 एक दिन एक मदारी गाँव में एक बंदर लेकर आया और बंदरिया की नृत्य दिखाने स्वर सुनकर गिरधर उसी ओर चल दिये। जीवननियंता को कुछ नवीन शिक्षा देनी थी, जिस कारण बालक गिरधर लौटते समय रास्ते का भ्रम हो जाने के कारण एक सूखे कुएँ में गिर गये। गिरते ही राघव प्रिय गिरधर करुण एवं दीन स्वर में रुदन करने लगे। रुदन को सुनकर गाँव के कुम्हार की कन्या फुलपतिया ने हाथ पकड़कर उन्हें कुएँ से निकाला। नेत्रहीन होने के कारण बहुत बार गहरे गड्ढों तथा अंधकूपों में गिरे। हाथ–पैर की हड्डियाँ भी टूटी। उपचार कराना पड़ा। किन्तु बाह्य चक्षु विहीन होने पर भी अपने अंतर्मन को कभी निराश नहीं होने दिया। निराशा का अंधकार उन्हें कभी स्पर्श नहीं कर सका। जो कर्म बाह्य नेत्र सम्पन्न व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, उन्हें श्री स्वामी जी पूर्ण विश्वास के साथ सम्पन्न किये। शिक्षा एवं साधना के क्षेत्र में ऐसी अनवरत प्रगति की जो समाज को नवीन दिशा प्रदान करने हेतु साधन समान है। श्री स्वामी जी के विजयी जीवन और प्रस्थान त्रयी पर लिखी भाष्य का विमोचन करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ठीक ही कहा है– ''जगद्गुरुजी! आपने दृष्टिहीनता को अभिशाप से वरदान में पलट दिया है। हे अन्तः दृष्टि सम्पन्न ऋषि पर हम आपको प्रणाम करते हैं।

श्री स्वामी जी की षष्टिपूर्ति पर आपके जीवन वृत्त को ''शाण्डी खुर्द में एवं का प्रादुर्भाव ''शीर्षक के अन्तर्गत परम श्रद्धेय श्रीओम गौतम जी द्वारा इस प्रकार छन्द–बद्ध किया गया है– घरेलू व्यवहार से एक दिन रुष्ट हो, बिना कुछ खाये माँ बिस्तर में सो गयी। किसी दिव्य सन्त को रखा हुआ भोजन दे स्वपन में उन्हीं की सेवा अर्चना में खो गयीं। सूर्य उत्तरायण में, वैष्णव एकादशी को, ''सन्त जन्म लेगा'' कह विभूति लुप्त हो गयी सन्त वाणी सिद्ध हुई पुत्र जन्म होते ही नील मणि प्रकाश की सी नुभूति हो गयी शांडीखुर्द/ाम सुखद, जनपद था जौनपुर उन्नस सौ पचास सन्, चौदह जनवरी थी। अनुराधा नक्षत्र व मकर संक्रान्ति पर्व, रात्रि के दस बजकर चौंतिस शुभ घड़ी थी। दिवस शनिवार, पिता राजदेव मिश्र घर, गोदी माँ 'शी' की पुत्ररत्न से भरी थी। अद्वितीय वीर अथवा होगा एक महान संत, ऐसी शुभ घड़ी जन्मलग्न में पड़ी थी। जन्म के दो माह बाद अशुभ घटना घटी जिससे विक्षुब्ध सारा गांव ही बदल गया। 'रोहू' का प्रकोप हुआ बालक की आँखों में राहू वन आखों की ज्योति ही निगल गया नेत्रहीन बच्चे को देख सब कहते थे ज्योतिष की गणना से विश्वास ही फिसल गया। ईश्वर की इच्छा के आगे नतमस्तक थे, आशा भरा जीवन निराशा में बदल गया। पिताश्री की बहिन एक बाल विधवा थीं किन्तु मीरा के भजन मनोयोग से सुनाती थी।। ''मेरे तो रिधार गोपाल दूसरो न कोई'' कह ''नाम रखा गिरधर'' इसी नाम से बुालती थीं। पास में सुलातीं, लोरी कृष्ण की सुनातीं, स्नेह भरी विनती ब्रजराज की सुनाती थीं। ''लाज मेरे गिरिधर की रखना ब्रजेन्द्र कृष्ण'' थपथपा हाथों से वे माथा

सहलाती थीं। गाँव में वानर ले मदारी एक ाया था, डमरू का नाम सुन उसी ओर चल दिया। जीवन के नियंता को सीख कुछ सिखा थी, लौटते में किसी भ्रमित राह पर निकल गया। पाँ डगमगाया फिर गिर गया अनायास सूखे से कुएँ में गिर बाल मन दहल गया। चीख–चीख रो रो तब पुकार प्रिय राघव को, बाल सवर करुण दीन भाव में बदल गया। ग्राम के कुम्हार की कन्या फुलपतियां ने पहचान स्वर, हाथ पकड़ कूप से निकाल लिया। ''जिन रोवो गिरधर'' कह आँख पोछिं दुलाराया, डूबने से जैसे गजराज को उबार लिया। माधव ही न कर फुलपतिया स्वयं आये थे, नंगे पाँ आकार भवकूप से निकला लिया। आज भी फलपतिया की गोद याद आती है, जिसने यह बाल मन विश्वास में बदल दिया। धर में थी गाय, थन मुँह में देबाबा ने, धारोष्ण दूध इन्हें एक दिन पिला दिया। दूजे दिन स्वयं दूध पीने जो पहुँचे तो गाय ने मार सींघ घरनि पर गिरा दिया। माथे से तप्त रक्त बूँद गिरता था, गाय ने दूषित रक्त धूलि में सिरा दिया। रक्त दोष दूर कर विरक्त हुए गिरधर जी राघव की कृपा ने सब दोष था मिटा दिया।

शिक्षा दीक्षा

संघर्षपूर्वक उत्कर्ष ही जिसके जीवन का सार है, ऐसे विलक्षण प्रतिभावान गिरधर प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही प्रारम्भ हुये। बाबा जी इन्हें खेतों पर ले जाते थे और सुन्उर–सुन्दर स्रोतों को सुनाया करते थे, जिन्हें ध्यानपूर्वक सुनते और याद किया करते थे। तीन वर्ष की अवस्था में बहुत स्तोत्रों को कंठस्थ कर लिए। 4 अत्याक्षरी इत्यादि में अत्यधिक लगाव था। पाँच वर्ष की अवस्था में इन्होंने ''श्रीमद्भगवद्गीता'' याद कर लिया।5 जीवन की सप्तवर्षीय अवस्था में श्री रामचरितमानस याद करके नौ घण्टे में अविरल पाठ किया। 6 यही समय था जब गिरधर की जिलासा अत्यन्त बलवती होने लगी। गीता और रामायण को ये अपने अन्तः चक्षु मानते हुये षष्टिपूर्ति ग्रन्थ में श्री स्वामी जी ने लिखा है– ''गीता रामायण म्हारी अन्तर नी आँखे।''7

अब गीता एवं रामायण दो आन्तरिक नेत्र मिल जाने से वाह्य चक्षुओं की आवश्यकता ही नहीं रह गयी। जब भी पारिवारिक लोग दबाव देकर चिकित्सा के लिए नेत्र चिकित्सालय में ले जाने ाि तो ये मार्ग में प्रभु से प्रर्थना करते कि चिकित्सक ऐसा कह दे अब इनके नेत्र ठीक नहीं हो सकते हैं। इन्हें श्रीरामकृष्ण की कृपा कादम्बिनी ने अभाव के चिन्तन से ही विरत कर दिया। द्वितीय दशक इनकी औपचारिक शिक्षा के प्रारम्भ का दशक कहा जा सकता है। इसमें धीरे–धीरे इनके पढ़ने की इच्छा जागृत होने पर इन्हें सुजानपुर स्थित श्री गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय में भेजा गया। जहाँ इन्होंने नव्यव्याकरण विषय लेर प्रथमा से मध्यमा तक विशेष अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किये। पाणिनीय व्याकरण की रसानुभूति के साथ श्रीरामचरित मानस तथा गीता की युगल पाठ सम्भूति आपके मन को अलौकिक विभूति के रसास्वादन के लिये लालायित करने लगी थी। पाणिनीय व्याकरण में लघु सिद्धान्त कौमुदी वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी, तर्कसंग्रह, न्याय सिद्धान्त मुक्तावली, चन्द्रालोक एवं अमरकोष आदि ग्रंथों के अनुशीलन से इनके मन में सुरभारती के प्रति अगाध निष्ठा प्रस्फुटित होने लगी। धारा प्रवाह संस्कृत बोलने लगे तथा मन में संस्कृत भाषा का एक नवीन उत्साह जागृत हुआ। 1967 के पूर्वार्द्ध में इन्हें श्लोक रचना का कौशल भी प्राप्त हो चुका था। कवित्व शक्ति जग चुकी थी और श्लोक रचना भी करने लगे थे। धीरे–धीरे यह भूल चुके थे कि मुझे दिखाई नहीं देता बल्कि यह मानने लगे थे कि मुझे सब कुछ दिखाई देता है। इस प्राकर द्वितीय दशक सुरभारती के उपलब्धि से भरा हुआ सिद्ध हुआ।

द्वितीय – दशक के पश्चात् तृतीय दशक के 6 वर्ष इनकी उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सम्पन्न हुए। उच्च शिक्षा हेतु अनुज के साथ सम्पूणानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी पहुँचे। जहाँ त्रीणि व्याकरणम् की भाँति तीन धुरंधर वैयाकरण आचार्यों का सान्ध्यि मिला–

प्रथम– श्रीभूपेन्द्र पति त्रिपाठी तत्कालीन व्याकरण विभागाध्यक्ष सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, जो अत्यंत सरल, सात्विक, स्वाभिमानी एवं व्युत्पन्न विद्वान् थे। उन्हीं के श्री चरणों में बैठकर वैयाकरण भूषण सागर एवं परिभाषेन्दु शेखर का गहनतम अध्ययन किया करते थे।

द्वितीय– श्री कालिका प्रसाद शुक्ल तत्कालीन उपाचार्य, संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी जो एक कवित्व शक्ति कुशल आर्य थे। उनके साथ पाणिनीय व्याकरण के अतिरिक्त काव्य शास्त्रीय चर्चायें किया करते थे।

तृतीय– पं. श्री राम प्रसाद त्रिपाठी भूतपूर्व व्याकरण विभागध्यक्ष सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी जिन्हें अभिनव पाणिनी कहा जाता है। इन्हीं के श्रीचरणों में बबैठकर लघु सिद्धान्त कौमुदी से लेकर व्युत्पत्तिवाद तक सम्पूर्ण ग्रंथों का गहनतम अध्ययन किये और व्याकरण की जटिल से जटिल ग्रंथियेां को सुलझाए। त्रिपाठी जी को कभी कोई नये पदार्थ समझ में आते तो देर रात में भी इन्हें बुलाकर उन गहनतम भावेां का आबोध कराया करते थे। उन्नीस सौ छिहत्तर तक में इन्होंने शास्त्री एवं आचार्य की शिक्षा सविशेष अंक के साथ उत्तीर्ण कर लिये।

मैं पहले कह चुका हूँ कि स्वामी जी को श्रीमद्भागवत गीता और श्रीरामचरित मानस कण्ठस्थ हो चुके थे। श्रीराम कथा वाचन आपको परम्परा से प्राप्त था जिसका उल्लेख 'मेरी स्वर्ण यात्रा' नामक कृति में श्री स्वामी जी द्वारा किया गया है। तीस अप्रैल उन्नीस सौ दिहत्तर से आपके द्वारा कथावाचन प्रारम्भ कर दिया गया जो आपके शिक्षा का अंतिम दिन था। श्रीराम कथाएं चलती रहीं और विद्या व्यासंग बढ़ता रहा। फलतः आपने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से ''अध्यात्म रामायणे अपाणिनीय प्रयोगानाम विमर्शः'' विषय पर शोध कार्य प्रारम्भ कर दिये। श्री रामकथा से अत्यंत लगाव होने के कारण उल्लिखित विषय पर श्री स्वामी जी का अत्यंत लगाव था। अतः बड़ी लगन और श्रद्धा के साथ अनुसंधान कार्य प्रारम्भ किया गया। उन दिनों ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जूनियर फेलोशिप का एक कार्यक्रम बनाया जिसकी परीक्षा उत्तीर्ण कर जे.आरएफ. के लिये आप चयनित हुए। चार वर्ष पर्यन्त जे.आर.एफ रहते हुए चौदह अक्टूबर सन् उन्नीस सौ इक्यासी को शोधकार्य पूर्ण कर विद्यावारिधि की उपाधि ा से विभूषित हुए।

चतुर्थ दशक आपके जीवन की सन्धियों का दशक था। चार सितम्बर उनीस सौ अठहत्तर को आपकी बड़ी बहन डॉ. कुमारी गीता देवी मिश्रा ने सहयोग करने के लिये सहायक के रूप में आपके साथ रहने लगी जिससे जीवन की जटिलताएं कम हो गयी और आप अधिक उत्साह के साथ संघर्षों का सामना करने लगे। सत्ताइस जून उन्नीस सौ इकसठ को श्री जानकी घाट श्रीरामबल्लभाशरण जी महाराज के कृपापात्र श्री ईश्वर दास जी से आपने राममन्त्र की दीक्षा प्राप्त कर ली थी किन्तु विरक्त लगोटी लेने का समाधान नहीं हो पा रहा था। सौभाग्य से उन्नीस सौ इकहत्तार की श्रीकृष्णजन्माष्टमी के दिन सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय वाराणसी में व्याख्यान देने आये हुए श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के प्रथम दर्शन आपको प्राप्त हुए। श्री स्वामी करपात्री जी महाराज बीसवीं शताब्दी के अभिनव शंकराचार्य थे किन्तु विलक्षण प्रतिभा देखकर श्री स्वामी जी को कृपापात्र बना लिये। एक बार श्री करपात्री जी ने आपसे सरयूपारीण रामानन्दी से विरक्त लगोटी लेने को कहा। उन्हीं के निर्देश का पालन करते हुए उन्नीस नवम्बर उन्नीस सौ पचासी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रीरामनन्दीय श्री श्रेष्ठ संत 1008 श्रीरामशरणदास फलाहारी बाबा श्री विरक्त लगोटी प्रापत कर डॉ0 गिरधर मिश्र से रामभद्रदास बन गये और धीरे–धीरे अनुभव करने लगे–

उर कछु प्रथम वासना रही,
प्रभु पद प्रीति सरित सेा बही।।8

आपका जीवन अब साधु परम्परा के अुसार चलने लगा जीवन यात्रा की नवीन दिशा प्राप्त हो गयी। विरक्ति के साथ अनुरक्ति से भी सम्बन्ध जुड़ा। सन्तों की परम्परा के नियम और अनुशासन जुड़े। चौदह अक्टूबर उन्नीस सौ इक्यासी को शोध कार्य सम्पन्न होने पर यू.जी.सी. ने अपने प्रभाव का प्रयोग करके आपको सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के पद पर नियुक्ति पत्र दिया परंतु अपनी अग्रजा डॉ. कुमारी गीता देवी मिश्रा के अनुरोध पर वह नियुक्ति पत्र फाड़कर निष्किंचनावृत्ति के साथ रहने लगे। साधु बनने के बाद लगभग तीन वर्षों तक आपके रहने का कोई स्थान व पता नहीं था। भिन्न – भिन्न स्थानों पर कथा कहते और कथा से विराम मिलने पर किसी मंदिर इत्यादि में निवास कर लिया करते थे। बाल्यकाल

से ही चित्रकूट से लगाव होने के कारण उन्नीस सौ अठहत्तर में चित्रकूट जानकी कुण्ड में आपकी प्रथमकथा हुई स्वामी जी की वह कथा क्षेत्रीय जनमानस को बहुत रास आयी और तभी श्री स्वामी जी यह निर्णय लिये कि चित्रकूट कोही निवास स्थान बनाऊगा। उन्नीस सौ इकहत्तरमें चित्रकूट जानकीकुण्ड में ही आपने अपना पहला अनुष्ठान किया। तदनन्तर चित्रकूट मेंस्फटिक शिला केपास सन् उन्नीस सौ बयासी में एक सामान्य कुटिया में रहकर द्वितीय पयोव्रत का अनुष्ठान सम्पन्न करलिये। इस पकार विरक्त वेश लेने के पहले ही चित्रकूट में छः–छः महीने के दो अनुष्ठान करके अपने आकर्षण काकेन्द्र ना लिये थे। ग्यारह जानवरी उन्नीस सौ तिरासी को चित्रकूट के भूतपूर्व नरेश के द्वितीय पुत्र श्री हेमराज चतुर्वेदी ''नन्हें राजा'' नये मंदाकिनी तट पर आकपे दृष्टिबाधितों को विद्यालय बनाने के लिये कुछ भूमि का प्रस्ताव किया किन्तु मंदाकिनी के बहुत समीप होने के कारण वहाँ के क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह ने विद्यालय नहीं बनाने दिया। सन् उन्नीस सौ पचासी में श्री नन्हें राज चित्रकूट ने आपके 60 80 काभूखण्ड राघव कुटी निर्माण हेतु दान में दि दिया। राघव कुटी एवं कांच मन्दिर के निर्माण में सतना के व्यवसायी श्री उमाचरण गुप्ता एवं श्रीमती पुष्पा गुप्ता ने अत्यधिक धनराशि का सहयोग प्रदान किया राघव कुटी का निर्माण हो जाने पर आपने सन् उन्नीस सौ छियासी में नौ महीने तक निरन्तर चलने वाले अनुष्ठान को सम्पन्न किया। इस प्रकार श्री स्वामी जी की शिक्षा–दीक्षा एक अलौकिक इतिहास ही है। आचार्य दिवाकर शर्मा 'षष्टिपूर्ति अभिनन्दन ग्रन्थ'' में संकलित ''दिव्य ज्योति धारा पर'' शीर्षक के अंतर्गत सम्पूर्ण शिक्षा–दीक्षा को निम्नलिखित पद्योंके माध्यम से प्रकाशित किये हैं जो इस प्रकार है–

उपलब्धियां एवं पुरस्कार

श्री राघव कृपा पात्र गिरधर का सम्पूर्ण जीवन उपलब्धियों एवं पुरस्कार से परिपूर्ण है। बाल्यकाल से ही बाबा श्री रास बिहारी के द्वारा सुनाये जाने वाले श्लोकों और स्त्रोतों को बड़ी लगन के साथ यादकिया करते थे। भगवान् श्री सीताराम जी की कृपा से तीन वर्ष की अवस्था में कई स्तोत्र इन्हें याद हो गये थे। इनकी स्तोत्रों को याद करने की गति ''होनहार बिरवान के होत चीकने पात' पंक्ति को पूरी तरह चरितार्थ करती थी। पॉच वर्ष में श्रीमद्भागवतगीता को कण्ठस्थ कर अध्यात्म तत्वों का रसास्वादन करने लगे। जीवन की सप्तवर्षीय अवस्था में चौदह जनवरी उन्नीस सौ सत्तावन को श्रीरामचरितमानस को कण्ठस्थ करके नौ घण्टे में अविरल पाठ करने वाले गिरधर के जीवन का प्रत्येक दशक उपलब्धियों का दशक रहा है। प्रथम दशक में श्रीमद्भागवतगीता और रामचरितमानस याद कर श्रीरामकृष्ण की कृपा कादम्बिनी को प्राप्त कर लिए। द्वितीय दशक सुरभारती के उपलब्धियों से परिपूर्ण है। सन् उन्नीस सौ छियासठ के जुलाई माह से औपचारिक शिक्षा प्रारंभ कर पाणिनीय व्याकरण में लघु सिद्धान्त कौमुदी, वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी, तर्कसंगह, न्याय सिद्धान्त मुक्तावली चन्द्रावली, अमरकोष आदि ग्रंथों का गहनतम अध्ययन करके धारा प्रवाह संस्कृत का सम्भाषण करने लगे सन् उन्नीस सौ सरसठ तक इनकी कवित्तव शक्ति जागृत हो गयी थी , क्योंकि अब तक श्लोक रचना का कौशल प्राप्त हो गया था। द्वितीय दशक के अंत तक इन्होंने विशेषांक के साथ प्रथम से लेकर मध्यमा तक चार–चार बार प्रथम स्थान प्राप्त किये।

इस प्रकार हम कह सकता हैं कि स्वामी रामभद्राचार्य का व्यक्तित्व एवं कृतित्व प्रतिभा से भरा पड़ा है आज भी लेखन के प्रति उदारतापूर्वक कार्य संपादित कर रहे हैं।

संदर्भ स्रोत

1. नारद भक्ति सूत्र–71
2. डॉ. राजेन्द्र मिश्र
3. षष्टिपूर्ति अभिनन्दन ग्रन्थ
4. षष्टिपूर्ति अभिनन्दन ग्रन्थ
5. षष्टिपूर्ति अभिनन्दन ग्रन्थ
6. षष्टिपूर्ति अभिनन्दन ग्रन्थ
7. षष्टिपूर्ति अभिनन्दन ग्रन्थ
8. मानस– 5/49/6

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका

❑ डा. अखिलेश कुमार गुप्ता*

शोध सारांश

वर्तमान युग में महिलाओं की स्थिति कमजोर नहीं बल्कि सशक्त है। आज महिलाएँ पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। महिलाओं मे विशाल प्रतिमाएँ छुपी रहती हैं, जिन्हें प्रोत्साहित करके विभिन्न कार्यों में संलग्न किया जा सकता है, कुछ महिलाएँ आज भी घर के कामों तक ही सीमित है। महिलाओं की क्षमता का विकास कर, परिवर्तित परिदृश्य से यदि संबंधित विभिन्न कार्यों मे संलग्न किया जाए तो वह भी आर्थिक स्वावलम्बन व आत्मनिर्भर एवं जागरूक हो सकेंगी। देश में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कार्यों को प्रोत्साहन देने व रोजगार के अवसर देने के लिए समय–समय पर विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे महिलाओं मे स्वाभिमान और आत्मविश्वास के गुणों का विकास, आर्थिक स्वालम्बन, आत्मनिर्भर, सामाजिक, राजनैतिक स्तर के विकास मे वृद्धि हो रही है और राष्ट्र के प्रति अपना योगदान दे रही हैं।

प्रस्तावना

आज भी महिलाएँ इतनी अधिक उन्नति नहीं कर सकी हैं, जितनी करनी चाहिए। अतः आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक दृष्टि से महिलाओं को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। महिलाओं के विभिन्न कार्यों में कार्य करने, वेतन देने एवं विभिन्न गतिविधियों मे समानता का दर्जा देने की आवश्यकता है।

21वीं सदी में महिलाओं मे नई चेतना व जागृति आई है। महिलाएँ पुरूष के कदम–से–कदम मिलाते हुए विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, विकास की लिखी जा रही इबारत मे महिलाओं का भी बड़ा योगदान है। समाज का आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं हैं, जहां महिलाओं ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। यह सुखद संयोग हैं कि 21वीं सदी के पहले व दूसरे दशक की शुरूआत में देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएँ आसीन हैं। देश की राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी व देश पर शासन कर रही यू.पी.ए. की अध्यक्ष, विपक्ष की नेता और भारत बड़े राज्य की मुख्यमंत्री भी एक महिला ही बनी हुई हैं। वामपंथ के गढ़ रहे पश्चिम बंगाल में 34 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार को एक महिला ने ही सत्ता से उखाड़ने का कार्य किया है। पंचायतीराज के 73वीं संविधान संशोधन से अब तक घर की चारदीवारी में कैद रहने वाली महिलाएँ भी घर की ड्योढ़ी लांघने लगी हैं। जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी है।

* प्राचार्य, पं. राम सुन्दर शुक्ला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पहड़िया, जिला–रीवा (म.प्र.)

सामाजिक स्तर पर भी महिलाओं ने अपने पैर अन्य दिशाओं की ओर बढ़ाये हैं। अब तक भारतीय समाज में यह माना जाता था कि माता–पिता की अर्थी के कांधा व मुखाग्नि का कार्य उनके पुत्र–पौत्र ही करते हैं लेकिन माता–पिता के पुत्र–पौत्र नहीं होने पर उनकी बेटियां ही इन रस्मों को पूरा कर वर्षों पुराने रिवाज को एक नया रूप देने में लगी हैं। ट्रक ड्राईवर बनने से लेकर बस की कंडक्टर के रूप में महिलाओं ने पुरूष आधिपत्य कार्यों मे दखल बढ़ाया है। यह भी कहा जाता है कि 'प्रत्येक पुरूष की समलता के पीछे किसी न किसी नारी का हाथ है, जिसका प्रमाण नारी राष्ट्र हित में दिखाई देता है।

शोध समस्या

दूसरी ओर जब महिला अधिकारों के लिये मोर्चे निकलते हैं या मानवता को बचाने के लिये मलाला व सत्यार्थी जैसे लोगों का संघर्ष देखते हैं तो एहसास होता है कि क्या वाकई देश प्रगति कर रहा है। क्या आज हम वाकई जीवित हैं। प्रश्न आज की महिलाओं को पूर्णतः झकझोर कर रख देती है। वास्तविकता में आज का महिला युवा तीन प्रकार के संकटों से घिरी हैं।

1. जिसका भौतिक अस्तित्व ही संदिग्ध हो गया है, लुप्त होते जीवों की रक्षा के अभियान चलाते मानवता स्वयं संकटग्रस्त बन गयी हैं।

2. महिलाओं की सास्कृतिक आंतरिक एवं बाह्य ऊर्जा भी अनेक कारणों से प्रभावित हो रही है जिससे सांस्कृतिक सह अस्तित्व विनाशक संघर्ष का रूप लेती जा रही है।

3. भौतिक एवं सांस्कृतिक टकराव में व्यक्तित्व विघटन जिससे व्यक्तित्व विभाजन और व्यवहारों के परिप्रेक्ष्य में अपने गंतत्व का बोध न कर पाना असहनीय है।

वर्तमान परिस्थितियों में महिला अनेक अर्तद्वंदों से जुझते हुये ज्यादा सजग और जागरूक है, किन्तु अभी भी सक्षम एवं कुशाग्र युवाओं की कमी है। जो हैं भी वह राष्ट्र निर्माण के लिये न सोचकर अपने स्वयं के लिये भविष्य की ओर ज्यादा सतर्क दिखाई देती हैं। प्रस्तुत शोध महिलाओं के दिशा निर्धारण पर केन्द्रित है।

उद्देश्य

1. राष्ट्र निर्माण के प्रति महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की वर्तमान मे दिशा एवं दशा।

2. राष्ट्र निर्माण की ओर महिलाओं मे भविष्य निर्माण की दिशा।

3. महिलाएँ अपने अधिकारों की जानकारी के लिए संचार माध्यमों का उपयोग करती है या नहीं इसका अध्ययन करना।

उपकल्पना

1. राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति के बारे में जानना।

2. वर्तमान मे महिलाओं की राष्ट्र के प्रति सकारात्मक व नकारात्मक सोच जानना।

विश्लेषण एवं व्याख्या

राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति– दुनिया की आधी जनसंख्या महिलाओं की है, किन्तु यह आधी जनसंख्या पुरूष प्रधान समाज से पुरूष निर्मित नियमों के तहत किसी से अपना जीवन यापन कर रही है। विकास को सदैव समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करने वाली बहुआयामी प्रक्रिया होना चाहिए। नारियों की स्थिति में सुधार समाज के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं तथा सामाजिक, सांस्कृतिक पहलू स्वाभाविक रूप से निहित होते हैं। अतः उनसे संबंधित मुद्दे अलग रखने व उपेक्षित करने के लिए नही हैं अपितु संपूर्ण विकास की रिपोर्ट देते हुए कहा था, जबकि महिलाएँ विश्व की आधी आबादी व एक तिहाई श्रम शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, वे विश्व की आय का केवल दसवां भाग तथा विश्व की संपत्ति का एक प्रतिशत से भी कम प्राप्त कर पाती है। वे कुल कार्यशील समय में से दो तिहाई समय तक कार्य करने के लिए उत्तरदायी है विश्व के निरक्षरों मे तीन से दो महिलाएँ है। जबकि साक्षरता की दर में वृद्वि हो रही है। तृतीय विश्व युद्ध मे महिलाएँ 50 प्रतिशत से अधिक खाद्य सामग्री की प्रक्रिया का

शत–प्रतिशत कार्य स्वयं संपादित करती थी। औद्योगिक क्षेत्र में जिन्हें आज विकसित राष्ट्र कहा जाता है, वहाँ भी महिलाओं को पुरूषों के समान कार्यों के लिए केवल तीन–चौथाई का भी 3/8 भाग ही प्राप्त होता है। उनका वर्गीकरण कम वेतन पर महिला प्रधान कार्यों के लिए कर दिया जाता है। महिलाओं के प्रति यह भेदभावपूर्ण व्यवहार तब तक बना रहेगा जब तक कि महिलाओं के पक्ष कानून का सख्ती से पालन किया जाता तब तक महिलाओं की स्थिति मे कोई परिवर्तन नही आ पाएगा।

अर्थात् महिलाओं की स्थिति को सदैव एक जैसा ही माना गया। एक ओर जहाँ यत्रनार्यः पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता अथवा यदि ईश्वर प्रकाश पुंज है तो नारी उसकी किरण है जो प्रकाश को चारो ओर बिखेर देती है। अथवा यदि ईश्वर शब्द है तो उसका अर्थ है जैसी उक्तियाँ प्रचलित है, वहीं दूसरी ओर नारी के पालन पोषण को पड़ोसी के पौधे को खींचने के समान बताया गया। उसे मात्र एक आर्थिक उत्तरदायित्व माना गया। पुरूष से उसे हर दृष्टि मे कम समझा गया। मनु ने तो यहाँ तक कहां कि हिन्दू महिला आजीवन पुरूष पर आश्रित है बचपन मे पिता पर, विवाहोपरांत पति पर, तथा वृद्धावस्था में पुत्र पर, इनमे से एक भी अवस्था मे पुरूष का आश्रय न रहने पर उसे कलंकित व उपेक्षित किया गया तथा अपमान व तिरस्कार की ज्वाला में उसके जीवन को भस्म कर दिया गया।

वर्तमान में महिलाओं की सकारात्मक भूमिका

1. आज की महिलाएं अर्थ व्यवस्था के विकास में सहायक।
2. आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं।
3. महिलाओं को दिए जाने वाले आरक्षण।
4. आज की महिलाओं के प्रति समाज का परिवर्तित दृष्टिकोण।
5. पुरूषों के कार्यों मे आज की महिलाएं बराबर की हिस्सेदार हैं।
6. आज की महिलाओं के कारण समाज की उन्नति हुई है।
7. आज की महिलाओं के कारण समाज मे लिंगीय समानता की उत्पति।
8. आज की महिलाओं को पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त है।
9. आज की महिलाओं की स्थिति पुरूषों के समान्तर है।
10. आज की महिलाओं को व्यक्ति के रूप में पहचान प्राप्त है।

आज की महिलाओं का सकारात्मक सोच

1. सहनशीलता का अभाव।
2. पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण करने मे निष्ठा की कमी।
3. बच्चो को सुसंस्कार देने मे लापरवाही।
4. मनोरंजन एवं अनावश्यक कार्यों मे समय की बर्बादी।
5. गृहकार्य मे रूचि नही होना।
6. पारिवारिक विघटन।
7. नैतिकता की कमी।

आने वाला कल और महिला

1. भविष्य मे महिला को अपने निजी निणय लेने की आजादी होगी।
2. भविष्य मे दहेज प्रथा पर अंकुश लगेगा।
3. महिला उसी सम्मान को प्राप्त कर पाएगी जो आज पुरूष वर्ग को प्राप्त है।
4. यह भी संभव है कि ज्यादतर उच्च पदों पर महिलाएं ही आसीन होगीं।
5. यह भी संभव है कि राजनीतिक पार्टी महिला आरक्षण लागू कर दे।
6. भ्रूण हत्या पर अंकुश लगेगा जिससे महिला पुरूष अनुपात में बढ़ोत्तरी होगी।
7. सती–प्रथा, पर्दा प्रथा, बालविवाह, पर अंकुश लगेगा तथा लिंग के आधार पर भेदभाव भी समाप्त हो जायेगा।
8. भारत के विकास मे महिला भागीदारी होगी, जिससे संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
9. आधुनिक युग महिलाओं का युग होगा जिससे महिलाएं स्वयं निर्णय लेगी।
10. कल की महिलाएं पुरूषों की तुलना मे अधिक शक्तिशाली होगी जिससे वे कठिन से कठिन कार्य को सरलता से कर सकेगी।

भविष्य में महिलाओं के नकारात्मक स्वरूप– संस्कारहीनता, सामाजिक अभाव पाया जायेगा, सहनशीलता का अभाव, पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण करने मे निष्ठा की कमी, बच्चों को सुसंस्कार देने मे लापरवाही, सामंजस्य का अभाव, रीतिरिवाज एवं पारिवारिक प्रथा और परम्परा के प्रति उदासीनता रहेगी, नेतृत्व की कमी, मान–मर्यादा के प्रति लापरवाही, अमर्यादित व्यवहार एवं खुलापन पाया जायेगा, पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ावा देना नियम और कानूनों का उल्लघंन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, मनोरंजन एंव अनावश्यक कार्यों मे समय की बर्बादी, गृहकार्य मे रूचि नही होना, कैरियर का बढ़ता महत्व होगा।

आज और कल की महिलाओं का तुलनात्मक अध्ययन– भारत मे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही विभिन्न वर्गों व क्षेत्रों का अधिक उत्पादक बनाने उनके संतुलित व तीव्र विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान रखा गया जिनकी सफल क्रियान्वित के फलस्वरूप ही आज हमारे देश की गणना विकास के पक्ष पर तेजी से बढ़ने वाले चन्द विकासशील राष्ट्र में की जाने वाली हैं इन योजनाओं मे विकास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्‌दों को महिला विकास के विषय मे उपयुक्त प्रत्यक्ष रूप से उनके कार्यक्रम बनाए गए जिससे महिला का विकास हो सके आज ही महिलाएं इन योजनाओं का पूरा लाभ उठा रही है और भविष्य मे भी महिलाएं इन योजना का लाभ उठाकर अपना विकास करेगी। समाज के सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक इत्यादि विभिन्न पहलुओं मे उनकी आवश्यक महत्व बढ़ने लगेगा प्राचीन कालो में महिलाओं को शिक्षा नही दी जाती थी, जिसके प्रत्येक क्षेत्र मे अपना महत्व बढ़ाती जा रही है और भविष्य में कल की महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र मे अपना योगदान प्रदान करेगी। महिलाएँ उन क्षेत्र मे जहाँ विशेषकर पुरूषों की शत प्रतिशत भागीदारी है ऐसे क्षेत्रों मे अपना स्थान बानने में डरती है परन्तु कल की महिलाएं पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। आज की महिलाएं अर्थ व्यवस्था के विकास में सहायक हैं क्योंकि आर्थिक विकास से अभिप्राय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा सरकारी व्यय की बढ़ती हुई दर से लिया जाता है कल की महिलाएं अर्थ व्यवस्था में और अधिक विकास करेगी तथा महिला पुरूष समान स्तर पर होंगे।

वर्तमान में भारत सरकार की ओर से महिलाओं हेतु 27 योजनाओं क्रियान्वित की गयी और भविष्य में इसका प्रतिशत और भी बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है वे इस क्षेत्र मे काफी सफल हैं। आज लड़कियाँ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आग निकल चुकी है। भविष्य में इसका प्रतिशत और भी बढ़ने की संभावना है चिकित्सक आज की जरूरत है भारत में महिला चिकित्सकों का प्रतिशत लगभग 40 प्रतिशत हैं आज भी 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के अनुपात में महिला व पुरूष चिकित्सक के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आने वाला कल इस आंकड़े में परिवर्तन कर उल्टा कर देने मे सक्षम होगा।

किरण वेदी पहली महिला आई.पी.एस. एवं आई.जी. दिल्ली पुलिस के बाद महिला अधिकारियों की संख्या तेजी से बढ़ती गई। आज नारियाँ राजनीति के क्षेत्र में अपना महत्व बढ़ाते जा रही है। भविष्य में इनका योगदान और अधिक बढ़ता जाएगा। खेल के क्षेत्र में महिलाएं अपना योगदान निभा रही हैं–सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, इनका योगदान विशेषकर महत्वपूर्ण है। भविष्य में भी कई महिलाएँ होगी जो अपना योगदान खेल के क्षेत्र में निभाएगी कल की महिलाएँ और अधिक खेलों में होगी।

सुधारात्मक कदम

1. नए नीति निर्देशकों के क्रियान्वयन हेतु योजना आयोग में महिलाओं की इकाई की पूर्व आवश्यकता महिलाओं हेतु आकड़ों के एकत्रीकरण की श्रेणियों को पुनर्निर्वाचित करने, एकत्रीकरण मे अंतराल की पहचान करने व महिलाओं के विकास हेतु योजना कार्यक्रम को निर्देश देने के लिए होगी।

2. वित्तीय तथा राजकोषीय साधनों के मुख्य कार्यक्रम व योजनाओं में महिलाओं के रोजगार हेतु

अनुमास्थ तथा पक्षपात आवंटन होना चाहिए। मुख्य कार्यक्रम में साधन आवंटन को विवेकीकरण होना चाहिए जिससे महिलाओं हेतु पृथक आवंटन खोजने की अपेक्षा महिलाएँ लाभान्वित हो सके उद्योगों व व्यवसायों में रत महिलाओं में विनियोग की दर निर्णायक बल दिया जाना चाहिए। राज्य स्तर पर महिला विकास विभागों/निदेशालयों को प्रारंभ किया जाना चाहिए सामाजिक कल्याण, विकलांग अनुसूचित जाति व जन–जातियों ऐसे विषय हैं जो कि राज्य स्तर पर महिलाओं के विकास के साथ सम्मिलित है।

3. विभागों के साथ गतिविधियों हेतु एक विकास कमिश्नर की नियुक्ति उसे अन्य विभागों के साथ गतिविधियों मे समन्वय के अधिकार प्रदान करते हुए की जानी चाहिए।

4. जिला स्तर पर, जिलाधीश के स्तर पर एक जिला समन्वयक अधिकारी होना चाहिए जो महिला को प्रभावित करने वाले सभी कार्यक्रम के आयोजन नियमन, समन्वय तथा मूल्यांकन करने का प्रमुख अधिकारी हो।

5. सरकारी कार्यक्रम को महिला हेतु कार्यरत् स्वैच्छिक संस्थानों के साथ उन्हें प्रभावित करने वाले कार्यक्रम तथा नीतियों के उचित मूल्यांकन हेतु संबंध ा होना चाहिए। वितरण प्रणाली तथा लाभान्वितों में संचारगत अन्तराल के मध्य पुल के रूप मे कार्य करने हेतु महिलाओं को उचित स्तरों पर आयोजन प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहिए।

निष्कर्ष–उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है इक्कीसवी सदी के प्रवेष द्वार की दहलीज पर खड़े भारत मे आज महिलाओं की स्थिति विषम ही हैं। महिलाओं की स्थिति हर क्षेत्र में द्वितीय श्रेणी के नागरिक की है अनगिनत कृत्यों का संपादन किया जाने लगा उत्तरदायित्व वहन किये जाने के बावजूद उन पर व्यय करना अथवा विनियोग करना समाज की दृष्टि से आज भी आवश्यक नही माना जाता। महिलायें स्वयं भी भावनात्मक से परिपूर्ण होने के कारण पुरूष वर्ग की स्थिति को दृढ़ करने का प्रयास करती है तथा स्वयं को नजर अंदाज कर देती है। अतः भारत सरकार द्वारा उनके विकास हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है तथा नीतियों को इस प्रकार निर्धारण करने का प्रयास किया जा रहा है कि महिलाएं आत्म–जागृत होकर स्वयं की स्थिति को सुध ारने तथा पीढ़ी व राष्ट्र के विकास के कगार पर पहुंचाने मे पूर्ण सहयोग प्रदान कर सके।

महिला शक्ति आज विश्व में सबसे अधिक बड़ी शक्ति बनकर उभरी है। जिसे न दबाया जा सकता है, न उसको कम किया जा सकता हैं। हर महिला के अन्दर एक ऐसी शक्ति छुपी हैं, अगर वह पूर्ण रूप से प्रज्जवलित कर ले तो किसी भी शक्ति ताकत का सामना पूरे साहस के साथ कर सकती है। आज महिला अबला नही है, आज महिला अबला नहीं दुर्बल नहीं पर हां दुर्बल की सहायक जरूर बन गई। कि महिला, पुरूषों किसी भी तरह कम नहीं आंकी जा सकती हैं। पुरूषों से किसी तरह कम नही ऑकी जा सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. दुबे, श्यामचरण, 1994 शिक्षा, समाज और भविष्य, राधा कृष्ण, प्रकाशन नई दिल्ली।
2. नारायण, योगेन्द्र, 2000, जनसंपर्क और लोक सेवक, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ।
3. मुकर्जी, रविन्द्रनाथ, सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
4. तारापाल, 2009 गाँधी का जनतंत्र, ममता प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. www.countercurrents.org
6. www.youthkiawaz.com
7. www.bhaskar.com/mp/bhopal
8. www.articles.ecoromictimes.in diatimes.com
9. http://en.m.wikipedia.org/wiki/satnadistric.in

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

कृषक असन्तोष रीवा जिले के जवा तहसील के शिवपुर गाँव के विशेष संदर्भ में

❑ सतीश कुमार द्विवेदी*
❑ डॉ. (श्रीमती) शाहेदा सिद्दीकी**

शोध सारांश

कृषक असन्तोष ग्रामीण क्षेत्र की एक प्रमुख सामाजिक समस्या है जो कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में विद्‌यमान है। मेरे द्वारा रीवा जिले के शिवपुर गाँव का सर्वे किया गया तो क्षेत्र के अधिकांश कृषक जानवरों की ऐरा प्रथा एवं सिंचाई की समस्या से त्रस्त थे। ज्यादातर लोग दिन भर अपने घरों में बिना कार्य के रहते थे व रात में अपने खेतों में जाकर उसकी रखवाली करते थे। इससे बड़ी बिडंबना क्या हो सकती है ? शिवुर गाँव के पास ही एक पहाड़ी की तथा एक नाला व एक पक्की सड़क (रीवा डभौरा मार्ग) जो गाँव को कई टोलों में विभाजित करती थी। गाँव के लोगों का कहना था कि यदि नाले में स्टाप डैम का निर्माण करा दिया जाये तो पहाड़ी का पानी जो बह जाता है नाले में काफी समय तक संचित रहेगा, जिससे सिंचाई व पेयजल की समसरूा से छुटकारा पाया जा सकता है।

मुख्य शब्द :– ऐरा प्रथा स्टाप डैम, कृषक असन्तोष, शिवपुर इत्यादि।

प्रस्तावना

शिवपुर गाँव मध्यप्रदेश के रीवा जिले के जवा तहसील स्थित है। यह रीवा से 63 कि.मी. दूर डभौरा मार्ग के किनारे स्थित है। इस गाँव की आबादी लगभग ढ़ाई हजार है। यहाँ पर चार सौ पचास के ऊपर परिवार रहते हैं। इस गाँव की साक्षरता दर 74.09 प्रतिशत है। व लिंगानुपात 852 है।

कृषक असंन्तोष की समसया को जाँचने व परखने की दृष्टि से मेरे द्वारा वहाँ दिनांक 27.09.2019 से 31.08.2019 तक पाँच दिवसीय सर्वे कार्य किया गया। मैंने वहाँ पर 500 लोगों का साक्षात्कार कर अनुसूची के माध्यम से कृषक असन्तोष की समस्या को जानने का प्रयास किया जिसमें 100 कृषक परिवार थे। शिवपुर गांव में कई टोलों में बंटा था जिसमें शुक्लन टोला, कछियान टोला, केवटान टोला, पाण्डेन टोला, मुस्लिम बस्ती एवं हनुमान गढ़ी प्रमुख थे। मेरे द्वारा शुकलन, कछियन, मुस्लिम बस्ती, हनुमान गढ़ी एवं ठकुरन टोला का विशेष तौर पर अध्ययन किया गया।

* शोधार्थी, सहायक प्राध्यापक, शास. महाविद्यालय नादन, जिला–सतना (म.प्र.)
** एसोसिएट प्राध्यापक, शास. ठा. रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय, रीवा

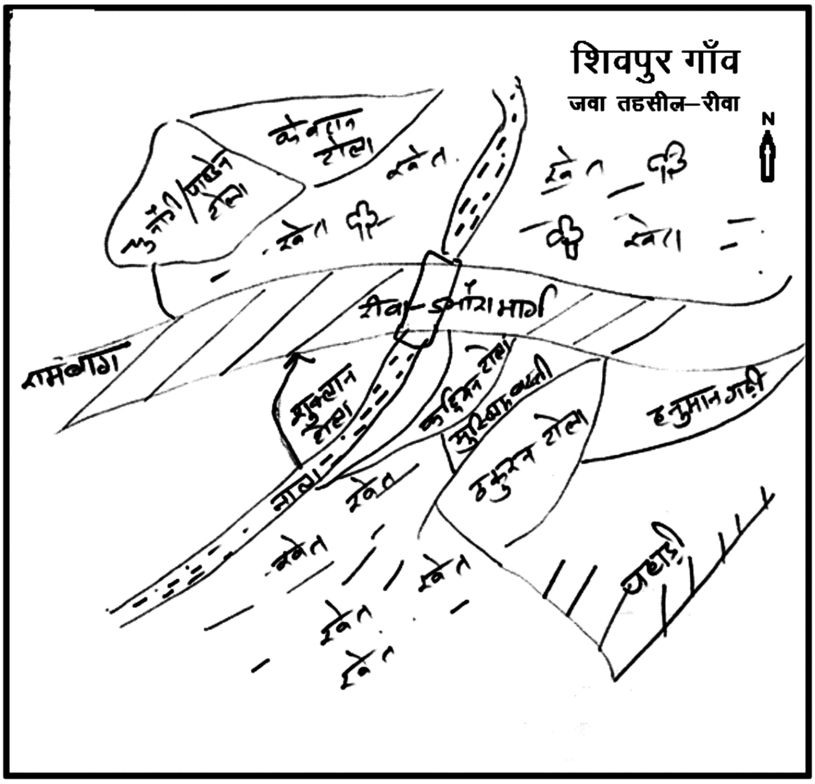

साहित्य का पुनरावलोकन

प्रस्तुत शोध कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य को सिद्ध करने के लिए पूर्व में कृषक असन्तोष पर किये गये शोध कार्यों पर भी दृष्टि डाली गई है। रीवा जिले के संदर्भ में अभी तक इस पर कोई कार्य हुआ नजर नहीं आता है।

भारतीय संदर्भ में कृषक असन्तोष को लेकर कई अध्ययन हुए हैं– विभिन्न समाजशास्त्रियों और शोधार्थियों द्वारा किये गये पूर्व अध्ययनों तथा उससे निकाले गये निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं–

Genesis of agrarian unrest (tension) in than javur Study by K.C. Alexander

के.सी. अलेक्जेण्डर का कहना था कि कृषक असन्तोष का कारण सामाजिक–आर्थिक विषमता है, इन्हीं के संबंध में के.सी. अलेक्जेण्डर ने पूर्वी तमिलनाडु के तंजाबुर जिले की दो तालुकाओं का अध्ययन किया।

के.सी. अलेक्जेण्डर का मानना था कि हरितक्रांति के कारण कृषकों में समृद्धता तो बढ़ी जबकि कृषक मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं हुई जिसके कारण मजदूरी को लेकर असन्तोष देखा गया। इसके अतिरिक्त समतावादी समाज जैसे सामाजिक मूल्यों के चलते मजदूर–कृषक मासिक जैसे परंपरागत संबंधों में परिवर्तन चाह रहे हैं। फलतः उनमें असन्तोष देखा गया।

आन्द्रे बेतई ने तमिलनाडु के 'तंजोर' जिले के अध्ययन में कृषक असन्तोष को ग्रामीण भारत की सर्वप्रमख समस्या माना है। बेतई का मानना है कि भूमि का असमान वितरण तथा कृषकों का सामाजिक–आर्थिक परिस्थिति के प्रति चेतना का विकास भी कृषक असन्तोष का एक प्रमुख कारण है।

Agrarian Unrest and economic change in rural Bihar - शीर्षक के अन्तर्गत प्रधान एच. प्रसाद लिखते हैं कि कृषक असंतोष का कारण भारतीय समाज में विद्यमान सामंती व्यवस्था व मनोवृत्ति है।

गुन्नार मिर्डल अपनी पुस्तक The Asian Drama में लिखते हैं कि भूमि सुधार कानूनों का सही ढंग से क्रियान्वयन न हो पाना ही भारत में कृषक असंतोष का एक बड़ा कारण है।

पी.सी. जोशी के अनुसार – हरित क्रांति ने कृषि कार्य को महँगा कर दिया जिसके कारण छोटे कृषकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा जिसकी परिणित कृषक असन्तोष में वृद्धि, कृषि कार्य में अरुचि एवं जातीय संघर्ष के रूप में हुई।

जी.एस. भल्ला एवं जी.के. चन्द्र का मानना है कि ''हरित क्रांति से यद्यपि उत्पादन में वृद्धि हुई किन्तु कृषि में पूँजीवाद को बढ़ावा एवं कृषकों के बीच आय गत असमानता में वृद्धि हुई।

India's deepening farm Crisis : 76% farmers want to give up farming CSDS survey 12 March, 2018 - Jyoti Sood

उद्देश्य

कृषक असन्तोष के अंतर्गत क्षेत्रगत समस्या को जानना व उसका परीक्षण करना।

शोध प्रविधि

इस शोध कार्य में अवलोकन एवं साक्षात्कार अनुसूची जैसी प्रविधियों का प्रयोग किया गया।

निष्कर्ष एवं विश्लेषण

निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि यद्यपि कृषक असन्तोष भारतीय ग्रामीण समाज की ऐतिहासिक समस्या है, किन्तु विगत कुछ दशकों से कृषि में यंत्रीकरण बढ़ा है जिससे हमारा पशुधन जिसमें बैल खासतौर से अब हमारे लिए बोझ बन गये, जिससे लोग गायों को तो अपने घरों में बाँधते हैं जबकि बैल व बछड़ों को छोड़ देते हैं, जिससे यह खेती के लिए बड़ी समस्या बन गये हैं। शिवपुर गॉव के लगभग 90 प्रतिशत कृषक जानवरों की ऐरा प्रथा से त्रस्त हैं, और खेती के लिए इसे अभिशाप समझते हैं। 50 प्रतिशत लोग सिंचाई की समस्या से जूझ रहे और उनके पास इसका भी समाधान की है किन्तु नेतृत्व की कमी के चलते अभी तक पहल नहीं हुई।

सुझाव

1. क्षेत्र के जन प्रतिनिधि जैसे सरपंच को इस समस्या के संबंध में पहल करनी चाहिए। जनभागीदारी से एक गोशाला का निर्माण हो जिसमें आवारा पशुओं के रखरखाव व खाने–पीने की व्यवस्था हो।

2. गोशाला में रखे पशुओं के मलमूत्र से गोबर व जैविक खाद के निर्माण की व्यवस्था हो ताकि पशु उत्पादक बन सके। इस जैविक खाद के बारे कृषकों को जानकारी दी जाये ताकि इसका विपणन कार्य किया जा सके।

3. लोगों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को कर्तव्यभाव से निभाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Genesis of agrarian unrest (tension) in thanjavur Study by K.C. Alexander Vol. 10, Issue No. 49, 06 Dec., 1975
2. Studies in Agrarian social structure 'Oxford University Press Delhi, 1979
3. Economic and Political Weekly Vol. 10 No. 24 (Jan 14, 1975)
4. Asian Drama, An Luguiry into the Poverty of Nations, The Penguin Press London, 1968
5. Bhalla, G.S. and Chandra G.K. E.P.W. Vol 17 No. 20 1982
6. अग्रवाल, अमित (2009) भारत में ग्रामीण समाज, विवेक प्रकाशन, दिल्ली पृष्ठ 300
7. देसाई ए.आर. (1997) भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं दिल्ली, पृष्ठ 61
8. सिंह, वी.एन. (1998) ग्रामीण समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन दिल्ली।
9. जिला सांख्यिकी पुस्तिका (2016) योजना एवं आर्थिक विभाग (म.प्र.)
10. मुखर्जी रवीन्द्रनाथ (2014) सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी।

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

वर्तमान समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति

❑ डा. राजकुमार शुक्ल*

शोध सारांश

अभ्युदय और विकास विश्व की चिरन्तन प्रक्रिया है एवं इस प्रक्रिया के क्रम में सृष्टि का कोई भी अंश अछूता नहीं रहा है। इसी क्रम में महिलाओं का मानव सृष्टि निर्माण में ही नहीं, वरन् समाज निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जहॉ एक तरफ महिलाओं और पुरुष मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं वहीं आदिकाल से लेकर आज तक विकास और प्रगति के आधार में महिलाओं और पुरुष का बराबर का योगदान भी रहा है। यही नहीं महिलाओं ने पुरुषों को सुःख और दुःख दोनों में निरंतर साथ देकर, उसकी यात्रा को सरल बनाकर, उसके अभिशाप को सहज भाव से झेलकर और अपने वरदानों से जीवन में अक्षय ऊर्जा भरकर, मानव ने जिस व्यक्तिव चेतना और हृदय की शक्ति का विकास किया है, उसी का पर्याय है– 'महिलाओं' यदि हम विश्व इतिहास पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि संस्कृति की नींव डालने का श्रेय सर्वप्रथम महिलाओं को ही दिया जाता है। शतपथ ब्राह्मण जैसे आदि ग्रंथों में महिलाओं को पुरुष की अर्द्धांगिनी कहा गया है। जिसके बिना पुरुष किसी भी कर्तव्य को प्राप्त नहीं कर सकता। परन्तु यहॉ यह कहना उचित प्रतीत होता है कि जिस महिलाओं से सृष्टि निर्माण में इतना योगदान दिया है और अपनी महत्ता को सिद्ध किया है, दुर्भाग्य से वही महिलाओं आज विभिन्न समाजों में तिरस्कृत, अपमानित और शोषित वर्गों में खड़ी नजर आती है जिसको अलग–अलग एवं विशिष्ट नामों से भी जैसे अबला, दासी, कुल्टा, डायन और बेचारी आदि नामों से जाना जाता है।[1]

परिचय

महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति पर यदि विचार किया जाए तो समय और स्थान के परिप्रेक्ष्य में काफी विभिन्नता और परिवर्तनशीलता देखी गयी है। भारतीय समाज में विशेष रूप से समय के साथ–साथ महिलाओं की प्रस्थिति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। वैदिक काल में विशेष रूप से ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति पुरुषों जैसी थी, परन्तु दुर्भाग्य से उत्तर वैदिक काल के पश्चात् हमारे समाज की मौलिक व्यवस्थाएँ रूढ़ियों के रूप में परिवर्तित होने लगी और फलस्वरूप महिलाओं में लज्जा, ममता और स्नेह के गुणों को उनकी दुर्बलता

* खण्ड समन्वयक अधिकारी, जनपद पंचायत त्योंथर, जिला–रीवा (म.प्र.)

समझकर पुरुषवादी समाज ने महिलाओं को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया और फलस्वरूप महिलाओं धीरे–धीरे परतंत्र, निसहाय और निर्बल बन गयी।

भारत के विशेष संदर्भ में महिलाओं की प्रस्थिति के बारे में एक विरोधासभा दिखता है क्योंकि जहॉ एक तरफ हमारी मौलिक सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को सम्पत्ति, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना जाता रहा है। जिसकी अभिव्यक्ति के रूप में लक्ष्मी, सरस्वती, सीता और दुर्गा की पूजा की जाती है वही दूसरी तरफ इसी समाज में आज महिलाओं समस्याओं और शोषण के ऐसे जाल से बंधी नजर आती है जिसकी जड़ें इसी सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवस्था में समाहित है, जिसको दहेज प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा एवं लैंगिक भेदभाव तथा अन्य अमानवीय प्रथाओं के रूप देख सकते हैं। भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति का आकलन वास्तविक रूप में तब तक नहीं हो सकता जब तक इसको स्थानीय, क्षेत्रीय, सामाजिक–सांस्कृतिक जाति, वर्ग, समुदाय, सम्प्रदाय के विशेष परिप्रेक्ष्य में न देखा जाए, क्योंकि भारत में महिलाओं की प्रस्थिति में स्थानीय, क्षेत्रीय एवं सामाजिक–सांस्कृतिक आधारों पर एक असमानता दृष्टिगोचर होती है।

सभ्यता के अंकुर के साथ जो अवधाराणायें आईं उसके अनुसार आखेट युग में जब शिकार मिलना कठिन हो गया, एवं दूर–दूर तक शिकार हेतु लोग जाने लगे तो सामाजिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ कि बूढ़े और बच्चे एक स्थान पर रुकें और स्त्रियॉ उनकी देखभाल करें तथा युवा व प्रौढ़ पुरुष शिकार की खोज में जायें। इस प्रकार महिलाओं को घर का दायरा मिला व पुरुष को बाहर का यह सामाजिक व्यवस्था का प्रथम चरण कहा जा सकता है। फिर जब शिकार की खोज में पुरुष कई कई दिन नहीं आते तो अपने आश्रित बूढ़े व बच्चों की उदरपूर्ति हेतु स्त्रियॉ कंदमूल लातीं। तभी उन्हें कुछ बीज मिले उन्होंने कुछ खाए कुछ बिखर गये। उन्हें अंकुरित होते देख महिलाओं ने उन्हें बोया यहॉ से कृषि शब्द प्रसूत हुआ। कृषि जिसके सहारे आज समस्त विश्व जीवित है कि जननी भी महिलाओं ही थी। क्रमशः यह व्यवस्था कि महिलाओं घर में रह कर बालक, वृद्ध की देखभाल करेगी और पुरुष बाहर जाकर शिकार करेगा। कालान्तर में कमाई करने बाहर जाएगा में परिवर्तित हो गई। लोकगीतों में इसका वर्णन है –

''बआरा बरसी घटन गया सी''

पूर्वांचल में भी इसी भाव के गीत हैं –

''रामा बारह बरिस क उमिरिया त,
हरि मोरा विदेसे गड़ले हो राम।
रामा बारह बरिस पर अइेनि
बगिया मां गोनी डालेनि हो राम।''

सभ्यता की गाथा के साथ ही सामाजिक स्थितियों के नियम–कायदे बनने लगे। विभिन्न जलवायु एवं प्राकृतिक विभिन्नताओं के अनुरूप समाजों की मान्यतायें बनने लगीं। चूंकि पुरुष वर्ग कमाई करके लाता था। अतः समाज की महिलाओं पर अपना प्रभुत्व जमाता था और शायद तभी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती को व्यावहारिक धरातल पर 'अबला'' की संज्ञा मिली।

महिलाओं के उत्तरदायित्व : परिवार के प्रति

परिवार राष्ट्र की इकाई है और परिवार का केन्द्र महिलाओं है। परिवार का प्रत्येक सदस्य कहीं न कहीं महिलाओं से बंधा है। महिलाओं विहीन परिवार, कोई अस्तित्व नहीं रखता। अतः परिवार में सुख, समृद्धि और सन्तुलन स्थापित करने का कार्य महिलाओं का ही है।

बाल मन एक गीली मिट्टी के गोले के समान होता है। उसे माता का प्रेम और कोमल भावना, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। शिवाजी, राजा मानसिंह, महाराणा प्रताप आदि को बनाने वाली उनकी मातायें ही हैं। गांधी जी कहते थे– ''हिन्दुस्तान का भविष्य तुम्हारी गोद में है क्योंकि तुम्हीं तो अगली पीढ़ी को पालोगी।'[2]

माता के अतिरिक्त परिवार में पत्नी, बहिन और पुत्री का भी महत्व है। माता के संरक्षण में लालन–पालन, पत्नी के साहचर्य में समस्याओं का समाधान, बहिन के

सहयोग से जीवन का शिक्षण एवं पुत्री के साथ स्नेह से भरा जीवन ही पुरुष को पूर्ण पुरुष बनाता है। एक संस्कृत का श्लोक है –

मात्रा समं नास्ति शरीर पोषणाम्।
भार्या समं नास्ति शरीर तोषणम्।।[3]

अर्थात माता के समान शरीर का पालन करने वाला कोई नहीं है और पत्नी के समान सेवा करने वाला कोई नहीं है।

समाज के प्रति :–

गांधी जी का विचार था कि महिलायें सामाजिक कार्यों के लिए आगे आए। वे उसी प्रकार सामाजिक कार्यो मं भाग लें जिस प्रकार वे परिवार का कार्य करती हैं।[4]

राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व :–

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने पूर्ण सहयोग दिया है। गांधी जी ने कहा कि– ''हिन्दुस्तान की औरतों ने देश के लिए गजब का कार्य किया है। तुमने चुपचाप दया की देवियों का कार्य किया है। तुमने अपना नगद रुपया और बढ़िया जेवर दिया है। तुमने घर–घर घूम कर चंदा किया है। तुममें से कुछ ने धरना देने में मदद की है। यह सब कुछ तुमने हिन्दुस्तान के खातिर, खिलाफत के खातिर और पंजाब के खातिर किया है। तुम्हारा त्याग सर्वथा शुद्ध है। उसमें क्रोध और घृणा की छाया भी नहीं होती।''[5]

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि गांधी जी राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के सहयोग की अपेक्षा करते थे। वे जानते थे कि महिलाओं और पुरुष समाज रूपी पक्षी के दो पंख हैं, जब तक दोनों पंख समान रूप से सबल और क्रियाशील नहीं होंगे, तब तक पंक्षी मुक्त गगन में उड़ान भरने में असमर्थ रहेगा। आज देश के सामने समस्या है सन्तुलन की, विश्वास की और स्थिरता लिए हुये विकास की। आज चारों ओर अराजकता, उच्छृंखलता, असामाजिक तत्वों का बोलबाला है। चारों ओर समस्यायें मुंह बायें हैं। ऐसे समय में शांति और रामराज्य की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब इस समस्या के समाधान के लिए महिलायें कार्यों का प्रारम्भ अपने परिवार से करें।

प्रायः सभी पुरुष प्रधान देशों एवं संस्कृतियों में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं रही है। भारतीय समाज इसका अपवाद नहीं है। कहा जाता है जिस समाज में महिलाओं की स्थिति जितनी मजबूत होगी समाज उतना ही विकसित और प्रभावपूर्ण होगा। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है– ''यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता'' इसके बावजूद आज भी समाज में महिलाओं को अबला की संज्ञा देते हुये सदैव अपमानित एवं पद्दलित किया जा रहा है। वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं का अस्तित्व एक संकटपूर्ण अवस्था में गुजर रहा है। यद्यपि प्रत्येक देश में महिलाओं को अधिक से अधिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा संबंधित अधिकार प्रदान करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहॉ पर महिलाएँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हों। सदैव से यातना एवं शोषण की शिकार रही महिलाओं के उन्नयन हेतु विश्व स्तर पर पहली बार संगठित प्रयास 1903 में अमेरिका में वुमेन ट्रेड यूनियन के गठन के साथ प्रारम्भ हुआ और कुछ अथक प्रयास के पश्चात् 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिवस में महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं की पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता है। भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण से आशय प्राथमिक रूप में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक, राजनीतिक दशाओं में सुधार लाना है। यद्यपि भारत में स्वतंत्रता पूर्व महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुये स्वतंत्रता बाद महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भारत सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। जिनमें सबसे प्रमुख

प्रयास वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया जाना है। इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिये प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1959 (1986 में यथा संशोधित), महिलाओं अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनिमय 1986, दहेज निषेध अधिनियम 1961, महिलाओं प्रथा निरोधक अधिनियम 1987, हिन्दू उत्तराधि ाकार, अधिनियम 2005, घरेलू उत्पीड़न से सुरक्षा अधि ानियम 2005, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव में महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था, बाल विवाह प्रतिषेध ा विधेयक 2006 तथा 15 फरवरी 2006 में विवाह में रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता संबंधित निर्देश इत्यादि महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण न्यायिक कदम हैं। यही नहीं, महिला सशक्तिकरण को मूर्त स्वरूप देने के लिये भारत सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम जैसे स्वाधार, स्वावलम्बन, स्वशक्ति, स्वयंसिद्वा, महिला समाख्या, आशा योजना, स्टेप, किशोरी शक्ति योजना, जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना, वंदेमातरम योजना, बालिका समृद्धि योजना, बिल योजना इत्यादि प्रमुख रूप से कार्यरत हैं।

बाल विवाह :–

बीसवी सदी में जब मानव चांद पर पहुंच चुका है हम अपने में ऐसी कुप्रथायें और रूढ़ियां समेटे बैठ हैं जो कि 18वीं शताब्दी की हैं। पर्दा प्रथा, गहनों के प्रति लगाव के अतिरिक्त आज भी गांव देहातों में बाल–विवाह प्रथा चालू हैं। गांधीजी सदैव सामाजिक बुराईयों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाते रहे हैं।[6]

''जो लड़की गोद में बैठने लायक ही हो, उसे पत्नी बना लेना धर्म तो नहीं ही है, लेकिन अधर्म की पराकाष्ठा जरूर है। मैं हिन्दुस्तान के हर युवक से यह आशा रखता हूँ कि वह 16 बरस से नीचे की लड़की से ब्याह न करने का निश्चय कर लें।'' आज देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का एक कारण बाल विवाह भी है।

अशिक्षा :–

विकास की महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षा है। अशिक्षित अथवा अल्प शिक्षित राष्ट्र में कोई भी सामुदायिक विकास योजना सफल नहीं हो सकती। महात्मा गांध ाी ने अपने जीवन और शिक्षण के द्वारा प्रजा को अपने देश की राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जागृत किया था। आपने इस सत्य को स्वीकार किया है कि जब तक समाज को महिलाओं का सहयोग प्राप्त नहीं होता, तब तक समाज का सर्वांगीण उन्नति असंभव है।[7]

भारत में लगभग 80 प्रतिशत महिलायें अशिक्षित हैं। उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति एवं अपने आसपास के समाज के अतिरिक्त राष्ट्रीयता का कोई भी ज्ञान नहीं है। मतदान के अवसर को एक पांचसाला त्यौहार मानकर जिस ओर समस्त गांव मत देता है उसी ओर अपना मत भी दे देती हैं। आज देश की महिलाओं को अपनी उन्नति के लिए सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं किन्तु वे उनका सदुपयोग अशिक्ष के कारण नहीं कर सकती हैं। आज देश को ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो देश को इस निरक्षरता के अभिशाप से मुक्त कर सके।[8]

समाज और परिवार की महत्वपूर्ण इकाई महिलाएँ, जो आधी दुनिया के नाम से जानी जाती हैं के प्रति सामाजिक अवधारणा बहुत सकारात्मक नहीं है। आध ुनिक काल के महिलाओं उत्थान के विविध आन्दोलन, सामाजिक इकाइयों के उपक्रम, महिलाओं के बारे में अपनी क्रियाशीलता का दिग्दर्शन तो करते हैं परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उन्हें अधिकार सम्मत बनाने में सफल नहीं हो रहे हैं।

समाज में जहॉ स्वाभाविक रूप से महिलाओं पर अपेक्षाकृत नियंत्रण कम है वहॉ भी पुरुषवादी अहं सिर चढ़कर बोलता दिखता है। जनजातीय महिलाएँ स्वयं श्रमकर भरण पोषण योग्य सामग्री का संचय करती हैं। पति और बच्चों के परिवरिस को लेकर चिंतित और चौकन्नी रहती हैं। फिर भी पुरुषों की प्रताड़ना का शिकार और उपेक्षापूर्ण व्यवहार से आहत

रहती है। अध्ययन के दौरान देखा गया कि महिलाओं के प्रति सजगता, पुरुषों में कम दिखती है। यौनिक क्रियाओं से लेकर, संतानोत्पत्ति, खान–पान, पति की आकांक्षा, कुल की रीति–नीति मान्यताओं का पालन आदि ऐसी स्थितियाँ हैं जिनके पालन का दायित्व समाज महिलाओं का मानता है।

समाज का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण के अध्ययन के दौरान उभरने वाले विभिन्न कारकों की सूचीबद्धता से स्पष्ट होता है कि उनके प्रति समाज का दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक नहीं है। महिलाओं ने उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण, भेदभाव, सामाजिक स्वीकारोक्ति का अभाव जैसे कारकों की चर्चा साक्षात्कार के दौरान किया है। इन समस्याओं के अलावा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण के तहत समाज का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण का आकलन किया जा सकता है।

सामाजिक दृष्टिकोण :–

महिलाओं के प्रति समाज की सोच दोयम दर्जे की रही है। बात भारतीय परिदृश्य की करें या पाश्चात्य हर जगह महिलाएँ विसंगतियों की शिकार हैं। अहंवादी पुरुष समाज जरूरत के अनुसार महिलाओं के प्रति अवधारणा का गठन कर लेता है। महिलाओं की यह सर्वमान्य स्थिति है। वे चाहे अभिजात्य वर्ग की हों या किसी अन्य की। बहुत ही कम परिदृश्य ऐसे दिखते हैं जहाँ महिलाएँ ससम्मान वैयक्तिक स्वतंत्रता के साथ रहती हों?

समाज का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण कैसा है इस मुद्दे के यथार्थ का अध्ययन करने के लिए महिलाओं के अनुभव और अनुभूतियों का संकलन कर वस्तुस्थिति की जानकारी की कोशिश की गयी। इस संदर्भ में प्राप्त मतों और तथ्यों का वर्गीकरण निम्न सारणी में किया गया है।

सारणी क्रमांक – 1

महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण का वर्गीकरण

क्रमांक	सामाजिक दृष्टिकोण	संख्या	प्रतिशत
1	साकारात्मक है	24	08
2	साकारात्मक नहीं है	270	90
3	कह नहीं सकते	06	02
	योग	300	100

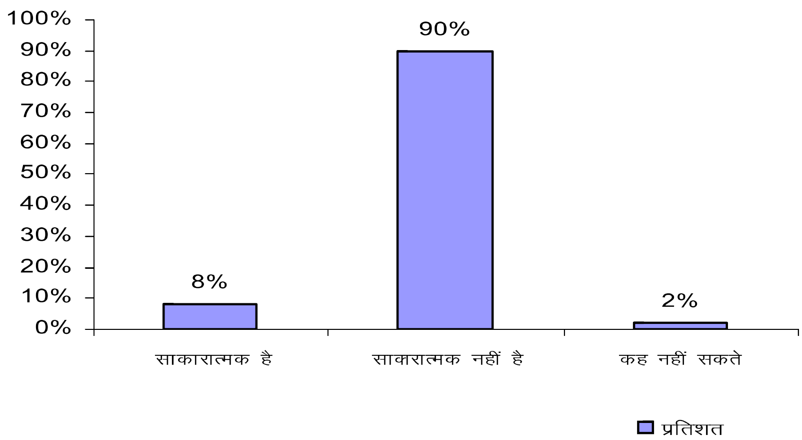

सारणी से स्पष्ट है मात्र 08 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसा मानती हैं कि समाज का उनके प्रति दृष्टिकोण साकारात्मक है जबकि 90 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि समाज का दृष्टिकोण उनके प्रति साकारात्मक नहीं है। समाज का दृष्टिकोण सकारात्मक न होने के पीछे संभावित कारक कौन–कौन से हो सकते हैं पर विचार करने और मत प्रकटीकरण के लिए महिलाओं को प्रेरित किया गया जिस पर महिलाओं के उत्तर स्वाभाविक रहे। जिसका वर्गीकरण निम्न सारणी में किया गया है।

सारणी क्रमांक –2
महिलाओं के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	भेदभावपूर्ण	76	25.5
2	उपेक्षापूर्ण	124	41.2
3	स्वीकारोक्ति का अभाव	60	20
4	अन्य	40	13.3
	योग	300	100

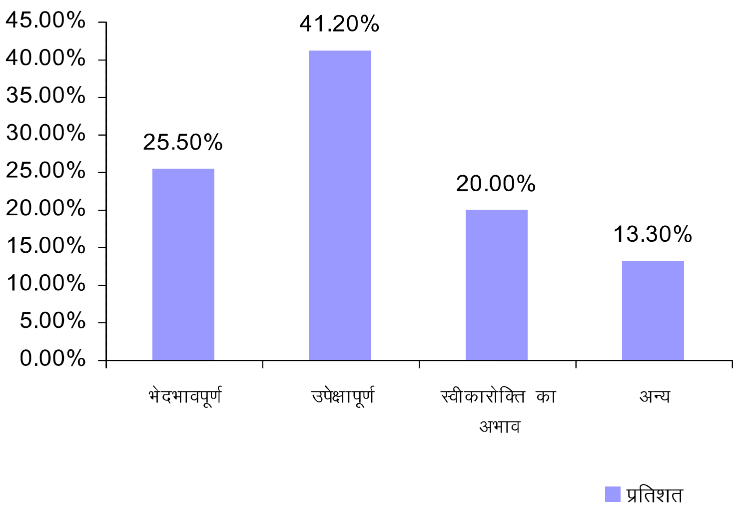

सारणी से स्पष्ट है कि 41.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि शेष समाज का उनके साथ व्यवहार उपेक्षापूर्ण है जबकि 25.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है उकने साथ सामाजिक भेदभाव होता है। 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उनके प्रति सामाजिक स्वीकारोक्ति का अभाव है जबकि 13.3 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य विभिन्न कारणों का इस संदर्भ में उल्लेख करते हैं।

इस प्रकार प्राप्त अभिमतों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण अभी भी सकारात्मक नहीं है। उनके साथ भेदभाव, उपेक्षापूर्ण व्यवहार और सामाजिक स्वीकारोक्ति अभी भी नहीं मिल सकी है।

सिनेमा एवं टी.वी. :–

बहुत कम महिलाएं मनोरंजन के लिए सिनेमा एवं टी.वी. का प्रयोग करती हैं। कार्य की अधिकता और

व्यस्तता के कारण इन्हें भरपूर स्वस्थ्य मनोरंजन नहीं मिल पाता है। खाली समय में इनके यहां के पुरूष वर्ग ताश खेलते हैं या रेडियों सुनते हैं। ताश के आड़ में जुआ खेलते हैं। साथ ही बरसात के खाली समय में यदा–कदा अपना मनोरंजन दादरा व ढोलक की थाप से भी करते रहते है। महिलाएं घर में पति, बच्चे और बड़ों की सेवा में ही पूरा समय बिताती हैं और घर के बाहर मजदूरी बगैरह में पूरा समय लग जाता है।

मनोरंजन स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक माना गया है। वर्तमान युग में मनोरंजन के नए–नए आधुनिक तरीके इजाद हुए हैं। इन सबके बावजूद भी इस भाग दौड़ की दुनिया में रूपये कमाने और पेट–भरने के लिए लोगों को मनोरंजन की फुर्सत नहीं मिलती है।

शोधार्थी ने निरीक्षण के द्वारा पाया कि गरीब व अशिक्षित महिलांए मनोरंजन के महत्व को नहीं समझ पा रही हैं। दूसरा उनके यहां मनोरंजन की वस्तुओं का अभाव भी होता है। परिणाम स्वरूप इन आदिवासी महिलाओं में चिड़चिड़ापन, निराशा, हतासा, ग्लानि, क्रोध या अपशब्दों आदि मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, जिससे परिवार में झगडा, बच्चों से मारपीट व दाम्पत्य जीवन में दरारे आदि कुअवसर अधिक होते हैं। साक्षात्कार के दौरान रीवा जिले की महिलाओं ने जो मनोरंजन के साधन बताये वे निम्न है–

सारणी क्रमांक–4
मनोरंजन के साधन का वर्गीकरण

क्रमांक	साधन	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1	टी.वी.	225	75
2	रेडियों	21	07
3	टेप रिकार्डर	24	08
4	अन्य	30	10
	योग	300	100

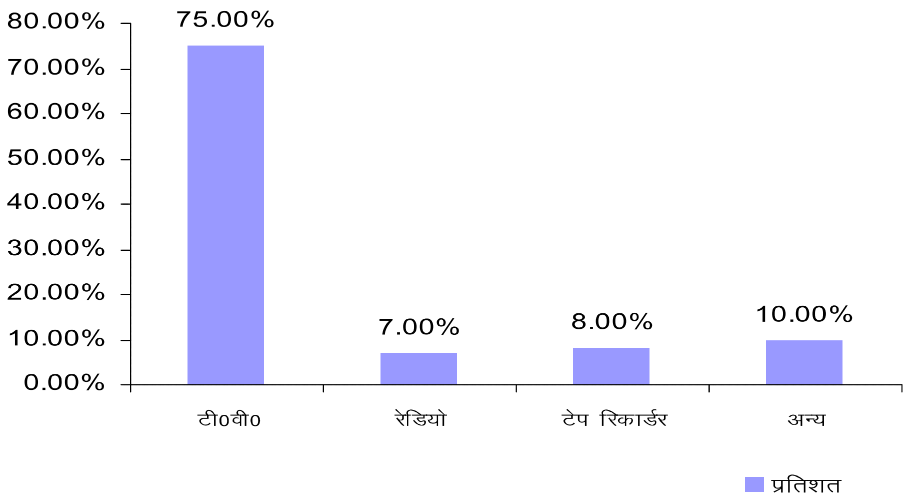

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र के न्यादर्श में चयनित 300 उत्तरदाताओं से मनोरंजन के साधनों के संबंध में प्रश्न पूछे गये जिसमें 300 में से 75 प्रतिशत उत्तरदाता मनोरंजन के साधन के रूप में टी0वी0 का प्रयोग करते हैं। 07 प्रतिशत उत्तरदाता रेडियो का 08 प्रतिशत टेप रिकार्डर का एवं 10 प्रतिशत अन्य साधने का प्रयोग अपने मनोरंजन करते हैं।

त्यौहार :–

भारत एक धर्म प्रधान देश है। जिसके कारण यहा प्रति माह कोई न कोई त्यौहार उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। जिले में हिन्दू धर्म के अनुयायी अधिक हैं इसीलिए हिन्दू धर्म के तहत मनाये जाने वाले सभी त्यौहारो को धूम–धाम से मनाते हैं। भारत में मनाये जाने वाले लगभग सभी त्यौहार किसी न किसी धार्मिक कारणों पर आधारित होते हैं। महिलाऍं भी इन धार्मिक कारणो को मान्यता देते हैं तथा धार्मिक भावनाओं का आदर करते हैं। ये लोग मुख्य रूप से दशहरा, दीपावली, होली, रामनवमी, कृष्णजन्माष्टी, बसंत–पंचमी, तीजा, नागपंचमी एकादशी, मंकर सक्रांति, आदि त्यौहारों को धूम–धूम से मनाती हैं।

यह देखा गया कि ये रीवा जिले की महिलाऍं मकर संक्रांति, होली, तीजा, कजलइयां तथा नागपंचमी, एकादशी को दूसरे त्यौंहारों की अपेक्षा अधिक अच्छे तरीके से मनाती हैं। ये त्यौहार सामूहिक रूप से मनाती हैं साथ ही यह भी देखा गया कि इन महिलाओं के लिए मंहगाई के इस युग में त्यौहारों को धूम–धाम से मनाना एक बहुत बड़ी समस्या हैं फिर भी आर्थिक तंगी के चलते ये किसी न किसी तरह इन त्यौहारों को मनाती हैं।

निष्कर्ष :–

चूँकि अपरिपक्व महिलाऍं समाज में अपना ज्यादा योगदान नहीं दे सकती है इसलिए 1978 के बाल–विवाह अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह योग्य आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी और बाल–विवाह को संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया। इसके बाद भारतीय संसद ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता और अपराध प्रक्रिया संहिता आदि में व्यापक संसोधन किए ताकि महिला उत्पीड़न के मामले रोके जा सकें। महिलाओं की खरीद–फरोख्त तथा वेश्यावृत्ति को गैर–कानूनी घोषित किया गया। दहेज विरोधक कानून के द्वारा दहेज लेने व देने को अपराध मानते हुए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया।

संदर्भ स्रोत :–

1. ज्योत्सना तिवारी, नारी तमाम मोर्चों पर भारी लेख परिदृश्य, 2002
2. गांधी जी की डायरी से
3. नीतिशास्त्र
4. विथ गांधी जी इन सीलोन, पृ. 145–148
5. विथ गांधी जी इन सीलोन, पृ. 145–148
6. यंग इण्डिया, 9.9.26
7. डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव, 21वीं सदी का महिला सशक्तीकरण मिथक एवं यथार्थ ओमेगा पब्लिकेशन दिल्ली प्रथम संस्करण 2010, पृ0 47
8. डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव, 21वीं सदी का महिला सशक्तीकरण मिथक एवं यथार्थ ओमेगा पब्लिकेशन दिल्ली प्रथम संस्करण 2010, पृ0 49

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

जनपद जौनपुर में पर्यावरणीय समस्याएँ एवं संरक्षण (एक भौगोलिक अध्ययन)

❐ अर्चना तिवारी*
❐ डॉ. बी.के. शर्मा**

शोध सारांश

प्राकृतिक वातावरण पृथ्वी पर जीवन के आस्तित्व में एक बड़ी भूमिका निभाता है, और यह मनुष्यों पशुओं और अन्य जीवित जीवों को बढ़ने और स्वाभाविक रूप से विकसित होने में मदद करता है। लेकिन मनुष्यों के कुछ स्वार्थी गतिविधियों के कारण हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है।

आज पर्यावरण समस्या एक देश की नही बल्कि पूरे विश्व की समस्या बनी हुई है। हमारा देश भारत भी पर्यावरणीय समस्या से जूझ रहा है, इस समस्या के निवारण का दायित्व अकेले भारत सरकार पर नहीं है बल्कि देश क प्रत्येक नागरिक का यह पहला कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद जौनपुर भी अनेंक समस्याओं से आक्रान्त है लेकिन इसके संरक्षण के लिए भी जनजागरूकता बढ़ायी जा रही है तथा इसके तहत अधिक से अधिक वृक्षारोपण कार्यक्रम के जरिये वृक्ष लगवायें जा रहे है।

परिचय–

पृथ्वी पर मानव के उद्‌विकास का मूल कारण पर्यावरण है। पर्यावरण की सुरक्षा करना मानव का मूल कर्तव्य है आज सम्पूर्ण जगत पर्यावरणीय संकट से ग्रस्त है जनपद जौनपुर भी इस समस्या से अछुता नही है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार सम्पूर्ण पृथ्वी के 33: भूभाग पर वन का होना सुनिश्चित किया गया है। परन्तु जनसंख्या वृद्धि के साथ ही वनों का भारी विनाश हुआ घने हरे–भरे जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया गया, आवास बनाया गया, उद्योग धन्धे कल कारखाने स्थापित किये गये, जिस कारण प्राकृति पर्यावरण का भारी अवनयन हुआ।

पर्यावरण उन सभी दशाओं का योग है, जो कि समस्त जीवधारियों के जीवन और विकास को प्रभावित करता है। पृथ्वी के वर्तमान पर्यावरण को बनने में करोडों वर्ष का समय लगा। आज से लगभग पाँच अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर न जल था न ही जीवधारी थे। पर्यावरण के विभिन्न तत्वों की परस्पर अर्न्तक्रियाओं

* शोधार्थी (नेट, जेआरएफ), ए.पी.एस. यूनिवर्सिटी रींवा, मध्य प्रदेश
** शोध निर्देशक, टी.आर.एस. कालेज रीवा, मध्य प्रदेश

के परिणामस्वरूप धीरे–धीरे जैविक पदार्थों का विकास होता गया। मानव पर्यावरण का अभिन्न अंग है अपने जन्म के साथ ही मानव पर्यावरण का उपयोग करने लगा था। मानव प्रगति के साथ यह उपयोग बढ़ता गया। आदिमानव पर्यावरण का उपयोग सीमित रूप से करता था अतः पर्यावरण सन्तुलन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। औद्योगिक तथा तकनीकी विकास के साथ पर्यावरण का दोहन बढ़ता गया और अनेक पर्यावरण समस्याएँ उत्पन्न हो गयी।

अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक दशाएँ–अध्ययन क्षेत्र जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है यहॉ की भौगोलिक स्थित मानव जीवन के सम्पूर्ण विकास के लिए काफी उत्तम है। मानव और पर्यावरण के बीच काफी गहरा सम्बन्ध होता है। अनुकूल वातावरण होने के कारण ही यहॉ सघन जनसंख्या निवास करती है यहॉ की सॅम्पूर्ण जनसंख्या 2011 के अनुसार 4476072 है जिसमें 2217365 पुरूष जनसंख्या 2258437 महिलाएं है, तथा यहॉ का जनघनत्व दशांए पायी जाती है,

1. तापमान
2. वर्षा
3. मृदा
4. वनस्पति
5. धरातलीय स्वरूप
6. वायुदाब एवं हवांए

1. तापमान–जौनपुर जिले का तापमान काफी उतार–चढ़ाव वाला है यहॉ शीत ऋतु का तापमान 10°C से 25°C तक ग्रीष्मऋतु का तापमान 25°C से 49.6°C तक हो जाता है। वर्ष का औसत तापमान 300ϲ है। इस क्षेत्र के तापमान का अध्ययन वर्ष की मौसमी दशाओं के अनुसार माह में वर्गीकृत किया गया है।

1. ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून तक
2. वर्ष ऋतु 15 जून से 15 अक्टूबर तक
3. शीत ऋतु 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक

जनपद जौनपुर की जलवायुविक दशाएं (2011)
तापमान (डिग्री से सेल्सियस में)

माह	अधिकतम	न्यूनतम	औसत	वर्षा (सेमी0)	सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत में)	वायुदाब (मिली0 में)
जनवरी	17.6	6.4	12.00	1.61	81	1018.00
फरवरी	25.6	13.5	19.55	8.28	83	1014.30
मार्च	31.4	16.2	23.80	0.01	56	1010.50
अप्रैल	39.6	22.4	31.00	3.83	64	1004.35
मई	40.6	25.0	32.80	0.00	46	1009.90
जून	38.7	26.6	32.65	16.92	87	996.50
जुलाई	33.7	25.5	29.60	36.16	88	999.50
अगस्त	33.3	25.5	29.40	33.76	85	999.85
सितम्बर	32.5	24.5	28.50	37.61	84	1004.74
अक्टूबर	31.8	20.7	26.25	1.66	82	1010.20
नवम्बर	29.8	13.2	21.50	0.00	75	1014.15
दिसम्बर	24.3	9.2	16.75	0.12	71	1011.20

ग्रीष्म ऋतु में यह क्षेत्र अत्याधिक तप्त हो जाता है। इस समय यह क्षेत्र झुलसाने वाली है धूलभरी आँध ी और अत्यधिक कष्टकारी तापमान के प्रभाव में रहता है। ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो जाता है।

2. **वर्षा–** अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो जाती है जून से सितम्बर के बीच सम्पूर्ण मध्य गंगा के मैदान में द0 पं0 मानसून बंगाल की खाड़ी द्वारा वर्षा प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में वर्षा की अनिश्चितता और अनियमितता के कारण सूखे की समस्या बनी रहती है तथा यहाँ पर वर्षा ऋतु में उमस बनी रहती है।

मिट्टी–इस क्षेत्र में पायी जाने वाली प्रमुख मिट्टी दोमट है जलोढ़ मिट्टी दोमट मिट्टी, बलुई चिकनी मिट्टी तथा सिल्ट का मिश्रण होता है जिले में मुख्यतः पाँच नदियाँ प्रवाहित होती है।

1. सई
2. गोमती
3. बसही
4. वरना
5. पीली

इस क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी में सभी प्रकार की खाद्यान फसले उगायी जाती है।

वनस्पतियाँ–वनस्पतियाँ प्राकृतिक वातावरण की एक महत्वपूर्ण उपज है। जो मनुष्य को प्राकृतिक वातारण से सम्बन्ध स्थापित कराती है। अध्ययन क्षेत्र में आज से 20 साल पहले पर्याप्त मात्रा में वन थे परन्तु 2019 में वनों का अभाव पाया जाता है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत प्राकृति वनस्पतियों में आम, नाम, जामुन, बबूल, पीपल, गुलर, बॉस, बेर, महुआ, आदि के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाये जाते है। तथा पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर, तथा कटीली झाड़ियां यत्र–तत्र पायी जाती है। तथा उपरोक्त वनस्पतियों में मानव द्वारा फल इमारती लकड़ी तथा उद्योगों के कच्चे माल के लिए लगाई जाती है जिसमें अमरूद, केला, बेल करौदा, नीबूं, शहतूत, शहजन, पपीता, अनार, ऑवला, शीशम, सागौन आदि।

धरातलीय स्वरूप– अध्ययन क्षेत्र का धरातलीय स्वरूप समतल उपजाऊ मैदान है जो हमेशा से यहॉ के निवासियों के लिए आजीविका का प्रमुख साधन रहा है तथा आज भी आजीविका का मुख्य साधन कृ षि हैं। वर्तमान में विकास कार्यो एवं जनसंख्या कार्यो एवं जनसंख्या में वृद्धि से प्रतिव्यक्ति कृषि भूमि घटती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप श्रम का अधिक्य है। जो पूर्णतः सीमित कृषि भूमि पर बोझ बना हुआ है।

वायुदाब एवं हवाएँ–वायु में भार होता है और यह पृथ्वी तल पर दबाव डालती है इसे ही वायुदाब कहते है। समुद्र तल पर वायुदाब सबसे अधिक होता है और यह ऊचांई के साथ–साथ घटता जाता है, पृथ्वी पर रह स्थान पर वायुदाब एक जैसा नही होता है और न हर समय एक जैसा रहता है। हवाओं का वेग तथा उनकी दिशा जलवायु पर विशेष प्रभाव डालती है। अध्ययन क्षेत्र में ग्रीष्म काल में द0पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर हवाएँ चलती है जो कि शुष्क रहती है। मानसून के समय हवाएँ द0प0 से चलती है कभी–कभी उत्तरी पं0 दिशा से पछुआ हवाएं चलती है, जो शीत लहर का रूप धारण कर लेती है।

पर्यावरण द्वारा की समस्या– पर्यावरण हास की समस्या आज पूरे विश्व में एक गम्भीर समस्या बनी हुयी है पर्यावरण जैविक तथा अजैविक तत्वों का समूह पर्यावरण सन्तुलन के लिए इन सभी तत्वों का एक निश्चित अनुपात में बने रहना आवश्यक है। जब प्राकृतिक या मानवीय कारणों से किसी भी तत्व के अनुपात या गुणवत्ता में परिवर्तन आता है, तो पर्यावरण का ह्रास होने लगता है।

पर्यावरण ह्रास के दो प्रमुख कारण है–

1. प्राकृतिक कारक
2. मानवीय कारक।

प्रकृतिक की अनेक क्रियाएं पर्यावरण ह्रस का कारण बनती है। इन्हे विद्वानों ने प्राकृतिक प्रकोप

प्राकृतिक आपदा तथा पर्यावरण आघात भी कहा जाता है। प्रकृति की इन क्रियाओं में सूखा, बाढ़, भूकम्प, ज्वालामुखी, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरूस्थलीयकरण आदि सम्मिलित है।

पर्यावरण ह्रास के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारकों का प्रभाव सीमित स्तर पर होता है तथा इन्हें नियन्त्रित करना मानव के बस की बात नही है। किन्तु मानवीय क्रिया कलापों का प्रभाव व्यापक स्तर पर होता है। मानव अपनी भौतिक सुविधाओं व प्रगति के लिए अनेक ऐसे कार्य कर रहा है, जो पर्यावरण ह्रास के मुख्य कारण है इनमें उपभोगवादी संस्कृति , वन विनाश, वन विनाश, वन्य जीवों का विनाश कृषि व पशुपालन , अधिक सिंचाई, जनसंख्या वृद्धि, आद्यौगिकरण नगरी, करण, बड़े बाँधों का निर्माण, खनन, ऊर्जा का अधिक उपभोग आदि सम्मिलित है।

अध्ययन क्षेत्र जिला जौनपुर में भी औद्योगिक विकास और शहरीकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जल प्रदूषण की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है जल प्रदूषण के कारण जहा लोग पेट सम्बन्धी बिमारी की चपेट में आ रहे है। शहरी इलाके में पानी का टीडीएसस इतना अधिक है पानी पीने लायक नही रह गया है। वहीं ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के कारण लोगों में तनाव और सांस की बिमारी तेजी से बढ़ रही है। यह समस्या सड़क के किनारें बसे लोगो में अधिक देखा जाता है।

ग्रामीण क्षेत्र में बसे लोग भी अनेक प्रकार की बीमारियों से परेशान हैं, शाहगंज नगर पालिका परिषद द्वारा फूलपुर तहसील के बिलारमऊ के पास खुले में ही कंचरा डंप किया जा रहा है। लखनऊ बलिया मार्ग के किनारे खुले में फेकें जा रहे कचरे से प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। वहीं राहगीरों को भी आवागमन में परेशानी हो रही है। कचरा आस–पास के खेतों में भी जा रहा है जिससे किसानों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। यही नहीं तमाम आदेशों के बाद भी सड़क के किनारे कचरा जलाया भी जाता है। इससे जहरीला धुआं आस–पास के गाँवों में जाता है बच्चों और बुजुर्गों में दमा जैसी बीमारियों के बढ़ने की आशंका बढ़ती जा रही है लोगों का कहना है कि अभी अपने जिले में कचरा की समस्या है वहीं अब जौनपुर के कचरे को भी झेलना पड़ रहा है।

नगर पालिका परिषद शाहगंज का कई टन कूड़ा जिले की सीमा से सटे फूलपुर तहसील के बिलरामऊ में गिराया जा रहा है। इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण से पब्लिक में काफी रोष है उधर स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है।

जौनपुर जिले में स्थित शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्रदूषित है। यहाँ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण से प्रभावित लोग गांवों में आकर बस रहे हैं तथा गाँवों में भी धीरे–धीरे नगरीकरण का प्रभाव बढ़ रहा है जिसका मुख्य कारण अधिक जनसंख्या का होना पाया गया है। यहाँ की सम्पूर्ण जनसंख्या 4476072 है तथा जनसंख्या घनत्व 1113 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बाग, बगीचों वनों का काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया जा रहा है शहरों का कुड़ा करकट नदियों में बहाया जा रहा है। इस जिले में मुख्य रूप से 5 नदियाँ प्रवाहित होती है जिसका नाम सई, गोमती, बसूही, बरना, पीली है। जौनपुर जिला गोमती नदी के किनारे स्थित है जिस कारण शहर का सारा कचरा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है जिससे जल प्रदूषण बढ़ने की आशंका है।

वृक्षों के कटने से हमारे पर्यावरण को भारी क्षति पहुँचती है क्योंकि एक वृक्ष अपने पूरे जीवन काल में लगभग 5.5 लाख रु0 की आक्सीजन, 6.5 लाख रुपये का मृदाक्षरण 11.5 लाख का वायु प्रदूषण दूर करता है। एक पेड़ के कटने से 34 लाख रु0 की हानि होती है। पूरी मानव जाति संकट में आ जाती है।

वायु प्रदूषण के कारण सांस के रोगियों की (दमा) संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रहा है। वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ0 बी0एस0 उपाध्याय का कहना है कि प्रदूषण के कारण दमा के मरीजों की संख्या

तेजी से बढ़ रही है। यदि हालात यही रही तो समस्या गम्भीर हो जायेगी सड़क पर दिन भर वाहनों के धुएँ के विषैली गैस निकलकर पर्यावरण में फैल रही है। जिसका मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरणविद डॉ0 डी0पी0 उपाध्याय का कहना है कि प्रदूषण के चलते पर्यावरण का ढाँचा ही पूरी तरह से बिगड़ गया है। जिसका मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है ओजोन परत का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। गर्मी बढ़ने के कारण ग्लैसियर का इलाका प्रभावित हो रहा है तथा गोमती नदी में टीडीएस 300 के स्तर तक पहुँच गया है।

अधिकारियों की उदासीनता लोगों में जागरूकता की कमी और उद्यमियों की लापरवाही ने जौनपुर की हवा में जहर घोल दिया है। पानी से लेकर हवा तक प्रदूषित हो चुका है। गांवों में पानी पीने योग्य नहीं रह गया, शहर में सांस लेना मुश्किल हो गया जिम्मेदार अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। प्रदूषण ने पर्यावरण की विकृति कर दिया है। पर्यावरण को सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण के उपाय– अध्ययन क्षेत्र में जल प्रदूषण मृदा प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण धीरे–धीरे काफी विस्तृत हो रहे हैं। इसके रोकथाम के लिए जगह–जगह पर्यावरण सुरक्षा के लिए जनजागरूकता फैलायी जा रही है तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम कराये जा रहे हैं। जिले के प्रायः सभी स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा महाविद्यालीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तहसील मड़ियाहूँ के अन्तर्गत क्षेत्र अम्बरपुर में स्थित स्व0 मालती सिंह महाविद्यालय के संस्थापक श्री अरविन्द सिंह (दारा) जी प्रतिवर्ष अपने महाविद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तथा महाविद्यालय के सभी छात्र और छात्राओं में 3000 वृक्षों का वितरण करते हैं तथा मछलीशहर के सांसद श्री बीपी सरोज जी ने अपने करकमलों से महाविद्यालय के प्रांगण में आम का वृक्ष लगाकर छात्र–छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के उपाय बताएं।

पर्यावरण संरक्षण अनिवार्य है इसलिए अधिक से अधिक पौधे लगाये, पौधों की रक्षा भी करें हमें वायु, जल, मृदा और पौधों जैसे प्राकृतिक पर्यावरणीय संसाधनों की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति सजग रहने की जरूरत है। जौनपुर में पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षकों की तरफ से काफी प्रयास किया जा रहा है। पर्यावरण सुरक्षा की जनजागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मछलीशहर क्षेत्र के शिवगोविन्द महाविद्यालय के प्रांगण में शुक्रवार को पौध रोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें पौधों के महत्व को बताया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ एसडीएम जे0 एन0 सचान ने नीम का पौधा लगाकर किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल उपाय पौधरोपण है। विद्यार्थियों से पौधरोपण की अपील करते हुये कहा कि सभी छात्र–छात्राएं अपने घर के आस–पास अधिक से अधिक मात्रा में पौधारोपण का कार्य करें तथा प्रधानाचार्य ने विद्यालय परिसर में 200 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया जिसमें नीम, बबूल, अशोक, आम, आदि प्रकार के पौधों को लगाने की योजना है।

पर्यावरण सुरक्षा के लिए जौनपुर जिले के जलालपुर विकास खण्ड के एक निजी होटल लहंगपुर में पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए ग्रीन ग्रूप का उद्घाटन करते हुये, नेवादा, लालपुर सिरकोनी, बाकराबाद, बाहदुरपुर 5 गाँवों की 100 महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए एक–एक पौधा दिया। फिर हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस ग्रीन ग्रुप में बीएचयू, काशी, विद्यापीठ, दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र है। पर्यावरण संरक्षण के लिए बीआरसी परिसर में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 7 सितम्बर को पर्यावरण संरक्षित जागरूकता कार्यक्रम में संचालित किया गया इस कार्यक्रम में "पॉलिथीन हटाओं बीमारी भगाओं" और उसके कुप्रभाव पर स्लोगन व कलाकृति बनाने वाले छात्रों को शील्ड देकर सम्मानित किया।

जौनपुर लायंस क्लब द्वारा सेवा सप्ताह में पर्यावरण संरक्षण के लिए अशोक इण्टर कालेज में पर्यावरण संरक्षण जागरूकता व पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर में पौधे लगाए गये और बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गयी 150 लोगों को पौधे वितरण किये गये। अध्यक्ष अशोक मौर्य जी ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा में लापरवाही बरतने का अर्थ अपनाा विनाश करना है तथा भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरण की रक्षा व बचाव अनिवार्य है। इसलिए अधिक से अधिक पौधे लगाये पौधों की रक्षा भी करें तथा संयोजक ने कहा कि आज वायु, जल, मृदा और पौधों जैसे प्राकृतिक पर्यावरणीय संसाधनों की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति सजग रहने की जरूरत है।

पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जौनपुर कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी श्री अरविंद मलप्पा बंगारी की अध्यक्षता में पौधरोपण के संबंध में बैठक हुई।

निष्कर्ष–

इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र जनपद जौनपुर में अनेक प्रकार से पर्यावरण ह्रास हुआ समस्याएं उत्पन्न हुई, वायु प्रदूषण जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण सभी प्रकार के प्रदूषण मिलकर पर्यावरण समस्या को जन्म दे रहे हैं। पर्यावरण की सुरक्षा करना क्षेत्र के लोगों का परमकर्तव्य है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अनेक कार्यक्रम के माध यम से जनजागरूकता फैलायी जा रही है। वृक्षारोपण कार्यक्रम कराये जा रहे हैं। इस क्षेत्र में स्कूल, कालेज के कर्मचारी, छात्र–छात्राओं ने बढ़चढ़ कर भाग लिया है। जिला मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट आदि सभी लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए अधिक धुआं व ध्वनियुक्त वाहनों पर नियंत्रण लगाया तथा भारत सरकार द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं जैसे–वृक्षारोपण पॉलीथीन मुक्त अभियान, कलकारखानों की फैक्ट्रियाँ चिमनी से निकलने वाले धुएँ भी जनसंख्या वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए जाय, मृदाक्षरण को रोकने के लिए उचित ढंग से सिंचाई, जुताई आदि की उचित व्यवस्था के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है।

सन्दर्भ–

1. Net पर आधारित
2. पर्यावरण भूगोल : चतुर्भुज मामोरिया
3. सांख्यिकी पत्रिका जौनपुर
4. पर्यावरण अध्ययन : डॉ0 दयाशंकर त्रिपाठी

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

Yield Analysis of *Lipidum sativum* Linius with Particular reference to Kymore Plateau Region

❐ Dr. Ashish Dwivedi*

ABSTRACT

Chandrasur botanically known as **Lipidium stativim** Linius, belonging to the family Crucifeare commonly known as water cress and Garden cress. It is an annual, small, erect herbaceous plant growing up to 30 - 100 cm. height. Present paper's deal with the seed yield, biological yield and harvest index percent of Chandrasur. The Chandrasur crop taken in different area of Kymore plateau region for yield analysis, biological analysis and harvest index percent so farmers can see the result of crop in their particular area. These results helps farmers to grow this plant as a crop in their field.

Key words :- Sy (Seed yeild), By (Bi ologicaly yield) HI (Harvest Index) % (Percent)

Introduction

The study of yield analysis was conducted in Kymore plateau, region in Rewa district. The experimental site were marked in village Farahad (Plot A) Bichiya (Plot B) and village Dole (Plot C) Cultivating fields. The experiments were performed for the two consecutive years 2016-17 and 2017-18. The observations recorded was synthesized and anlysed to draw conclusions. sampling of yield attributes was done at crop maturity. At maturity ten plants from every sites were taken up rooted & dried, for yield analysis.

Material methods :

Seed Yield :- Seed yield per site for all the plots was recorded and conversion into quintal per hectare by using common conversion factor.

Biological yield : Addition of seed yield for every plot was made and there after, converted in to quintal per hectare by using common conversion factor.

Harvest index (%) :- It is the ratio of economic yield to the total biological yield expressed in percentage. It represents the efficiency of photo synthesis translocation to economic parts. (Synder and Carlson 1984)

$$HI(\%) = \frac{\text{Economic yield}}{\text{Biological yield}} \times 100$$

Here, while calculating the biological yield we take only the above ground parts into consideration.

* Govt. College Beohari Distt. Shahdol

Table - 1
Year 2016-17

	Seed yield q/hac.	Biological yield q/hac.	Harvest Index
Plot A	7.9	70.31	8.9
Plot B	8.3	72.93	8.78
Plot C	7.7	68.97	8.95

Table - 2
Year 2017-18

	Seed yield q/hac.	Biological yield q/hac.	Harvest Index
Plot A	8.3	77.73	9.4
Plot B	8.7	79.83	9.2
Plot C	8.9	78.53	8.8

Conclusion :

- The result revealed that seed yield varied and maximum seed yield was registered at Plot C (8.9 q/hac.) in the year 2017-18. It is maximum production of Chadrasur crop.
- Where as maximum Biological yield was registered at Plot B (79.83 q/hac) in the year 2017-18. It is the expression of dry matter production of the Chandrasur.
- The harvest index was maximum registered in the Plot A (9.4 q/hac.) . It shows the efficiency of Chandrasur crop to produce economically.
- The Resalt of yield Shows clearly that farmer can grow there Plants as crop in their field.

References :

Anonmous (2000) : Twenty five years of Research medicinal and aromatic plants(1975-2000) AIRCP on medicinal and aromatic Plants JNKVV College of Agriculture Indore (M.P.)

Asana R.D. (1968): In quert of yield Indian J. Plant Physiol. II(192); 1-9

Donald C.M. (1962) In search of Yield J. Aust. Agric. Si. 28: 171-172

Maitis, S. (2001) : Anual report National Research Centre for medicinal and aromatic plants, Boriavi, Anand, Gujrat, pp.9-10.

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

यशपाल के महिला केन्द्रित उपन्यासों में स्त्री जीवन की विसंगति

❒ पारूल मिश्रा*
❒ डॉ. ममता उपाध्याय**

शोध सारांश

हिन्दी उपन्यासों में पारिवारिक जीवन विशेषकर स्त्री–पुरुष के संदर्भ में शुरूआत से ही लेखनी चली क्योंकि भारतीय समाज में स्त्रियों को हमेशा ऊँचा स्थान दिया गया और कहाँ गया–

"यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।"[1]

इस कथन को अगर सत्य मान लिया जाय तो नारी केवल घर का काम करने वाली नहीं बल्कि पुरुष की अर्द्धांग्नी सहयोगी और सहधर्मणी मानी जाती है, किन्तु नारी स्वभाव से ही प्रेम और करूणा की प्रतिमूर्ति है जिसका दोहरा लाभ मानव समाज ने उठाया प्राचीन काल से जो नारी प्रेम की प्रतिमूर्ति थी जिसे तुलसी ने सती सावित्री कहाँ वो मध्यकाल आते–आते केवल वासना का विषय हो गयी प्रेम का स्वरूप विकृत हो गया, राजा महाराज वस्त्र की तरह नारी बदलने लगे यही से नारियों को चारदीवारी में कैद कर दिया गया।

दूसरा मुख्य कारण भारत में मुगलों का आक्रमण हुआ जिससे नारी की स्थिति गिर गयी उस समय परदा प्रथा का प्रचलन हो गया। क्योंकि नारी के सूरत में चन्द्रमा की मूर्ति देखी जाने लगी यही से नारी की वास्तविक सत्ता को नकार दिया गया बाद में अंग्रेज आये जिससे नारी अपने आप को और असुरक्षित समझने लगी इससे समाज में परदा प्रथा, सती प्रथा, अनमेल विवाह, दहेज आदि समस्याएँ फैल गयी, महादेवी वर्मा का कथन है कि–

"पुरुष कहीं इस स्त्री को देवता तो कहीं दासी बनाकर पवित्रता का स्वांग रचा कही मंदिर में पवित्रता की दोहाई दी कहीं अपने मनो विनोद की वस्तु मानकर उसका उपयोग किया।"[2]

नारी की इस विकट स्थिति का ध्यान कुछ समाज सुधारकों पर गया जिससे सती प्रथा जैसे भयानक सामाजिक कलंक की समाप्ति तो विलियम वेटिग ने करदी लेकिन प्राचीन रूढ़िया आज भी विद्यमान है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, अन्तर्जातीय विवाह, विधवा विवाह, वेश्या वृत्ति पुरुष की काम वासना आदि की समाज को विसंगति को केन्द्र में रखकर हिन्दी साहित्य में उपन्यासों की रचना की गई प्रेमचंद के बाद दो तरह की विचार धाराएँ साहित्य में आयीं।

* शोधार्थी, हिन्दी, अ.प्र. सिंह वि.वि., रीवा (म.प्र.)
प्राध्यापक, हिन्दी, कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

(1) फ्रायड का मनोविश्लेषण वाद जिसमें स्वच्छंद प्रेम की समस्या तथा आर्थिक अभाव से उत्पन्न समस्या को लेकर उपन्यास लिखे गये जिसमें जैनेन्द्र प्रमुख है। इसमें स्त्री–पुरुष के मनोवेग तथा मनोविकारों के मेरुदंड यौन भावना को केन्द्र में रखकर स्त्री–पुरुष के मानसिक द्वन्द्व एवं उसकी समस्याओं का चित्रण किया गया।

(2) दूसरी प्रवृत्ति मार्क का विचार साम्यवाद का विचार रखकर समाज में संसाधनों पर समान अधिकार की बात कही गयी है। इन दोनों विचार धाराओं को रखकर यशपाल ने अपना कैनवास तैयार किया जिसमें समाज में फैली विसंगति का चित्रण किया इनके उपन्यासों में वैवाहिक जीवन की समस्या पर लिखा गया। विवाह एक ऐसी सामाजिक मान्यता है जो प्राचीन काल से शैक्षिक यौनाचार को रोकने के लिए एक सर्वमान्य व्यवस्था है। दूसरा विवाह का कारण वंश को आगे बढ़ाने का है, श्री वेस्टम मार्क कथन–

''विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों से होने वाला इस प्रकार संबंध है जो कानून समंत है जो दोनों व्यक्ति के संबंध से उत्पन्न विचारों का समावेश करता है।''[3]

इस कथन से स्पष्ट है कि स्त्री–पुरुष की भेट अगर मन से हो तो वह यौनसंबंध में परिणित हो जाती है, यह नैतिक हो इसके लिए विवाह स्वीकृत बन गयी जो हर धर्म में बन गयी जब इसकी मानसिक पूर्ति नहीं होती तो स्त्री और पुरुष मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार होने लगते हैं किन्तु धीरे–धीरे विवाह में दहेज नामक कलंक समाज में उत्पन्न हो गया। अब विवाह दहेज के लिए होने लगे आज की सामाजिक विकृति यह है कि पुरुष और स्त्री प्रेम किसी अन्य से करते हैं विवाह किसी अन्य से हो जाता है इसलिए यशपाल विवाह के बंधन को मानते हैं विवाह कि अनिवार्यता को स्वीकार्य नहीं करते अपने उपन्यासों में विवाह के बिना भी यौन संबंधों का समर्थन करते हैं और प्रेम की उपस्थिति को स्वार्थक मानते हैं उन्होंने सर्वप्रथम दादा कामरेड में यह चित्रित किया है कि शैल एम.ए. की छात्रा है और अमीर पिता की लड़की है लेकिन वह वैवाहिक संबंधों को नकार देती है। वह स्वतंत्र रहना चाहती है उसका कथन है–

''जब स्त्री को एक आदमी से बंध जाना है और सामाजिक अवस्थाओं के अनुरूप उसी के अधीन रहना है तो उस पर निर्भर करता है। उस संबंध को चाहे जो नाम दिया जाए वह स्त्री की गुलामी ही है।''[4]

''वह हरीश से एक बार पूछती है पुरुष कभी स्त्री के दृष्टिकोण से समस्या को कभी देख नहीं सकता स्त्री की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसे संतान पैदा करनी है इसलिए पुरुष जमीन के टुकड़े की तरह उस पर मिल्कियत जमाने के लिए व्याकुल रहता है।''[5]

वह शैल खन्न हरीश रावर्ट आदि लड़कों के सम्पर्क में आती है और प्रेम संबंध बनाती है, किन्तु अंत में उसका परिणाम यह होता है कि हरीश का अवैध गर्भ उसके रह जाता है इस समस्या को यशपाल अपने उपन्यास दादा कामरेड में उठाते हैं और नारी जीवन की प्रेम की सीमितता को संतान के दायरे में बाध देना और नारी पर पुरुष का एकाधिकार बनाए रखे और एक स्त्री को संतान के बंधनों में बांध दे किन्तु हरीश भी स्त्री मुक्ती की बात इस उपन्यास में करता है–

''साथी तो एक व्यक्ति के कई हो सकते हैं स्त्री के पति होना तुम्हे सहन हो सकता है।''[6]

यशपाल परम्परागत विवाह संस्था अस्वीकार करते है वे कहते हैं ऐसी प्रथा में नारी का शोषण होता है वे यहाँ तक कहते हैं कि पूंजीवादी पुरुष वर्ग नारी को केवल भोग का विषय समझता है और नारी को परम्परागत रूढ़ में बाधकर उसका उपभोग करता हैं वास्तव में यशपाल ठीक ही सवाल उठाते हैं कि पुरुष कभी विवाह कर सकता है कई नारियों से संबंध बनाता है। किन्तु अपनी पत्नी की इच्छा को पूछता

तक नहीं अगर वह अपनी यौन इच्छाओं का कहीं जिक्र भी करती है तो शास्त्र में कह दिया गया कि पर पुरुष की ओर आँख उठाकर देखा भी नहीं जा सकता। सवाल उठता है कि जिस स्त्री का पति दूसरे के तरफ आकर्षित है तो जो उसकी पत्नी है वह अपनी इच्छाएँ कहाँ से पूरी करे देशद्रोही उपन्यास में पृत्तिसत्तात्मक समाज से अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं–

''स्त्री–पुरुष के संबंध में विवाह की बुर्जुआ धारणा को नहीं मानता।''[7]

यशपाल कहते हैं कि यौन सुचित के बात करके पुरुष नारित्व का अपहरण कर लेता है, उन्होंने अपने उपन्यास में यह स्पष्ट बता दिया है कि विवाह के बिना ही प्रेम और तृप्ति की पूर्ति कर सकता है। विवाह के बंधन में बंधकर यशोदा अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाती और अंदर ही अंदर चार दीवारी में बंद हो जाती है और छटपटाती रहती है। विवाह के बंधन में देशद्रोही में भावकर विवाह के बंधन को जीवन भर का बंधन मानता है ऐसे विवाह जिसमें नारीयाँ पतिव्रत धर्म का पालन करती है पुरुष को इसका विश्वास नहीं करता और निस्तर प्रताड़ित और अपमानित होती है। अपने जीवन को दुःख की अग्नि में जला देती है। झूठा सच की तारा पत्नी के अत्याचार से पीड़ित होकर सुहागरात के दिन पति को छोड़कर चली जाती है, ये नारी जीवन की विसंगति और विडम्बना है जिस पुरुष से प्रेम की उम्मीद किये नारी बैठी है और अपने जीवन भर को बलिदान कर देती है। वह ऐसा सेक्स रिलेशन की भी तृप्ति नहीं होती है यही समाज की विसंगति है जो नारी जीवन के लिए अभिशाप है।

इस प्रकार यशपाल मार्क्सवादी चेतना के नाते स्वच्छ प्रेम और स्वच्छ भोग पर विश्वास करते हैं। विवाह की दासता को डॉ. चड़ीप्रसाद जोशी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं–''विवाह और वैवाहिक चुनाव वह बिन्दु है जिससे किसी व्यक्ति के सामाजिक विचारों की परख की जा सकती है, विशेषता आधुनिक भारत की सामाजिक स्थिति ये जो संक्रांतिकालीन स्थिति से गुजर रहा है। युगो से त्रस्त भारतीय नारी जब पुरुष की दासता से मुक्त हुई तो स्वाभाविक था कि उस समाज के प्रति उसके अर्थ चेतन मन में घृणा हुई जिसने उसे युगो से दासी बनाकर उसका शोषण किया।''[8]

यशपाल के उपन्यास में विवाह के बाद नारी की समस्याओं को भी चित्रित किया गया है। जिसमें सबसे प्रमुख समस्या दहेज की समस्या है प्राचीनकाल से स्त्रियों के विवाह के समय उसके परिजन कुछ न कुछ देते थे यह भेट पहले सद्भावना भेट मानी जाती थी किन्तु बाद में यह प्रथा बन गयी जो प्रत्येक लड़की के वैवाहिक जीवन को विनाशकारी बना सकती है।

यशपाल इसी दहेज प्रथा का संकेत इसी उपन्यासों में करते हैं दहेज न देने के कारण जो समस्या बनती है। उसका चित्रण करते हुए झूठा सच में करते हुए हैं, तारा का विवाह सोमनाथ से उसकी मर्जी के खिलाफ होता है। क्योंकि तारा का विवाह कहीं दूसरी जगह होता तो वहाँ दहेज देना पड़ता, तारा की चाची पहले ही सोमनाथ को समझा–बूझा देती है। कहती हैं–

''मेरा देवर बेचारा स्कूल में मास्टर है वह दान दहेज तो क्या! पर सच मानो लड़की के नैननक्स हजारों में से एक है उसकी आँख मानो आम की फाको है।''[9]

सोमनाथ एक वजलन और विधुर आदमी है इसलिए दहेज का सवाल नहीं उठता। यशपाल के उपन्यास क्यों फसे में दहेज के संदर्भ में तीखा सवाल उठाते हैं और दहेज प्रथा का विरोध करते हैं। भास्कर के माध्यम से कहलवा देते हैं कि–''मुझे दहेज के आधार पर प्रियसी के चुनाव को बात से ग्लानि है।''[10]

इस कथन से स्पष्ट है कि यशपाल परिचय के बाद विवाह की बात करते हैं और विवाह में दहेज को स्थान नहीं देते। वे अपने उपन्यास में नारी के दूसरे ज्वलंत समस्या को उठाते हैं जो है बाल विवाह आधुनिक युग के महान नेता महात्मा गांधी का कथन है कि–

''बाल विवाह से मुझे घृणा है विधवा बालिका को देखकर मैं कापने लगता हूँ स्त्री देहान्त के पश्चात तुरन्त विवाह करने वाले पुरुष को देखकर मैं कोध से पागल हो उठता हूँ।''[11]

लेखक अपने उपन्यास मनुष्य के रूप में बाल विवाह का चित्रण प्रस्तुत करते हैं जिसमें सोमा कि का बाल विवाह कराया जाता है और उसे 500 रू. में बाल्यकाल में बेच दिया जाता है। सास–ससुर अपना पैसा वसूल करने के लिए मण्डी में मन्नू साहू के हाथ में सोमा को बेच देते हैं यह क्रय–विक्रय के भयावह और दर्दनाक अवस्था का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। एक जगह यशपाल गांधी जी के बाद कहते हैं–''बाल विवाह की यह प्रथा नैतिक और शारीरिक दोनो प्रकार से हानिकारक है।''[12]

इसके अतिरिक्त यशपाल के उपन्यास में स्त्री जीवन के विसंगति का चित्रण है जो है अनमेल विवाह की समस्या, दहेज न दे सकने के कारण माँ–बाप विवश होकर बूढ़ढे के हाथ अपनी कन्या को दे देते हैं। झूठा सच में मिस्टर अग्रवाल दूसरा विवाह करते हैं तथा तारा का विवाह जो सोमनाथ से होता है यह अनमेल है।

लेखक अप्सरा के श्राप में बहुविवाह कि समस्या को उठाते हैं बहुविवाह का अर्थ एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह लेखक अप्सरा के श्राप में राजा दुष्यंत और शंकुन्तला के विवाह के माध्य से इस समस्या को चित्रित किया गया है। जहाँ पर उपन्यासकार यह बताना चाहते हैं कि बहुविवाह से सौत की समस्या खड़ी हो जाती है। एक पुरुष की दो स्त्रियाँ कभी सुखी नहीं रहती और सुख शान्ति चला जाता है।

यशपाल सबसे बड़ी समस्या जो अपने उपन्यास में उठाते है वह है प्रेम विवाह की समस्या जिसमें काम यौन समस्याएँ तथा यौन पवित्रता जैसे रूढ़ मान्यताओं का अपने उपन्यास का विषय बनाते हैं और इस संदर्भ में स्त्रियों की समस्याओं को चित्रित करते हैं। वे प्रेम को दो भागों में बाँट देते हैं। विवाह पूर्व प्रेम और विवाहेतर प्रेम को भी तीन प्रकार से विभाजित करते हैं वासनात्मक प्रेम, निश्च्छल और मित्रात्मक प्रेम झूठा सच में असद और तारा श्याम और डे देशद्रोही में यमुना और सुजान दिव्या में दिव्या और पृथत ऐसे पात्र है। प्रेम करते हैं बाद में विवाह कर लेते हैं और विवाह सफल भी होता है। झूठा सच में डॉ. प्रेमनाथ और तारा मेरी तेरी उसकी बात में उषा और अमर प्रेम करते हैं विवाह करते हैं किन्तु सफल नहीं होते दादा कामरेड में शैलवारा कई युवकों के साथ वासनात्मक प्रेम करती है। 'झूठा सच' में बिनी विधवा थी। बड़े समय के बाद फेटस के प्रति आकर्षित हो जाती है। यशपाल अपने उपन्यास में स्त्री–पुरुष अवधारणा को सहज और स्वाभाविक रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी धारणा यह है कि प्रेम की तृप्ती के लिए शरीर को एक साधन मानते हैं। यह भी कहते हैं कि नारी के शरीर पर एक पुरुष के आधिपत्य होने के बजाय प्रेम में संतुष्टि और व्यक्तित्व की छाप का महत्व होना चाहिए।

यशपाल के देशद्रोही में डॉ. खन्ना के माध्यम से कहते हैं राज मुझे नहीं मुझसे मिलने वाले संतोष से प्रेम करती थी। मैं जैसे राज से प्रेम करता था वैसे ही किसी दूसरे स्त्री से कर सकता हूँ, राज भी किसी से भी प्रेम कर सकती है, इस प्रकार यशपाल प्रेम के विषय में स्वच्छंदवादी नजरिया रखते हैं यशपाल अपने उपन्यास में एक जगह ''पुरुष मानसिकता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि नारी वह रूमाल है जिसमें जितने आदमी मुह पोंछ सके पोंछें उससे कालिख छूटेगी लगेगी नहीं।''[13]

इस प्रकार यशपाल प्रेम को जीवन का यथार्थ और वास्तविक रूप मानते हैं वे कहते हैं कि अनैतिकता वहाँ होती है जहाँ स्वार्थ और धोखे की प्रवृत्ति हो। दोनों पक्ष से किया गया प्रेम अनैतिक और अनुचित नहीं हो सकता। सारांश में कहा जा सकता है कि यशपाल का उपन्यास नारी जीवन में फैली विसंगति के विरूद्ध संघर्ष की मसाल की तरह है तथा नारी जीवन की मुक्ति का द्वार खोलने का एक विकल्प है।

जहाँ यशपाल ने यौन पवित्रता के रूढ़ियों का खण्डन किया। शैल के माध्य से यशपाल कहते हैं कि–''मैं अपने किसी भी काम के लिए लज्जित नहीं हूँ। स्त्री होने के नाते मेरा यह प्राकृतिक अधिकार है कि मैं मनुष्य हूँ मनुष्य बनी रहना चाहती हूँ।''[14]

इस प्रकार शैल, माया, भास्कर आदि पात्रों के माध्यम से यौन संबंधों की स्वतंत्रता की वकालत यशपाल करते हैं यशपाल का कहना है कि ''काम भाव प्राकृतिक है। उसकी पूर्ति भी भूख प्यास की तरह वाच्छनीय है देशद्रोही की भूमिका में वह स्पष्ट लिखते हैं कि हमारी अवस्था का नग्न रूप अतरिक्त शिश्नोदर का चीत्कार है वह हमारी सामाजिक स्थिति की वास्तविकता है जिससे मनुष्य समाज में शिश्नोदार की अतृप्त और तृष्णा से पशु न बना रहे।''[15]

यशपाल इस प्रकार अपने प्रगतिशील विचारों के कारण स्त्री को अपना अधिकार अपने पात्रों के माध्यम से दिलवाते हैं तथा प्राचीन रीति–रिवाज के कारण हो रहे स्त्रियों के शोषण की मुखाल्फ़त भी करते हैं।

संदर्भ सूची :–

1. मनुस्मृति मन्त्थ मुक्ता वली श्लोक 56 तृतीयो अध्याय, पृ. 114
2. महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़िया, पृ. 90
3. मैरिज आफ रिलेशन आफ दा वन आफ मोर किताब–व्यक्ति के विवाह का इतिहास वेस्टरमार्क, पृ. 26
4. दादा कामेटड, पृ. 33
5. दादा कामेटड, पृ. 33
6. दादा कामेटड, पृ. 33
7. देशद्रोही उपन्यास, पृ. 240
8. हिन्दी उपन्यास समाजशास्त्री विवेचन, पृ. 335
9. झूठा सच भाग–1, पृ. 16
10. क्यो फसे, पृ. 23
11. महिलाओं से पत्रिका, पृ. 32 लेखक गांधी जी
12. महिलाओं से पत्रिका, पृ. 61 लेखक गांधी जी
13. त्रिभुवन सिंह हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद, पृ. 13
14. दादा कामटेड, पृ. 189–190
15. देशद्रोही की भूमिका, पृ. 06

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

ओमप्रकाश वाल्मीकि एवं शरण कुमार की आत्मकथाओं का तुलनात्मक अध्ययन

❒ प्रवीन कुमार टाँडिया*

शोध सारांश

ओमप्रकाश बाल्मीकि की आत्मकथा जूठन एवं शरण कुमार लिम्बाले की आत्मकथा अक्करमाशी दलित साहित्य के दोनो सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा है। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा में ओमप्रकाश बाल्मीकि जी ने दलित जीवन की पीड़ाएँ असहनीय और अनुभव दग्ध है। ऐसे अनुभव जो ओमप्रकाश जी के जीवन में बता है उसका वर्णन किया गया है लिखते हैं कि एक ऐसी समाज व्यवस्था में हमने सांसेंली हैं जो बेहद क्रूर और अमानवीय है। दलितों के प्रति असंवेदनशील भी अपने व्यथा–कथा को शब्दबद्ध किया जो भी दलित जीवन में जूठन को भी बड़ी प्यार से स्वीकार करते जो भी दलितों के जीवन में घटना घटित हुई उसका वर्णन किया जूठन आत्मकथा दलित साहित्य की श्रेष्ठ रचनाओं में गिनती की जाती है।[1]

शरण कुमार जी के अक्करमाशी आत्मकथा एक ऐसा आत्मकथा है जो सत्य घटना है। जिसे शरण कुमार जी ने लिखा की जीवन ऐसा भी होता हैं। यह अक्करमाशी शीर्षक से मैंने अपनी आत्मकथा लिख दी आत्मकथा प्रकाशित हो जाने के बाद अनेक लोगों ने इस पर लिखा मैंने भी लिखा। उसी मानसिकता ने मुझे यह आत्मकथा लिखने के लिए मजबूर किया था। अक्करमाशी का अर्थ है– जारज पूत्र अवैध संतान, समाज द्वारा अमान्य संबंधों से जन्मी संतति, स्त्री की बजबूरी को देखकर उसे रखैल बनाने वाले सम्पन्न और अमानवीय पुरुष संबंधों से जन्मी संतति। ऐसी संतति को मराठी में अक्करमाशी कहते हैं।

दलित आत्मकथाओं में मानव के द्वारा दलितों पर किया गया अनाचार को शब्दबद्ध किया गया है। जीवन में दलितों को जो भी परेशानी होती है कि दिन भर मेहनत करने पर भी पेट भर भोजन नहीं मिल पाता वे बेगार करने के लिए मजबूर होते हैं। वे इतने शोषित, पीड़ित होते हैं कि हर समय परेशान रहते हैं। खाने के लिये भोजन नहीं पहनने के लिये कपड़े नहीं रहने के लिये मकान नहीं दलित जीवन ऐसा ही होता है।[2]

दोनों आत्मकथा दलित साहित्य को श्रेष्ठ बना दिया जिसकी चर्चा होती है। दलित जीवन में जो भी यथार्थ घटना घटित हुई उसे शरण कुमार एवं ओमप्रकाश

* शोधार्थी, हिन्दी, अ.प्र. सिंह वि.वि., रीवा (म.प्र.)

जी के जीवन में बीता है जिस प्रकार का उनके बीच में उनके जीवन के साथ शोषण, प्रताजना, हुई पुरे परेशानी का वर्णन किया वह जीवन जीने से पहले ही मरे हुए शव के समान है दलित जीवन ऐसा होता है कि वह अछूत है जिसने पूरे काम करता है देश एवं समाज की सेवा करता है वह अपने दैनिक जीवन में ऐसे–ऐसे काम करता है। जिसे देखकर भी जिन लगता है पर वे मेहन से पूरे शहर मोहल्ले की साफ–सफाई करते हैं वे मनुष्य जीवन के हर प्रकार के घृणित कार्य करता है जीवन में दलित हर काम करते हैं वे भी मनुष्य है उन्हें भी समाज में स्थान मिलना चाहिए एवं अपने कार्य करने के लिये स्वतंत्र हो जीवन ऐसा भी होता है हर प्रकार का जीवनयापन करते हैं।

प्रकृति मनुष्य एक बुद्धि सम्पन्न प्राणी है यहाँ हमारे देश में पर्वत, पठार, जीव–जन्तु, अन्न–जल, पेड़–पौधे, फूल–फल आदि सभी पूजे जाते हैं लेकिन मनुष्य अछूत क्यों दलित अछूत क्यों क्या वे मनुष्य नहीं है हर प्रकार का जीवन जीता है उसके विचार एक नहीं है जाति वर्ण ऊच–नीच ये सब मानव द्वारा बनाया गया खाई है जिसे मनुष्य ही दूर कर सकता है। जीवन में जो भी कार्य होती है जो हमारे जीवन में बीता है।

'जूठन' ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, मेहतर से हेयतर है। जो मेहतर जीवन से मुक्ति पाने बात करती है, हेयतर और मेहतर होने की भावना हमारी संस्कृति की देन है जो मनुष्य के एक समुदाय को आदमी नहीं बनने देती उनका जीवन तो नर्क से भी खराब कर देती है यह अपने नाम के साथ जूड़ी रस परिभाषा हम मेहतर है। मुक्ति का एक व्याख्यान है, मनुष्य के एक समुदाय के साथ हुए छल को जो नरकीय जीवन सी रहे हैं को व्यक्त करती है ये वर्णन वेद पुराण धार्मिक ग्रंथों से से बिल्कुल अलग है इसमें कोई चमत्कार नहीं होता है इसमें ओम प्रकाश जी ने अपने जीवन में घटनाओं का वर्णन किया है जो कुकर्म को सीधे–सीधे स्पष्ट शब्दों में लिखा है। लेखक अपनी बात को बहुत आत्मीयता के साथ मनुष्यता की मांग के रूप में समाज के सामने रख दिया है, इस आत्मकथा का एक–एक शब्द कहता है कि हमें भी मनुष्य होना है और अपने साथ जुड़ी परिभाषा को तोड़ना है यही जूठन आत्मकथा का हर शब्द कहता है कि दलित भी मनुष्य है उन्हें भी बराबर जीवन जीना है सम्मान के साथ।

मेरा गांव बरला, जिला मुजफ्फर नगर उत्तर प्रदेश में है। मेरा घर चन्द्रभान तगा के घर के पास है, वह तगाओं के घर दूर था वहीं सामने एक जोहाड़ी नामक स्थान था जहॉ मोहल्ले के सभी लोग वहॉ सौच क्रिया के लिये जाते हैं औरतें, जवान लड़कियॉ, बड़ी–बूढ़ी एवं नयी नवेली दुल्हनें भी यहॉ तक की अंधेरे में ही नही दिन के उजाले में पर्दों में रहने वाली त्यागी महिलाऍ घूँघट काढ़े शर्म लिहाज छोड़कर बैठ जाती हैं इसी जगह गांव मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा होता रहता एक दम सोर सरबा होता रहता वहॉ सुअर दिन रात घूमते छोटे–छोटे बच्चे नंग–धडंग, कुत्ते भी भौंकते पुरी तरह से बस्ती में शोर मचा रहता था, वहीं पास में एक चंदा एकत्र करके कुऑ बनबाये थे बरसात के समय पानी भर जाता था। पानी पीने लायक नहीं था।

चन्द्रपुर महाराष्ट्र में मेरा तबादला आर्डिनेंस फैक्टरी, हो गया था। पहली जुलाई 1985 को मैंने ऑडेनंस फैक्टरी में कार्यभार संभाल लिया था। ओमप्रकाश जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश एवं देहरादून की बात है जो मनुष्य के साथ सर नेम होता है वह उसे कमजोर बना देता है दलित के नाम से वह पीछे हो जाता है। न कोई उसे इज्जत सम्मान करते हैं चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी हो लेकिन अपने सर नेम के आगे उसे झुकना पड़ता है। यह कब दूर होगा हर प्रकार की परेशानी होती है। मनुष्य पूरे दिन मेहनत करता है उसे न पुरी मजदूरी मिलता वह वेगार भी करता है। लेकिन खाने के लिए उसे भरपेट भोजन कहीं नहीं मिलता मनुष्य के शरीर से दुर्गभ युक्त पीप की तरह मेरे मानस पटल पर बहने लगता है वह फैक्ट्री के अधिकारी ने बाद भी कोई उच्च्ता महसूस नहीं होती।

ओमप्रकाश वाल्मीकि जी ने रूसी तकनीके आधार पर टी 72 और बी.एम.पी. 2 बैंकों के विजन डिवाइसिस के निर्माण का कार्य इस परियोजना का उद्देश्य था मुझे मेरे कार्य का क्षेत्र मिला था, वैसे तो ये ऑप्टो–इलेक्ट्रानिक्स डिवाइसिस थी और मेरी शिक्षा व अनुभव मैंकैनिकल क्षेत्र के थे लेकिन मुझे एक नया काम का अनुभव मिला था मुझे इंजीनियरिंग का अध्ययन, उनकी संरचना तथा उनसे जुड़े अन्य कार्य मुझे सौंपे गये थे, सभी दस्तावेज रूसी भाषा में थे जिनका अनुवाद साथ–साथ अनुवादकों की टीम कर रही थी उसी भाषा का दल हमारे साथ काम कर रहा था, फैक्टरी में मेरे पूर्व साथी आ चुके थे।

नरेश अग्रवाल, बी.के. अग्रवाल जबलपुर की अनिल भारद्वाज और बी.के. धमीज चन्द्रपुर से आए थे। कई लोग हमारे साथ में काम करने वाले आये थे। मेरे पुराने मित्र विजय बहादुर सोल जिनके साथ मैं प्रशिक्षण के दौरान रहा था, वे काफी समय से फैक्टरी मेरे परचित कर्मचारी आत्मीयता भी काफी उत्साहवर्धन रहा था। मेरे परचित कर्मचारी मिले मुझे बहुत अच्छा लगा मैं 17 सत्रह वर्ष वाद फिर से देहादून लौट आया था मेरे ज्वाइन करने का निर्माण आदेश मुझे मेरे बारे में कुछ सुग–बुगाहट कर रहे हैं, मेरे उपनाम के कारण उपर से उपनाम वाल्मीकि उनके गले से नहीं उतर रही है। वे सोच रहे थे की आरक्षण के कारण मुझे नौकरी मिली है।

ओमप्रकाश वाल्मीकि 'जूठन' में गाँव के पूरे जीवन की स्थितियों पर ही प्रकाश डालते चलते हैं। न सिर्फ स्कूल में दलित बच्चों से यातनादायी व्यवहार होता है, घरों में भी उच्च जाति के जमींदार इन दलित वर्णों से बेगार करवाने के बाद भी क्या सलूक करते हैं, उसका भी यथार्थ चित्रण इस आत्मकथा में उकेरा गया है। जैसे 'जूठन' शीर्षक इस आत्मकथा को कैसे मिला, उसका सन्दर्भ भी बड़े मार्मिक रूप से चित्रित है। ''बड़े घर के व्याह–शादियों में दलितों द्वारा बेगार लिए जाने के बाद उन्हें समुचित खाना भी न दिया जाता, बल्कि बरातियों और घरातियों की पत्तलों में छोड़ी जूठन को काम करने वाले दलित परिवार को दे दिया जाता है और दलित बेचारे इस 'जूठन' को भी चटखारे लेकर खाते थे। लेकिन वाल्मीकि की माँ अपमानजनक परिस्थितियों में दी गई जूठन को जमींदार के सामने फेंक आती है और यह घर तो जूठन के रिवाज से खुद को मुक्त कर लेता है।''[3]

''उत्तर प्रदेश के गाँवों में दलितों का हर स्तर पर अपमान होता है। दलित लड़की व्याहने आए दामाद को उच्च जाति के घरों में घुमाकर उसके लिए शगुन आदि मांगा जाता है और बड़े अपमानजनक ढंग से उच्च जाति के पुरुष–स्त्रियॉ उसकी झोली में कुछ सिक्का आदि फेंक देते हैं।''[4] वाल्मीकि के बचपन से ही संवेदनशील व साथ ही शिक्षा से सजग मन ने इस अमानवीय प्रथा का भी अपने परिवार में अन्त करवाया और फिर पूरे गाँव से भी।

इस प्रकार ओमप्रकाश वाल्मीकि की इस आत्मकथा में केवल परिस्थितियों की क्रूरता का यथार्थ चित्रण भर ही नहीं है, सामाजिक परिवर्तन की सुगबुगाहट भी है। भले ही अत्यन्त अपमानजनक परिस्थितियां झेलकर ही वाल्मीकि या उसके जैसे लोगों को शिक्षा प्रापत करनी पड़ी, लेकिन इसी शिक्षा ने व इसके कारण मिली नौकरी ने उन्हें इन अत्यन्त क्रूर परिस्थितियों से कम से कम व्यक्तिगत स्तर पर तो मुक्ति दिलाई। ''वाल्मीकि ने गाँव के ऐसे त्यागी चौधरियों का चित्रण भी किया है, जो बचपन में उसे 'चूहड़ा', 'चूहड़े का' कहकर अपमानित करते थे, उससे छूने से घृणा करते थे, वही वाल्मीकि के नौकरी में अच्छी स्थिति में पहुंचने पर उसके घर भी गए व उनके हाथ का खाना भी खाया।''[5] लेकिन ऐसी घटनाओं का वर्णन वाल्मीकि ने न तो बदले की कटु भावना से, न ही चटखारे लेकर लिया, बल्कि इस ढंग से किया है कि पाठक को यह महसूस हो कि सामाजिक परिस्थितियॉ ही ऐसी अस्पृश्यता के अमानवीय व्यवहार का कारण है और यदि ये परिस्थितियॉ बदल जाएँ तो अस्पृश्यता का व्यवहार भी बदल जाता है।

वाल्मीकि की आत्मकथा में शैली के स्तर पर औपन्यासिकता जैसा रस है। जीवन के कई व्यक्तिगत मार्मिक प्रसंगों का चित्रण वाल्मीकि ने बड़े संवेदनशील ढंग से किया है–''अंबरपुर में नौकरी करते समय ब्राह्मण कुलकर्णी परिवार में वाल्मीकि को मिलने वाले प्यार, उनकी बेटी सविता का वाल्मीकि के प्रति आकर्षण, लेकिन वाल्मीकि द्वारा अपनी जाति बताए जाने पर इस संबंध के टूटने की कथा को वाल्मीकि ने करुणा का पुट नहीं दिया है, उसे सामाजिक वास्तविकता की ऐसी घटना के रूप में चित्रित किया है, जिसमें जाति– व्यवस्था के उस क्रूर पक्ष को उघाड़ा है, जिसके कारण मासूम दिल टूटते हैं।''[6]

वाल्मीकि ने बाद में अपने पारिवारिक परिवेश में अपने विवाह व नौकरी में रहते हुए अपनी जीवन परिस्थितियों के बदलने की कथा सहज रूप में अभिव्यकत की है, वाल्मीकि उपनाम रखने व उस पर परिवार व मित्रों में बहस को वाल्मीकि ने जरूरत से अधिक विस्तार दिया है और इसमें उतनी सहजता भी नहीं है, जितनी उनकी पूरी आत्मकथा में है। वाल्मीकि उपनाम एक अन्य स्तर पर भी आपत्ति का कारण बन सकता था, क्योंकि वाल्मीकि अपनी रामायण में कहीं भी ब्राह्मणवादी वर्चस्ववादी संस्कृति को चुनौती नहीं देते, बल्कि वाल्मीकि अपनी रचना में हैं भी उसी वर्चस्ववादी संस्कृति के प्रतिनिधि न कि दलित जागरण और शक्ति के प्रतीक। इस संदर्भ में वाल्मीकि आधुनिक दलित अस्मिता की पहचान के प्रतीक तो नहीं बन सकते।

ओमप्रकाश ने वाल्मीकि उपनाम से तो उन्हें इसी प्रतीक के रूप में ग्रहण किया है। लेकिन कोई भी नाम जिस भी रूप में प्रचलित हो जाए, वहीं इसका प्रतीक बन जाता है। वाल्मीकि भले ही वचस्ववादी संस्कृति के प्रतिनिधि रहे हों, ओमप्रकाश वाल्मीकि 'जूठन' द्वारा वर्चस्ववादी जातिवादी वर्णवादी संस्कृति को सशक्त सांस्कृतिक चुनौती देते हैं। उनकी यह रचना मराठी दलित आत्मकथाओं के साहित्यिक स्तर के बराबर की रचना है। इसके सकारात्मक पक्षों में वाल्मीकि द्वारा अपनी पीड़ा व जीवन में मिले अपमान की कटुता को पीकर उस गरल से मानवीयता रूपी अमृत का सृजन 'जूठन' द्वारा किया गया है।[7] 'जूठन' में उच्च जाति द्वारा मिले दंश व पीड़ा अपमान के बावजूद उसके प्रति जातिगत घृणा या विद्वेष नहीं, वरन पूरी जातिवादी व्यवस्था के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टि है। 'जूठन' की सबसे बड़ी शक्ति समाज से जातिवादी के जहर को मिटाने पर बल देने में है, न कि व्यक्तिगत पीड़ा का प्रचार करने में।

मौत का ताडव
शब्द हो जाए जब गूँगे
और भाषा भी हो जाये अपाहित
समझ लो
कहीं किसी मजदूर का
लहू बहा है
धूप से नहाकर
जा चांदनी
करने लगे
उठलेखियॉ
धुएँ में बादलों से
समझ लो
अंधरों ने उजालों को ठगा ह
दर्द के रिश्ते
जब नम होने लगे
और गीत रचने लगेंगी।
संन्नाटो की हवाएँ
समझ लो
आदमी का लहू
कहीं सस्ते में बिका है
धरती की गोद में
ओढ़कर चादर आकश की
सो गए मजदूर सभी
थक हारकर
बजता रहा
बेरहम मौसम का नगाड़ा
सत भर
बर्फीली हवाओं का लय
ताल

7 जनवरी 1986

कविता लिखकर मेरा मन शांत नहीं था बार–बार लगता जैसे पूरे शहर में सॉप सूँघ गया है, 26 जनवरी 1986 गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी को फैक्ट्री में कवि सम्मेलन की खूबचर्चा हुई फिर महाप्रबंध राममूर्ति ने मेरे पास आये आकर मुझे बधाई दी कहा वाल्मीकि तुमने कभी जिक्र नहीं किया कि तुम कवि हो, प्रारम्भ से ही मेरे जीवन का महत्वपूर्ण समय मजदूरों और दलितों के बीच ही गुजरा, मजदूरों के बीच जाति के कारण हथा पाई होती थी, मैं उस वक्त जनवरी 1987 में मैंने एक लघुवाटक दो चेहरे लिखा जो मजदुरों पर केन्द्री तथा उस समय मैं महाप्रबंधक रत्नप्रकाश जी से मिला अपनी समस्या सुनायी सदिया का संताप कविता संग्रह में एक अलग स्थान बनाया हम लोग बहुत इधर–उधर परेशान हुए ऋषिकेश आये देहारादून एक बार मैंने बैल की खाल कहानी भेजी, राजेन्द्र यादव जी ने कहा– ''ओमप्रकाश अपनी कुछ कविताएँ भेज देना'' छब्बीस जनवरी 1994 को कुछ साथियों के मिलकर हमने अस्मिता अध्ययन केन्द्र, की स्थापना की इसके बाद मैंने बहुत बड़े कवियों से मिलता रहा, इस तरह मुझे एक बार जीवन के उन गहन दंशों से गुजरना पड़ा था।

जिन्हें भोगकर मैं सचमुच जूठन लिखना मेरे लिये किसी यातना से कम नहीं था जूठन का एक–एक शब्द मेरे जख्मों को ताजा किया था। अनेक प्रकार के दलित समस्यायें भी 1990 में जातिय दंगे, धार्मिक दंगे, मंडल आयोग, पिछड़े वर्गों के लाभावंदी जातीय ध्रुवीकरण, आरक्षण विरोध, आत्म दहन की घटनाएँ राजनीतिक ही नहीं सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया था, नवम्बर 1998 मेरा तबादला फिर से माड़ी फैक्ट्री जी.सी.एफ. जबलपुर परिवार बड़ी थी सास, ससुर, चन्दा, सभी पेरशान थे वह मैं पहले ही दिन जी.सी.एफ. में कार्यभार मैंने सम्भाल लिया था मुझे चौका देने वाला भीड़ मेरे सामने मेरे स्वागत के लिये था, इसके बाद सभी अपने कार्य में लग गये, फिर मलयजी से भेट हुइ वे वरिष्ठ कवि थे ऐसे में मखीजा साहब का फोन आ गया है। बाल्मीकि जी साहब याद कर रहे हैं कितनी देर में आ सकते हैं। पत्नी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था इसके बाद मैं फिर ओ.एल. एफ. देहरादून में मैंने 29 अप्रैल 2001 को अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली एक महीने में मेरा चन्दा के साथ हो एक्सीडेंट हो गया था। स्कूटर चन्दा के हाथ एवं रीढ़ की हड्डी में काफी चोट लगी थी। अपने मित्र कुछ बहुत अच्छे थे मेरे पलां के सेग करने के लिए अपने पत्नी को छोड़ दिये थे। मैं हरिद्वार गया था तो किसी रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु हो गई थी और चन्दा कुछ ठीक भी मैं वही था फोन आया की कहाँ हैं मैं बताया बोले जल्दी आना चन्दा एकाएक बीमार हो गई भी वह उठ नहीं घर ही थी फिर मुझे पूरी बात बताई पांच दिन बाद डाक्टर से चन्दा ने कहा मुझे घर जाता है।

संदर्भ सूची :–

1. जूठन, वाल्मीकि, पृ0 7
2. अक्करमाशी शरण कुमार लिम्बाले, पृ0 27
3. ओम प्रकाश वाल्मीकि–जूठन, पृ. 16
4. शिववाबू मिश्र–जूठन एक विमर्श, पृ. 63
5. रामविलास भारती–बीसवीं सदी में दलित समाज, पृ. 119
6. ओम प्रकाश वाल्मीकि–जूठन, पृ. 11
7. शिवबाबू मिश्रा–जूठन एक विमर्श, पृ. 24

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2
ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

हिन्दी-ग़ज़ल और चंद्रसेन 'विराट' के ग़ज़ल साहित्य में प्रेमाभिव्यक्ति

❐ डॉ. उमाकान्त गुप्ता*

शोध सारांश

परंपरागत रूप से प्रेमाभिव्यक्ति ही ग़ज़ल का मुख्य आधार रही है। ग़ज़ल शब्द का शाब्दिक अर्थ ही प्रेमिका से वार्तालाप बताया जाता है। ग़ज़ल के उद्भवकाल से ही प्रेम इसका केन्द्रीय विषय रहा है। प्रारंभिक काल की ग़ज़लों के वर्ण्य विषयों पर ध्यान दें तो हम पाएँगें कि तब की प्रायः सभी ग़ज़लों में प्रेम या प्रेम से प्राप्त होने वाली ख़ुशी और ग़म को ही मुख्य विषय बनाया गया है। एक अलग काव्य–विधा के रूप में ग़ज़ल के उद्गम का स्रोत मुख्यतः प्रेमाभिव्यक्ति ही रहा है।

प्राचीन काल में एक अलग काव्यविधा के रूप में ग़ज़ल का प्रचलन नहीं था। तब रज़ज और क़सीदे ही लिखे जाते थे। क़सीदे में शायद अपने प्रशंसात्मक शेरों के बीच में एक टुकड़ा ऐसा भी डाल देता था, जो प्रशंसा के विषय से अलग प्रेम, बसंत–बहार, प्रकृति के सौन्दर्य, शराब या श्रृंगाररस से जुड़े कुछ अन्य विषयों से संबंधित होता था। कालांतर में यह टुकड़ा क़सीदे से अलग हो गया और ग़ज़ल के नाम से एक अलग विधा के रूप में स्थापित होता चला गया। अर्थात् क़सीदे में प्रेम तथा तत्संबंधी विषय के रूप में जो अंश सम्मिलित रहता था, वही उससे अलग होकर ग़ज़ल कहलाया। इस प्रकार प्रेमाभिव्यक्ति उर्दू–फ़ारसी की ग़ज़लों की तो आधारशिला ही कही जा सकती है। प्रायः प्रेम को संकीर्ण अर्थ में लिया जाता रहा है, जबकि यह शब्द अत्यंत व्यापक भाव वाला है। प्रेम शब्द की व्यापकता के बारे में डॉ. रोहिताश्व अस्थाना कहते हैं–'यह केवल नायक का नायिका के प्रति ही नहीं, भक्त का भगवान के प्रति, माता का पुत्र के प्रति, देश–प्रेमी का मातृभूमि के प्रति तथा मित्र का मित्र के प्रति भी हो सकता है।'

ग़ज़ल और प्यार के अहसास का घनिष्ठ संबंध तो संसार में ग़ज़ल के जन्म से ही रहा हैं प्रेमानुभूति और ग़ज़ल को एक–दूसरे का पूरक स्वीकार करते हुए ग़ज़लकार डॉ. इसाक 'अश्क' लिखते हैं–

तुम जो आ जाओ ग़ज़ल हो जाएगी,
ज़िन्दगी खिलकर कंवल हो जाएगी
है जटिल कितनी यह गुत्थी रात की,
याद से उसकी, सरल हो जाएगी।[1]

इस प्रकार ग़ज़ल की विधागत मूलभूत विशेषताओं एवं उसके विकासशील स्वरूप के उपर्युक्त संक्षिप्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि काव्य में जो अन्य विधाएँ प्रचलित रही हैं या आज हैं उनमें

* शोधार्थी, हिन्दी, अ.प्र. सिंह वि.वि., रीवा (म.प्र.)

से शायद ही कोई विधा ऐसी हो जिसे लेकर ग़ज़ल जैसी चीज रची जा सकती हो। प्रेम और श्रृंगार के विस्तृत भावों अनुभूति, कोमलता, रागात्मकता, मिलन, संयोग, वियोग, मिठास, दर्द और तड़प आदि की आकर्षक, मनोहारी एवं हृदयस्पर्शी अभिव्यक्ति के लिए जिस शैली, संरचना और अंदाज की आवश्यकता होती है वह ग़ज़ल के अतिरिक्त किसी अन्य काव्य विधा में संभवतः मुश्किल से ही मिल पाएगी। अतः निःसंकोच कहा जा सकता है कि ग़ज़ल प्रेमाभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम रही है और आज भी है।

विराट जी की ग़ज़लों में प्रेमाभिव्यक्ति का स्थान विशेष है। विराट जी ने अपनी ग़ज़लों में बड़ी व्यापकता और गहनता के साथ सामाजिकता का चित्रण भी प्रेम के संदर्भ में किया है। चंद्रसेन 'विराट' की ग़ज़लों में प्रेम, सौन्दर्य एवं यौवन की त्रिवेणी के दर्शन होते हैं। शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिन्दी शब्दावली में उनकी एक ग़ज़ल में प्रेमाभिव्यक्ति का हृदयस्पर्शी चित्र देखिए–

कौन सिरहाने प्रणय की प्रार्थनाएँ रख गया,
कौन था कमनीय अपनी कामनाएँ रख गया।
दृष्टि के संवाद में भी कुछ अबोला बच रहा,
व्यक्त कर पाया नहीं वे भावनाएँ रख गया।
रूप देता तृप्ति लेकिन वह स्वयं में प्यास है,
कौन आया था अचानक, याचनाएँ रख गया।[2]

बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी प्रियतमा से अपने हृदय की बात कहते हुए विराट जी लिखते हैं–

होंठ पर प्यार ही प्यार है आज भी
मेरे गीतों में श्रृंगार है आज भी
पंचशर से हमारा हृदय बेध दे
रूप को पूर्ण अधिकार है आज भी
मित्र! मिजराब हमने उतारी कहाँ
छेड़ दूँ? तार तैयार है आज भी
हम शुरु से रहे हैं तथा रूप की,
बाहुओं में गिरफ्तार हैं आज भी
होंठ को होंठ की प्यास कल भी रही
हम उसी के गुनहगार हैं आज भी
रूप है प्यार है, दर्द है इसलिए
काव्य में शेष रसधारा है आज भी
बांसुरी हम बजायें हमें हर कहीं
विश्व से साफ इनकार है आज भी।[3]

चन्द्रसेन 'विराट' जी ने कचनार की टहनी के माध्यम से अपनी प्रेमभावना एवं श्रृंगार भावना को व्यक्त किया है। प्रणय की भावना को स्पष्ट करने वाली यह विराट जी की ग़ज़ल देखिए–

झुकी मन के गवाक्षों पर किसी कचनार की टहनी
हमारे द्वार तक आयी किसी के द्वार की टहनी
बहुत चाहा कि हम भी तोड़ लें कुछ फूल छुगनी के
नहीं झुकती झुकाये पर सबल संस्कार की टहनी
सुबह से शाम तक लड़कर थके जब बाग में लौटे
किसी की बांह सी लिपटी किसी के प्यार की टहनी
मुझे संजीवनी देती सुबह मैं युद्ध में लौटूं
प्रणय स्वीकार में हिलती किसी अभिसार की टहनी।[4]

चंद्रसेन 'विराट' की प्रस्तुत ग़ज़ल में हमें प्रेमभाव के दर्शन होते हैं। मीठी नजर, लाज का कपूर आदि बातों में बड़ी कोमलता नजर आती है जैसे–

मीठी सी नजर से निहार गया कोई
मुझे बिना बोले पुकार गया कोई
भावना चकित है विगत कामना की,
बीती हुई हुंडी सकार गया कोई।
प्रणय में किसी का हृदय जीतने को,
खुद जान–बूझकर हार गया कोई।
नैवेद्य ग्रहण किया इष्ट ने ही,
ओठों से ओठ जुठार गया कोई।[5]

चंद्रसेन 'विराट' लिखते हैं कि पहली बार इस शहर में आकर ग़ज़ल कहीं है। भरी सभा में कवि ने उनको देखा तो आँखों से आँखें मिला कर ग़ज़ल कहीं। चंद्रसेन 'विराट' ने अपनी एक ग़ज़ल में इसी प्रेमभाव को प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत ग़ज़ल में श्रृंगारिकता के दर्शन भी होते हैं–

"पहली दफा इस शहर में आकर ग़ज़ल कही।
हमने किसी को सामने पाकर ग़ज़ल कही।
ऐसी भरी सभा में भी हमने तो रूप की,
आँखों से अपनी आँख मिलाकर ग़ज़ल कही।

सौन्दर्य की पवित्रता है जिसके सामने,
शायर ने अपना शीश झुकाकर ग़ज़ल कही।''[6]

अन्य परम्परागत ग़ज़लकारों की तरह विराट की ग़ज़लें भी रुमानी भावों से मुक्ति नहीं पा सकी है। चंद्रसेन विराट कहते हैं कि मेरा तुम्हारा संबंध यानी वीणा और उसके तारों के संबंध जैसा है। या जो संबंध नाव से पतवार का होता है, वही संबंध मेरा तुम्हारा है। प्यार के इस संबंध को प्रस्तुत करने वाली उनकी ये ग़ज़ल देखिए–

जो मरुस्थल से नदी की धार का संबंध है
ठीक वह मेरा तुम्हारा प्यार का संबंध है
एक की सांसें सदा ही दूसरे के स्वर बने
स्पष्ट वीणा और उसके तार का संबंध है
पूछते हैं लोग फिर भी तो बताता हूँ उन्हें
है वही जो नाव से पतवार का संबंध है
यदि गलत समझे न जग तो वह हमारे बीच में
जो घटा में मेघ में मल्हार का संबंध है।''[7]

निष्कर्षतः अन्य साठोत्तरी हिन्दी–ग़ज़लकारों की भांति चंद्रसेन विराट जी ने भी अपनी ग़ज़लों में प्रेम को उसके विविध आयामों एवं भाव–भंगिमाओं के साथ सफलतापूर्वक अभिव्यक्ति दी है। उनकी ग़ज़लों में एक ओर ऐसे प्रेमभाव को अभिव्यक्ति मिली है, जिसका आधार समर्पण और त्याग है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे प्रेमभाव का भी निरूपण हुआ है, जिसका आधार स्वार्थ है। प्रेम के लौकिक एवं अलौकिक दोनों ही स्वरूपों को विराट जी ने अपनी ग़ज़लों में सहज रूप से अभिव्यक्त किया है, परन्तु लौकिक स्वरूप का प्रधानता से चित्रण हुआ है।

चंद्रसेन 'विराट' के विषय में यह तथ्य द्रष्टव्य है कि उन्होंने अपनी ग़ज़लों में मुख्यतः बड़ी व्यापकता और गहनता के साथ सामाजिकता का चित्रण भी प्रेम के संदर्भ में किया है। जीवन और समाज की प्रायः हर विसंगति को उनकी ग़ज़लों में अभिव्यक्ति मिली है। फिर भी विराट जी की ग़ज़लों में प्रेमाभिव्यक्ति निखरे रूप में सामने आई है। उनकी प्रेमाभिव्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने प्रेम को संकीर्ण सीमाओं में न बांधकर, व्यापक धरातल प्रदान किया है और संपूर्ण मानव–जगत के लिए 'प्रेम' को विशिष्ट उपहार के रूप में प्रस्तुत किया है। साठोत्तरी ग़ज़लकारों में विराट जी अपनी प्रेमाभिव्यक्ति की सहजता, गरिमा और प्रभविष्णुता के कारण अग्रणी ग़ज़लकार के रूप में प्रतिष्ठित हो सके हैं।

संदर्भ :–

1. हिन्दी–ग़ज़ल यात्रा, भाग–2, सं. डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल, पृ. 37
2. चंद्रसेन विराट, हिन्दी–ग़ज़ल यात्रा भाग–2, सं. गिरिराजशरण अग्रवाल, पृ. 65
3. आस्था के अमलतास, चंद्रसेन विराट, पृ. 41
4. कचनार की टहनी, चंद्रसेन विराट, पृ. 9–10
5. आस्था के अमलतास, चंद्रसेन विराट, पृ. 42
6. आस्था के अमलतास, चंद्रसेन विराट, पृ. 42
7. ग़ज़ल एक यात्रा, सूर्यप्रकाश शर्मा, पृ. 57

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

''दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकारी प्रयास''

❐ डा. एस.पी. वर्मा*

शोध सारांश

दूध सम्पूर्ण आहार न होते हुए भी संसार का सर्वश्रेष्ठ एकल आहार है जो सम्पूर्ण आहार के बेहद करीब है। यही कारण है कि दूध बच्चों, वयस्कों तथा बूढ़ों, स्त्री-पुरुष, रोगी, स्वस्थ सभी के लिए लाभदायक एवं आवश्यक है। दूध को अमृत की संज्ञा दी गयी है। दूधारू पशुओं के बछड़े एवं बछियों के इस्तेमाल के बाद जो दूध बचता है उसे ही मनुष्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्यों द्वारा जानवरों से अधिकाधिक दुग्ध उत्पादन का प्रयास किया जाता रहा है। सरकारी तौर पर भी दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु महत्त्वपूर्ण कार्य किये गये हैं। इससे देश में दुग्ध उत्पादन की कमी पर नियंत्रण करके भारत को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफलता मिली है। प्रस्तुत शोध पत्र में सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किये गये प्रयासों तथा उनके परिणामों का शोधात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

प्रमुख शब्द—सम्पूर्ण आहार, दुग्ध उत्पादन, सरकारी प्रयास।

परिचय

भारत में पशुधन से दुग्ध विकास हेतु 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही नियोजित हो चुका था। भारत की स्वतन्त्रता से पूर्व इस क्षेत्र के विकास के लिए रायल कृषि समिति (1928) ने विस्तृत रूप से अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की थी। 1948 में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए डेयरी क्षेत्र को विकसित करने के लिए ध्यान केन्द्रित किया गया। भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में नियमित रूप से इस क्षेत्र के विकास एवं विस्तार पर ध्यान दिया गया। देश में दुग्ध सहकारिता का सूत्रपात 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में हुआ, जबकि अमूल डेयरी की स्थापना 1946 में हुई। अतः स्पष्ट है कि अमूल डेयरी के स्थापना के पच्चीस वर्ष पूर्व ही देश में दुग्ध सरकारी समितियाँ गठित एवं संचालित थीं। दुग्ध सहकारिता के माध्यम से उ.प्र. में पहली दुग्ध समिति इलाहाबाद में कटरा कोआपरेटिव के नाम से स्थापित की गयी तथा पहला दुग्ध संघ 1940 में स्थापित किया गया।

सरकारी प्रयास

स्वतंत्रता के पश्चात् देश की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के लिए सरकार द्वारा डेयरी विकास को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। यह अनुभव किया गया कि इस क्षेत्र के विकास का केवल राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग में ही नहीं बल्कि आय एवं रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती

* एसोसियेट प्रोफेसर (पशु पालन), कुलभास्कर आश्रम पी.जी. कालेज, प्रयागराज
E-mail : drspverma_kadc@rediffmail.com

है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु ग्राम समूह योजना (1951-52), गौसदन कार्यक्रम (1959), सघन पशु विकास परियोजना (1964-65), संसार की सबसे बड़ी दुग्ध विकास योजना, आपरेशन फ्लड योजना (1970), विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम (1975), आपरेशन फ्लड योजना द्वितीय (1979-80), ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1980), स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (1982-83), भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम (1987), आपरेशन फ्लड योजना तृतीय (1989), महिला डेयरी परियोजना (1991-92), सघन मिनी डेयरी परियोजना (1991-92), एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना (1994-95), अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना (2001-02) एवं सहायता समूहों के निर्माण द्वारा उद्यमशीलता पशुधन बीमा योजना (2006) अनुदान पर बकरा वितरण, उन्नत मादा वत्स पालन योजना, शत-प्रतिशत अनुदान पर उन्नत सांड वितरण योजना, चरवाहा प्रोत्साहन योजना, प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, वैकल्पिक पशु आहार-असोला योजना, पुआल का यूरिया उपचार कार्यक्रम, चारा उत्पादन योजना आदि को क्रियान्वित किया गया है।

देश के किसानों की आय दुगुनी करने के लिए दुग्ध उत्पादन द्वारा सरकार के प्रयासों को बल मिला है। आधुनिक तकनीक के सहारे पशुधन विकास और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की योजना को तेजी से लागू किया जा चुका है। डेयरी विकास हेतु वर्तमान में मुख्य योजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड राज्यों के सहयोग से चला रही हैं। जबकि दूसरी महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम है जिसे नाबार्ड राज्यों के सहयोग से जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से चला रहा है। साथ ही एक परियोजना डेयरी प्रसंस्करण और ढांचागत विकास के लिए जिसमें किसानों की आमदनी बढ़ाने पर सारा जोर है। इस योजना का शुभारम्भ 2017-18 में किया गया है।

भारत में वर्तमान में दुग्ध उत्पादन 163.7 मिलियन टन हो गया है। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर 10 गोपाल रत्न अवार्ड तथा 12 कामधेनु अवार्ड दिये गये। देश में देशी गायों के संरक्षण हेतु दो नेशनल कामधेनु फीडिंग सेन्टर आन्ध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थापित किये जा रहे हैं। इसके तहत 41 गौ नस्लों और 13 भैंस की नस्लों को संरक्षित किया जायेगा। दुग्ध उत्पादन को अधिक लाभकारी बनाने हेतु राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन की शुरुआत की गयी है जिसके अन्तर्गत ई-पशु हॉट पोर्टल स्थापित किया गया है। यह पोर्टल देशी नस्लों के लिए प्रजनकों और किसानों को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही 10881 करोड़ रुपये की डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ) योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके तहत दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता तथा बल्क मिल्क कूलर के माध्यम से दुग्ध अवशीतन क्षमता का सृजन किया जायेगा। साथ ही इलेक्ट्रानिक दुग्ध मिलावट परीक्षण उपकरण एवं दूध का मूल्यवर्द्धित दुग्ध पदार्थ में परिवर्तित करने की क्षमता का भी प्रावधान रखा गया है।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के अनुसार भविष्य की चुनौतियों से निपटने हेतु हमारी कार्य प्रणाली में धीरे-धीरे आधुनिक तकनीक सहित वातावरण का समावेश करने हेतु एक राष्ट्रीय कार्ययोजना विजन-2022 की रचना की जा रही है। इसमें संगठित क्षेत्र के द्वारा गायों एवं दुग्ध उत्पादकों की संख्या के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन में लगातार बढ़ोत्तरी को मद्देनजर रखते हुए दुग्ध प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्द्धित दुग्ध पदार्थों की मांग को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त अवसंरचना के लिए समुचित वित्तीय प्रावधान किये गये हैं।

भारत में दुग्ध उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में 26 लाख लीटर क्षमता वाली डेयरी प्लांट तैयार किये जा रहे हैं। मथुरा में ही तीन लाख लीटर दूध प्रतिदिन के क्षमता वाला डेयरी प्लांट बनाया जाना है। 200 करोड रुपये की लागत से इस आधुनिक डेयरी संयंत्र प्लांट को तैयार किया जायेगा। इस प्लांट में दुग्ध उत्पाद बनाये जायेंगे। इस प्लांट के तैयार हो जाने के बाद उस क्षेत्र में पशुपालन को भी बढ़ावा मिलेगा।

दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर/मेलों का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य पशुओं की सेहत सुधारने के साथ ही दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। भारतीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। मेला आयोजन के लिए उ.प्र. के अट्ठारह मंडलों को चार जोन में बाँटा गया है। पशु चिकित्सा, बन्ध्याकरण, टीकाकरण, लघु

एवं वृद्ध शल्य चिकित्सा, बाँझपन व नस्ल सुधार के लिए निःशुल्क चिकित्सा होगी। उ.प्र. में 2012 में पशु गणना हुई थी जिसके तहत निम्न तालिका है—

तालिका : उ.प्र. में पशुगणना (2012)

जाति	संख्या
गौवंशीय पशु	20.566 करोड़
भैंस	30.625 करोड़
भेड़	1.354 करोड़
बकरी	15.586 करोड़
सूअर	1.334 करोड़

इन पशुओं की सेहत सुधारने के लिए पशु शिविर/मेले लगाने का प्रावधान किया गया है। इस दौरान केन्द्र सरकार की पशुधन बीमा योजना को भी क्रियान्वित करने पर जोर होगा।

निष्कर्ष :

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने 'राष्ट्रीय दुग्ध दिवस' पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत विश्व में उस पटल पर पहुँच गया है जहाँ दुग्ध व्यवसाय में वैश्विक स्तर पर उद्यमियों के लिए अनेक सम्भावनाएँ उभर कर सामने आ रही हैं। पिछले 15 वर्षों से भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बना हुआ है। इस उपलब्धि का श्रेय दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी योजनाओं को जाता है। 2013-14 में भारत में दूध उत्पादन 137.7 मिलियन टन था जो 2016-17 में बढ़कर 163 मिलियन टन हो गया। इसी तरह प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 2013-14 में 307 ग्राम से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 351 ग्राम हो गयी है। 2011-14 के बीच दुग्ध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 4% थी जो कि 2014-17 में बढ़कर 6% हो गयी है। जबकि विश्व में दुग्ध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 2% थी। वर्तमान समय में भी अपने सफल प्रयासों से दुग्ध उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सन्दर्भ :

- कर, एन. (2002) 'पशुपालन एवं ग्रामीण विकास' दीप एवं दीप प्रकाशन, नई दिल्ली।
- विनय, एम.आर. तथा मंजप्पा, एच.डी. (2004) 'डेरी कोआपरेटिव वाइटल रोल इन रूरल इकोनामी', कुरूक्षेत्र बाल. 12, संख्या 12; अक्टूबर अंक।
- प्रभात, के.पी., सिंह ए. तथा राय बी. (2005) 'एनिमल हस्बैण्ड्री एंड डेयरिंग', कुरूक्षेत्र, वाल. 54, नं. 2, दिसम्बर अंक।
- मिश्रा, आर.सी. (1982) ''भारतीय दुग्ध सहकारिताओं के दुग्ध उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम'' रामा पुस्तक प्रतिष्ठान, लखनऊ
- 'पशुओं की सुधरेगी सेहत, बढ़ेगा दूध' दैनिक जागरण, बरेली, 27 दिसम्बर, 2017।
- ''दूध की उत्पादकता बढ़ाने पर सरकार का जोर'' दैनिक जागरण, बरेली, 29 दिसम्बर, 2017।
- गुप्ता, टी.पी. तथा खान ए.क्यू. (1995) ''पशु पालन एवं दुग्ध उत्पादन व्यवसाय'' किरण बुक कं., इलाहाबाद।

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

ग्रामीण भारत में बेहतर विद्यायलीन शिक्षा उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

❐ डॉ. विभा सिंह**

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र बेहतर स्कूली शिक्षा के साथ–साथ महाविद्यालयीन शिक्षा के संबंध में अध्ययन किया गया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का प्रभाव दुनिया में सभी क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। शिक्षा जगत इससे अछूता नहीं रह सकता। इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो हम दुनिया में पिछड़ जाएंगे। इसके लिए हमें अपनी व्यवस्था में सुधार कर अध्यापक शिक्षा और शिक्षकों हेतु तैयार करना होगा। इस लेख में शिक्षा प्रणाली में सुधार से संबद्ध विभिन्न आयोंगों, समितियों, योजनाओं व कार्यक्रमों की चर्चा की गई है। अगर इनमें दिए गए सुझावों के दृढ़तापूर्वक लागू किया जाए तो अध्यापक शिक्षा की चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा और योग्य, शिक्षक तैयार होंगे जो ग्रमीण क्षेत्र की शिक्षा में सुधार व गुणवत्ता लाएंगे।

परिचय :–

भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। हमारे देश का विकास तभी संभव होगा जब ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। इन क्षेत्रों के विकास के लिए हमें शिक्षा विशेषकर स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। हालांकि आज़ादी के बाद भारत ने शिक्षा को बढ़ाने के विभिन्न प्रयास किए हैं। आज देश में करीब 15 लाख विद्यालय हैं जिनमें से लगभग 75 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इन सभी विद्यालयों में 8,84,254 अध्यापक कार्यरत हैं। जिसमें से 64,65,920 (73.12 प्रतिशत) अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनकी गुणवत्ता व उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने समय–समय पर आयोग व कमेटियां बैठाई। बहुत से कार्यक्रम, नीतियां और योजनाएं बनाई, जिनका विवरण इस लेख में किया गया है।

विद्यालयी शिक्षा संबंधित नीतियां

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968, 1986) के अनुसार शिक्षकों के वेतनमान बढ़ाए जाएं और उनकी सेवा शर्तों को आकर्षक बनाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (1983,85) के अनुसार शिक्षकों की प्रतिष्ठा, कार्यदशा सुधारने एवं कल्याण हेतु शैक्षिक प्रशासकों और शिक्षकों को संग्रहित राष्ट्रीय वेतनमान दिया जाना चाहिए। शिक्षकों की भर्ती को संस्था–आधारित करते हुए स्थानांतरण की वर्तमान प्रणाली से बाहर निकलने की जरूरत है। शिक्षक संगठनों की है। शिक्षण व्यवस्था

* समाजशास्त्र विभाग, शास. महाविद्यालय, चुरहट, सीधी (म.प्र.)

की उच्चतर प्रतिष्ठा तथा मान्यता प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए।

यशपाल समिति की रिपोर्ट (1993) ''शिक्षा बिना बोझ के'' में निखा है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी के कारण स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता संताषजनक नहीं है।'' इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम स्कूलों में इस बात पर बल देना चाहिए कि प्रशिक्षणार्थियों में स्वयं–अधिगम और स्वतंत्र–चिंतन की योग्यता का विकास को सके।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005–08) के अनुसार अध यापक स्कूली प्रणाली के सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। एक व्यवसाय के रूप में स्कूली शिक्षकों की प्रतिष्ठा बहाल किए जाने और योग्य तथा प्रतिबद्ध अध्यापकों को और अधिक प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। शिक्षा के इतर सरकारी काम जैसे कि चुनाव संबंधी क्रियाकलाप इस तरह किए जाने चाहिए कि वे शिक्षण प्रक्रिया में कोई बाधा न बनें। स्कूली अध यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी प्रणालियां होली चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि योग्य अध्यापकों की सेवाएं प्राप्त की जाएं और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि वे बेहतर ढंग से काम कर सकें।

एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) के अनुसार बच्चा, सीखते हुए ज्ञान का सृजन करता है।इसका निहितार्थ है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें शिक्षक को इस बात के लिए सक्षम बनाएं कि वे बच्चों की प्रकृति और वातावरण के अनुरूप कक्षायी अनुभव आयोजित करें ताकि सारे बच्चों को सीखने का अवसर मिल पाए। योग्य व उत्साही शिक्षकों की उपलब्धता, जो अध्यापन को कैरियर के विकल्प के रूप में देखते हैं, स्कूलों के सभी वर्गों में गुणवत्ता की आवश्यक शर्त है। शिक्षा की कोई भी व्यवस्था अपने अध्यापकों की श्रेष्ठता से ऊपर नहीं उठ सकती और अध्यापकों की श्रेष्ठता, उन्हें चुनने वाले अध्यापकों की श्रेष्ठता, उन्हें चुनने के साधन, प्रशिक्षण प्रक्रिया और उत्तरदायित्वको सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त नीतियों पर निर्भर करती है। ऐसे योग्य शिक्षक अध्यापक शिक्षा के माध यम से ही तैयार किए जा सकते हैं जो देश में विभिन्न विद्यालयों में प्राइमरी, मिडिल व सेकेंडरी–स्तर पर कार्यरत हैं, मगर फिर भी सरकार ने समय–समय पर इनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जैसे कि सन् 1993 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् संवैधानिक रूप से पार्लियामेंट के एक्ट से स्थापित की गई ताकि देश में अध्यापक शिक्षा के मापदंडों व मानकों के निर्धारण व रखरखाव द्वारा विभिन्न–स्तर पर अक्ष्छे और योग्य शिक्षक तैयार किए जा सकें। सन् 1998 में, रा.अ.शि.प. ने अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जिसमें विद्याालयी शिक्षा के विभिन्न–स्तरों पर अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रमों की चर्चा की गई है। शिक्षक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप, 2009 के अनुसार हमें ऐसे शिक्षक चाहिए जो बच्चों का ख्याल रख सकें और शिक्षक बच्चों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों। शिक्षकों की भूमिका को बजाय ज्ञान प्रसारक के, सूचना तथा ज्ञान सृजक के रूप में स्थापित किए जाने की जरूरत है।

वर्मा कमीशन (2012) में शिक्षकों व अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2014 में वर्मा कमीशन के मद्देनज़र अध यापक शिक्षा में बड़े बदलाव किए गए। रा.अ.शि.प. ने ऐसे कुशल व योग्य अध्यापक बनाने के लिए 15 कोर्स बनाए, इनकी अवधि बढ़ाई और नवीन पाठ्यक्रम सुझाया। इन पाठ्यक्रमों के द्वारा प्राइमरी–स्तर के अध यापक विभिन्न संस्थानों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय–स्तर पर एन.सी.ई.आर.टी., रा.अ.शि.प.व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– इन तीन संस्थाओं का आपस में तालमेल नहीं है। इन तीनों संस्थानों का आपस में तालमेल बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की रूपरेखा सही दिशा में बने और अध्यापक शिक्षा के मुख्य बिंदुओं को सभी पाठ्यक्रम प्रारूपों में दर्शाया जा सके।

प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम

भारत सरकार ने समय–समय पर स्कूली शिक्षा सुधारने हेतु शिक्षकों के लिए नई–नई योजनाएं बनाई ताकि शिक्षकों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का सुधार को सके। कुछ योजनाओं की चर्चा यहां पर की गई है–

सन् 2017 में एन.सी.आर.टी. नई दिल्ली ने प्राथमिक–स्तर के विभिन्न विषयों में लर्निंग आउटकम तैयार कर उसे लगभग 40 लाख शिक्षकों तक पहुंचाया और उन्हें प्रशिक्षित किया ताकि वे अपनी भाषा में हर कक्षा में हर विषय में छात्रों को क्या ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में सुनिश्चित कर सकें। अब सेकेंडरी–स्तर के लर्निंग आउटकम तैयार किए जा रहे हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रशिक्षित अध्यापक को ही कार्य करने को अधिकार दिया गया। 14 लाख अध्यापक, जो प्रशिक्षित नहीं थे और देश के विभिन्न राज्यों के विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत थे, दनको 2019 तक प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस प्रयास से सभी विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक ही पढ़ा पाएंगे। यह कदम स्कूली शिक्षा की उपलब्धता व गुणवत्ता को बढ़ाएगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने प्री–स्कूल से 12वीं कक्षा तक पूरी शिक्षा पर एक समग्र शिक्षा प्रयोजना को सन् 2018 में लागू किया। यह प्रयोजना स्कूलों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापकों की उपलब्धता व गुणवत्ता को बढ़ाएगी। इस योजना को तीन योजनाओं से मिला कर बनाया गया है। प्राइमरी–स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान, सेकंडरी–स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और अध्यापक शिक्षा को मिलाकर एक समग्र शिक्षा योजना बनायी गई है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ–साथ स्कूली शिक्षा में सुधार लाएगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'स्वयं' प्लेटफार्म की शुरूआत की गई जिसमें एक हजार से अधिक पाठ्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं और 23 लाख से अधिक छात्र लाभ उठा रहे हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली के माध्यम से अगस्त, 2019 से अध्यापक प्रशिक्षण के लिए 'निष्ठा' कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 42 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम से अध्यापकों को विभिन्न विषयों को पढ़ाने की नई–नई विधियां, कला शिक्षा, जीवन के मूल्य, प्रौद्योगिकी का प्रयोग, मूल्यांकन की विधियां इत्यादि के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा में वैश्विक तालमेल

जनसंख्या के आधार पर भारत फायदे की स्थिति में है। उनके कामकाजी वर्ग की आबादी गैर–कामकाजी आबादी से अधिक है। 29 वर्ष की औसत उम्र के साथ यह दुनिया का सबसे युवा देश है। ऐसा उस समय हुआ है, जब बाकी दुनिया बुजुर्ग हो रही है। शिक्षा के लिए बाहार जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या भी यहां आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या से 15 गुना अधिक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के प्लान के आधार पर शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों को भारत में अपने विदेशी शाखा परिसर स्थापित करने के लिए निमंत्रित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

भारत में आसानी से उपलब्ध होने वाली, पक्षपात रहित और ज़ब पर भार स्वरूप न पड़ने वाली उच्च शिक्षा की बात होगी तो गुणवत्ता, प्रासंगिकता और राजगार देने की क्षमता की आवश्यकता उसमें जरूर शामिल होगी। भारत की युवा जनसंख्या का आकार और मांग देखते हुए उसके मानव संसाधन के विकास पर अधिक और लगतार ध्यान देने अनिवार्य हो गया है। भारत का 2024–25 तक पांच ट्रिलियन यानी 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष की प्राप्ति हेतु इस बात पर निर्भर करती है कि उसके शिक्षण एवं प्रशिक्षण संसीान युवा ीारतीयों को बदलते हुए रोजगार बाजार के लिहाज से किना प्रासंगिक ज्ञान तथा कौशल प्रदान

करने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए गुणवतता, श्रेष्ठता, नवाचार और लगातार उन्नयन की जरूरत है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नति के मसौदे में 2035 तक उच शिक्षा में सकल पंजीकरण अनुपात बढ़ाकर कम से कम 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य है, जिसका मतलब है कि दुनिया में चार में से एक स्नातक भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था से ही निकलेगा। फिलहाल सकल पंजीकरण अनुपात केवल 26.3 प्रतिशत है और अगले 15 वर्षों में इसे दोगुन करने के लिए योजना एवं क्रियान्वयन दोनों मोर्चों पर तगड़े सधार की जरूरत होगी। भारत का यह अनुपात वैश्विक अनुपात (36.7 प्रतिशत) से कम है।

उच्च शिक्षा–भारत के लिए अहम चुनौतियां –

जनसंख्या के अनुसार से भारत फायदे की स्थिति में है। उसके कामकाजी वर्ग की आबादी गैर–कामकाजी आबादी से अधिक है। 29 वर्ष की औसत उम्र के साथ यह दुनिया का सबसे युवा देश है । ऐसा उस समय हुआ है, जब बाकी दुनिया बुजुर्ग हो रही है। अमेरिका में औसत कामकाजी उम्र 40 वर्ष है, पश्चिमी यूरोप में 46 और जमान में 47 वर्ष है। इस तरह भारत के पास अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए युवा कार्यबल ही नहीं होगा बल्कि उसके पास कुशल कार्यबल का वैश्विक अड्डा बनने का मौका भी है। यही मौका चुनौती भी है। भारतीय युवाओं को शिक्षा तथा कौशल की जरूरत है और भारतीय प्रणाली को इसके लिए पूरी तरह सक्षम बनना होगा।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बाजार की ताकतों ने बड़ी भूमिका निभाई है। भारत में 993 विश्वविद्यालयों में लगभग 39 प्रतिशत निजी हाथों में हैं। 39931 कालेजों में 78 प्रतिशत निजी क्षेत्र से हैं। उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले 66.4 प्रतिशत लोगों की जरूरतें निजी कॉलेजों से ही पूरी होती हैं, जिसका मतलब है कि केवल 22 प्रतिशत सरकारी कूलेज छात्रों की ऐसी बहुत बड़ी तादाद को शिक्षा दे रहे हैं, जो निजी उच्च शिक्षण संसीानों में उच्च शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकती।[1]

बढ़ती हुई सामाजिक आकांक्षाओं ने शहरी और पग्रामीण केंद्रों में शिक्षा की खाई और भी चौड़ी कर दी है। उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले 54 प्रतिशत से अधिक छात्र भारत के पांच राज्यों– उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक– में ही हैं। देश के 39931 कूलेजों में से 32 प्रतिशत से अधिक 50 जिलों (731 में से) में ही हैं। नतीजा यह है कि देश में कॉलेज का घनत्व (प्रति 100 हजार योग्य लोगों में से) 28 है, लेकिन बिहार में जहां घनत्व केवल सात है, वहीं कर्नाटक में 53 है। वंचित तबके के लिए अक्सर उच्च शिक्षा के मौके की कीमत (अक्सर उच्च शिक्षा के मौके की कीमत (आना–जाना, छात्रावास का शुल्क आदि) बहुत ज्यादा होती है और उसकी शिक्षा में बाधा पैदा होती है।

स्नातकों को रोजगार के कम मौके मिलना, शिक्षण की खराब गुणवत्ता, कमजोर प्रशासन, अपर्याप्त धन आवंटन और जटिल नियामकीय शर्तों का भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र पर असर पड़ता रहता है। अंतराराष्ट्रीय छात्रों की संख्या आम और पर उच्च शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता ओर मजबूती का भरोसेमंद सूचकांक होता है। 2018–19 में केवल 47427 विदेशी छात्रों ने भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश लिया, जो 950 से अधिक विश्वविद्यालयों वाले देश के लिए पर्याप्त ंख्या नहीं है।[2] चीन में 4 लाख से अधिक विदेशी छात्रों ने, जर्मनी में 3 लाख से अधिक और सिंगारपुर में 75000 विदेशी छात्रों ने प्रवेश लिया है। वेश्विक स्तर पर भारत में एक प्रतिशत से भी कम अंतराराष्ट्रीय छात्र आते हैं। भारतीय संस्थान प्रतिष्ठित रैकिंग संस्थाओं द्वारा प्रकाशित दुनिया के 100 शीघ्र विश्वविद्यालयों की सूची में जगह भी नहीं पाते। शिक्षा के लिए बाहर जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या भी यहां आने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या भी यहां आने वाले अंतराष्ट्रीय छात्रों की संख्या से 15 गुना अधिक है।

वैश्विक तालमेल की तस्वीर –

भारत की हाल ही में जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में शीर्ष 200 वैश्विक विश्वविद्यालयों को भारत में अपने विदेशी शाखा परिसर स्थापित करने के लिए न्योता देने का प्रस्ताव है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पांच वर्ष की कार्य योजना इक्विप तैयार की है। यह योजना अगले पांच वर्ष में उच्च शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। हाल ही में नीति आयोग ने विदेशी छात्रों की आमद बढ़ाने के उद्देश्य से बेंगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, चंडीगढ़ और सिक्किम के हिस्सों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की ही तर्ज पर विशिष्ट शिक्षा क्षेत्र विकसित करने की सिफारिश भी की है।

चूंकि शिक्षा रोजगार प्राप्त करने की योग्यता तथा सामाजिक उत्थान की मुख्य कुंजी बनी हुई है, इसलिए आकांक्षाओं से भरे मध्य वर्ग में शिक्षा में निवेश करने की जागरूकता बढ़ रही है। भारत को अपनी युवा आबादी का अधिक से अधिक फायदा उठाना है तो सही शिक्षा बहुत अहम है। भारत में यह मांग स्वयं ही पूरी करने की क्षमता नहीं होगी। नीति आयेाग और कई अन्य संस्थाओं ने उच्चशिक्षा पर नीतिगत दस्तावेज तैयार किए हैं, जिनमें उच्च शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर बल दिया गया है। भारत की उच्च शिक्षा संस्थाएं तेयार करने के लिए दीर्घकालिक साझेदारी खड़ी करने और इस बाजार में मोजूद कमी को बेहतर गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रमों के जरिये भरने के मकसद से विदेशां पर चर्चा की जा रही है।

गहरी साझेदारी का अवसर –

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ऑस्टेलिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात उद्योग है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण के विश्वस्तरीय प्रदाता के तौर पर ऑस्ट्रेलिया उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी क लिए एकदम उपयुक्त है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2014 के बाद 71 प्रतिशत बढ़ गई है और 2019 में 107673 छात्रों ने वहां प्रवेश लिया है।[3] आूस्ट्रेलिया में इस समय पढ़ रहे सभी अंतराष्ट्रीय छात्रों में भारतीयों की संख्या गभग 15 प्रतिश्ता है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद आूस्ट्रेलिया विदेश में पढ़ने का मौका ढूंढ रहे भारतीय छात्रों का पसंदीदा ठिकाना है। लेकिन छात्रों को आूस्टेलिया भेजने भर का मोजदा चलन ज्याद नहीं टिगा और दोनों देशों के बीच रचनातमक एवं अनूठी साझेदारी हो सकती है जेसे ऑस्ट्रेलिया और भारत के विश्वविद्यालय संयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करें और वैकल्पिक कारोबारी मॉडल बनाएं।[4] उच्च शिक्षण संस्थानों तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों वाले उद्योगों के बीच संपर्क होने से रोजगार बाजार के लिए छात्र तेयार हो सकते हैं। वैश्विक शिक्षण संस्थाएं महानगरों के बजाय मझोले और छोटे शहरों की उच्च शिक्षण संस्थाओं तथा क्षेत्रीय एवं राज्यस्तरीय संस्थाओं के साथ साझेदारी पर भी विचार कर सकती हैं क्योंकि अनछुई संभावना के साथ छात्रों की बड़ी तादाद होने तथा विदेशी साझेदार नहीं होने के कारण वहां जबरदस्त संभावनाएं दिखाई देती है।

संयुक्त छात्र–शिक्षक आवागमन कार्यक्रम , संयुक्त शोध ाैर अंतर्राष्ट्रीय गठबधन रैकिंग में सुधर करते हैं। भारत अल्पावधि शोध और शिक्षण के लिए अंतराष्ट्रीय शिक्षकों को बुलाने का प्रयास भी कर रहा है। चुनिंदा भारतीय उच्च शिक्षा संस्थाओं में शिक्षण के वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली ग्लोबल इनीशिएटिव आूफ अकेडमिक नेटवर्क्स योजना और स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ अकेडमिक एण्ड रिसर्च कोलैबोरेशन जेसे भारत सरकार के कार्यक्रम इसी प्रकार का अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र की और नियामकीय समस्याओं से पार पाने की जानकारी कम होने के कारण आवागमन की योजनाओं में कम शिक्षक ही भाग ले पाते हैं।

शिक्षा की तस्वीर तेजी से बदल रही है; जहां दो क्षेत्र मिलते हैं, वहां बहुत कुछ रोमांचक हो रहा है। साझेदारी किसी खास क्षेत्र से इतर उन क्षेत्रों में भी हो सकती हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया को बढ़त हासिल है और

भारत को जरूरत है मसलन खनन सुरक्षा, जैव अभियांत्रिकी, सिग्नल प्रोसेसिंग, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, कृतिम मेधा, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन आदि। एकीकृत उपाधियों तथा विभिन्न विषयेां के अध्ययन में दिलचस्पी बढ़ रही है।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की आबादी 2005 से तीन गुनी हो जाने के बाद भी वहां भारत के बारे मे जानकारी बहुत कम है। 1996 में आूस्ट्रेलिया में छह विश्वविद्यालय एक भारतीय भाषा पढ़ते थे। अब केवल दो ऐसा करते हैं।[5]

आपसी सांस्कृतिक समझ का स्तर बढ़ाने और भारत तथा आूस्ट्रेलिया के एिल जानकारी का मजबूत आधार विकसित करने से ऐसे संबंध और भी प्रगाढ़ हो सकते हैं। इससे दोनों देशों को छात्रों, कालेजों एवं केंद्रीय तथा राज्य देनों स्तरों पर विश्वविद्यालयों के एिल साझेदारी की संभावना तलाशने में मदद मिल सकती है।

अंग्रेजी भाषा के शिक्षण एंव प्रशिक्षण, अनुभव के आधार पर सीखने के लिए तकनीक के प्रयोग एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के क्षेत्र में क्षमता निर्माण का प्रयास किया जा सकता है क्योंकि इन क्षेत्रों में आूस्ट्रेलिया काफी मजबूत है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जेसे प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों से साझेदारी भी हो भ्सकती है। शोध साझेदारी भी बढ़ाई जा सकती है, जिससे जल, बुनियादी ढांचे, गरीबी उन्मूलन, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशासन के क्षेत्र में खास समस्याओं का समाधान मिल सकता है। व्यावसायिक एवं पेशेवर शिक्षा पर अधिक जोर देने से भारत को 2022 तक 40 करोड़ कामगारों का कौशल बढ़ाने के तरीके ढूंढ़ने में मदद मिल सकती है। बहरलाल जरूरत इस बात की है कि सरकारें सीाावनाओं के ढेर में से सही चुनाव करने और ऐसे व्यावहारिक अवसर चुनने के एि प्रदाताओं को लक्षित एवं स्पष्ट सलाह दें, जो ऑस्ट्रेलिया की तकत एवं ााारतीयों की जरूरतों के मताबिक हों। साथ ही खर्च और राजगार के बारे में भारतीय छात्रों की अपेक्षओं को भी सावधानी से समझना होगां

भारत में शैक्षिक संपर्क दोनों साझेदार देशों को फायदा पहुंचाने वाली सच्ची साझेदारी होनी चाहिए, जा विभिन्न नीतिगत संवदों, संस्थागत साझेदारी, शोध ा साझेदारी, क्षमता निर्माण के कार्यक्रमों और छात्रों के पंजीकरण पर आधारित हो।

संदर्भ :–

1. http://aishe.nic.in/aishe/viewDocument. Action/documentld=262(accessedon 8 January, 2020.
2. https://www.orfonline.org/expetspek/ increasing-enrolment-in-higher-education-a-quantitative-andqualitativechallaenge. 55883/(accessedon 8January, 2020).
3. https://ministers.education.gov.au/tehan/ growing-engagement-between-australiaand-india(accessedon 8January, 2020).
4. https://www.afr.com/policy/health-and-education/australia-s-education-approach-to-india-notsustainable-20190428-p5i0c(accessedon 8January, 2020).
5. https://theconversation.com/how-australiacan-help-reform-higher-education-in-india-88479www.afr.com/ policy/health-and-education/australia-s-education-approach-to-india-notsus-tainable-20190428-p5i0c(accessedon 8 January, 2020).

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441

A Peer-Reviewed International Reffered & Multifocal Research Journal

SJIF - 4.076

Tragedy of Society in the Novels of Mulk Raj Anand

❐ **Pradeep Kumar***

❐ **Dr. A.K. Mishra****

ABSTRACT

Mulk Raj Anand born on 12th December and died in 28th September 2004. He was born in Peshawar. His father name was Lal chand and mother was Ishwar Kur .he was the third child among the five. His father lal chand was educated person. Anand was provided with an access to books and insisted upon him the importance of education. His father was an army officer so he had to travelled his family one place to another place. His father was against Hinduism system because he learnt in missionary school. He joined Arya samaj because of this Anand skeptical view towards Hinduism. His father was an ideal person for him.

Key words: Tragedy, Society Novels, Untouchability, Mulk Raj Anand etc.

Introduction :

However Anand's mother was illiterate and related to orthodox farmer family. She believed in religion and she was a pious lady. He stayed his early education period in cantonment so he disliked Indian culture and religion. Anand disliked Hinduism customs because of two incidents of his school times. The first death of his cousin at the age of nine,the second his aunt Devaki did suicide cause of orthodox hindi society. These incidents encouraged him to write then he started to write about social tragedy.

He studied in Amritsar (khalsa college).he completed his graduation in 1924. After that he went to England. Where he was enrolled in university college London after that completed his Ph.D in philosophy from Cambridge University in 1929.His writing career was begun in England. His literary work was related to family tragedy and caste system. After this his aunt chose to suicide because she shared her meal with a muslim women. The he started to write his first prose essay. His first novel "untouchable" was published in 1935.In which He expressed his miserable condition of the lives of caste system. In this book he used Punjabi and hindustan idioms .He got padam bhushan award India's highest civilian award in 1967 for his literary work towards the field of literature and education. He was first Indian writer who got an international readership (1),(2)

Untouchable and slavery :

Untouchability is a curse for human being . It is over 60 years of independence and at least half of Indians are carrying the burdens of slavery in the name of casts. Should n't the government do anything to destroy this caste system and untouchability .This era was very painful and bad for victims. This was a very big problem that times nobody helped these

* Department of English, A.P.S. University, Rewa (M.P.)

** Assistant Professor in English, S.R.P. College, Hanumana, Distt. Rewa (M.P.)

victims. It was spreading in especially in central belt of India.

If you note that moism lived in these states where forcefully enslaved people. People are prepared to do anything for freedom.

'Untouchable' is the story form the life of 18 years old boy Bakha who was called Bhangi(one who clean toilets).He was a strong boy. He has so many dreams. however his circumstances force him to literally beg for the food and get humiliated in each turn of the road. The 'dirty' nature of their work pulls down 'bhangi's to the last of the table of casts.

They were not allowed to drink water from well and they had to beg from upper caste.

The food was given to them by throwing and if they touched any upper caste person they had to accept punishment .Nobody taught them instead of pay.

It is a typical day in the life of the Bhangi, mixed with hunger, hope, small pleasures, insults and setbacks. They have no freedom to convey their emotion.[2] Bakah lived miserable life.

First, to remove caste untouchability a Christian missionary invited him to join Christianity. The second he considers idea of sacrifice from Mahatma Gandhi .The third is flush system. The author criticizes the social iniquity.

The novel describes a single day of protagonist Bakha, a scavenger boy. The entire action takes place within a period of less than twenty four hours. Though the scene of the novel belonged to a small town of the Punjab.

Once a Brahmin saw him going to temple, he shouted at him for polluting the temple when he was climbing down the steps he got his sister Sohoni standing in the courtyard scared and speechless. She told Bakha that the priest tries to molest her while she was cleaning toilets room. She also told him that she screamed out of fear and the priest came out shouting that he was defiled by an untouchable girl .At this Bakha decided to revenge for this injustice but sohini stopped him and the had realized their limitation of caste they were helpless. Bakha sent sohini home he went for food,he shouted for food but nobody gave him food. he was tired and slept on the front of hindu's house after some time a lady came out and shouted at Bakha and asked him to cleaned courtyard to got food.

Neighboring house gave him a chapatti. He returns home and tells his father Lakha about this result and Sohini's molestation by the Pandit . To pacify his son's sorrow Lakha told him his own life story and experience. Bakha left the house to meet his friends. After pass some time with friends he went to Havaldar Charat singh to gather a hockey stick . Bakha got excited with his kind behavior and went to play ground to play hockey match. The boy of upper cast was wounded in the quarrel when Bakha took place wounded boy at his house his mother shouted at Bakha instead of thanks for defiling her son and house. After came back home his father welcome Bakha with abuses for not cleaning latrine work.

All these characters personify a particular vision of reality which the writer has assigned to them. They are normal, simple, bonafide human beings unwitting of their social condition. In the preface to Two Leaves and a Bud Mulk Raj Anand says, "All these heroes and the other men and woman... were the reflection of the real people I had known during my childhood and youth... They were the flesh of my flesh and blood of my blood." Bakha's characters is modeled after one of Anand's childhood friends, who was humiliated by his own mother for being a sweeper boy and the insult and humiliation that he received by Anand's family. He gave voice to his views against the exploitation of a sweeper boy through the character of Bakha in his very first novel Untouchable. [7] The Road is a symbol of progress, a symbol of sympathetic gesture of the low caste downtrodden towards the high caste Hindus, a symbol of friendship offered by the exploited to the exploiters. The completion of the road symbolizes the advent of modernization but the humiliation of Bakha displays rigidity of the orthodox caste system. Anand has been criticized by many for the way the novel ends. According to Premila Paul, the end of the novel "... makes Anand's views quite ambiguous" (24). According to C.J. George also, Bakha's act of heading towards Delhi is confusing. George says, the hero's action hardly has any symbolic significance.

Perhaps Bakha must have reached the conclusion that even if prosperity and modernity embrace the village, the attitude of the villagers will not change and untouchability is bound to haunt and harass him and therefore, the solution to his problem

may be found in his anonymous mingling with multitudes in Delhi. [31] As a realistic novelist, Anand does not end the novel with the happy union of the two classes. He knows that untouchability is deeply rooted in the Indian psyche. The high caste youth 'Sanju' accepts the compromise to work with untouchable only superficially. He returns to his people and shows his arrogance, which is his true nature. He kicks the brass cup of water from Bakha's hand and mourns.

"Our whole house will have to be purified" (110). The attitude of all the friends of Sanju clearly shows that the youth of the high caste Hindus is not ready to accept the change. This rigidity of the high caste youth compels the low caste youth to think about going far away from their birth places. Bakha fails to leberate himself from his caste bonds and decides to desert his own people. He decides to go to a place where he cannot be recognized by his caste.

Conclusion :

There is a strong message I felt from the novel. Most of the problems of India were self created. The British could rule India only because the people were not seriously disturbed by their presence. In the novel, the protagonist is not fearful of the British. This view only repeat the conclusion that political freedom alone will not solve human tragedy

References :

1. A dream in Hawaii; 1978;orient paperbacks,1983
2. A Goddess Named Gold; 1960;Orient Paperbacks,1967.
3. Ibid, 156.
4. Khan, A.G. "Mulk Raj Anand : Crusader for the Downtrodden." The Journal of Indian Writing in English. Vol. 33. No. 1, Jan. 2005, 6-7.
5. Paul Premila. "Indo-Anglian Literature Untouchable Rule 2009." p. 02.
6. Saros Cowasjee."Mulk Raj Anand's Untouchable : An Appraisal." Indo-English Literature " 1977. 45.
7. Paul, Premila. The Novels of Mulk Raj Anand : A Thematic Study. New Delhi : Sterling Publishers, 1983, p. 10.
8. Saros Cowasjee."Mulk Raj Anand's Untouchable", p. 52.
9. Ibid, 156.
10. Pramod Kumar Singh. "Five Contemporary Indian Novelists. Jaipur : Book Enclave, 2001, p.23.

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

Conservation of Water Resources of Naigarhi Area Rewa District, Madhya Pradesh

❒ Kalpana Mishra*
❒ Dr.A.K.Tripathi*

ABSTRACT

The present discusses the conservation of water recourses of Naigarhi Area, Rewa Distract (M.P.). Geologically, the area is belongs sandstone and shale of Rewa group of Vindhyan Super group. Water is one of the most important inputs essential for crops. Both it's shortage and excess affects the growth and development of the plants, yields and quality of produce. There are numerous methods to reduce such losses and to improve soil moisture. These are mulching, cropping, planting of trees, utilization of fog or dew by net-surfacing traps or polythene sheets, contour farming, transfer or water from surplus areas to deficit areas by inter-linking water systems through canals, desalination technologies such as distillation, electro-dialysis and reverse osmosis, use of efficient watering system such as in the present paper. Various measures have been suggested to conserve the water of Naigarhi area.

Introduction

Water is essential for survival of life. Every drop of water is precious but we continue to water it like it is a free natural commodity. 98% of water on this planet is salty and is not fit for human consumption. out of the 2% of fresh water reserves, 1% is looked up in form of ice in various regions around the world. Hence, only 1% of total water reserves are available for out domestic and industrial use,

Many cities in India and around the world are already having server water shortages due to reduced rainfall, man-made chimatic changer, reduction in ground water levels, population explosion industrialization and staggering amount of water wastages because of negligence by uses and dilapidated water supply system.

Water pollution, unavailability of drinking water, inadequate sanitation, open dumping of wastes, loss of forest corer are some of the problems faced by many parts of India.

Study Area : The area is about 1500Km.,^{2} and climate is subtropical type. The average rainfall is about 1000 m.m. in which 15% occurs in monsoon season. The source of drinking water is bore wall , dug well and Hand pump, The agriculture is the main occupation of the area. The temperature ranges from 4'c (winter) to 46^0 c (summer) is the area. The area is bounded by Latitude $24^0$40' N to $24^0$56' N and by 81°40' E to 82°00'E Longitude.

Problem of Water crises

- Over 1 billion people outside the United States do not have access to clean, safe drinking water.

* Assistant Professor and Head Department of Mining JNCT Engineering College, Rewa (M.P.)
** Principal Shriyut College Gangeo, Rewa (M.P.)
E-mail Add.:- kalpanageology@rediffmail.com

- 3.4 million people die each year from scarce and contaminated water sources.
- Millions of women and children spend several hours each day collecting water from distant and polluted sources.
- The time it takes to walk the average 3.7 miles for clean water is time not spent working at an income-generating job, caring for family members, or attending school.
- At any given time, half of the world's hospital beds are occupied by patients suffering from diseases associated with lack of access to clean water.

Geology and Hydrogeology

The area is dominated by the rocks of Vindhyan supergroup and the main rocks in the area types in are sandstone, limestone , shale etc. The joints are developed in limestone sandstone which founded in the growing in the study area. Which in main source of ground water. The are is drained by odda river, nina river, salar river and Gorma nala. which are is the tributary of Tons river. The drainage patterns in dendrite type.

Hydrogeologically, the area lies in Precambrian sedimentary province (Karanth 1987) . Due to high silica cementation in sandstone, the primary porosity is low, whereas secondary porosity in the form of joints, factures, bedding planes and weathered pediment, makes the area favorable for groundwater exploitation (Bharti 2009, Tiwari and Singh 2010), In India, the population growth, urbanization, industrialization and agricultural practices are increasing demand day by day, leading to overexploitation of groundwater (Ozha and Sharma, 2011; Mondal and Singh, 2012; Tiwari and Kushwaha, 2020). Purushotham , D. Rashid, M. Lone, M.A., Rao, A.N , Ahmed . S. Nagaiah , E . and Dar . F.A. (2013). Environmental impact assessment of air and heavy metal concentration in groundwater of Maheshwaram watershed, Ranga Reddy district, A. P.

Water Conservation

Improved water management practices that Reduce or enhance the beneficial used to water a water conservation measures an action, behavioral change, device, technology, or improved design or process implemented to reduce water loss, waste, or use water dictionary is a tool to water conservation. That results in more attaint water use and thus be evaluated in relation to effects on the use and cost of other natural resources.

Goals of water conservation

- **Sustainability :** To ensure availability for future generations, the withdrawal to fresh water from an ecosystem should not exceed its natural replacement rate.
- **Energy Conservation :** Water pumping, delivery, and water treatment facilities consume a significant amount to energy.
- The rooftop rainwater harvesting is less expensive & easy to construct, operate and maintain . In desert, RWH only relief .
- In saline or coastal areas & Islands, rainwater provides good quality water

1. **Rainwater harvesting :** Rainwater harvesting essentially means collecting rainwater on the roofs of building and storing it underground for later use . Not only does this recharging arrest groundwater depletion, it also raises the declining water table and can help augment water supply. Rainwater harvesting and artificial recharging are becoming very important issues. It is essential to stop the decline in groundwater levels, arrest seawater ingress, i.e. prevent seawater from moving landward , and conserve surface water run-off during the rainy season .

2. **Better Irrigation Practices :** Conservation of water in the agricultural sector is essential since water is necessary for the growth of plants and crops . A depleting water table and a rise in salinity due to overuse of chemical fertilizers and pesticides has made matters serious . Various methods of water harvesting and recharging have been and are being applied all over the world to tackle the problem. In areas where rainfall is low and water is scarce , the local people have used simple techniques that are suited to their region and reduce the demand for water .

3. For crop irrigation, optimal water efficiency means minimizing losses due to evaporation, runoff or subsurface drainage . An evaporation pan can be used to determine how much water is required to irrigate the land.

4. **Use of Saline Water for Irrigation :** Saline water is widely available but rarely used for

agriculture because it restricts plant growth and yield . Salt resistant varieties of crops have also been developed in recent times.

5. Mulching, i.e., the application of organic or inorganic material such as plant debris, compost, etc., slows down the surface run-off, improves the soil moisture , reduces evaporation losses and improves soil fertility .

6. Fog and dew contain substantial amounts of water that can be used directly by adapted plant species. Artificial surfaces such as netting-surfaced traps or polyethylene sheets can be exposed to fog and dew. The resulting water can be used for crops .

7. Contour farming is adopted in hilly areas and in lowland areas for paddy fields. Farmers recognize the efficiency of contour-based systems for conserving soil and water .

8. Tippy Tap for water conservation :- Tippy Tap is a simple device which dispenses a limited amount of water slowly and facilitates a thorough hand wash . In case of piped water supply , every time the tap is opened for a hand wash , an average of 300 - 500 ml of water is utilized . Using Tippy Tap it is possible to have a good hand wash with only 60 to 80 ml of water

9. Propagation of Dry Garden/Eco Lawns- As a step towards water conservation and propagation of native plant species, drought resistant plantation (plants requiring less water) should be carried out.

10. Soak pit construction Water run offs and water logging are combated by constructing soak pits near water points like hand pumps . This is a sanitation measure and also helps in recharge of ground water.

11. Tree plantation in water catchments area/ riverbanks and clean - up drives near water bodies some of the other initiatives taken up to preserve our water resources .

12. Desalination- To augment the depletion of fresh water resources in coastal areas due to excessive abstraction, desalination like distillation, electro-dialysis and reverse osmosis available . Selection and use of these processes is site specific.

Conservation Technologies

Process of conservation may be synonymous of preservation against loss or waste. Briefly stated it means putting the water resources of the country for the best beneficial use with all the technologies at our command. Water conservation basically aims at matching demand and supply. The strategies for water conservation may be demand oriented or supply oriented and / or management oriented . The strategies may vary depending upon the field of water use, domestic, irrigation or industrial use.

Advantages

1. Provides self-sufficiency to water supply;
2. Reduces the cost for pumping of ground water;
3. Provides high quality water, soft and low in minerals;
4. Improves the quality of ground water through dilution when recharged;
5. Reduces soil erosion & flooding in urban areas.

Better Irrigation Practices : Conservation of water in the agricultural sector is essential since water is necessary for the growth of plants and crops. A depleting water table and a rise in salinity due to overuse of chemical fertilizers and pesticides has made matters serious. Various methods of water harvesting and recharging have been and are being applied all over the world to tackle the problem. In areas where rainfall is low and water is scarce, the local people have used simple techniques that are suited to their region and reduce the demand for water.

Conclusions and Suggestions

Water conservation measures in include : (i) review of alternate production processes and technologies from water consumption point of view : (ii) ensuring sound plant maintenance practices and good housekeeping, minimizing spills and leaks; and (iii) optimization of treatment to achieve maximum recycling. Another established technique for maximum water recovery is the water pinch analysis technique. However, this technique only focuses on maximizing freshwater and wastewater reduction via reuse and regeneration.

For the water conservation following suggestions may be useful :

- Use only as much water as you require. Close the taps well after use. While brushing or other

use, do not leave the tap running , and open it only when you require it. See that there are no leaking taps .

- Use a washing machine that does not consume too much water. Do not leave the taps running while washing dishes and clothes .
- Install small showerheads to reduce the flow of the water. Water in which the vegetables & fruits have been washed - use to water the flowers & plants.
- At the end of the day if you have water left in your water bottle do not throw it away , pour it over some plants.
- Re-use water as much as possible
- Change in attitude & habits for water conservation.
- Every drop counts

Water Management

- The potential of rainwater harvesting for augmenting rural and urban water supply is increasingly becoming recognized. This alternative should be further explored and utilized .
- Proper water pricing must be an integral part of water policies. However, care must be taken to ensure that the poor and socially disadvantaged are not denied access. Moreover , there must be adequate monitoring and control of market mechanisms .
- It is necessary to study and analyze the impacts of subsidies (on water, energy , and other relevant inputs) on water use. Subsidies that inhibit water use efficiency or cause negative effects on the environment should be reduced.
- Our traditional water management approaches and systems were both sustainable and accountable. These need to revived and invigorated. Policies must recognize and build on these.
- Principles of reuse and recycling of water resources must be incorporated into water management plans and strategies. There must be incentives for water conservation.

Measures of Water Conservation

Water conservation measures in industries should include : (i) review of alternate production processes and technologies from water consumption point of view; (ii) ensuring sound plant maintenance practices and good housekeeping, minimizing spills and leaks; and (iii) optimization of treatment to achieve maximum recycling. Another established technique for maximum water recovery is the water pinch analysis technique. However, this technique only focuses on maximizing freshwater and wastewater reduction via reuse and regeneration.

Improve Water Management

- The close link between forests and water, and the traditional relationship between agriculture and water, need to be recognized and protected to ensure sustained productivity.
- Proper water pricing must be an integral part of water policies. However, care must be taken to ensure that the poor and socially disadvantaged are not denied access. Moreover, there must be adequate monitoring and control of market mechanisms.

Public Education and Awareness

- Public awareness and education on the importance of protection of the coastal and ocean environment helps to meet social and economic needs and aspirations of the country in the long run.
- Awareness campaigns on existing regulations for management of coastal areas need to be conducted. Education and communication material on the need for conservation and protection of rare and endangered species need to be developed .
- Research findings on marine resources, their development and management have to be demystified. The educational and communication material targeted at the public has to be developed in local languages.
- Water problems will not go away by themselves. On the contrary, they will worsen unless we, as a global community, respond and use water responsibly. Intelligence is not in lavishness but in conservation, so that our future generations can continue to enjoy the blissful feeling and touch of water. In the Naigarhi area, chak dam, percolation ponds, deepening of ponds may be useful.

References :

- Karanth, K.R. (1987) Ground Water Assessment Development and Management. McGraw Hill Publishing Company Ltd., New Delhi.
- Purushotham, D. Rashid, M. Lone, M.A., Rao, A. N., Ahmed. S. . Nagaiah, E. and Dar. F.A. (2013) . Environmental impact assessment of air and heavy metal concentration in groundwater of Maheshwaram watershed , Ranga Reddy district , A . P . , Jour . Geol . Soc . India , v . 81 , pp . 385 - 396 .
- Tiwari P.K., Mishra R.N., Tiwari R.N., Dubey D.P. Shrivastava A, matre H.Ku. (2017) sustainable Techniques of surface water conservation for around water recharge in jaisingh Nagar Block of Shahdol district, M.P. India groundwater, 2017
- Tiwari R.N. and Dwivedi Rashmi (2018) Morphometic analysis in part of son river of Rampur Naikin block of Sidhi district (M.P.) India, Natural resources environment and health Edtd by Rabindra Nath Tiwari, excellent publishers New Delhi.
- Tiwari Rabindra Nath (2018) Hydro chemical fancies and groundwater quality assessment for drinking purpose: A case study from Silpari sub watershed Rewa district, central India, Natural resources, Environment and health Edtd.
- Tiwari, R. N. and Kushwaha, V. K. (2018). Delineation of Groundwater Potential Zones in Part of Rewa District, Madhya Pradesh, Using Geospatial Approach. Water Resources, Irrigation Practices and Sustainable Agriculture, Edtd. byR.N.Tiwari ,Excellent Pub. House New Delhi, pp. 30-36.
- Tiwari, R. N. and Kushwaha, V. K. (2020).An Integrated Study to Delineate the Groundwater Potential Zones using Geospatial Approach of Sidhi Area, Madhya Pradesh. Jour. Geol. Soc. India, v.95(5), pp.441-544.

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

प्रतिनिधि कहानियों में प्रेम के विविध संदर्भ

❒ पूजा गर्ग*
❒ डॉ. ज्ञानवती अवस्थी**

शोध सारांश

भारतीय संस्कृति और सभ्यता में प्रेम का आविर्भाव सनातन से माना जाता है प्रेम मनुष्य के इतर अन्य प्राणियों मूक–अमूक वनस्पति, फूल–पौधे जल आदि सभी में विचरण करने वाले प्राणियों में पाया गया जिसके बल पर ही सृष्टी को विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ मानव सभ्यता के विकास के साथ ही भारतीय वाङ्मय में प्रेम कथाओं का विकास हुआ जिन्हें हम उर्वशी–पुरूरवा, सोम–रंभा, मनु–श्रद्धा–इड़ा, राधा–कृष्ण आदि रूपों में अर्थहित कर सकते हैं।

प्रस्तावना :–

प्रेम जीवन का शाश्वत् और अपरिहार्य सत्य है प्रेम को अपनी–अपनी दृष्टि से पूरे विश्व साहित्य में तरह–तरह से परिभाषित किया गया है प्रत्येक भाषा के साहित्य में प्रत्येक साहित्यिक विधा में कविता प्रेम की एद्रिंयता को सघन और सरल बिन्दु में अभिव्यक्ति देने का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है किन्तु जब भी गद्य विद्याओं कहानी और उपन्यास में उसे अभिव्यक्ति मिली उसका धरातल काव्यात्मक संवेदन का हो जाता है स्वतः ही विषय के अनुरूप गद्य कवित्त में ढ़लता चला जाता है, प्रेम के दिव्य औदात्य को प्रगट करते समय एक मखमली सा रोमानी बोध कथा को भी काव्यात्मक संवेदन से स्पंदित कर देता है ऐसे स्थलों में गद्य का चरित्र अपने विधागत रूप को छोड़कर भाषा की बहुत महीन तराश हृदय की ममस्पर्शी अनुभूतियों की पारदर्शित उच्च आवेश को संप्रेशित करते उपमान बिम्बों, प्रतीकों की सृजना कर प्रेम की एक सोंधी सी गंध पूरी रचना को सुगंधित कर देती है और अनायास ही महाकवि सूरदास की स्मृति हो आती है–

प्रेम प्रेम से होय, प्रेम के पारहि जाइये।
प्रेम बंधों संसार, प्रेम परमारथ पाइये।।

हिन्दी साहित्य में शैशव काल से ही प्रेम कहानियाँ रची गई जो स्मृति में आज भी उतनी ही ताजी है जितनी नई कहानी के दौर में लिखी गई प्रेम कहानियाँ किसी भी कहानी की श्रेष्ठता का महत्वपूर्ण मानक उसका यादगार होना भी है सबसे पहले हमारी दृष्टि हिन्दी की कालजयी 'उसने कहा था' 1915 पर जाती है। जिसे पं. चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा था। फ्राँस और बेल्जियम की लड़ाई में मृत हुए नं. 77 के सिख राइफल के जमादार लहना सिंह के अद्भुत साहस और शौर्य की प्रेम पर बलिदान होने की यह कथा छोटे–छोटे पाठ तथा खंड़ों में शिल्प कौशल के साथ लिखी गई है जो आठ साल की बालिका और 12 वर्ष के बालक लहना सिंह के बीच विकास पाकर प्रेम शौर्य और बलिदान की अद्भुत कथा का रूप ग्रहण

* सेवानिवृत्त प्राचार्य, म0प्र0 उच्च शिक्षा विभाग

कर लेती है प्रथम दृष्टिकोण तथा साहचर्य जन्य प्रेम दोनों का ही इस प्रेमोदय में सहकार है।

अमृतसर की भीड़ भरी सड़कों पर जब तक की देखा देखी और थोड़ी–थोड़ी बतकही के बीच पल्लवित बालापन शैशव की यह प्रीति इतना अगाध विश्वास लिए है कि 25 वर्षों के अंतराल के बाद भी प्रेमिका को यह विश्वास है कि यदि वह अपने बबचपन के उस प्रेमी से जिसने कई बार अपने प्राणों को संकट में डालकर उसकी जान बचायी है यदि आँचल पसार कर उससे कुछ माँगेगी तो मिलेगा अवश्य दूसरी ओर वह प्रेमी है जो 25 वर्ष बीत जाने पर फौज का जमादार होकर उस 8 वर्ष की कन्या को कब का भूल चुका है किन्तु उनके बीच घटा संवाद का वह टुकड़ा ''तेरी कुड़माई हो गई'' उसके सम्मुख उस मधुर अतीत को खड़ कर देता है–

मुझे पहचाना?

नहीं!

तेरी कुड़माई हो गई?

धत्!

हाँ कल हो गई देखते नहीं यह रेशमी बूटों वाला शालू

कहाँ?

अमृतसर में,[1]

यह संवाद दोनों की इस दुनिया को फिर से हरा कर देती है जो समय के बल से सूख चली थी उसने कहा था कि पत रखने के लिए प्राण न्यौछावर कर वचन निभाया उसके अद्‌भुत बलिदान और प्रेम पर सर्वस्व अर्पित कर देने से ये कहानी के मिशाल बन जाती है। आज हम लोग थोड़ा सा भी किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसे कितने कितने रूपों में प्रचारित करते हैं भले ही वह प्रेमिका के लिए क्यों न किया गया हो किन्तु आजकल के प्रेम के नायक से अलग यह कथा नायक किसी को बताना नहीं चाहता कि उसने प्रिया की वचन रखा के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है अपने उस अधिकारी सूबेदार को भी नहीं, बस केवल इतना भर कहकर इस दुनिया से जाने को तैयार है ''सूबेदारनी होरा को चिट्‌ठी लिखी, तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना उसने जो कहा था, मैंने कर दिया।''[2] सूबेदार पूछते भी रह जाते हैं कि उसने क्या कहा था। परन्तु लहना सिंह का वही उत्तर, मैंने जो कहा, वह लिख देना, और कह भी देना। प्रेम के इस गुपचुप वचन की रक्षा कर सहर्ष प्राण त्यागकर ऐसी मोन महायात्रा धन्य है यह विलक्षण प्रीति।

बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार, प्रेम और सौन्दर्य के महाकवि, कहानीकार जयशंकर प्रसाद के कहानी साहित्य में कई बड़ी सुन्दर प्रेम कथायें हैं जिनमें पुरस्कार तथा आकाशदीप सर्वप्रमुख है। प्रसाद की प्रेम कहानियों के संदर्भ में कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है तभी हम समझ सकते हैं। कहानी जैसी यथार्थ के अत्यन्त निकट विधा में भी ये अपने कल्पना लोक को रोमानी बोध से नाटकीयता से भर देते हैं। प्रसाद की प्रेम कहानियों के संदर्भ में कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है तभी हम समझ सकते हैं। कहानी जैसी यथार्थ के अत्यन्त निकट विधा में भी ये अपने कल्पना लोक को रोमानी बोध से नाटकीयता से भर देते हैं प्रसाद की प्रेम कहानियों में प्रेमी युगल स्थाई रूप से नहीं मिल पाते या कहे विवाह बंधन में बंध नहीं पाते उनके प्राणों में एक विकल रागनी बजती रहती है चाहे पुरस्कार हो, चाहे वृत भंग, चाहे आकाशदीप, सर्वत्र प्रेमी–प्रेमिका अलग रहने अलग हो जाने को मजबूर है, अभिशप्त हैं। इस सम्बन्ध में एक रोचक बात यह है कि कहानियों में प्रेमिकाएं विरोधी पक्ष के किसी विरोधी या विद्रोही युवक से प्रेम करती हैं और इस रूप में उनके हृदय में प्रेम तथा घृणा, प्रेम तथा प्रतिशोध दो विरोधी मनोभावों का द्वन्द चलता रहता है। कहानी में ये सारी प्रवृत्तियाँ विद्यमान है। पुरस्कार कहानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मगध के विद्रोही राजकुमार अरूण और कौशल के वीर सेनापति सिंह मित्र की कन्या मधूलिका की प्रेम कहानी है जिसे पूरी तरह छायावादी रोमानी भावबोध से बुना गया है। कहानी एक काल्पनिक लोक में विचिरण करती हुयी जीवन यथार्थ से बहुत दूर है। किन्तु एक राजकुमार प्रायःनिर्धन हो गयी कृषक बालिका से प्रेम दिखाकर मधूलिका के हृदय में स्थान पा लेना व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम का स्पष्ट द्वन्द्व इस रूप में चित्रित है और वह जिस प्रकार व्यक्तिगत प्रेम को राष्ट्र प्रेम पर उत्सर्ग कर देती है। वह इस प्रेम के लिए मानव हृदय में श्रद्धा भाव जगाता है प्रेम कथा में वातावरण का चित्रण स्वाभाविक रूप

से आ ही जाता है किन्तु पुरस्कार कहानी में जिस नाटकीयता से कहानी का पट खुलता है वह प्रेम की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है।

''आर्द्रा नक्षत्र, में काले–काले बादलों की घुमड़न एवं दुदुंभी का गंभीर घोष। प्राची के निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष का झॉकना। शैल माला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से उठती महक, प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्हीं–नन्हीं बूदों का स्वर्ण मलिका के समान बरसना।''[3] आदि में उत्सव की महिमा में खो जाना, कौसल के इस प्रसिद्ध उत्सव में मधूलिका का महराज को थाल में से बीजों को देना और मगध के राजकुमार का इस मोहनी छवि को देखकर मधुलिका पर अनुरक्त होना और उसके भोले सौन्दर्य, सरल चितवन पर हृदय हार जाने का चित्रण प्रसाद बहुत नाटकीयता से करते हैं प्रेम कथा में कोतूहल बढ़ता चला जाता है महराज प्रदत्त स्वर्ण मुद्राओं के न स्वीकारना और अपने प्रेमी के लिए राज्य से दक्षिणी नाले के समीप उतनी ही भूमि का माँग लेना, मधूलिका का अरूण के प्रेम में वह जाने का साक्ष्य देती घटना है। मगध का विद्रोही राजकुमार अरुण जिस कृषक बालिका के सौन्दर्य पर रीझा है। उसका चित्रण प्रसाद जी कहानी में कई बार करते है। मधूक वृक्ष के नीचे कोई माधवी लता के जिस भोले सौन्दर्य को अरूण जिस रूप में देखता है एक भिन्न मधूलिका वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। सुमन मुकलित, भ्रमर निस्पन्द थे।

अश्व को मौन रहने के लिए साधते हुए भी अरुण कोकिल के इस स्वर को नहीं रोक सका मानो कोकिल स्वर ने उससे प्रश्न किया हो।

''छीः कुमारी के सोये हुए सौन्दर्य पर दृष्टिपात करने वाले धृष्ट तुम कौन है?''[4]

राजकुमार का मन इस कृषक बालिका पर क्यों आया यह प्रेम की गुत्थी मानव हृदय के लिए अबूझ पहेली है इसमें कौन क्या, कब, कैसे प्रश्न नहीं उठते यह तो बस हो जाता हैं। ''यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं; राज कुमार नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राज कुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खिंचकर एक कृषक–बालिका की ओर न आता। उसका अपमान करने के लिए।''[5]

मधुलिका अरुण की प्रेम डोर में बंधी, महराज से भू–खण्ड को माँग लेती है। किन्तु जब प्रेमी उसे अगली प्रातः अपने खड्ग बल से कौशल के राज सिंहासन पर बिठाने की बात करता है तो वह प्रेम के कल्पना लोक से यथार्थ में आ विचार करने लगती है। और कौसल के वीर सिंह मित्र की कन्या अपनी परंपरा का ध्यान कर राष्ट्र के लिए चिता कुल हो जाती है। वह प्रेमी में अपने राष्ट्र का शत्रु देखती है। हृदय के द्वन्द में व्यक्ति प्रेम पर राष्ट्र प्रेम की विजय होती हे। अरुण को बंदी तो वह बनवा देती है किन्तु राष्ट्र भक्ति के अपने इस अपूर्व कृत के बदले वह पुरस्कार के रूप में प्राणदण्ड ही मांगती है वह न तो राष्ट्र को हारने देती है। न अपने प्रेम को। राष्ट्र और प्रेम के लिए दिया गया यह प्राणोत्सर्ग हृदय में एक टीस सी छोड़ता है और एक अविश्मरणीय नारी का आविर्भाव होता है।

राजा राधिका रमण प्रसाद की 'कॉनों में कंगना'' भी प्रारंभिक दौर की कहानियों में एक श्रेष्ठ कहानी है ''योगीश्वर आचार्य की पालिता पुत्री आचार्य के लिए नरेन्द्र द्वारा लाई गई सामग्री में से केवल कंगन उठा लेती है, अपने भोलेपन में उसने हाथ का कंगन कानों में धारण कर लिया मिलने पर नरेन्द्र उससे पूंछ बैठता है'' किरण! तुम्हारे कानों में क्या है ''उसने कानों से चंचल लट हटा कर कहा कंगना सचमुच दो कंगन कानों को घेरे बैठे थे'' ''हॉ तब कहाँ पहनू''?[6]

उसके इसी भोलेपन में नरेन्द्र अपना हृदय हार जाता है। योगीश्वर उन दोनों की प्रीति देखकर दोनों का विवाह कर देते हैं। विवाह के दो वर्षों में नरेन्द्र के हृदय में एक किन्नरी का प्रवेश होता है सब कुछ उस पर लुटाने के बाद नरेन्द्र जब किरण के पास जाकर पूछता है '' किरण तुम्हारे पास कोई और गहना बच गया है। '' किरण प्रतिउत्तर में कहती है। ''वही कानो में कगना''[7] इतना कहकर उसके प्राण पखेरू उड़ जाते हैं किरण की मृत्यु पर नरेन्द्र को होश आता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इस कहानी में नारी का एक और रूप आविर्भूत होता है।

नई कहानी के दौर में बहुत सी प्रभावी प्रेम कहानियाँ लिखी गइ जिसमें मन्नू भण्डारी की यही सच है, कमलेश्वर की नीली झील, फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम उर्फ मारे गये गुलफाम, शेखर जोशी

की कोसी का घटवार, शैलेष मटियानी की अर्द्धांगिनी, सत्येन्द्र कुमार की खुशबू।

मन्नू भण्डारी की कहानी 'यही सच है' में आज की स्त्री की मानसिक कशमकश को दिखाया गया है इसमें दीपा के मन एक तरह का द्वन्द चलता रहता है वह अपने पहले प्रेमी निथीस से मिलती है तो उसे लगता है कि यही उसका सच्चा प्रेम है लेकिन जब उसे निथीस की तरफ से निरासा हाथ आती है तो एक बार वह टूट जाती है। लेकिन संजय का प्यार भरा स्पर्श पाकर वह सोचती है कि यही सच है। उसे साक्षात्कार के लिए कलकत्ता जाना पड़ता है जहाँ उसका सामना निथीस से होता है और उसके मन में बीती बातें ताजा हो जाती है और वह सोचने लगती है कि, निथीस से वह अभी भी प्रेम करती है। एक बार उसने संजय से कहा मुझे रजनी गंधा के फूल बहुत अच्छे लगते हैं, तब से वह हर तीसरे चौथे दिन उसके कमरे के फूलदान में रजनी गंधा के ढेर सारे फूल सजा देता है।

''जाने क्यों अक्सर मुझे यह भ्रम हो जाता है कि फूल नहीं मानों संजय की अनेकानेक ऑखे हैं जो मुझे देख रही हैं सहला रही हैं''[8]

''पूरे तीन साल बाद निथीस का यू मिलना! न चाहकर भी जैसे सारा अतीत ऑखों के सामने खुल जाता है।''[9]

इस प्रकार कलकत्ता में निथीस से मिलकर वह उसमें अपना खोया प्यार खोजने लगती है वापस आकर भी वह इस द्वन्द से उबर नहीं पाती और निथीस के पत्र का बेशब्री से इन्तजार करती है पत्र पाकर उसे निराशा ही हाथ लगती है और जब वह संजय से मिलती है तो बहुत उदास सी मिलती है और संजय कहता है।

''क्या हो गया है तुम्हें, पागल हो गई हो क्या?''

''तुम कहाँ चले गये थे संजय?''

''रजनी गंधा की महक तन मन पर छा जाती है, और लगता है यह स्पर्श यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, वह सब झूठा था, मिथ्या था, भ्रम था।[10] इस कहानी में नारी का एक अलग ही रूप रंग दिखाई पड़ता है।

तीसरी कसम उर्फ मारे गये गुलफाम एक गाड़ीवान और एक नर्तकी की प्रेम कहानी है जहॉ दोनों का प्रेम सम्बन्ध गाड़ीवान द्वारा एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी तक ले जाते समय होता है।

''मैया तुम्हारा नाम क्या है ?''

म''मेरा नाम ! ...... मेरा नाम हिरामन!

''तब तो मीता कहूँगी भैया नहीं। – मेरा नाम भी हीरा है''।

''हाँ जी मेरा नाम हीरा बाई है।''

कहाँ हिरामन कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है।[11]

हीराबाई महुआ घटवारिन की कथा और हीरामन में साथ बिताये गये यात्रा के क्षण नहीं भूलती है। वह हीराबाई के लिए बाजार से चाय भर कर ले ज आता है जब चाय पीने के लिए हीरा बाई बोलती है तो हीरामन मना कर देता है और कहता है कि कुँआरे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए और इसी तरह हीरा बाई कम्पनी से विदा होते समय स्टेशन पर हीराबाई ने हिरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर फिर अपनी थैली से रुपया निकाल कर बोली एक गरम चादर खरीद लेना''

इतनी देर के बाद हिरामन की बोली फूटी

''हरदम रुपया पैसा क्या करेंगे चादर?''

हीरा बाई का हाथ रुक गया उसने हिरामन के चेहरे को गौर से देखा फिर बोली।

''तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है क्यों मीता ?

महुआ घटवारि को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी''

गला भर आया हीराबाई का। हाथ की बैगनी साफी से चेहरा पोछती है।

साफी हिलाकर इशारा करती है .... अब जाओ''[12]

हिरामन ने अपनी गाड़ी गाँव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी अब मेले में क्या धरा है! खोखला मेला ! और इस वार वह तीसरी कसम खा रहा है। कम्पनी की औरत की लदनी नहीं करेगा। 'अजी हाँ, मारे गये गुलफाम ......''[13] इस कहानी में एक नये अस्तित्व के साथ एक नयी स्त्री का आविर्भाव होता है। और दोनों जीवन भर कुंवारे रहने की प्रतिज्ञा करते हैं।

'कोशी का घटना' कहानी में फौज से रिटायर हुआ गोसाई अपनी पनचक्की में गेहूँ पीसकर अपना समय काटता है। एक दिन दोपहर के समय एक स्त्री गेहूँ

पिसवाने के लिए आती है और गोसाई उसे लौटा देता है। कुछ दूर वापस जाने के उपरान्त जब वह स्त्री नदी तक पहुँच चुकी थी, गोसाई के हृदय में तीव्र उथल–पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं कोा रोक नहीं पाया, और उसने पुकारा ''लक्षमा''। लक्षमा ने पूछा 'मुझे पुकार रहे हैं जी ?'' गोसांई ने संयत स्वर में कहा ''हाँ लेआ, हो जायेगा''[14] बचपन का अप्राप्त प्रेम अचानक सामने आ जाने पर दोनों असमंजश में आ जते हैं पुरानी यादों को जीवंत करते हुए गोसांई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा ''कभी चार पैसे जुड़ जाएं, तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल–चूक की मॉफी माँग लेना। पूत– परिवार वालों को देवी – देवता के कोप से बचे रहना चाहिए।'' लक्षमा की बात सुनने के लिए वह रुका नहीं।[15] इस कहानी में नारी एक नए रूप में दृष्टिगोचर होती है।

कमलेश्वर की कहानी नीली झील एक चर्चित कहानी है। मजदूर कथा नायक महेशा अपने से 10 वर्ष बड़ी पारवती से विवाह करता है। पारवती के जीवन का एक लक्ष्य रहता है मंदिर और धर्मशाला बनवाने का। लेकिन यह इच्छा पूरी होने के पर्व ही, पारवती की अस्पताल में प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। इसके उपरान्त महेशा के गाँव से लगी नीली झील जहाँ सैलानियों का आना–जाना लगा रहता है, और वे निरीह प्राणियेां का शिकार करते हैं। महेशा पारवती द्वारा बचाये गये जिन रुपयों से मंदिर और धर्मशाला बनवाना चाहता है परन्तु शिकारियों द्वारा निरीह प्राणियों के शिकार के कारण वह उस नीली झील को खरीद लेता है।

''झील वाले रास्ते के पहले पेड़ पर उसने एक तख्ती टाँग दी थी, जिस पर उसने लिखा था यहाँ शिकार करना मना है। और नीचे की पंक्ति थी। दस्तखत नीली झील का मालिक महेश पाण्डेय।''[16]

शैलेष मटियानी की कहानी अर्द्धांगिनी एक ऐसी कहानी है जिसमें दाम्पत्य के मधुर राग को रिक्तता बोध के साथ प्रस्तुत किया गया है। शैलेष मटियानी के शब्दों में तन्तुओं की तलाश यहाँ आध्यात्मिक स्तर तक जाती है। नैन सिंह और दुर्गम पहाड़ के गाँव में रहती उसकी प्रिया उसकी पत्नी सूबेदारनी रुक्मा नायिका है। यहाँ उसके वैवाहिक जीवन की पन्द्रह साल बीत चुके हैं किन्तु दो–दो तीन–तीन साल बाद छुट्टियाँ काटने जाते सूबेदार के लिए यह प्रीति पुर्ननवा होती है।

फौजी जीवन के इतने लंबे पत्नी विछोह ने नारी शरीर की माँग भी इस प्रेम को और उद्दीप्त करती है तभी तो उसे हिरनी सी उछाल मारती सरदारनी उसकी हिरनी सी आँखों में घर पहुँचने के भाव में बार–बार याद आती है।

''घर पहुँचते ही सरदारनी का मिट्टी के घड़े की तरह फूट पड़ना और सारा जल सूबेदार पर उड़ेल देना था सूबेदारनी ने, तब कही खुद के पूर्णांग हुए होने की सी तृप्ति हुई थी।''[17]

सत्येन्द्र कुमार की खुशबू मेडिकर कालेज के अध यापक डॉ. कुमार जो साहित्यकार भी हैं और उनकी मेडिकल की छात्रा पारूल के प्रेम की बहुत मार्मिक कहानी है जिसमें मनोविश्लेषण भी है। अंततः डॉ. प्रेमी अध्यापक के लिए पारूल ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर देती हैं कि उसे जबरजस्ती इस प्रेम को स्वीकार करना पड़ता है।

''तुम मेरी स्टुडेन्ट हो, मैंने आवाज के नर्म टुकड़े का सहारा लिया था। हाँ जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तब शायद दोस्ती हो जाये।''[18] पारूल अपना मन पत्र में डॉ. कुमार से इस प्रकार खोल देती है। ''मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ बहुत कोशिश करती हूँ कि आपसे न मिलूँ यह भी जानती हूँ कि मुझे आपके बारे में नहीं सोचना चाहिए लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता मुझसे , क्या इतना बड़ा गुनाह है यह सोचना कि मैं आपके साथ खुश रह सकती हूँ''[19]

बहुत सारी नींद की गोलियाँ खाकर आत्म हत्या की कोशिश भी करती हैं डॉ. को वह बार–बार समझाती है कि दोनों ही एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह सकते।

''उसकी आवाज के टुकड़ों में एक नयी खुशबू उभर आयी थी हाँ मैं बुद्धू हूँ, बेवकूफ हूँ, स्टुपिट हूँ, पागल हूँ, नादान हूँ, बेईमान हूँ जंगली हूँ वह खुशबू मेरे भीतर उतरने लगी क्योंकि उसके हांठ रास्ता ही नहीं दे रहे थे। सब कुछ हूँ मैं और तुम्हारे लिए पास नहीं हूँ मैं, फिर शब्द खत्म हो गये, पर सॉसे थी उसकी उन शब्दों की खुशबू से भरी मुझे पहली बार लगा आवाज का सबसे सुन्दर टुकड़ा बस साँसों में

भरा होता है शब्द नहीं होते उनमें बस एक खुशबू होती है, और खुशबू को कोई कैसे पढ़ सकता है?[20] उपरोक्त कहानी में एक अलग स्त्री चित्रित होती है।

राजेन्द्र राव की चोखेर वाली कहानी के कथानक में प्रेमी प्रेमिका किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में मिलते हैं। कथानयक प्रसून अपनी प्रीति के 40 वर्ष बाद बंगाली प्रेमिका शिप्रा के नगर कलकत्ता ऑफिस कार्य से जाता है। इसी प्रेमिका के पास उसके भाई का पार्सल पहुंचाने का कार्य मिल तो प्रसून के दिल की धड़कन बढ़ने लगी घर का दरवाजा खुलने पर बालिका किशोरी से प्रौढ़ा में में तब्दील हुई प्रेमिका का यह प्रथम दर्शन है।'' सामने किंचित दोहरे बदन की गौरवर्णी सभ्रांत प्रौढ़ महिला खड़ी है। ये वही दो चोटी गूंथने वाली तरुणी है जिसकी एक झलक पाने के लिए कितनी आवारा शॉ मैं कुरबान हुई। देखता रहा घनी केश राशि में चमकते चाँदी के तारों को, शंख की रंगत वाले मुखड़े पर, सूक्ष्म मकड़ जाल को। बड़ी आँखों के गिर्द श्याही को। ऊँची नाक और सूखे होठों को।''[21]

अपने वैधव्य के दुःख को वर्तमान में गृहस्ती में भोगती शिप्रा को इस दुख से उबरने का ढ़ाढस प्रेमी प्रसून से मिलता है और इसी क्रम में दोनों की निकटता मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्थापित होने लगती है। इसके बाद होटल से एक रात के लिए शिप्रा के घर आ जाना व वह भी तब जब बेटा और उसका परिवार नगर से बाहर गये हुए हैं, दोनों के अतीत को पुर्नजीवित करने लगता है।

''संदली बाहों में जगमगाहट फूट रही थी शायद किसी महाभारत कालीन सरोवर में स्नान करके आयी हो (जो यौवन लोटा देता था)''[22]

''यह अहसास होने तक समय गुट्ठियों में फिसलता जा रहा है। धीरे–धीरे कोहरे में चंदन बन डूब गया है।''[23] और उसके बाद की गहरी नींद की एक श्लोक के माध्यम से मंडित किया गया है।

''योवनान्तं वयो यस्मिन्नान्तकः कुशुमायुधात्।
रति खेद समुत्पन्ना निद्रा संज्ञाविपर्ययः''।।[24]

इसके बाद शिप्रा द्वारा प्रसून की पत्नी के लिए कोलकाता का सिंदूर और शंख चूड़ियाँ भेजना प्रेम का दाम्पत्य के प्रति पूर्ण आदर भाव दिखाना है। प्रेम का यह पावित्र कहानी को अत्यन्त महत्वपूर्ण बना देता है।

जया जादवानी की कहानी 'बर्फ के फूल' में जीवन भर घर परिवार व दामपत्य के झमेलों में पड़ा शाश्वत प्रौढ़ावस्था में जब प्रायः बीस वर्ष बाद प्रेमिका शहर को मिलता है तो उसे अपने सपनों का वह प्लैट दिखता है। जो उसने मसूरी में खरीदा है। उम्र के आखरी पड़ाव में आकर दोनों उसमें रहना चाहते हैं। वो अपनी पहली मुलाकात की मधुरता का स्मरण करते हैं। पुरुष प्रेम की एक परिभाषा है।

''कितनी अजीब बात है न 'शहर' पुरुष सारा जहाँ जीत ले उसे वह खुशी नहीं मिलती जो एक स्त्री को जीत कर मिलती है। आखिर जहाँ लेकर वह करे भी क्या ? ''स्त्री उसका हृदय भरती है उसकी आत्मा''[25]

प्रेमिका शहर भरने से पहले भले ही कुछ दिन के लिए ही सही अपने लिए जी लेना चाहती है। इसी निर्णय के लिए दोनों का अपने घर से भागने का कार्यक्रम बनाना, किन्तु एन वक्त पर शहर का ऐसा बीमार हो जाना कि मृत्यु ही उसे मुक्त कर सकी, बेटी से अपने और शाश्वत के सपनों के घर की बात बताकर फिर मिलेगे की आश्वस्ति देकर संसार छोड़ना। प्रेम कथा का कारुणिक अंत एक मीठी कसक सी छोड़ जाता है।

हिमांशु जोशी की 'सागर तट के शहर' कहानी जीवन यथार्थ के बहुत निकट है इस कहानी में नार्वे शहर में आयोजित एक ऐसी अन्तर राष्ट्रीय संगोष्ठी का चित्रण है जिसमें भारत सहित आठ सौ से अधिक देशों के लेखक कलाकार एकत्रित हो विचार चर्चा करते हैं। जिसमें कथावाचक स्वयं मिश्र की जानी मानी लोक गायिका वाहिरा शफीक के निकट आते हैं।

''हाँ उस दिन भी इसी तरह निरभ्र नीले आकाश में धुनी हुई कपास से कुछ सफेद फाये से बिखरे थे– हवा में तिरते हुए। ठण्डी धूप बहुत मठी लग रही, अच्छी। अच्छा लग रहा था, सारा परिवेश। धुला ध ुला! खुला खुला! तिलस्म भरा ''[26]

इस प्रेमिल वातावरण में जब भी अवसर मिलता है अपनी प्रिया के रूप की प्रसंशा काव्यत्मकता के साथ करने लगता है। कभी उसे जल परी तो कभी इजिप्ट

की कियोपेट्र कहता है अनिश्चितता के इस अंतिम अवसर के रूप में साक्षात् रहने की तीव्र कामना आदि के द्वारा कथ नायक द्वारा यहाँ के अनुभवों पर दो अंत सुखात और दुखान्त वाली कहानी लिखने की बात से प्रीति को अभिव्यक्त कर देते हैं। कथानायक के ओश्लो छोड़ने के बाद वाहिरा की जो स्थित हुई वह इस प्रेम की पूर्ण और स्पष्ट स्वीकृति है।

"जिन्दगी में मैं दो ही बार दहाड़ मारकर रोई उस दिन जब राष्ट्रपति नासिर की हत्या हुई थी दूसरी बार उस दिन जब तुम गये और उस भुतहा गेस्ट हाउस में मैं निपट अकेली रह गई थी"।[27]

निष्कर्ष :–

उपरोक्त चयनित कहानियों में मानव मूल्यों का अन्तर स्पष्ट देखा जा सकता है। जहाँ पुरानी कहानियों के पात्रों में मानव मूल्यों का उच्चादर्श देखने को मिलता है, वही नयी कहानियों में समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य उपभोक्तावादी हो गया है। उमें स्वार्थ, लोलुपता व ईर्ष्या की भावना देखने को मिलती है। समय का यह बदलाव धीरे–धीरे किन्तु अनवरत चलता है जिसके प्रभाव से साहित्य भी अछूता नहीं है, और यह परिवव्रन समय सापेक्ष है। पुरानी कहानियों का कथानक आदर्शवादी था वहीं नयी कहानियों का यथार्थवादी है। हम जिस परिवेश में जी रहे हैं यहाँ हर व्यक्ति दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। ऐसे में यदि किसी को पीछे छोड़ना पड़े तो लोग हिचकिचाते नहीं हैं, फिर वह प्रेम हो या परिवार। लेखक भी कोई कथानक परिवेश को देखकर ही लिखता है और कामोवेश आज का परिवेश उपभोक्ता वादी व भौतिकवादी है, और वैसी ही कहानियाँ लिखी जा रही हैं।

संदर्भ ग्रन्थ :–

1. उसने कहा था (कहानी) लेखक –चन्द्रधर शर्मा गुलेरी
2. उसने कहा था (कहानी) लेखक –चन्द्रधर शर्मा गुलेरी
3. पुरस्कार (कहानी) लेखक – जयशंकर प्रसाद
4. पुरस्कार (कहानी) लेखक – जयशंकर प्रसाद
5. पुरस्कार (कहानी) लेखक – जयशंकर प्रसाद
6. कानो में कँगना (कहानी) – राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह
7. कानो में कँगना (कहानी) – राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह
8. यही सच है (कहानी) लेखिका – मन्नू भण्डारी
9. यही सच है (कहानी) लेखिका – मन्नू भण्डारी
10. यही सच है (कहानी) लेखिका – मन्नू भण्डारी
11. तीसरी कसम (कहानी) लेखक – फणीश्वर नाथ 'रेणु'
12. तीसरी कसम (कहानी) लेखक – फणीश्वर नाथ 'रेणु'
13. तीसरी कसम (कहानी) लेखक–फणीश्वर नाथ 'रेणु'
14. कोसी का घटवार (कहानी) लेखक – शेखर जोशी
15. कोसी का घटवार (कहानी) लेखक – शेखर जोशी
16. नीली झील (कहानी) लेखक – कमलेश्वर
17. अर्द्धांगिनी (कहानी) लेखक – शैलेष मटियानी
18. खुशबू (कहानी) लेखक – सत्येन्द्र कुमार
19. खुशबू (कहानी) लेखक – सत्येन्द्र कुमार
20. खुशबू (कहानी) लेखक – सत्येन्द्र कुमार
21. चोखेरवाली (कहानी) लेखक – राजेन्द्र राव
22. चोखेरवाली (कहानी) लेखक – राजेन्द्र राव
23. चोखेरवाली (कहानी) लेखक – राजेन्द्र राव
24. चोखेरवाली (कहानी) लेखक – राजेन्द्र राव
25. बर्फ के फूल (कहानी) लेखिका – जया जादवानी
26. सागर तट के शहर (कहानी) लेखक – हिमांशू जोशी
27. सागर तट के शहर (कहानी) लेखक – हिमांशू जोशी

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

पन्ना पठार में परिस्थितिकी पर्यटन एवं पर्यावरण संरक्षण विकास एवं संभावनाएँ

❑ सुमन सिंह बघेल*
❑ सुजीत कुमार चौहान**

शोध सारांश

पन्ना पठार में परिस्थितिकीय पर्यटन एवं पर्यावरण संरक्षण विकास की असीमित संभावनाएं हैं, यहाँ पर राज्य के उत्तर मध्य भाग में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना और छतरपुर जिले में फैला हुआ है। टाइगर रिजर्व 24°27′ और 24°46′ अक्षांशों और 79°45′ और 80°09′ पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। पार्क सड़कों के एक अच्छे नेटवर्क द्वारा क्षेत्र के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पन्ना नेशनल पार्क से भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की दूरियाँ भोपाल 727 किलोमीटर, दिल्ली 889 किमी, चेन्नई 1761 किमी और कलकत्ता 1040 किलोमीटर हैं। पूरा टाइगर रिजर्व अपने आप में प्रदेश, देश एवं विश्व पटल पर अपनी पकड़ बनाये हुए है। जिसके कारण यहाँ ज्यादातर हवाई मार्ग खजुरहो तक होने के कारण यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र भी विकसित हुआ है।

शब्द–बीज– परिस्थितिकी, पर्यटन, पर्यावरण, संरक्षण, विकास, पन्ना पठार इत्यादि।

परिचय

पारिस्थितिकी, जीव–विज्ञानों में से एक विज्ञान है। आधुनिक जीव विज्ञान का इतिहास सोलहवीं और सत्रहवीं सदी के आसपास से प्रारम्भ हुआ, जब यह मानव के संचार तंत्र, पक्षियों और कीटों के क्रमबद्ध अध्ययन और सूक्ष्मदर्शी के अविष्कार के बाद एक प्राकृतिक इतिहास से उत्पन्न हुआ। आधुनिक परिस्थितिकी वर्तमान सदी की देन है। कुछ ही दशक पूर्व यह प्राकृतिक इतिहास से उत्पन्न होकर एक क्रमबद्ध, प्रयोगात्मक, उद्देश्यपूर्ण अध्ययन के रूप में आया, जिसमें जीवधारियों तथा उनके वातावरण का अध्ययन होता है।

जबकि पारिस्थितिकी का जन्म हाल ही में प्रकृतिक इतिहास से हुआ है, तथा परिस्थितिकीय घटनाओं में जटिलताएं हैं इसलिए पारिस्थितिकी का कोई एक समेकित सिद्धान्त नहीं है। इसी के साथ मानवीय तथा प्राकृतिक पर्यावरण में ह्रास के कारण, इन गंभीर समस्याओं के व्यवहारिक निदान हेतु जन–जागरूकता ने इस विज्ञान के समक्ष कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

अतः जॉन बूझकर तथा आल्डो ल्योपोल्ड जैसे प्रकृतिवादियों के 'संरक्षण आंदोलन'' को ही जनमानस में 'पारिस्थितिकी' के रूप में पहचान मिली है। ऐसी स्थिति में पारिस्थितिकी का उद्देश्य केवल जीवों

* भोज शासकीय सन. महाविद्यालय, धार (म.प्र.)

तथा पर्यावरण को समझना है, न कि आवश्यक रूप से, प्रबन्धन तकनीकों की बात करना।

मानव अथवा अन्य प्राणियों की सफलता किसमें निहित है? इस प्रश्न का उत्तर लगभग डेढ़ सदी पहले चार्ल्स डार्विन तथा बैलेस (1859) ने दिया था। वास्तव में प्रजातियों की सफलता, संसाधनों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने में निहित है, जिसके द्वारा वह अपनी संख्या को बढ़ा सकती हैं या ठीक से रखरखाव कर पाती हैं। विभिन्न जीवधारियेां तथा संसाधनों का अध्ययन, पारिस्थितिकी विज्ञान के विषय क्षेत्र में है। ''पारिस्थितिकी, जीवों तथा उनके पर्यावरण के सम्बन्धों का वैज्ञानिक अध्ययन है।''

जर्मन विद्वान हैकल के अनुसार–''किसी जीव की पारिस्थतिकी, उसके चारों ओर के पर्यावरणीय दशाओं के सम्बन्धों का योग है, जिसमें वे जैव व अजैव दशाऍं भी सम्मिलित हैं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं।''

बुडवरी (1954) के अनुसार – पारिस्थितिकी एक विज्ञान है, जो जीवों का उनके वातावरण के सम्बन्ध में निरीक्षण करता है और एक दर्शन है, जिसमें प्राकृतिक प्रक्रियाओं के सन्दर्भ में जीवन संसार की व्याख्या की जाती है।''

टेलर (1936) के अनुसार– ''पारिस्थितिकी सभी जीवों के सभी वातावरणों से सभी सम्बन्धों का विज्ञान है।''

पेट्रिड्स तथा क्रेब्स के अनुसार – पारिस्थितिकी की परिभाषा इस प्रकार दी है – ''पर्यावरणीय अन्तर्क्रियाओं की अध्ययन की वैज्ञानिक विधि, जो जीवित प्राणियेां के कल्याण, वितरणों, बहुतायत, पुनरुत्पादन तथा विकास को नियंत्रित करती है।''

ओडम (1969) के अनुसार – ''पारिस्थितिकी, पारिस्थिति तंत्रों की संरचना तथा कार्य का अध्ययन है।''

पारिस्थितिकी, जैविक संगठनों के विभिन्न स्तरों की घटनाओं से सम्बन्धित है। सर्वप्रथम यह व्यक्तिगत जीव तथा उसके वातावरण से सम्बन्धित है। पर्यावरण, जीव के चारों ओर की वे समस्त परिस्थितियाँ व शक्तियाँ हैं, जो उसके अस्तित्व को प्रभावित करती हैं। इसे सामान्यतः बसागत कहा जाता है। इसमें प्रकृति के प्रत्यक्ष व परोक्ष कारण कार्य करते हैं। प्रत्यक्ष कारणों में जीव का पर्यावरण तथा परोक्ष कारण बसागत या परिस्थितियों का ही एक भाग होते हैं।

पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। ये तंत्र अलग–अलग तथा सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में परस्पर सम्बद्ध होते हैं। भौतिक तत्व (स्थान, स्थलरूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल तथा खनिज) मानव निवास्य क्षेत्र की परिवर्तनशील विशेषताओं, उसके सुअवसरों तथा प्रतिबन्धक अवस्थितियों को निश्चित करते हैं। जैविक तत्व (पौधे, जन्तु, सूक्ष्म–जीव तथा मानव) जीवमण्डल की रचना करते हैं। सांस्कृतिक तत्व (आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक) मुख्य रूप से मानव – निर्मित होते हैं तथा सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं।

मेथडोलाजी (विधि) –

पाबला (1998) ने बांधवगढ़ 'के वन्य जीवन और उनके जीवन का अध्ययन किया और पीएच.डी. थीसिस उपयोगकर्ता के अनुकूल वन्य जीवन की निगरानी विभाग के लिए चतंबजपबमक 'तमं पद भारत के लिए पद्धति। बिक्री और बर्कमुलर (1988) और रोडर्स (1991) ने वन्यजीव जानवरों की जनसंख्या घनत्व के आकलन के लिए तरीके नियोजित किए हैं। वर्तमान अध्ययन, विभिन्न अध्ययन पहलुओं से घिरे हुए तीन चरणों में आयोजित किया गया है। प्रथम चरण बैक ग्राउंड सूचना का संग्रह, द्वितीय चरण प्री–प्रीडेटर प्रजाति विविधता का अध्ययन तृतीय चरण डेटा व्याख्या और संश्लेषण किया गया है।

तेंदुआ (पैंथेरा प्रडस) और जंगली कुत्ता (अल्पाइन पर सीयू)। बाघ को तेंदुए और बड़े कुत्ते द्वारा नंगा किया जाता है। इस क्षेत्र में प्रील्स ऑफ मैमल्स की 06 (छः) प्रजातियां भी दर्ज की गई हैं। जैसे कि चीतल (एक्सिस एक्सिसा), सांभर (सरवस एलुआई रंग) नीलगाय (बेसेलैफस ट्रागो कैमलस) चिंकारा

(गजेला गजेला) बार्किंग प्रिय, जंगली सूअर । चीतल इस क्षेत्र में सबसे अधिक संभावित जानवर है। चक्रवर्ती, बी। (1991), हैबिटेट ने रेडियो यंत्र चीतल, सांभर का उपयोग किया।

पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एक लोकप्रिय वन्यजीव पर्यटन स्थल है, जो खजुराहो मंदिर स्थल के नजदीक है। यह एक वन्यजीव सफारी पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान को मध्य भारत पर्यटन मानचित्र में प्रमुखता से दर्शाया गया है। यह पर्यटन स्थल बमीठा से पन्ना रोड पर 40 किलोमीटर दक्षिण–पूर्व में खजुराहो से पूर्व में केन नदी के पूर्वी तट के ऊपर, ऊपर–नीचे की पहाड़ियों से घिरी हुई श्रृंखला है। यह क्षेत्र पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संरक्षित है और गौरवशाली सागौन के जंगल के आखिरी झरोखों का दावा करता है यह क्षेत्र घने वन से घिरा हुआ है।

पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में (पार्क) अक्टूबर से जून तक खुला रहता है, जिसके दौरान हम इस बाघ अभयारण्य में जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। मानसून के मौसम के दौरान, पार्क पर्यटकों के लिए बंद रहता है। यह पार्क 543 वर्ग किलोमीटर के सुरम्य घाटों, झरनों और घने सागौन के जंगलों से आच्छादित है। केवल पेट्रोल से चलने वाली जीपों को ही इसकी सीमा के भीतर जाने की अनुमति है, और सुबह की यात्रा के लिए जल्दी जाना पड़ता है, यदि भाग्यशाली हो, तो आप सुंदर टाइगर्स, तेंदुए, आलसी भालू, चित्तीदार हिरण या चीतल, भारतीय गजेल, जंगली सूअर का एक झुंड, हाइना आदि देख सकते हैं। इसकी चट्टानी पहाड़ी गिद्धों के घोंसले के लिए आदर्श स्थान प्रदान करती हैं, जिसके कारण यहां गिद्धों की 6 विभिन्न प्रजातियां देख सकते हैं, जो पन्ना जंगल सफारी का विशेष आकर्षण है। वन क्षेत्र पन्ना शहर से सटा है जो एक ऐतिहासिक स्थान है। शहर का शाही अतीत 17 वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक है, जब यहाँ महाराजा छत्रसाल के राज्य की राजधानी बनाई गई थी। दूसरी ओर, केन नदी पन्ना पहाड़ियों से गुजरने के साथ, शहर में एक वन्यजीव के अनुकूल मौजूद है।

पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का इतिहास

यह एक किंवदंती है कि महाभारत के समय पांडवों ने पनाह नेशनल पार्क के जंगलों में अपने एकांत का एक अच्छा समय यहां रहकर बिताया था। यह युग दूर था, लेकिन अब भी पार्क क्षेत्र हर प्रकार के आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने का केन्द्र रहा है। यह पार्क पन्ना के शाही परिवार का निजी शिकार क्षेत्र था। स्वतंत्रता के बाद, पार्क को एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। जिसके कारण पन्ना टाइगर रिजर्व का वन क्षेत्र पन्ना, छतरपुर और बिजावर राज्यों के शासक का शिकार रिजर्व के रूप में था।

यहाँ के वनों को इन राज्यों से संरक्षण मिला हुआ था। जिसके परिणाम स्वरूप 1975 में उत्तर और दक्षिण के जंगल शामिल करने के बाद पन्ना वन प्रभाग बनाया गया था। बाद में 1978 में छतरपुर वन प्रभाग को इस अभयारण्य में जोड़ा गया। यह वर्ष 1981 में है कि इस पार्क को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और अब यहाँ बड़ी संख्या में वन्यजीवों का ध्यान आकर्षित करता है। यह 1996 में एक बाघ आरक्षित घोषित किया गया था और 2009 में कम बाघ थे और 2014 में फिर से बाघों के साथ मिल गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 543 वर्ग मीटर में फैला हुआ है।

पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कैसे पहुंचा जाये–

पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। यह मध्य भारत का एक लोकप्रिय बाघ अभयारण्य है और सड़क, रेलगाड़ी और हवाई जहाज के द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहां हमने परिवहन के विभिन्न तरीकों से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचने के बारे में जानकारी पर चर्चा की है। उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित माध्यम से पहुंचा जा सकता है–

हवाई मार्ग द्वारा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के लिए निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो हवाई अड्डा है, जो 40

किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक मध्यम आकार का हवाई अड्डा है, जिसकी दिल्ली, वाराणसी के साथ कनेक्टिविटी है। दूसरा सबसे अच्छा विकल्प जबलपुर हवाई अड्डा है जिसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के साथ उड़ान कनेक्टिविटी है।

ट्रेन द्वारा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जाने के लिए, निकटतम रेलवे स्टेशन (40 किलोमीटर) खजुराहो में है, वाराणसी, दिल्ली, आगरा, भोपाल सीमित कनेक्टिविटी है। दूसरा सबसे अच्छा विकल्प सतना रेलवे स्टेशन (80 किमी) है जहां अच्छी ट्रेन कनेक्टिविटी है

सड़क मार्ग द्वारा, निकटतम बस स्टैंड पन्ना खजुराहो और मध्य प्रदेश के कई अन्य स्थानों से जुड़ा हुआ है, जो एक अच्छा सड़क नेटवर्क है। खजुराहो के दक्षिण पश्चिम में लगभग 24 किमी की दूरी पर मंडला एक अच्छा परिवहन केंद्र है। यहाँ से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के लिए बसें और अन्य सड़क परिवहन के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। ।

यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय–

पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यह विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है जिसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह अक्टूबर से जून के मध्य तक आगंतुकों/पर्यटकों के लिए खुला है जो लोग बाघ फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं, वे ग्रीष्मकाल में यात्रा करना पसंद करते हैं अर्थात् मार्च से मई तक। बाघ फोटोग्राफी के लिए घूमने का यह सबसे अच्छा समय है। चट्टानी बहिर्वाह के कारण, ग्रीष्मकाल दिन में बहुत गर्म होता है, हालांकि यह वह समय होता है जब किसी के पास इस पार्क के विशेष वन्यजीवों से सामना करने की अधिकतम संभावना होती है। सर्दियाँ ठंडी और आरामदायक होती हैं और तापमान आमतौर पर 25°C से कम रहता है। मानसून जुलाई में इस क्षेत्र को छूता है और मध्य सितंबर तक जारी रहता है।

पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र –

पर्यटकों के हित को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम आकर्षण और स्थल, जैसा कि हम आपके लिए लेकर आए हैं और पन्ना के भीतर चुनिंदा पर्यटक स्थलों की सूची दी गई है। यह अपनी सुंदर सुंदरता के लिए जाना जाता है। पन्ना का अन्वेषण करें जैसे कि आपने पहले कभी नहीं किया है और जगह के कई छिपे हुए रत्नों के बारे में जानते हैं। इस अच्छी तरह से शोध की गई सूची के माध्यम से, वास्तव में सुखद समय के लिए सबसे अधिक होने वाली जगहों के बारे में जानें। एक यादगार परिवार के लिए सामान्य पिकनिक स्पॉट की खोज करें। असाधारण स्थल के लिए पन्ना में ऑफबीट स्थलों की जाँच करें।

पन्ना में राष्ट्रीय उद्यान

पन्ना में राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटकों के पास सफारी वाहनों पर जंगल सफारी ड्राइव करने का एक महत्वपूर्ण विकल्प है। इन सफारी को ऑनलाइन या प्रवेश द्वार बुकिंग काउंटर पर जाकर बुक किया जा सकता है। पन्ना जंगल सफारी सभी आगंतुकों के बीच लोकप्रिय है चाहे वे केवल पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या खजुराहो मंदिरों का दौरा कर रहे हों। यहां जीप सफारी और कैंटर सफारी विकल्प पर्यटकों के लिए उपलब्ध हैं। प्रवेश द्वार पर पर्यटकों को प्रवेश टिकट बुक करने और सफारी वाहन और गाइड शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। उन्हें प्रवेश द्वार पर या आपके ट्रैवल एजेंट के माध्यम से काम पर रखा जा सकता है। आमतौर पर पन्ना सफारी टिकट बुकिंग कोई समस्यापूर्ण कार्य नहीं है लेकिन फिर भी हम अंतिम समय में किसी भी असुविधा से बचने के लिए अग्रिम ऑनलाइन सफारी टिकट बुकिंग की सलाह देते हैं। हम पन्ना हाथी सफारी का भी आनंद ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए फील्ड डायरेक्टर या नेशनल पार्क से लिखित एडवांस की जरूरत होती है और आमतौर पर फिल्म मेकर्स को यह मुहैया कराया जाता है क्योंकि इसकी कीमत बहुत अधिक होती है, जो सामान्य पर्यटकों के बजट से परे है। नीचे हमने पन्ना सफारी के समय की जानकारी प्रदान की है, निर्णय लिया है, यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान प्रत्येक बुधवार को शाम की सफारी के लिए बंद रहता है और

दिवाली और होली त्योहार के दिन पूरे दिन बंद रहता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जीप सफारी एक अद्‌भुत अनुभव है। आप जीप सफारी पर राष्ट्रीय उद्यानों में गहरे जंगलों में जाते हैं। कड़े इलाकों की वजह से जीप राष्ट्रीय उद्यान में उपयुक्त है। वे खुली जीप हैं, जिनमें 4x4 व्हील ड्राइव की सुविधा है, ताकि वाहन खुरदरे और खड़ी सड़कों पर भी जा सकें। अधिकतम 06 पर्यटक एक साथ शामिल हो सकते हैं।

वर्तमान बाघ अभ्यारण्य का क्षेत्र गौरवशाली इतिहास रखता है। इसकी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का वर्णन ऐन–ए–अकबरी में होता है। पेंच टाइगर रिजर्व और इसका पड़ोस रूडयार्ड किपलिंग के सबसे प्रसिद्ध काम, द जंगल बुक की मूल सेटिंग है। यह पन्ना वन्यजीव फोटोग्राफी के लिए वन्यजीव फोटोग्राफरों की पहली पसंद है। फोटोग्राफी के लिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान टूर बुक कर सकते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान सफारी बुकिंग सरकार से उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको इसे टूर ऑपरेटर के साथ प्रबंधित करना होगा।

पन्ना उद्यान के मैमल्स

पन्ना में राष्ट्रीय उद्यान में स्तनधारियों से संबंधित जानकारी साझा की है। टाइगर्स को पन्ना नेशनल पार्क में भी भेजा गया है जहां वे कुछ साल पहले क्षेत्रीय रूप से विलुप्त हो गए थे और अब केन नदी के किनारे शावकों के साथ अक्सर देखे जाते हैं। टाइगर (पैंथेरा टाइग्रिस टाइगरिस), जंगल का राजा, इस तिजोरी में खुलेआम घूमता है, हालांकि उसके साथी प्राणियों के साथ एक छोटा सा निवास स्थान है – तेंदुआ (पैंथेरा परदूस) टाइगर की तुलना में इस सीमा में अधिक सामान्य है, जो आम तौर पर कथागांव सर्कल, जंगली कुत्ते (क्यून अल्पिनस), भेड़िया (कैनिस लुपस), हाइना (हायना हाइना, काराकल (फेलस काराकल) और अन्य छोटी बिल्लियों तक सीमित है। स्लॉथ भालू का रॉक एस्केरपमेंट्स और अनस्टर्डबर्ड वैल्स में उनका सबसे पसंदीदा घर है। वनों के क्षेत्रों को सांभर के साथ बिताया गया है, जो भारतीय हिरणों, चीतल और चौसिंगा का सबसे बड़ा है। घास के मैदानों में, विशेषकर खूंटी पर सबसे खुले इलाकों में नीलगाय और चिंकारा आसानी से देखे जा सकते हैं।

पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी

पक्षियों का कभी रंगीन जीवन सभी को रोमांचित करता है। इस जीव की चहकती और चहकती आवाज हर श्रोता को मंत्रमुग्ध कर देती है। मधुर माधुर्य मोहक और हवा में एक जादू पैदा करता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का रहस्यमय वातावरण इन अद्‌भुत प्राणियों के संगीत की ध्वनि से पूरक है। पन्ना नेशनल पार्क पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियों का घर है। यह सर्दियों के मौसम के दौरान कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक मेजबान भी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, पन्ना नेशनल पार्क में गिद्ध दृष्टि भी महान है। यहाँ गिद्धों की लगभग 06 दुर्लभ प्रजातियों की सूचना दी जा सकती है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर (जिप्सस सिग्नस), व्हाइट बैक्ड वल्चर (जिप्स अफ्रिसनस), एशियन किंग वल्चर (सरकोगिप्स कैल्वस, हिमालयन ग्रिफन वल्चर (जिप्स हेलायेंसिस), मिस्र का गिद्ध (Neopure) और यूरेशियन वल्चर (एजिपियस मोनसस)। पहाड़ी क्षेत्र पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पक्षी हैंरू पैराडाइज फ्लाईकैचर, पॉन्ड हेरोन, व्हाइट–नेक्ड स्टॉर्क, हनी बजर्ड, स्लेटी–हेडेड पैराकेट, नाइट जार, पीफॉल्स, स्पॉटेड डॉव्स, ब्लॉसम–हेडेड पैराकेट, बर–हेडेड गूज, लार्क, पिपिट, मिनिवेट्स, पार्टिडेज। बटेर, क्रेस्टेड सर्पेन्ट ईगल, पेरेरगाइन फाल्कन, लेसर एडजुटेंट, ब्लैक डोंगो, पाइद मैना, बुलबुल, इंडियन बया बुनकर, क्रो फीजेंट्स, कोयल, किंगफिशर, इंडियन रोलर, ब्राउन फिश उल्लू आदि।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनेकों विद्वानों के चिन्तनों एवं अनेक अनुसंधानों से पारिस्थितिकी अध्ययन के विषय क्षेत्र में निरन्तर विकास होता जा रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक–अजैविक संघटक, पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, भू–रसायन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, बाधोम, पर्यावरण अवनयन, असंतुलन, प्राकृतिक आपदायें, प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रबन्धन आदि का अध्ययन किया जाता है।

इस प्रकार किसी पारिस्थितिक तन्त्र के खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखलाओं के जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे उतना ही तन्त्र अधिक सन्तुलित होगा और उसमें जीवों की संख्या अधिक स्थिर रहेगी।

निष्कर्ष :–

उपरोक्त तथ्यों के आध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पन्ना एवं छतरपुर जिले के मध्य पर्यावरणीय संसाधन केन नदी के तटों पर अत्यन्त ही मनोहारी एवं सौन्दर्यपूर्ण है। यहां का पर्यावरण बहुत ही सौम्य है वायु प्रदूषण यहां रन्चमात्र भी नहीं दिखाई पड़ता यहां पर प्रकृति अपने आप में समस्त जीव–जन्तुओं को अपने में समेटे हुए है। यहां मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान विकसित किया गया है। जो अत्यन्त मनोहारी है, यहां पर दूर–दूर से लोगों भ्रमण के लिए आते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पर पर्यटन के साथ–साथ प्रकृति ने अनुपम पर्यावरणीय वातावरण विद्यमान है।

संदर्भ–

- डॉ. के0सी0 पुरोहित (2006) पर्यावरण और पारिस्थितिकी, विनसर पब्लिशिंग कम्पनी देहरादून– (उत्तराखण्ड) पेज–62–64
- एस.के. ओझा (2013–14) पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बौद्धिक प्रकाशन अल्लापुर, इलाहाबाद, पेज.–7
- Chakrabarty, B. (1991), Habitat use by Radio Inpumented chital, Sambar and Nilgai in Sariska tiger Reserve M. L. dissertation Saurashtra University, Rajkot, pp. 44
- Choudhary, L.K. and S.A. Khan (2003). Bandhavgarh National Park, fort of the tiger. The Definite Guide.
- Pabla, H.S. (1998). Development of a user friendly wildlife monitoring Methodology for Protected areas in India. Ph.D. thesis wild life Institute of India. FRI Deemed University, Dehradun., India.
- Rodgers, WA& HS Panwar (1988). Planning Wild life Protected area Network in India, Vol. I & II, wildlife Institute of India Dehradun.
- www.khajuraho-india.org/around-khajuraho/panna-national-park/index.html

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

स्वच्छता अभियान में सामाजिक संगठनों की भूमिका का समाजशास्त्रीय अध्ययन (रीवा शहर के विशेष सन्दर्भ में)

❒ शिवबिहारी कुशवाहा*
❒ डॉ. अखिलेश शुक्ल**

शोध सारांश

स्वच्छता अभियान पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार मानव शरीर यंत्र के लिए रक्त संचार जरूरी है; उसी प्रकार स्वच्छ वातावरण बनाये रखने लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। समाज के लोग इस अभियान में बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभियान में लोग दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने आस–पास के वातावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से शामिल हो रहे हैं। अभियान के प्रति बढ़ती लोकप्रियता का ही परिणाम है कि लोगों में गन्दगी फैलाने वाले लोगों के प्रति विरोध देखने को मिल रहा है। क्योंकि लोग अपने आस–पास को स्वच्छ रखना या देखना पसंद करते हैं।

21वीं सदी में भारत को जब नवाचारी और विश्वगुरु के रूप में अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें छोटे–छोटे कस्बों से लेकर गॉव तक को स्वच्छ रखना होगा। हमें अपने आंतरिक संरचना में सुधार करने की आवश्यकता है। जिसमें स्वच्छ वातावरण सबसे मुख्य पहलू है। इस अभियान के तहत सरकार का मुख्य उद्देश्य आम–जनमानस के स्वच्छता के प्रति सजक करने की आवश्यकता है। मन, वाणी, कर्म, शरीर, चित्र, समाज, परिवार, संस्कृति और व्यवहार से लेकर धर्म और विज्ञान तक में स्वच्छता का विशेष महत्व है।

मुख्य शब्द :– स्वच्छता, सामाजिक संगठन, जागरूकता, नवाचारी, वातावरण आदि।

प्रस्तावना

भारतीय संस्कृति का आधार वे मूल्य हैं, जिनमें हमारा जीवन, परिवार, और समाज सीधे तौर पर जुड़े हैं। इन मूल्यों में पवित्रता और स्वच्छता भी है। ये ऐसे मूल्य हैं जिससे हमारा जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ने के साथ परिवार और समाज एक आदर्श परिवार और समाज की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता क्या है इस शब्द को अनेक विद्वानों ने अपने–अपने तरीके से समझने का प्रयास किया है स्वच्छ शब्द का अर्थ–अत्यन्त साफ, सुन्दर, एवं स्वस्थ स्वच्छता का तात्पर्य है–सब प्रकार से साफ–सफाई, निर्मलता, एवं पवित्रता। मन की, हृदय की, शरीर की, वस्त्रों की, घर आस–पास,

* शोध छात्र (पी.एच.डी.समाजशास्त्र), शा0 ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय (रीवा म0प्र0)
** प्राध्यापक (समाजशास्त्र), शा0 ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय (रीवा म0प्र0)

पानी, भूमि, वायु आदि को निर्मलता एवं सफाई रखना ही स्वच्छता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ स्वच्छता की आवश्यकता न हो। व्यक्ति, परिवार, और समाज की समृद्धि, प्रगति, और विकास का मार्ग स्वच्छता से होकर ही गुजरता है। स्वच्छता मानव की एक आदर्श शैली है, जिसे भारत में अभी दृढ़ता के साथ स्थापित करने की आवश्यकता है। बुनियादी स्वच्छता का प्रश्न व्यक्ति की, विशेष रूप से लड़कियों किशोरियों, महिलाओं की निजता एवं सम्मान की रक्षा से इसका संबंध जल–मल जनित बीमारियों से होने वाली असमय मौतों को रोकने, कार्यस्थल पर स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था से, सार्वजनिक स्थल पर शौचालय की व्यस्था से सकल घरेलू उत्पाद के परिणाम में वृद्धि कर दिए जाने से है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संपोषणीय विकास लक्ष्यों के अनुसार, संपूर्ण विश्व वर्ष 2030 तक स्वच्छ तरीके से प्रबंधित (सबके लिए स्वच्छता) तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ–सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गाँधी के जन्म दिवस 02 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। स्वच्छ भारत, निर्मल भारत अभियान जो कि 2012 से चालू है का एक विस्तारण रूप है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान व ग्रामीण स्वच्छता अभियान इसके पूर्वजों अभियान है। वास्तव में स्वच्छ भारत आज के समय की जरूरत है। विश्व में भारत को संस्कृति व अध्यात्म के लिए जाना जाता है। साथ ही इसे गंदा देश के लिए भी जाना जाता है। शासन व प्रशासन जो करना चाहते है वह करने दिए जाए व जो वो कर रहे है तब भी शहर, गलियाँ व मोहल्ले एवं अन्य सार्वजनिक संस्थान, जगह तब तक स्वच्छ नहीं रह सकते जब तक प्रत्येक नागरिक स्वच्छता से जुड़े लगभग 90 प्रतिशत सफाईकर्मी विभिन्न प्रकार के संक्रमण रोगों की चपेट में आने से समय से पहले मौत का शिकार हो जाते हैं। स्वच्छता कार्यक्रम लंबे समय से सरकारी नीति का हिस्सा है। भारत की वर्तमान जनसंख्या लगभग सवा सौ करोड़ है। जो विकास के पथ पर निरंतर प्रगतिरत है। जो विकास की राह पर अनेक समस्याओं से सूझ रहा है। इसमें से एक भयावह समस्या है संक्रमण रोगों से होने वाली मृत्यु। कई ऐसी बीमारियाँ है जिनका प्रत्यक्ष संबंध साफ–सफाई की आदतों से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छता को कई प्रकार से परिभाषित किया है।

लोगों को स्वच्छता के लिए शौचालयों व दूषित पानी को स्वंय स्वच्छ रखने के संसाधनों व उपायों को करने की अवश्यकता है। मानव के मल–मूत्र, कचरे आदि का सुरक्षित संग्रहण, भण्डरण, उपचार, निस्तारण तथा पुनः प्रयोग करना स्वच्छता है। पानी निकासी व्यवस्था, औद्योगिक कचरा, खतरनाक कचरा, जैसे रासायनिक कचरा, रेडियोएक्टिव कचरा और अस्पतालों का कचरा आदि का संग्रहण व निस्तारण करना ही स्वच्छता है।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की भाषा में व्यक्ति का प्रत्येक स्थान पर एक अच्छे और स्वच्छ शौचालय तक पहुँच का अधिकार होना ही मुनियादी स्वच्छता का एक सर्व स्वीकार्य मानक है।

अध्ययन का उद्देश्य :–

1. स्वच्छता अभियान के प्रति रीवा जिले के युवाओं में जागरूकता का पता लगाना।
2. विभिन्न स्वच्छता कार्यक्रमों के बावजूद स्वच्छता के क्षेत्र में अपेक्षित असफलता के कारणों की समीक्षा करना।
3. स्वच्छता अभियान के माध्यम से लोगों में स्वच्छता के प्रति आये बदलाव का अध्ययन।
4. स्वच्छता अभियान में गांधीवादी दृष्टिकोण का अध्ययन।
5. स्वच्छता अभियान में जागरूकता फैलाने में प्रयोग होने वाले माध्यम की भूमिका का पता लगाना।

शोध प्रविधि :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध विषय को ध्यान में रखते हुए निम्न पद्वतियों का उपयोग किया गया है –

निदर्शन पद्धति :–

अध्ययन को स्वरूप देने के लिए उद्देश्यपरक निर्देशन के अन्तर्गत रीवा शहर का चयन किया गया। रीवा शहर के शहरी इलाकों में रह रहें लोगों का चयन निदर्शन के माध्यम से किया गया है।

शोध उपकरण

प्रश्नावली–अध्ययन को स्वरूप प्रदान करने के लिए रीवा के शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों से प्रश्नावली के माध्यम से उनकी राय और विचारों को जानने के प्रयास किया गया है। तथ्य संकलन के लिए प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न के रूप में खुला प्रश्न दिया गया जिसके माध्यम से प्रतिभागियों के विचारों को भी शोध ा में शामिल किया गया है।

अनुसूची–भाषाई विविधता होने के कारण, कुछ प्रतिभागियों को प्रश्नावली समझने में समस्या होने के कारण, उनसे राय और विचार जानने के लिए प्रश्नावली का उपयोग यहाँ अनुसूची के रूप में भी किया गया है।

तथ्य विश्लेषण एवं आंकडों का प्रस्तुतिकरण –

प्रस्तुत शोध में अध्ययन के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। समाज में स्वच्छता अभियान की स्थिति, इसकी लोकप्रियता और कार्य पद्धति को केन्द्र में रखकर यह शोध कार्य किया गया है।

तथ्यों और आंकड़ों को प्रश्नावली, अनूसूची के माध्यम से एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत शोध रीवा शहरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों पर विशेष रूप से केन्द्रित है। अध्ययन में 18 वर्ष से अधिक महिला एवं पूरूष नागरिकों को शामिल किया गया है। जिनमे विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई है। तथ्य संकलन हेतु पचास से अधिक प्रश्नावली, अनुसूची को भरवाया गया है। लेकिन तथ्य विश्लेषण में पचास प्रतिभागियों के मतो को शामिल किया गया है। तथ्य संकलन का कार्य जनवरी 2020 में किया गया है।

साक्षात्कार अनुसूची में कुल 05 प्रश्नो को शामिल किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची में बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त तथ्यों को अध्ययन हेतु केन्द्र में रखा गया है। साक्षात्कार अनुसूची में विकल्प के रूप मे हॉ, नही और पता नही को तथ्य संकलन हेतु आधार बनाया गया है। जो इस प्रकार है –

तालिका क्रमांक 1. स्वच्छता अभियान में नागरिकों की भागीदारी

क्र.	नागरिक	न्यादर्शो की कुल संख्या	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	50	35	70
2	नही	50	13	26
3	पता नही	50	02	04
योग –		50	50	100

इस तालिका से ज्ञात होता है कि रीवा शहर में स्वच्छता अभियान में नागरिकों की भागीदारी में कुल चयनित नागरिकों की संख्या 50 में से 35(70 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा स्वच्छता अभियान में नागरिकों की भागीदारी है। 13(26 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा स्वच्छता अभियान नागरिकों की भागीदारी नही है। 02(04 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा ज्ञात नहीं है। इस लिए यह कहा जा सकता है कि रीवा शहर के लोग शिक्षित होने के कारण 70 प्रतिशत नागरिक स्वच्छता अभियान में बढ़ – चढ़ कर हिस्सेदारी निभा रहे है।

तालिका क्रमांक 2.

क्या स्वच्छता अभियान के बाद गंदगी से होने वाली बीमारियों में कमी आई है।

क्र.	नागरिक	न्यादर्शो की कुल संख्या	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	50	34	68
2	नही	50	13	26
3	पता नही	50	03	06
योग –		50	100	100

इस तालिका से ज्ञात होता है कि रीवा शहर में स्वच्छता अभियान के बाद गंदगी से होने वाली बीमारियों में कमी आई है। में कुल चयनित नागरिकों की संख्या 50 में से 34 (68 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा स्वच्छता अभियान के बाद गंदगी से होने वाली बीमारियों में कमी आई है। 13 (26 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा स्वच्छता अभियान के बाद गंदगी से होने वाली बीमारियों में कमी नही आई है। 03 (06 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा ज्ञात नहीं है।

इसलिए यह कहा जा सकता है कि रीवा शहर के शिक्षित नागरिक होने के कारण 68 प्रतिशत नागरिक गंदगी से होने वाली बीमरियों के प्रति सजग है।

तालिका क्रमांक 3.

स्वच्छता अभियान में आने वाली कठिनाईयों में लोगों की सहायता मिलती है।

क्र.	नागरिक	न्यादर्शो की कुल संख्या	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	50	36	72
2	नही	50	12	24
3	पता नही	50	02	04
योग –		50	50	100

इस तालिका से ज्ञात होता है कि रीवा शहर में स्वच्छता अभियान से आने वाली कठिनाईयों में लोगों की सहायता मिलती हैं। में कुल चयनित नागरिकों की संख्या 50 में से 36 (72 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा स्वच्छता अभियान में आने वाली कठिनाईयों में लोगों की सहायता मिलती है 12 (24 प्रतिशत) स्वच्छता अभियान में आने वाली कठिनाईयों में लोगों की सहायता नही मिलती है। 02 (04 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा ज्ञात नहीं है।

इसलिए यह कहा जा सकता है कि रीवा शहर के नागरिक शिक्षिति होने के कारण स्वच्छता अभियान में आने वाली अठिनाईयों में मद्द करते करते है।

तालिका क्रमांक 4.

क्या स्वच्छता अभियान के बाद से स्वच्छता हेतु लोगों में रूझान बढ़ रहा है

क्र.	नागरिक	न्यादर्शो की कुल संख्या	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	50	30	60
2	नही	50	15	30
3	पता नही	50	05	10
योग –		50	50	100

इस तालिका से स्पष्ट होता है कि स्वच्छता अभियान के बाद से लोगों में रूझान बढ़ रहा है मे चयनित कुल 50 नागरिकों में से 30 (60 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा रूझान बझ़ रहा है। 15 (30 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा रूझान नही बढ़ रहा है। 05 (10 प्रतिशत) नागरिकों ने कहा ज्ञात नही है।

इसलिए कहा जा सकता है कि रीवा शहर के नागरिक शिक्षित होने के कारण 60 प्रतिशत नागरिकों में रूझान बढ़ा है।

निष्कर्ष

प्राप्त तथ्यों के अनुसार 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि स्वच्छता अभियान जागरूकता लाने में सफल हो रहा है। 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि स्वच्छता न होने के कारण बीमारियों के प्रति जागरूकता आ रही है। 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि स्वच्छता अभियान में आने वाली समस्याओं से लोगों की सहायता मिलती है। 60 प्रतिशत नागरिकों ने कहा स्वच्छता अभियान के बाद से स्वच्छता हेतु लोागों में रूझान बढ़ा है। इससे यह कहा जा सकता है। कि आम जानता में स्वच्छता अभियान के प्रति रूझान बढ़ा है। स्वच्छता अभियान के कारण गंदगी से होने वाली बीमारियों के औसत में कमी आई है।

. सुझाव –

शोध अध्ययन में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिए जा रहे है –

- स्वच्छता अभियान के प्रति आमजन की भागीदारी और जागरूकता को बाढ़ने की आवश्यकता है।
- स्वच्छता अभियान की पहुँच बढ़ाने के लिए प्रत्येक शहर में स्थानीय आईकॉन को अभियान का ब्रांड अंबेसडर बनाना चाहिए। जिससे लोगों का जुडाव अभियान हो सकें ।
- स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए सरकार के द्वारा टीम बनाकर जागरूकता फैलाने और समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया जाना चाहिए।

- स्थानीय स्थर पर सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान में विशेष भागीदारी हेतु पर्यावरण संरक्षण जैसे पुरुषकारों की घोषणा करनी चाहिए।
- शार्ट फिल्म, पोस्टर, बैनर, चित्र, आदि दिखाकर शहर के लोगों को स्वच्छता अभियान से जोड़ने और अपने आस–पास साफ रखने का संकल्प लेना चाहिए।
- मीड़िया को जिम्मेदारी के साथ जुड़ने और जोड़ने की विशेष आवश्यकता है।

शोध की उपयोगिता –

शोध के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि रीवा में स्वच्छता अभियान की पहुँच कहॉ तक है? आमजन में इसकी लोकप्रियता कैसी है? क्या स्वच्छता अभियान जैसी योजना से रीवा स्वच्छ हो रहा है? या इस योजना के माध्यम से सरकार अपनी लोकप्रियता बढ़ा रही है। शोध की उपयोगिता स्वच्छता अभियान के विस्तार के साथ–साथ अभियान में आमजन की भागीदारी और सरकार की नीतियों को भी सुनिश्चित करती है।

सन्दर्भ –

1. स्वच्छतम मध्यप्रदेश 2017 तृतीय अंक
2. सिंह, संजय (अक्टूबर 2018) : योजना पत्रिका, अंक 62 पृष्ठ 17
3. भट्ट, राजेन्द्र (नवम्बर 2019) : योजना पत्रिका, अंक 11, वर्ष 63 पृष्ठ 19–20
4. चौधरी , राजेन्द्र (जनवरी 2020) : योजना पत्रिका, अंक 1, वर्ष 64 पृष्ठ 21–23
5. स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
6. पत्रिका गुरूवार, 02.जनवरी 2020 पृष्ट 02
7. दैनिक भास्कर सतना, शनिवार 4 जनवरी 2020, रीवा फ्रन्ट पेज 02
8. पत्रिका शुक्रवार, 31.01.2020 पृष्ट 05
9. दैनिक भास्कर सतना, शुक्रवार 7 फरवरी 2020, रीवा फ्रन्ट पेज 01
10. http:/swachhbharatmission.gov.in/swachhsamiksha/index.aspx

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

महिलाओं के राजनीतिक जीवन में आधुनिकीकरण का प्रभाव

❑ सुनीता शुक्ला*
❑ डॉ. रचना श्रीवास्तव**

शोध सारांश

स्त्री ईश्वर की अनूठी रचना है। स्त्री जीवन की जड़ है । यदि जड़ को क्षति हुई तो सारा संसार खतम हो जायेगा। स्त्री समाज की उद्धारतारण करने वाली है, इसी स्त्री का राजनीति में प्रवेश राजनीति में सक्रिय भूमिका, परिवार, समाज देश और विश्व में एक मिशाल बनकर सामने आ रही है।

महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए अप्रैल 1993 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा त्रिस्तरीय, पंचायती राज्य संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में सभी स्तर पर महिला सदस्यों के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दी गई, जिससे देश में सामाजिक राजनीतिक जीवन में महिलाएँ क्रियाशील होकर अपनी भूमिका निभाएँ।

प्राचीनकाल से अपना देश भारतीय परम्परात्मक एवं रूढ़िवादी समाज रहा है, परन्तु समय के चक्र के बदलाव के साथ–साथ सामाजिक परिवर्तन भी सामने आया है। जाति व्यवस्था में शिथिलता, शिक्षा का विकास, औद्योगिकीकरण, यातायात की व्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, संवैधानिक प्रावधान, महिलाओं की स्थिति में सुधार, पिछड़े और शोषित वर्गो का उत्थान कुछ ऐसे संकेतक है जो भारत में हो रहे आधुनिकीकरण को दर्शाते हैं।

आधुनिकीकरण के दौर में महिलाओं के समाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक के साथ–साथ राजनैतिक जीवन में भी परिवर्तन आया है कि नहीं, राजनीति सहभागिता में महिलाओं की बढ़ोत्तरी हुई है कि नहीं, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पर शोध पत्र केन्द्रित है। रीवा नगर के महिलाओं में राजनीतिक जीवन पर आधुनिकीकरण के प्रभाव से संबंधित है। शोध पत्र को तैयार करने के लिए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि के माध्यम से 50 उत्तर दाताओं का चयन किया गया। अवलोकन साक्षात्कार अनुसूची, विधि के द्वारा चयनित महिला उत्तरदाताओं से महिला सदस्य की राजनीति में सहभागिता से संबंधित प्रश्नों के जवाब जानने के प्रयास के साथ–साथ ऑकड़ों को वर्गीकृत, विश्लेषित कर निष्कर्ष निकाले गये हैं।

मुख्य शब्द–अनूठी, उद्धार, विधेयक, संविधान संशोधन, संवैधानिक प्रावधान, शिथिलता, शोषित वर्ग, राजनीति सहभागिता।

* प्राध्यापक, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** शोधार्थी (समाजशास्त्र), शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

प्रस्तावना–

भारतीय समाज में देश के आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय बदलाव तीव्र गति से आए हैं, इसका कारण शिक्षा का प्रसार, सामाजिक अधिनियम, औद्योगिकीकरण आदि है जिसके कारण महिलाएँ अब सभी तरह की गतिविधियों जैसे कला और संस्कृति, सेवा क्षेत्र, विज्ञान और प्राद्यौगिकी, शिक्षा, राजनीति, मीडिया आदि में बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं।

आज राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में जिस प्रकार उन्नति हो रही है, और वह जिस तेजी से ऊँची उठ रही है, वह एक आश्चर्य का विषय है। जहॉ एक ओर 1937 में या सुरक्षित सीटों पर सिर्फ 10 महिलाऍ ही चुनाव में आगे आई थीं जबकि विधानसभा में 1957 में 105 महिलाऍ विधानसभा सदस्यों के रूप में निर्वाचित हुई, 1977 में आम चुनाव के बाद लोकसभा एवं राज्य सभा में कुल मिलाकर 42 महिलाऍ चुन कर आयी थीं। आधुनिकीकरण का ही प्रभाव है कि 17वीं लोकसभा में विजयी उम्मीदवारों में महिलाओं की कुल संख्या 78 है। महिला सांसदों की अबतक की सबसे अधिक भागीदारी के साथ ही नई लोक सभा में महिला सासंदों की संख्य कुल सदस्य संख्या का 17 प्रतिशत हो जाएगा।

महिलाओं के राजनीति में सहभागिता का सबसे अहम भूमिका भारतीय संविधान में 73वें एवं 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायत स्तर पर 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी की है। इसका परिणाम ही है कि जहॉ पंचायत स्तर पर लगभग 4 प्रतिशत महिलाऍ भाग लेती थी जो अब 50 प्रतिशत के लगभग पहुॅच चुकी है। भारत के पांच राज्यों जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, राजस्थान, में महिला मुख्य मंत्री रह चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में अभी भी हैं। पूर्व काल में सुचेता कृपलानी, मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री रह चुकी है। वर्ष 1972–76 के मध्य नंदिनी सतपति उड़ीसा की मुख्यमंत्री थी। 1970 में शशिकला कालोदकर गोवा की मुख्यमंत्री थी। 1980 में सइदा अनवर असम की मुख्यमंत्री रही थीं, तो तमिलनाडू की जानकी रामचन्द्रन ने मुख्यमंत्री की पद को सुशोभित किया। सन् 1990 में पंजाब में राजेन्द्र कौर भठ्ठल मुख्यमंत्री रही। बिहार में राबड़ी देवी, दिल्ली में सुषमा स्वराज तथा शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री रहीं। महिलाओं में राजनीति में पकड़ की मजबूती का अंदाज इसी से लगता है कि कांग्रेस की भूतपूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती, तमिल की मुखिया जय ललिता तथा जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती।

भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में विख्यात श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश को मजबूत राजनीति ढॉंचा प्रदान किया। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही। भारतीय संसद में पूर्व लोक सभा अध्यक्ष मीरा कुमार तथा सुमित्रा महाजन रहीं।

भारतीय राज्यों में 1947 से आजतक राज्यपाल पद की सुशोभित किया प्रथम महिला राज्यपाल भारत की कोकिल और सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू बनी थी, इसके बाद पश्चिम बंगाल में पद्मजा नायडू, महाराष्ट्र में विजया लक्ष्मी पंडित, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में शारदा मुखर्जी तथा मध्यप्रदेश में अशोदा बेन पटेल राज्यपाल के पद पर विराजमान हैं। रीवा की महापौर ममता गुप्ता ही है और इनसे पहले श्रीमती आशा सिंह महापौर बन चुकी हैं।

समाजशास्त्रियों द्वारा आधुनिकता को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है –

प्रो. एम. एस. मोरे – ''आधुनिकीकरण एक जटिल अवधारणा है, क्योंकि जिन समाज को हम आधुनिक कहते हैं, उनमें भी पर्याप्त अन्तर देखने को मिलता है।''

प्रो. वी. वी. शाह – ''आधुनिकीकरण केवल एक आर्थिक प्रक्रिया मात्र ही नहीं है, अपितु राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है।'' इस प्रकार यह एक बहुपक्षीय और जटिल प्रक्रिया है, जो एक समाज विशेष के सदस्यों के सम्पूर्ण जीवन को छूती है। आधुनिकीकरण के कारण नये विचारों और तकनीकों को विस्तार हो रहा है।

शोध का उद्देश्य–

(1) रीवा नगर की महिलाओं के राजनीतिक जीवन में आधुनिक परिवर्तनों के प्रभावों की जानकारी प्राप्त करना।

(2) औद्योगिकीकरण, नगरीकरण के कारण महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका ज्ञान प्राप्त करना।

(3) रीवा नगर की महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का पता लगाना।

(4) रीवा नगर की महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता की जानकारी प्राप्त करना।

(5) राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।

अध्ययन का महत्व–

प्रकृति परिवर्तनशील है, मानव प्रकृति भी जैसे युग परिवर्तन होता है, वैसे ही परिवर्तित होती है। आधुनिक युग प्रौद्योगिक युग है। देश के आजाद होने के बाद से महिलाओं के हितार्थ बहुत से योजनाएँ क्रियान्वित की गयी। इन योजनाओं का महिलाओं को कितनी जानकारी प्राप्त है। महिलाएँ राजनीति में अभी भी पुरुषों को ही महारथी मानती है कि अपने को भी उसका हिस्सा समझती है, इन सब बातों का पता लगाकर महिलाओं में राजनीतिक चेतना के लहर की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

अध्ययन पद्धति एवं उपकरण–

शोध पत्र के तैयार करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया गया है उद्देश्यपूर्ण निर्दशन के द्वारा महिलाओं का चुनाव किया गया साक्षात्कार अनुसूची पद्धति, अवलोकन, पद्धति के माध्यम से अध्ययन किया गया उद्देश्यपूर्ण निर्दशन विधि के द्वारा 50 महिलाओं को चुना गया जो समस्त का प्रतिनिधित्व करती है। सामान्यतः आधुनिकीकरण का प्रभाव समाज के सभी क्षेत्रो पर पड़ा है। साक्षात्कार अनुसूची पद्धति के माध्यम से चयनित महिलाओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि आधुनिकीकरण के माध्यम से महिलाओं के राजनीतिक जीवन में क्या बदलाव सोचने की शैली में क्या बदलाव आए है किस किस क्षेत्र में बदलाव आए है इस बारे से संबंधित प्रश्न पूछे गए है। तथ्य संकलन को दो भागो में बांटा गया है –

1. प्राथमिक क्षेत्र– प्राथमिक स्त्रोत में अवलोकन, साक्षात्कार अनुसूची तथा उद्देश्यपूर्ण निर्दशन विधि के माध्यम से 50 उत्तर दाताओं का चयन किया गया।

2. द्वितीयक स्त्रोत– द्वितीयक स्त्रोत के अंतर्गत प्रकाशित तथा अप्रकाशित ग्रंथों साहित्य तथा पत्र पत्रिकाओं, जगणना रिपोर्ट के द्वारा तय संकलित किए गये।

उपकल्पना–

जिज्ञासा मानव की मूल प्रवृत्ति है। और यही उसके वैज्ञानिक आधार के केन्द्र बिन्दु भी है। चिन्तन के स्तरों के दो भाग हो सकते है –

1. अनुसंधान के पहले का चिन्तन
2. अनुसंधान के बाद का चिन्तन

चिन्तन जो अनुसंधान के पहले किया जाता है उपकल्पना कहलाता है शोध के पहले, शोधकर्ता अनुसंधान के कारणों और परिणामों के बारे में एक निश्चित रूपरेखा बना लेते है उसे ही उपकल्पना कहा जाता है।

लुण्डवर्ग ने कहा है कि–एक उपकल्पना एक सामाजिक काम चलाउ समान्यीकरण है जिसके वैधता की जांच शेष रहती है।

प्रस्तुत शोध में मुख्य उपकल्पनाएँ निम्न है–

1. रीवा जिले में आधुनिकीकरण के कारण महिलाओं में राजनीतिक चेतना की जागृति हुई है।

2. आधुनिकीकरण के कारण महिलाओं की सामाजिक संरचना में बदलाव आया है।

3. रीवा जिले की महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हुई है।

उपकल्पना का परीक्षण –

उपकल्पना– आधुनिकीकरण के कारण महिलाओं में राजनीतिक चेतना की जागृति हुई है।

परीक्षण– प्रस्तुत शोधपत्र में जिस उपकल्पना का निर्माण किया गया है उसके परीक्षण के दौरान यह ज्ञात होगा कि आधुनिकीकरण के कारण परंपरागत सामाजिक संरचना में कितना बदलाव आया है, महिलाएँ अभी भी घरेलू जिम्मेदारियों के चलते राजनीति से दूर रहती है कि शिक्षित होने प्रभाव राजनीति में भी दिखाती है। सूचना संचार और संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग राजनैतिक चतना जागृत करने में सफल हुआ है कि नहीं, अध्ययन कार्य के दौरान इसका परीक्षण किया जाएगा।

उपकल्पना– रीवा जिले की महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हुई है।

परीक्षण– जब से समाज में आधुनिकता ने कदम रखा है, उसके बाद से बदलाव सा आ गया है। महिलाएँ राजनीति में भी अपना वर्चस्व कायम कर रही हैं कि नहीं, इस उपकल्पना का परीक्षण अध्ययन के दौरान किया जायेगा।

शोध क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण –

प्रस्तुत शोध पत्र में रीवा नगर को अध्ययन क्षेत्र में चयनित किया गया है। रीवा जिला म.प्र. के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका नामकरण नर्मदा नदी के दूसरे नाम रेवा पर आधारित है। इसके उत्तर में उत्तरप्रदेश के बांदा तथा इलाहाबाद पूर्व तथा पूर्व उत्तर में मिर्जापुर जिला दक्षिण में सीधी जिला तथा दक्षिण पश्चिम में सतना जिला है। इसका कुल क्षेत्रफल 6287 वर्ग कि. मी. है जो 9 तहसीलों हुजूर, सिरमौर, गुढ, रायपुर कर्चुलियान, मऊगंज, नईगढी, हनुमना, त्योंथर, तथा जबा में बंटा हुआ है। प्रस्तुत अध्ययन का सीमा क्षेत्र हनुमना, मऊगंज तथा रीवा है।

रीवा की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 235654 के लगभग है जिनमें 124012 पुरूष और 111642 महिलाऐं है।

पूर्व साहित्य की समीक्षा– भारतीय समाजशास्त्रियों ने भारत में विकसित हुयी आधुनिकता कर विश्लेषण करते हुए अपने विचार इस तरह प्रकट किए है।

एम. एन. श्रीनिवास ने अपनी कृति 'आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन' नामक पुस्तक के माध्यम से पश्चिमीकरण द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकता के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को इंगित करने का प्रयास किया है।

प्रो. योगेन्द्र सिंह की पुस्तक ''मार्डनाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन'' 1972 आधुनिकता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है आधुनिकीकरण सांस्कृतिक व्यवहारों का एक विशेष रूप है जिससे सार्वभौमिक और विकासवादी लक्षणों का समावेश होता है यह लक्षण मानवतावाद से संबंधित होने के साथ ही संजातियता और किसी विशेष विचारधारा से पृथक होते है।

इन्होने बताया कि आधुनिकीकरण की विशेषताऐं परंपरा से अलग होती है इसके बाद भी जब किसी समाज का आधुनिकीकरण होना आरंभ होता है तो उसमें परंपरा के कुछ तत्वों का भी प्रभाव बना रहता है।

तथ्यों का संकलन वर्गीकरण एवं विश्लेषण –

महिलाओं के आधुनिकीकरण में राजनीति की भी अहम भूमिका है, महिला इन बातों से कितना राजी है। इन बातों का पता शोधार्थी द्वारा पता लगाया गया।

तालिका क्र 1

महिला सदस्य की राजनीति में सहभागिता

क्र	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	महिला सदस्य राजनीति में भाग लेती है।	35	70%
2.	महिला सदस्य राजनीति में भाग नही लेती हैं।	15	30%
	योग–	50	100%

तालिका क्र. 1 से स्पष्ट है कि अध्ययन की गई 50 महिलाओं से जब जाना गया कि क्या आप राजनीति में हिस्सा लेती है तो 35 महिलाओं ने हॉ में उत्तर दिया। पहले जहॉ महिलाऐं राजनीति के नाम पर केवल मतदान कर देती थी उससे ज्यादा उनकी कोई भूमिका नही थी वहीं पर महिलाऐं राजनीति में बढ चढ कर भाग ले रही है। 17वीं लोकसभा में विजयी उम्मीदवारों में महिलाओं की कुल संख्या 78 है। महिला सांसदों की अब तक की सबसे अधिक भागीदारी के साथ ही नई लोकसभा में महिला सांसदो की संख्या कुल सदस्य संख्या का 17 प्रतिशत हो जायेगा।

महिला जो 18 वर्ष की है मताधिकार का प्रयोग कर सकती है तथा लोकसभा, विधानसभा आदि की सदस्य होने के लिए उम्मीदवार होने का अधिकार है। आज महिलाऐं नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की भी सदस्य है और इसी के साथ पार्षद, मेयर, विधायक मंत्री मुख्यमंत्री भी है।

वर्ष 2007 में नगरीय निकाय आरक्षण संशोधन विधेयक के बाद वर्ष 2009 में म.प्र. में महिलाओं के सशक्तिकरण और नगरीय स्थानीय निकायों के अधीन निर्णय लेने की कार्यवाही में महिलाओं को और अधिक सम्मिलित करने के उद्देश्य से, नगरीय निकायों के चुनाव के लिए वर्ष 2009 में महापौर और पार्षदों के लिए 50 फीसदी निकाय महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। महिलाओं के लिए प्रदेश की नगर निगमों में वार्ड के हिसाब से 50 फीसदी सीटे महिला पार्षदों के लिए आरक्षित की गई।

वर्तमान में 2019 में रीवा की महापौर ममता गुप्ता जी है। जो एक महिला है और रीवा की प्रथम नागरिक होने का दर्जा प्राप्त है। ममता गुप्ता के 10 साल पहले श्रीमता आशा सिंह महापौर बन चुकी है।

किन्तु 50 में से 15 महिला अर्थात 30 प्रतिशत महिलायें अभी भी राजनीति में भाग नही लेती क्योंकि उन्हें राजनीति से भरा जीवन बिल्कुल पसंद नही है अतः 30 प्रतिशत महिला राजनीति में भाग नही लेती।

आज वर्तमान में लगभग सभी महिलायें मतदान में भाग लेती है चुनाव के समय टीवी में प्रसारित समाचार सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि विकलांग, बुजुर्ग, नवयुगल दूल्हा–दुल्हन मतदान केन्द्र जाकर मतदान करते है, सभी जगह जागरूकता फैली है मतदान को लोकतंत्र का सबसे बडा त्यौहार कहा जाता है आजकल मतदान केन्द्र भी सुसज्जित तरीके से बनाया जाता है वोटरों को दिक्कतें हो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है।

राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिकीकरण का प्रभाव चुनावी प्रक्रिया में भी दिखता है ईवीएम (इलेक्ट्रानिक बोटिंग मशीन) के द्वारा चुनाव होने लगा है।

निष्कर्षतः वर्तमान समय में राजनीति में महिलाओं की की सहभागिता बढ़ी है।

ग्राम पंचायत में महिला की भूमिका–

वर्तमान समय में 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् 24 अप्रैल 1993 से अधिकतर राज्यों में पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई, जिनमें महिलाओं की सहभागिता पर विशेष जोर दिया गया। भारतीय गांवो के विकास के साथ साथ पंचायतों को भी मजबूत बनाया गया और पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गये। महिलाओं को पंचायतों में सहभागिता प्रदान करने के बाद ही भारतीय ग्रामीण समुदाय में लगभग 7.5 लाख महिलाओं की राजनीति और प्रशासन में सहभागिता प्रारंभ हो चुकी है। और पंचायतों में सहभागिता का सफलतापूर्वक महिलाऐं निर्वाह कर रही है। म.प्र. राज्य की कुल 21999 पंचायतों, 373 जनपद पंचायतों, 50 जिला पंचायतों में 33 प्रतिशत महिलायें अर्थात 7392 महिलायें, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच पंच के पद पर आसीन है और ग्रामीण विकास के कार्य में अपना सहयोग दे रही है। म.प्र. के जिन ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच है उन ग्रामों के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक शाला, बालवाड़ी, आंगनवाडी, स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन सफलतापूर्वक हो रहा है।

वास्तविकता यह है कि महिला जनप्रतिनिधियों के पास विकास संबंधी योजनाओं के निर्माण की सोच अधिक है, और इनमें प्रशासनिक क्षमता भी अधिक है किन्तु रूढियों, परम्पराओं, समाज के दबाव और सीमित कार्यक्षेत्र होने के कारण ये अधिक सशक्त निर्णय लेने में सकुचाती रही है।

तालिका क्र –2
महिलायें उम्मीदवार के रूप में भाग लेते हुए

क्र	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	32	65%
2	नही	7	13%
3	अंशतः हॉ	11	22%
	योग–	50	100%

तलिका क्र. 2 से स्पष्ट है कि अध्ययन की गई 50 महिलाओं में उम्मीदवार के रूप में 32 महिलायें अर्थात 65 प्रतिशत महिलायें भाग लेती है और 50 में से 7 महिलाएँ अर्थात 13 प्रतिशत महिलायें उम्मीदवार के रूप में भाग नहीं लेती है। कुछ महिलायें अंशतः हाँ में उत्तर दिया है अर्थात 50 में से 11 महिलायें अंशतः हॉ में उत्तर दिया है अर्थात 22 प्रतिशत महिलाऐं आंतरिक रूप से तैयार है लेकिन बाहरी संकोचवश राजनीति में उतरने से पीछे हट रही है।

आधुनिकीकरण के परिवर्तित परिवेश में महिलायें अपने प्रशासनिक क्षमता के साथ विकास की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वित करके ग्रामीण समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए अपना महान योगदान दे रहीं है।

तालिका क्र. 3
धरने पर बैठने पर विचार

क्र	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	38	75%
2	नही	12	25%
	योग	50	100%

सर्वेक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि 50 में से 38 अर्थात 75 प्रतिशत महिलायें धरने पर बैठने को राजी है। धरने पर बैठने को वो उचित समझती है उनका मानना है कि अगर राजनीति में कदम रखा है तो इन सबके लिए वो तैयार है। वहीं पर 50 में से 12 महिलायें अर्थात 25 प्रतिशत इसे अशोभनीय समझती है।

तालिका क्र. 4
रैली, आंशुगैस, पुलिस के डण्डे आदि के लिए तैयार पर विचार

क्र	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	34	67%:
2	नही	16	33%
	योग	50	100%

महिलाऐं पुरूषों के साथ रैली निकालने के पक्ष में है उनका मानना है कि राजनीति में हम जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए उतरे है, जनता की मांग को पूरा कराना हमारा कर्तव्य है उसके लिए जरूरत पडने पर अश्रुगैस, पानी की बौछार और पुलिस के डण्डे आदि खाने के लिए तैयार है। 50 महिलाओं में से 34 महिलायें अर्थात 67 प्रतिशत महिलायें संघर्ष पुरूषों के साथ रैली निकालने, आंशुगैस, पानी की बौछार, पुलिस के डण्डे आदि सहने के लिए तैयार है।

लेकिन आज भी कुछ महिलायें सामाजिक परिवेश के दबाव के चलते इन सबको पुरूषों का काम समझती है उनका मानना है कि ये सब दौड धूप वाला कार्य पुरूष संभाले तो अच्छा है, इसलिए 16 महिलायें अर्थात 25 प्रतिशत महिलाऐं ''नही'' में उत्तर दी है।

जब महिलाओं से पूछा गया कि क्या वो लंबे समय तक राजनीतिक कार्य के लिए अपने घर परिवार से लंबे समय तक दूर रह सकती है, तो देश के लिए कुछ करने को उतावली महिलाओं ने तो हां में जबाब दिया। कुछ महिलाएँ लंबे समय तक घर परिवार छोड़ने के पक्ष में नही थी उनका मानना है कि जिनके घर में अन्य सदस्य ऐसे हो कि महिला के न होने से घर को संभाल लें, नौकर चाकर हो, तब वो बाहर रह सकती है, लेकिन हम जैसे मध्यमवर्गीय परिवार के महिलाओं को लंबे समय तक घर परिवार से दूर रहने से घर विखर जाएगा।

निष्कर्षतः हम कह सकते है कि महिलाओं में राजनीति को लेकर जागरूकता आई है जहॉ महिलाऐं केवल हस्ताक्षर कर देने या अंगूठा लगा देने से अपना कार्य पूर्ण समझ लेती थी, वहीं पर अब महिलाएँ अपने कार्यो को लेकर बहुत सजग है।

सूचना के अधिकार –

15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को सम्पूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया। लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनी हुए प्रतिनधि को प्रतिनिधित्व करने का मौका प्रदान करती है और यह आशा करती है कि वे प्रतिनिधि सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्यों को निभाऐंगें लेकिन कालान्तर में ज्यादातर राष्ट्रों ने पारदर्शिता को दूर ढकेलते हुए भ्रष्टाचार का चादर ओढकर जन विरोधी कार्यो में लिप्त हो गया। लेकिन जनता ही असली मालिक है और मालिक को अधिकार है कि जो सरकार उनकी सेवा में है वो क्या कर रही है।

तालिका क्र–5
सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी

क्र	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	नही	2	5%
2	हॉ	33	65%
3	थोडा बहुत	15	30%
	योग	50	100%

शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षित स्थान में महिलाओं के सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि 50 में से 33 महिलायें अर्थात 65 प्रतिशत सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी रखती है लेकिन 50 में से 15 महिलायें अर्थात 30 प्रतिशत महिलाऐं थोडा बहुत जानकारी रखती है उन्हें इसकी पूरा क्रियाविधि ज्ञात नहीं है, लेकिन 50 में से 2 महिलायें अर्थात 5 प्रतिशत महिलाऐं इसके बारे में कोई जानकारी नही रखती है।

प्रत्येक नागरिक सरकार को कर देती है और यही कर आधार शिला होती है देश के उन्नत विकास के लिए महत्वपूर्ण यह इसलिए है क्योंकि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब जब समान खरीदता है तो बिक्री कर, उत्पाद कर देता है, नागरिक को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसके द्वारा दिया गया कर कब,कहॉ और किस प्रकार व्यय किया गया इसके लिए आवश्यक है कि सूचना को जनता के सम्मुख रखने एवं आम नागरिक को प्राप्त करने का जो 65 प्रतिशत महिलायें इसको जानती है।

अतः आधुनिकीकरण के प्रभाव से महिलाऐं राजनीतिक रूप से सुदृढ हो रही है महिलाओं के परंपरात्क विचार शैली में परीवर्तन आए है। महिलाऐं राजनीति में घर की चार दिवारी से बाहर निकलकर पुरूषों के बराबरी पर खडी होकर अपनी विषिष्ट पहचान बनाने में सफल हो रही है।

निष्कर्ष–

आधुनिकीकरण के कारण ही महिलाएँ राजनीति को समझने लगी हैं, जानने लगी है, पहले ये केवल पुरुषों का ही कार्य क्षेत्र समझती थीं, महिलाओं का इसमें पड़ना उचित नहीं समझती थीं लेकिन शिक्षा, संविधान, संचार एवं जागरूकता के वजह से ये संभव हो गया है कि महिलाएँ राजनीतिक प्रक्रिया और विकास कार्यक्रमों से सीधे जुड़ पा रहीं हैं और ग्रामीण विकास में उनकी प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित हुई। साथ ही साथ क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर उनकी सहभागिता में वृद्धि करने हेतु पंचायतों के माध्यम से राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला है तथा महिलाओं के लिए पंचायतों में सीटें आरक्षित की गयी हैं।

1. उपरोक्त अध्ययन के बाद हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण के द्वारा महिलाओं की राजनीति में सहभागिता में वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि 50 महिलाओं में से 70 प्रतिशत महिलाएँ राजनीति में सहभागिता हेतु सकारात्मक उत्तर दिया है।
2. सर्वेक्षण में 50 उत्तरदाता महिलाओं में 65 प्रतिशत महिलायें उम्मीदवार के रूप में भाग लेती हैं तथा 13 प्रतिशत महिलाएँ नहीं लेती हैं और 22 प्रतिशत महिलाएँ संकोचवश राजनीति में नहीं भाग ले पाती इसलिए अंशतः हॉ में उत्तर दिया है।
3. महिलाएँ राजनीति में शामिल होने के लिए सुख सुविधा को त्यागने को तैयार हो गई हैं, तभी तो धरने पर बैठने के लिए विचार में 75 प्रतिशत महिलाएँ हॉ और 25 प्रतिशत महिलाएँ ना में उत्तर दी है।
4. रैली, आश्रुगैस, पुलिस के डण्डे आदि जैसे प्रताड़ना के लिए 67 प्रतिशत महिलाएँ तैयार हैं।
5. शिक्षित और जागरूक आधुनिक महिलाएँ सूचना के अधिकार के बारे में 65 प्रतिशत पूरी तरह से जानकारी रखती है, 5 प्रतिशत महिलाएँ इसकी जानकारी नहीं रखती है तथा 30 प्रतिशत महिलाएँ थोड़ा बहुत जानकारी रखती है।

सुझाव –

1. आधुनिकीकरण को सकारात्मक रूप में स्वीकार करना चाहिए जिससे इसका प्रसार हो सके।
2. राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता को आदर व सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए।
3. राजनीति ने सकारात्मकता के साथ–साथ नकारात्मकता को भी उत्पन्न किया है जैसे नैतिकता का ह्रास, भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि जैसे अपराधों को बढ़ावा दिया है, इसके लिए सही दिशा निर्देश के साथ अपराध नियंत्रण की आवश्यकता है।

4. आधुनिकीकरण उपभोक्तावादी संस्कृति की जन्मदाता है। यह व्यक्तिवादिता की ओर अग्रसर है, जबकि मैं के स्थान पर हम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे सामाजिक संबंधों में मजबूती आ सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. वीना गर्ग, भारतीय महिलाएँ – एक विश्लेषण 2011 पृ. 141
2. डॉ. जी.आर. मदन, परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली, पृ. क्र. 291
3. डॉ. सुनील गोयल, समाजशास्त्र आर.पी.यूनिफाइड, रामप्रसाद एण्ड सन्स पृ. 116–117
4. नव भारत टाइम्स डाट कॉम, 24 मई 2019
5. डॉ. सुनील गोयल, समाजशास्त्र आर.पी.यूनिफाइड, रामप्रसाद एण्ड सन्स पृ. 37, 38, 57, 60
6. डॉ. डी.एस.बघेल, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल
7. डॉ. डी.एस.बघेल, परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र कैलाश पुस्तक सदन, हमीदिया मार्ग भोपाल
8. डॉ. एस.के. विजय, डॉ. पंकज सिंह, कम्पयूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी।
9. डॉ. डी.एस.बघेल, सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियॉ, साहित्य भवन प्रकाशन आगरा।

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

कौटिल्य के समय में राष्ट्रीय आय का निर्धारण

❑ डॉ. संध्या कुमारी*

शोध सारांश

आचार्य कौटिल्य एक निष्णात अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ के रूप में आचार्य कौटिल्य का व्यक्तित्व भारतीय साहित्य में सर्वत्र विश्रुत है। कुटिल नीति के पोषक, उसके दाव पेचों को अच्छी प्रकार जानने के कारण उनका नाम कौटिल्य पड़ा। विष्णु गुप्त उनका पितृ प्रदत्त नाम था और चणक का पुत्र होने के कारण उन्हें चाणक्य नाम से भी जाना जाता है। मगध के नन्दवंश का उन्मूलन का उसके स्थान पर मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा कर उन्होंने अपनी अद्‌भुत प्रतिभा का परिचय दिया। वे चन्द्रगुप्त मौर्य (325-273 ई.पू.) के रचयिता विष्णुगुप्त को नमन करते हुए लिखा है–

नीतिशास्त्रामृत धीमानर्थशास्त्रमहोदधेः।
समुद्दध्रे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे।।

कामन्दकीय नीतिसार 1/6

कामन्दक के इस उद्धरण से आचार्य कौटिल्य एवं उनके महान ग्रन्थ अर्थशास्त्र की प्रामाणिकता प्रकट होती है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण 150 अध्याय एवं 180 प्रकरण हैं। अर्थशास्त्र एक विश्वकोशात्मक रचना है। उसमें धर्म, अर्थ, नीति, शासन, व्यवहार और न्याय आदि विषयों पर गम्भीर एवं प्रौढ़ विवेचन हुआ है। भारतीय साहित्य में उसे एक प्रामाणिक विधि ग्रन्थ के रूप में मान्यता प्राप्त है।

आचार्य कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का निर्धारण भी किया है। आचार्य कौटिल्य का मत है कि राष्ट्रीय आय वितरण की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि राष्ट्रीय आय कम है तो उत्पादन के साधनों को मिलने वाला पुरस्कार भी कम होगा और यदि राष्ट्रीय आय की मात्रा अधिक है तो इनका पुरस्कार भी अधिक होगा। राष्ट्रीय आय के साधनों में वाणिज्य, परिवहन, संचार, व्यवसाय, संस्कारी कलायें, प्रशासनिक सेवाएँ, घरेलू सेवाएँ, गृहसम्पत्ति, व्यवस्तु उत्पादन (जिसके अन्तर्गत कृषि, खनिज, कारखाने तथा हस्तशिल्प के उत्पादन) प्रमुख हैं। कौटिल्य के समय में सभी प्रकार के इन साधनों से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाता था।

* एसोसिएटेड प्रो. एवं अध्यक्ष, संस्कृत, सेठ पी.सी. बाग्ला पी.जी. कालेज, हाथरस, उ.प्र.

राष्ट्रीय आय की धारणा का कौटिल्य के अर्थशास्त्र में महत्त्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने वितरण की समस्याओं का अध्ययन भी किया है। उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को कितना पुरस्कार मिलना चाहिए और इन साधनों को मिलने वाले पुरस्कार की मात्रा राष्ट्रीय आय पर ही निर्भर करती है। इसलिए जब कौटिल्य लगान, ब्याज और मजदूरी की समस्याओं का अध्ययन करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना परमावश्यक हो जाता है। राष्ट्रीय आय वितरण की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि राष्ट्रीय आय कम है तो उत्पादन के साधनों को मिलने वाला पुरस्कार भी कम होना चाहिए और यदि राष्ट्रीय आय अधिक है तो इनका पुरस्कार भी अधिक होना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्र तथा व्यक्ति का कल्याण राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित है।

1. मज़ूदरी का निर्धारण

किसी श्रमिक को उसके श्रम के बदले में प्राप्त होने वाली आय या प्रतिफल को मजदूरी कहते हैं। कौटिल्य ने बताया है कि जितना और जिस प्रकार का काम किया जाता है, उसी के अनुसार मजदूरी भी मिलती है।

नियम

उन्होंने इसके सम्बन्ध में नियम भी बनाये हैं। वेतन लेकर जो मजदूर कार्य नहीं करता था, उसे बारह पण से दण्डित किया जाता था। वह अकारण ही कार्य न करे तो उसे कारावास में बन्द कर दिया जाता था। यदि किसी अशक्त, कुत्सित कार्य के आ जाने पर, बीमारी में या किसी आपत्ति में फँस जाने के कारण नौकर आकस्मिक छुट्टी ले सकता था अथवा इसके एवज में किसी दूसरे व्यक्ति को रखकर छुट्टी ले सकता था। इस सम्बन्धि में उन्होनें यह भी विधान बनाया है कि आप (मालिक) किसी से कार्य नहीं करवायेंगे और मैं (मजदूर) किसी का कार्य नहीं करूँगा। इस प्रकार के आपसी समझौते को यदि मालिक भंग करे तो बारह पण दण्ड और यदि मजदूर भंग करे तो बारह पण दण्ड की व्यवस्था थी। यदि किसी मजदूर ने किसी दूसरी जगह से वेतन अग्रिम ले लिया हो, तो वह पहले मालिक का कार्य पूरा करने पर ही दूसरी जगह जा सकता है।[1]

कुछ विद्वान् मानते हैं कि यदि उपस्थित मजदूर कुछ कार्य न करें तो उसकी उपस्थिति मात्र से ही उसका कार्य समझ लिया जाता है।[2] लेकिन कौटिल्य ऐसा नहीं मानते हैं। उनका मत है कि मजदूरी कार्य करने की दी जाती है, खाली बैठने की नहीं। यदि मालिक थोड़ा ही काम कराके फिर न कराये तो नौकर का पूरा काम किया हुआ समझना चाहिए। मालिक के आज्ञानुसार ठीक स्थान और समय पर काम न करने से या कार्य को गलत कर देने से नौकर का काम किया हुआ नहीं समझना चाहिए। मालिक जितना कार्य बताये, यदि मजदूर उससे अधिक कार्य कर डाले तो उसे अतिरिक्त मेहनत व्यर्थ समझनी चाहिए।

कौटिल्य ने बताया है कि मिल, कारखानों और कम्पनियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी यही नियम अपनाया जाना चाहिए। अगर मजदूर ठीक तरह से कार्य नहीं करता है तो उसकी सात दिन की मजदूरी अपने पास जमा रखनी चाहिए, इतने पर भी वह ठीक तरह से कार्य न करे तो वह कार्य दूसरे मजदूर को दे देना चाहिए।

मजदूरों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मालिक को बिना सूचित किये उन्हें न तो किसी वस्तु को नष्ट करना चाहिए और न ले जाना चाहिए। इस नियम का यदि वे उल्लंघन करते हैं तो उन पर चौबीस पग दण्ड करना चाहिए। संघ तथा ठेके में कार्य करने वाले मजदूरों द्वारा पहले से तय की गयी मजदूरी ही आपस में बराबर-बराबर बाँट लेनी चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य ने मजदूरी के निर्धारण तथा उसके सम्बन्ध में नियमों का उचित वर्णन किया, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बड़े ही महत्वपूर्ण है।

2. ब्याज का निर्धारण

ब्याज ऋण या ऋणकोषों के प्रयोग के लिए पुरस्कार है। ब्याज के सम्बन्ध में यह बात ध्यान रखने की है, किसी भी अन्य साधन के पुरस्कार की भाँति, ब्याज एक कीमत तथा आय का साधन दोनों है। ब्याज पूँजी या ऋण या ऋण-योग्य कोषों के प्रयोग की कीमत है। मनुष्य पूँजी का विनियोग आय प्राप्त करने के लिए करता है और यह आय ही ब्याज है।

नियम

कौटिल्य ने ब्याज निर्धारण के सम्बन्ध में नियम बनाये हैं। सामान्यतया सौ पण पर तथा पण ब्याज लिया जाना चाहिए तथा व्यापारियों से इसी धन पर पाँच पण, जंगल में रहने वाले या व्यापार करने वाले से दस पण ब्याज लेना आवश्यक है। कौटिल्य ने इससे अधिक ब्याज लेने

वाले व्यक्ति को प्रथम साहत दण्ड देने की व्यवस्था की है।

अन्न सम्बन्धी ब्याज फसल के समय पर चुकता करना हो तो वह मूलधन की रकम से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि गोदाम से माल इकट्ठा बेचा है तो उस माल पर उसके लाभ का आधा ब्याज होना चाहिए। इस प्रकार के लेन-देन का हिसाब-किताब वर्ष में एक बार अवश्य करना चाहिए।[3] यदि कोई व्यक्ति विदेश में चले जाने के कारण या जान-बूझ कर अपने माल को नहीं निकालता है तो वह माल मूलधन से दुगुना मूल्य, बेचने वाले को दे। यदि वह अवधि से पहले ब्याज माँगे अथवा ब्याज को मूलधन के साथ जोड़कर उतना रुपया माँगे जितना उसके माँगे हुए धन का हो तो उसे चौगुना दण्ड देना चाहिए तथा वह थोड़े धन को अधिक कहे तो उस समय गवाह जितना बताये उसका चौगुना दण्ड ऋण लेने वाले तथा ऋण देने वाले को दिया जाना चाहिए।

कौटिल्य ने कहा कि लम्बी अवधि तक यज्ञ-कार्य में लगे हुए, वधिग्रस्त, गुरुकुल में अध्ययन करने वाले बालक और अशक्त आदि व्यक्तियों से ब्याज नहीं लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कर्जदार अपने कर्जे की अन्तिम रकम को अदा करे और धनिक उसको न ले तो, धनिक पर बारह पण का दण्ड दिया जाना चाहिए तथा लेने का कोई विशेष कारण हो तो वह रकम बिना ब्याज के ही और जमा करा देनी चाहिए। इस प्रकार ब्याज के निर्धारण के सम्बन्ध में कौटिल्य ने जिन नियमों का वर्णन किया वे सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं।

3. लाभ का निर्धारण

राष्ट्रीय आय का वह भाग, जो वितरण की प्रक्रिया में साहसियों को प्राप्त होता है, लाभ कहलाता है। लाभ स्वभाव में अवशेष होता है अर्थात् अन्य सभी साधनों के पुरस्कार देने के बाद साहसी का जो शेष बचता है, वह लाभ होता है।

कौटिल्य ने लाभ को विशिष्ट बारह नामों से उल्लेखित किया है–(1) आदेय, (2) प्रत्यादेय, (3) प्रसादक, (4) प्रकोपक, (5) हस्वकाल, (6) तनुक्षय, (7) अल्पव्यय, (8) महान्, (9) बृद्धयुपदय, (10) कल्प, (11) धर्म्य, (12) पुरोग। जिनका वर्णन कौटिल्य ने निम्न प्रकार किया है[4]–

(1) आदेय–यह ऐसा लाभ है, जो बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सके, प्राप्त करने के बाद सरलता से इसकी रक्षा की जा सके तथा कालांतर में भी जिसको शत्रु छीन न सके, ऐसे लाभ को आदेय लाभ बताया है।

(2) प्रत्यादेय–आदेय से विपरीत लाभ को प्रत्यादेय कहते हैं। जो इस प्रकार से लाभ को प्राप्त करता है अथवा उसी पर जीवन-निर्वाह करता है वह अव्यय ही विनाश को प्राप्त होता है।

(3) प्रसादक–जो लाभ अधार्मिक राजा से धार्मिक राजा को प्राप्त हो तथा जो अपने तथा पराये लोगों की प्रसन्नता का कारण हो उसे प्रसादक कहा गया है।

(4) प्रकोपक–प्रसादक के विपरीत लाभ को प्रकोपक कहते हैं। प्रकोपक लाभ दो प्रकार का होता है–(1) मंत्रियों के कथनानुसार कार्य करने पर भी लाभ का न होना कोपक कहलाता है, (2) जिस ाकर्य में व्यर्थ का व्यय करके मंत्रियों को पश्चात्ताप करना पड़े वह लाभ ग्रहित कहलाता है। राजद्रोही मंत्रियों के अनादर से जो लाभ प्राप्त हो वह भी कोपक है, क्योंकि मंत्रियों के मन में यह शंका हो जाती है कि सिद्धिलाभ करके अवश्य ही राजा उनको नष्ट कर देगा। कोपक लाभ के विपरीत लाभ प्रसादक है।

(5) हस्वकाल–अल्पश्रम और अल्पकाल में प्राप्त लाभ हस्वकाल कहा जाता है।

(6) तनुक्षय–जो लाभ केवल उपजाप आदि से ही प्राप्त हो उसे तनुक्षय कहते हैं।

(7) अल्प व्यय–जो लाभ केवल भोजन-भत्ता व्यय करके ही प्राप्त हो उसे अल्प व्यय कहते हैं।

(8) महान्–जो लाभ अत्यधिक मात्रा में तत्काल ही प्राप्त हो उसे महान् कहते हैं।

(9) बृद्धयुपदय–जो लाभ भविष्य में भी अत्यधिक अर्थ प्राप्त कराने वाला हो उसे वृद्धयुपदय कहते हैं।

(10) कल्प–जिस लाभ में आगे किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो उसे कल्प लाभ कहा जाता है।

(11) धर्म्य–जो लाभ प्रकाश, युद्ध आदि उपादानों से धर्मपूर्वक प्राप्त किया जाता है, उसे धर्म्य कहते हैं।

(12) पुरोग–जो लाभ मित्र राजाओं ने निर्बाध रूप से बिना किसी शर्त के प्राप्त किया हो उसे पुरोग लाभ कहते हैं।

इस प्रकार यदि दोनों पक्षों में बराबर लाभ दिखाई दे, तो बहुगुणविशिष्ट लाभ प्राप्त करना चाहिए जिससे देश,

काल, शक्ति, उपाय, प्रियाप्रिय, जयाजय, समीप-दूर, तात्कालिक, भविष्य में लगातार होना, बहुमूल्य, उपयोगी, अधिक और अत्युत्तम आदि गुण विद्यमान हैं।

4. लगान का निर्धारण

भारत की प्रमुख आय का साधन कृषि-प्रधान होने के कारण भूमि लगान को ही माना गया है। चिरकाल से इसकी व्यवस्था राजकोष का विशिष्ट अंग रही है। खेती करने वालों की अधिक संख्या होने के कारण यह व्यवसाय राष्ट्रीय आय का प्रधान केन्द्र माना गया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भूमि पर लगान निर्धारण करने के नियमों का उल्लेख स्पष्ट रूप से द्वितीय अधिकरण, प्रकरण 40, अध्याय 24 में किया है। इस प्रकरण में उन्होंने भूमि पर कृषि कार्य करने वाले व्यक्तियों से लगान प्राप्त करने के नियमों को भूमि की उत्तमानुत्तमता के अनुसार निर्धारित किया है।

यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि जिसे सीताध्यक्ष कहा गया है उसी का दूसरा नाम कृषि विभाग अध्यक्ष भी है, जिसकी योग्यता के लिए कौटिल्य ने कहा है कि वह कृषिशास्त्र, वृक्ष-विज्ञान वेत्ता होना चाहिए, जिससे कृषि उत्पादन में निरन्तरता वृद्धि के लिए वह सर्वथा उत्तरदायी हो।

लगान निर्धारण के लिए भूमि की उपज के अनुसार छठवां भाग, पाँचवां भाग तथा चौथाई भाग लगान के रूप में राजकोष के लिए देना चाहिए। इसी प्रकार विविध प्रकार की वस्तुओं की फसल को उगाने के लिए भूमि की श्रेणियाँ बतायी गयी हैं। यथा, गेहूँ की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि हो, किस प्रकार पानी की व्यवस्था की जाय, खाद तथा बीजों की किस ढंग से व्यवस्था हो, इन सबको विवेचन विस्तृत रूप से अर्थशास्त्र में किया गया है। लगान का साधारण नियम उत्पादन का छठां भाग गृहीत किया गया है। इसलिए रराजा को ''षडंशवृत्ति'' कहा गया है। यह लगान का साधारण नियम था।

कौटिल्य ने राष्ट्रीय आय निर्धारण में लगान को प्रमुख महत्व दिया है। उत्पादन की मात्रानुसार ही लगान की अधिकता अथवा न्यूनता निर्भर करती थी, किन्तु सामान्यतः उत्पादन का षडंश ही किसानों से लगान के रूप में लिया जाता था। इसके अतिरिक्त कुछ भूमि लगान से युक्त भी थी। जिससे वेदपाठी, ऋषि-मुनियों, धार्मिक गुरुओं से लगान नहीं लिया जाता था, उन्हें कृषि साधन-सामग्री के लिए राज्य की ओर से सहायता भी प्रदान की जाती थी। खेती की रक्ष करने वाले, मेहनत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम के अनुसार भोजन, वस्त्र तथा प्रतिमास वेतन की व्यवस्था का उल्लेख अर्थशास्त्र में पाया जाता है। खलिहान से अन्न प्राप्त करने के पश्चात् लगान वसूली का कार्य किया जाता था। यह नियम शीतकाल तथा बसन्त काल दोनों फसलों के लिए था।[5]

राष्ट्रीय आय के साधनों में वाणिज्य, परिवहन, संचार, व्यवसाय, संस्कारी कलाएँ, प्रशासनिक सेवाएँ, धरेलू सेवाएँ, गृह-सम्पत्ति, पण्यवस्तु उत्पादन (जिसके अन्तर्गत कृषि, खनिज, कारखाने तथा हस्तशिल्प के उत्पादन) प्रमुख हैं। कौटिल्य के समय में सभी प्रकार के इन साधनों से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाता था।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कौटिल्य के समय में राष्ट्रीय आय के निर्धारण के जो सिद्धान्त थे, उनको यदि वर्तमान युग में अपनाया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सुधार हो सकता है, यही नहीं इन सिद्धान्तों को वर्तमान युग में अपनाना श्रेयस्कर ही नहीं अपितु भारतीयता की प्रथम पहचान के लिए आवश्यक भी है।

सन्दर्भ :

1. नान्यस्त्वया कारयितव्यो मया वा नान्यत्य कर्तव्यमित्यवरोधे मर्तुरकारयतोमर्तृकस्याकुर्वतो वा द्वादशपणो दण्डः। कर्मनिष्ठापने भर्तुरन्यत्र गृहीतवेतनो नासकामः कुर्यात्।। अ.14. अधि.3, अर्थशास्त्र।
2. उपस्थिति मकारयतः कृतमेव विपादित्याचार्याः। अ.14, अधि. 3, अर्थशास्त्र।
3. धान्यवृद्धिः सस्यनिष्पत्तावुपार्था, परं मूल्यकृता वर्धेत। प्रक्षेपवृद्धि रूदयादयम्। सन्निधानसन्ना वार्षिकी देया- 1-अ. 11, अधि. 3, अर्थ.1।
4. अर्थशास्त्र, अध्या. 4, अधि. 4।
5. कौटिल्य अर्थशास्त्र, द्वितीय अधि., प्रकरण 40, अध्याय-24.

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

वित्तीय बाजारों का एक परिदृश्य

❑ शालिनी सिंह परिहार*

शोध सारांश

किसी भी देश का आर्थिक विकास उसको वित्तीय प्रणाली पर निर्भर करता है। आधुनिक व्यवसाय के लिए वित्त परम आवश्यक है तथा वित्तीय संस्थान, आर्थिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वित्तीय बाजारों तथा संस्थानों के द्वारा ही अर्थ व्यवस्था की वित्तीय प्रणाली कार्य करती है। वित्त बाजार संस्थागत प्रबंध करते हैं तथा वित्तीय सम्पत्तियों तथा विभिन्न प्रकार के जैसे कि मुद्रा, चेक, बैंक जमा, बिल तथा ब्राण्ड आदि में व्यवहार करते हैं। वित्तीय बाजारों के माध्यम से व्यक्तियों की बजट को निवेश के रूप में परम्परागत मदों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अतः वित्तीय बाजार बचतों के निवेश में तब्दील करता है तथा बचकर्त्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सम्पत्तियाँ विभिन्न स्वरूप में प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार बचत तथा निवेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

मुख्य शब्द :

वित्तीय बाजार का परिचय

वित्तीय बजार वे बाजार होते हैं जो व्यक्तिगत फर्म तथा संस्था की विभिन्न प्रकार की उधार की आवश्यकता को पूरा करते हैं। वित्तीय बाजार एक संस्था अथवा वह व्यवस्था है जो चेक, विनिमय साख प्रपत्र सरकारी प्रतिभूतियों, जमा और ऋण स्टॉक और ब्राण्ड आदि में लेन-देन को सुविधाजनक बनाती हैं। वित्तीय बाजारों में दलाल, बैड, गैर वित्तीय संस्थाएँ, मर्चेण्ट बैंक म्यूचुअल फण्ड, बट्टा गृह, केन्द्रीय बैंक आदि अनेक संस्थाओं की सहभागिता होती है। वित्तीय बाजारों के सम्बन्ध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के मत निम्न प्रकार हैं–

प्रो. चेकों ने वित्तीय बाजार को इस प्रकार परिभाषित किया है ''वित्त बाजार की परिभाषा एक ऐसे स्थान के रूप में की जा सकती है जहाँ पर प्रत्येक प्रकार के कोषों का क्रय-विक्रय होता है।''

गेन्ट के शब्दों में ''वित्त बाजार एक ऐसा संयंत्र है जो कि उधारकर्ताओं को ऋण उपलब्ध कराता है तथा ऋणदाताओं को वित्त लगाने का अवसर प्रदान करता है।

वित्तीय बाजार की विशेषताएँ

वित्तीय बाजार की विशेषताओं को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है–

1. वित्तीय बाजार के बहुत से अंग हैं; जैसे–स्टॉक बाजार, ब्रांड बाजार – प्राथमिक स्वयं सहायक खण्ड।
2. वित्तीय बाजार में वित्तीय मध्यस्थों के जरिए व्यवहार किये जाते हैं।

* शास. नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)

3. वित्तीय बाजार में बहुत अधिक संख्या में लेन-देन होता है।
4. वित्तीय बाजार के एक खण्ड की असफलता दूसरे खण्ड को प्रभावित कर सकती है।
5. विदेशी बाजार की क्रियाएँ देशीय वित्तीय बाजार के कार्यों को प्रभावित कर सकती है।

वित्तीय बाजार के कार्य

वित्तीय बाजार द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं–

1. साख का निर्माण एवं आवंटन करना।
2. बचतों को बढ़ावा देना।
3. संतुलित आर्थिक विकास में सहायता करना।
4. वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करना।
5. व्यक्तिगत संस्थागत एवं औद्योगिक इकाईयों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करन
6. क्रेता-विक्रेता को सही एवं पूर्ण सूचना उपलब्ध कराना।
7. लेन-देन की लागत।

वित्तीय बाजार के प्रकार

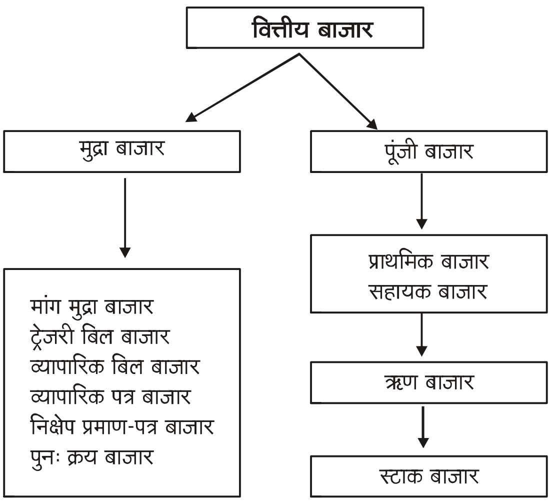

वित्तीय बाजार

मुद्रा बाजार पूंजी बाजार
प्राथमिक बाजार
सहायक बाजार
ऋण बाजार
स्टाक बाजार
मांग मुद्रा बाजार
ट्रेजरी बिल बाजार
व्यापारिक बिल बाजार
व्यापारिक पत्र बाजार
निक्षेप प्रमाण-पत्र बाजार
पुनः क्रय बाजार

1. मुद्रा बाजार–शब्द मुद्रा बाजार को संयुक्त रूप से वित्तय संस्थानों के रूप में प्रयोग किया गया है जो कि अर्थव्यवस्था में अल्पकालीन कोषों से सम्बन्ध रखती है। यह एक ऐसा संस्थागत प्रबंध है जो अल्पकालीन समय के लिए उधार लेने तथा देने के सहायक के रूप में कार्य करता है । मुद्रा बाजार उधार देने वाले को जिसके पास अल्पकाल के लिए अधिक है तथा निवेश करना चाहता है तथा उधार लेने वाले को जिसे अल्पकाल के लिए एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने या उसे 6 महीने के लिए ऋण लिया जा सकता है।

मुद्रा बाजार को Crowtaer ने इस प्रकार परिभाषित किया है कि विभिन्न प्रकार की फर्मों तथा संस्थाओं का संयुक्त रूप से दिया गया नाम जो विभिन्न मुद्रा के Grades जो कि निकट मुद्रा से व्यवहार करती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार को इस प्रकार परिभाषित किया है मौद्रिक सम्पत्ति में मुख्य रूप से अल्पकाल के लिए व्यापार का केन्द्र जहां पर उधार लेने वाली अल्पकालीन आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं तथा उधार देने वाले को नगद तरलता मिल जाती है।

मुद्रा बाजार की कोई निश्चित खान या स्थान नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि ऋण लेने वाले और देने वाले के बीज व्यक्तिगत सम्पर्क हो। इसके बीच सम्पर्क टेलीग्राफ, दूरभाष पर स्थापित हो सकता है।

2. पूंजी बाजार–पूंजी बाजार एक ऐसा संस्थागत प्रबंध है जिसके द्वारा दीर्घ अवधि के लिए कोषों को उधार दिया या लिया जाता है। विस्तृत रूप में यह एक ऐसी कड़ी है जिसके द्वारा यह उन निजी, व्यक्तिगत रूप से निगम बचतों से संबंधित होता है। जिन्हें नई पूंजी जारी करके निवेश में परिवर्तित किया जाता है। पूंजी बजार निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है–

दीर्घकाली बचतों को बढ़ावा देना तथा दीर्घ अवधि के लिए निवेश में परिवर्तित करना।

समता अंशों के रूप में जोखिम पूंजी उपलब्ध करना।

निवेशों को तरलता प्रदान करना।

व्यवहार की लागत को कम करना।

पूंजी बाजार के दो खण्ड हैं–

(अ) प्राथमिक बाजार, (ब) सहायक बाजार

(अ) प्राथमिक बाजार–इसे नव-निर्गमन भी कहा जाता है। यह बाजार कई प्रतिभूतियों में व्यवहार करता है। अर्थात ऐसी प्रतिभूतियों का लेन-देन होता है जिन्हें पहली बार निर्गमित किया जा रहा है।

(ब) सहायक बाजार–इस बाजार में पहले से ही विद्यमान प्रतिभूतियों में लेन-देन किया जाता है।

पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार में अन्तर

पूंजी बाजार का मुद्रा बाजार से विभेद किया जाना चाहिए। पूंजी बाजार दीर्घकाल के Funds के लिए है। दूसरी तरह मुद्रा प्राथमिक रूप से अल्पकाल के लिए कोष उपलब्ध कराती है। फिर भी ये दोनों बाजार एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि कई बार दोनों ही प्रकार के कोषों में व्यापार करते हैं। जिसके अर्थ हैं अल्पकाल तथा दीर्घकाल के लिए।

दोनों में अन्तर मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार से है–

क्र.	पूंजी बाजार	क्र.	पूंजी बाजार
1.	यह दीर्घकालीन निवेश के लिए वित्त/पूंजी उपलब्ध करवाता है।	1.	यह अल्पकालीन निवेश के लिए वित्त/पूंजी उपलब्ध करवाता है।
2.	पूंजी बाजार द्वारा प्रदान किया गया वित्त कार्यशील तथा स्थायी दोनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।	2.	मुद्रा बाजार द्वारा प्रदान किया गया वित्त आमतौर पर कार्यशील पूंजी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
3.	Lending के द्वारा साधनों को इकट्ठा करना तथा उनका प्रभावी प्रयोग इसका मुख्य कार्य है।	3.	उधार देना तथा लेना इसका प्रधान कार्य है। क्योंकि तरलता स्थिति को Adjust करने में सहायता करता है।
4.	यह संघटकों में से एक है। Stock Exchange एक प्रतिभूतियों के क्रेताओं तथा विक्रेताओं के लिए निवेश बाजार की तरह कार्य करता हैं	4.	यह ऐसी सहायता प्रदान नहीं करता है। इसमें मुख्य अवयव है Call, Loan, Collodereal Lone, Hellcat.
5.	यह उद्यमी तथा निवेशक के बीच बिचौलिये की तरह कार्य करता है।	5.	यह जमाकर्ता तथा उधार लेने वाले के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
6.	अभिगोपन इसकी प्राथमिक क्रियाओं में से एक है।	6.	अभिगोपन इसका मुख्य कार्य है।
7.	यह निवेश संस्थान जनता से पैसा इकट्ठा करते हैं तथा चुनी हुई प्रतिभूतियों में लगा देते हैं ताकि उन्हें उच्च रिटर्न कम जोखिम पर मिल सके।	7.	यह व्यावसायिक बैंकों, व्यावसायिक निगमों, गैर बैन वित्तीय Concern तथा अल्पकालीन (कोषों), आर्थिक कोष को निवेश करने का अवसर प्रदान करता है।
8.	यह केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों, जनता तथा Local Bodies को विकासात्मक उद्देश्यों के लिए दीर्घकालीन धन/कोष प्रदान करता है।	8.	यह सरकार को Treasury खरीदने पर बाकी अर्थात् दूसरों को Bill of Exdage को Discount करने से अल्पकाल के लिए धन प्रदान करता है।

वित्तीय बाजार का नियमन

वित्तीय बाजार का नियमन दो एजेन्सियों के द्वारा किया गया है–

(1) भारतीय रिजर्व बैंक,

(2) प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड।

1. भारतीय रिजर्व बैंक

देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान है। सर्वोच्च संस्था होने के कारण यह वित्तीय प्रणाली के निदेशन, नियंत्रण का कार्य करता है। भरतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, 1949 तक यह निजी अंशधारी संस्था थी परन्तु राष्ट्रीयकरण के पश्चात् यह एक सरकारी संस्था बन गई। मुद्रा बाजार का नियंत्रण RBI करता है।

2. सेबी/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

पिछले दशक के दौरान भारतीय पूंजी व्यापार के आशाजनक उन्नति की है। सरकार की उदारीकरण की नीतियों के फलस्वरूप पूंजी बाजार में जनता की रुचि में वृद्धि हुई है। पूंजी बाजार में निवेशकों के विश्वास को बकाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि निवेशकों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर भारत में पहली बार इस सम्बन्ध में 1943 में एक नियम जो कि Deface of India Act 1959 के तहत बनाया गया किसी सम्बन्ध में एक प्रशासनिक संस्था के रूप में 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की स्थापना की गई। 31 जनवरी, 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके उपरान्त 21 फरवरी, 1992 को सेबी को इसके वैधानिक रूप में गठित किया गया, 1 अप्रैल 1992 को सेबी बिल को संसद द्वारा पारित कर दिया गया जिससे 4 अप्रैल 1992 से सेबी का कार्य एक पृथक कानून के अधीन संचालित होने लगा है तथा इसे अधिक व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त हो गए हैं और इसका कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है।

वित्तीय बाजार संस्थाएँ

वित्तीय बाजार में विद्यमान संस्थाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

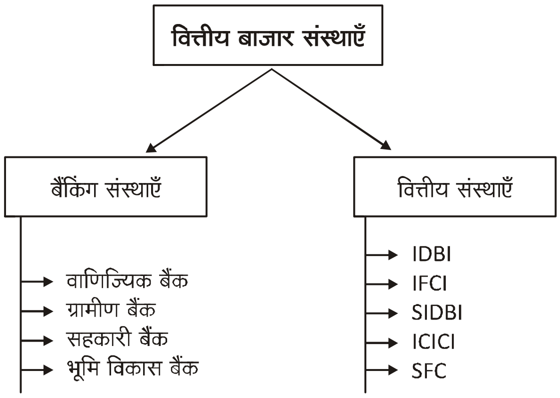

वाणिज्यिक बैंक

वाणिज्यिक बैंक मुद्रा बाजार का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये विभिन्न क्षेत्रों से बजट को संचित करके अर्थव्यवस्था की उन्नति एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाणिज्य बैंक वह संस्था है जो ऋण की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों से मुद्रा उधार देती है जिन्हें आवश्यकता होती है तथा जिनके पास व्यक्तियों द्वारा अपने अतिरिक्त मुद्रा जमा की जाती है। हमारे देश में व्यापारिक धन का उपयोग 19वीं सदी के प्रारम्भ में हुआ है। प्रथम बैंक कोलकाता में बैंक ऑफ हिन्दुस्तान के नाम से स्थापित हुआ। बैंक आफ बंगाल (1806), बैंक आफ बाम्बे (1840), बैंक ऑफ मद्रास (1943) में स्थापित किये गये।

1889 में वाणिज्यिक की स्थापना हुई, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना (1894) में हुई थी, 1905 में बैंकों की संख्या 430 थी। जुलाई 1969 को मुख्य 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया, भारतीय स्टेट बैंक 1955 से ही भारतीय सरकार के स्वामित्व में था। वर्तमान में राष्ट्रीय बैंकों के अतिरिक्त 25 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक 10 निजी क्षेत्र के नये बैंक एवं 29 विदेशी बैंक कार्यरत हैं।

ग्रामीण बैंक

ग्रामीण बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गयी थी। इनकी स्थापना 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अन्तर्गत की गयी थी। इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए ऋण देना, ग्रामीण जरूरतों के लिए ऋदेना आदि है।

सरकारी बैंक

1904 में पहला सरकारी समिति अधिनियम पारित किया गया और 1912 में कानून बनाकर प्राथमिक समितियों के साथ-साथ केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सहकारी बैंक की स्थापना की गयी। 1904 में सहकारिता आन्दोलन के साथ सहकारी समिति का विकास हुआ। जिनका मुख्य उद्देश्य कृषकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना था ताकि वे साहूकारों के चंगुल से बच सके।

भूमि विकास बैंक

भूमि विकास बैंक की स्थापना कृषकों को दीर्घकाल ऋण सुविधा देने के लिए की गयी थी। इन बैंकों की संगठनात्मक संरचना विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है।

विकास वित्त संस्थाएँ

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (FFCI) – इनकी स्थापना जुलाई 1948 में एक विशेष अधिनियम के अधीन प्रदान की गयी थी। इसकी अधिकृत पूँजी रुपये 20 करोड़ है जो कि IDBI, Bank और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गयी है। इसके प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं–

1. औद्योगिक संस्था को ऋण उपलब्ध कराता है।
2. औद्योगिक संस्थाओं को विदेशी मुद्रा के ऋण उपलब्ध कराता है।
3. अभिगोपन का कार्य भी प्राप्त है।
4. सार्वजनिक कम्पनियों के अंश क्रय करना।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)

IDBI की स्थापना 1964 में की गई थी, IDBI की स्थापना निम्नलिखित कार्य के उद्देश्य से की गयी थी–

1. उद्योग को वित्त सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं की क्रियाओं के सम्बन्ध लाना तथा सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करना।
2. वित्तीय संस्थाओं को Refinance करना।
3. ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों को Refinance करना।
4. उद्योग की स्थापना, प्रबंध तथा विकास के लिए तकनीकी एवं प्रशासकीय सहायता उपलब्ध कराना।
5. उद्योग विकास के लिए बाजार सर्वे कराना।

भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम (ICICI)

भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम की स्थापना का विचार-विमर्श का नतीजा था, 1995 में ICICI की स्थापना सार्वजनिक कम्पनी लिमिटेड के रूप में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गयी।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)

इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों का विकास करना है, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, यह बैंक पूर्ण रूप से IDBI के स्वामित्व में कार्य कर रहा है।

राज्य वित्त निगम (SFCS)

IFCI देश में फैले उद्योगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 में पारित किया गया और राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों को राज्य वित्त निगम स्थापित करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत 1953 में पंजाब में सबसे पहला निगम स्थापित किया गया। आज विभिन्न राज्यों में 18 वित्त निगम हैं, - का मुख्य उद्देश्य लघु एवं मध्यमवर्गीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है; जैसे– खनन, होटल उद्योग, पथ परिवहन, मछली परिवहन।

सन्दर्भ :

1. पुस्तकें
2. समाचार-पत्र
3. पत्रिकाएँ
4. इन्टरनेट
5. टेलीविजन

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

प्लास्टिक प्रदूषण : मानव और पर्यावरण के लिए बना खतरा

❑ डॉ. सारिका सिंह*

शोध सारांश

जो प्लास्टिक एक शताब्दी पहले मानव का मित्र बना हुआ था वही आज मानव सभ्यता का दुश्मन बन गया है, प्लास्टिक से अनेक समस्याएँ, संकट, बीमारियाँ और विकृतियाँ देखने को मिल रही हैं। प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति पाने की दिशा में दुनियाभर में अनेक शोध और कार्य किये जा रहे हैं, इस दिशा में कुछ सफलता भी मिली है। आँकड़े के मुताबिक विश्व स्तर पर प्रत्येक मिनट दस लाख प्लास्टिक की बातलें खरीदी जाती है, जिसमें एक बैग को 12 मिनट इस्तेमाल करते हैं, भारत में पवित्र कही जाने वाली गंगा नदी में प्लास्टिक कचरा का सबसे अधिक भार है, इसे देखते हुए केन्द्र सरकार ने एक विशेष तरह का कानून 1999 में बनाया गया। यह कानून प्लास्टिक मैन्युफैक्चर सेल एंड यूसेज रुल्स 1999 में बनाया गया यह कानून बाजार में बिकने वाले सिंगल यूज पॉलीथीन थैलों को पूरी तरह बाजार से बाहर करने के लिए इसके आकार और इन्हें तैयार करने वाली सामग्री की मोटाई तय की गई। इस कानून को और अधिक कारगर ढंग से प्रभावी बनाने के लिए इस कानून में संशोधन करते हुए रिसाइकिल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड यूसेज रुल्स 2003 बनाया गया जिससे निर्यातोन्मुख उद्योगों को छूट मिले और कानून बेहतर ढंग से प्रभावी हो सके।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यावरण दिवस पर घोषणा की कि सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से 2022 तक चलन से बाहर किया जाएगा। राष्ट्रीय और संगठनात्मक स्तर पर 2025 तक प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम कर देने का लक्ष्य रखा गया है, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने सिंगल-यूज प्लास्टिक को राज्य स्तरीय नियम बनाकर प्रतिबंधित करने का कार्य किया वहीं पर अमकोर, पेप्सिको और यूनीलीवर जैसी अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भी 2025 तक पैकेजिंग में 100 प्रतिशत रिसाइक्लिंग उत्पाद का प्रयोग करने की घोषणा की, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब, नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सहित देश के अनेक राज्यों में प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। भारत के अतिरिक्त अमरीका, चीन, बांग्लादेश, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, अफ्रीका, पापुआ, रूस और अन्य अनेक देशों में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन भारत में इन प्रतिबंधों का सबसे कम असर जनता में देखने में आ रहे है।

* असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, आर्मापुर पी.जी. कालेज, कानपुर,
ई-मेल : sarika.rathor73@gmail.com, मोबाइल : 9838557882

1. प्रस्तावना

प्लास्टिक का इजाद लगभग 1907 में हुआ, जब से यह मानव जीवन का अहम् हिस्सा बना तब से हम इस पर आश्रित होते गए, आज स्थिति यह है कि आम जिंदगी में प्लास्टिक के बिना रहने की हम कल्पना भी नहीं करते हैं, पिछली एक शताब्दी में प्लास्टिक ने धरती की कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ इसका वजूद न हो, पिछली एक शताब्दी में प्लास्टि ने इंसार को कई तरह से फायदा पहुँचाया है, तो कई स्तरों पर बेहद नुकसान भी पहुँचाया है, जिन्दगी में आराम प्लास्टिक के कारण आया है, गरीब-अमीर सभी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसके नुकसान और खतरे को जानते हुए भी लोग इसके इस्तेमाल को बंद नहीं कर पा रहे हैं।

दैनिक जीवन में प्रयोग किये जाने वाले प्लास्टिक उत्पाद

बच्चे के दूध की बोतल, बैग, पानी की बोतलें, बर्तन, पेन, बाल्टी, छतरी, जूते-चप्पल, बरसाती कपड़े, मोबाइल, नैपकिन, कंघी, ब्रुश, गिलास, घड़ा और दूसरे अनगिनत घरेलू सामान प्लास्टिक के हम इस्तेमाल करने लगे हैं, इसका कारण भी है, यह गंधहीन, जल से न गलने वाला, ठोस, टिकाऊ और सस्ता होता है, भारत में आजादी के बाद प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी उस समय इसे आम जिंदगी के लिए वरदान माना गया था, आम जिंदगी में यह इस तरह घुलता-मिलता गया कि यह आम जीवन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु बन गया आज हालात यह हो गयी है कि यह धरती और मानव जीवन के पर्यावरण का सर्वनाश करने वाला बन गया है।

प्लास्टिक उत्पादों में सबसे अधिक उपयोग प्लास्टिक के कैरी बैग (50 माइक्रोन से कम) बिना बुना कैरी बैग, कैरी बैग, पैकिंग, फिल्म, फोम वाले कप-प्याले, कटोरे, प्लेट, लेमिनेट किए गए कटोरे व प्लेट, छोटे प्लास्टिक कप और कंटेनर (150 एम एल और 5 ग्राम से कम) प्लास्टिक स्टिक व इयर बड्स, गुब्बारे, झंडे और कैंडी, सिगरेट के बड्स, फैलाया हुआ पौलिस्ट्रिन, पेय पदार्थों के लिए छोटे प्लास्टिक पैकेट (200 एमएल से कम) और सड़क किनारे लगाए जाने वाले बैनर (100 माइक्रोन से कम) जैसे प्लास्टिक उत्पादन शामिल हैं।

2. प्लास्टिक उत्पादों का प्रभाव

वैज्ञानिकों के अनुसार साधारण प्लास्टिक को सड़ने में भी लगभग पाँच सौ वर्ष लग जाते हैं, सहज-सरल उपलब्ध होने के कारण इसका इस्तेमाल इसके जहरीलेपन को नजर-अंदाज करके किया जाता है और दुनिया में इसका महज पाँच में से एक हिस्से का ही रिसाइकिलिंग हो पाता है, इस तरह इसका 80 प्रतिशत हिस्सा समुद्र में आ रहा है, स्तनधारी जीव प्लास्टिक का सबसे अधिक इस्तेमाल जाने-अनजाने करके असमय मौत का शिकार बन रहे हैं, एक अनुमान के मुताबिक हर वर्ष केवल समुद्री जीव-जन्तु एक लाख के करीब मर जाते हैं, जिसमें सील, व्हेल, समुद्री कछुए, पक्षी सहित अनेक समुद्री जीव-जन्तु सम्मिलित हैं।

जलीय जीव-जन्तुओं और पक्षियों पर प्लास्टिक के असर से कई जीव-जन्तु हमेशा के लिए विलुप्त हो गए, जीव-जन्तुओं में कई नई तरह की बीमारियाँ देखने को मिली। इनकी उम्र में भी कमी देखी जा रही है, इसके अतिरिक्त समुद्र, नदियों और झीलों का जल कई तरह के प्रदूषणों से ग्रस्त हो गया, कस्बों और गाँवों के कुओं व नहरों का जल भी प्लास्टिक के कारण प्रदूषित हो गया है, इससे कई प्रकार की बीमारियों से ग्रामीण और कस्बाई लोग ग्रस्त हो गए हैं, एक सर्वेक्षण के मुताबिक 70 के दशक के बाद प्लास्टिक का उपयोग शहरी, ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में बढ़ता गया, जो बढ़ते-बढ़ते बीमारियों का कारण बन गया है।

आम जिन्दगी में प्लास्टिक कैसे भोजन और पीने के साथ हमारे शरीर में जा रहा है इसे समझना आवश्यक है, हम रोजाना जो नमक खाते हैं वही समुद्री नमक होता है, समुद्र में घुलकर प्लास्टिक नमक के जरिए हम रोजाना अपने अन्दर डाल रहे हैं इसी तरह मछली खाने वाले लोग भी मछली के जरिए प्लास्टिक अपने अन्दर डाल रहे हैं, गौरतलब है समुद्री मछली प्लास्टिक को खाती है जिससे उसके हर हिस्से में प्लास्टिक घुल जाता है, प्लास्टिक दुनिया में सबसे अधिक भयावह तस्वीर हमारे सामने पेश कर रहा है।

विश्व में प्रति मिनट 10 लाख प्लास्टिक बोतलें और हर वर्ष पाँच ट्रिलियन प्लास्टिक बैग खरीदे जाते हैं, ये

ऐसे उत्पाद हैं जो महज एक बार ही इस्तेमाल किये जाते हैं।

प्लास्टिक कचरे के असर से हर वर्ष लगभग 12 लाख समुद्री जीव-जन्तु मौत के शिकार हो रहे हैं और 700 से अधिक प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं।

प्लास्टिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पैकेजिंग के लिए होता है, पैकेजिंग उद्योग दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग बन गया है, इस उद्योग के लिए हर साल आठ करोड़ टन प्लास्टिक तैयार होता है, हम सोचते हैं कि कितनी बड़ी तादात में प्लास्टिक कचरा समुद्र और जीवन में दबाया जा रहा है।

महानगरों में 70 प्रतिशत हिस्सा प्लास्टिक का फैला हुआ है, इसमें 99 प्रतिशत हिस्सा समुद्र की तलहटी में या समुद्री जीवों के पेट में जा चुका होता है।

प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले रोग

जो प्लास्टिक एक शताब्दी पहले मानव का मित्र बना हुआ था वहीं आज मानव सभ्यता का दुश्मन बन गया है, प्लास्टिक से अनेक समस्याएँ, संकट, बीमारियाँ और विकृतियाँ देखने को मिल रही हैं।

औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में प्लास्टिक का उपयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि इसके बिना कोई कार्य सम्भव नहीं दिखाई पड़ता है, यूज एंड थ्रो की संस्कृति के कारण प्लास्टिक के कारण आज देश ही नहीं सकल विश्व में समस्या, संकट और अनेक बीमारियों का कारण बन गया है लम्बे समय तक प्लास्टिक अपघटित नहीं हो पाता है, जिसके कारण यह हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित करता है, उपयोग में आने वाले प्लास्टिक को जलाने से कई तरह की जहरीली गैसें पैदा होती हैं जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाईऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख हैं, इन गैसों से फेफड़ों और आँख की बीमारियाँ, कैंसर, मोटापा, मधुमेह, थायराइड, पेट दर्द, सिर दर्द, कब्ज और पेट दर्द जैसी अनेक समस्याएँ पैदा हो सकती हैं, नए शोध के अनुसार प्लास्टिक से बने बर्तन में कई पेयों और खाद्यों के उपयोग से इसमें मौजूद नुकसानदेह केमिकल डाइआक्सिन लेड (सीसा), कैडमियम आदि खाद्य पदार्थों में घुलकर हमारे शरीर में पहुँच जाते हैं जिससे पेट, सिर, फेफड़े और आँख से सम्बन्धित समस्याएँ पैदा हो जाती हैं, महिलाओं में प्लास्टिक के अधिक उपयोग के कारण बाँझपन आ सकता है, जीव-जन्तुओं के अतिरिक्त वनस्पतियों, पालीमर नामक पदार्थ है, जो पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है नदियों, झीलों और समुद्र के किनारे उगी वनस्पतियों और पेड़ों पर यह असर अधिक देखा गया है।

3. प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के उपाय

प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति पाने की दिशा में दुनियाभर में अनेक शोध और कार्य किए जा रहे हैं इस दिशा में कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन शत-प्रतिशत सफलता के लिए अभी काफी कुछ किया जाना है, नदियों और समुद्र तटों पर अरबों टन प्लास्टिक कचरा मौजूद है।

इस कचरे की रिसाइकिलिंग करने का कार्य भी दुनिया की कुछ कम्पनियाँ कर रही हैं, रा प्रेसरी नामक कम्पनी ने प्लास्टिक की खाली बोतलों से धो सकने वाला परिधान बनाकर प्रदूषण-मुक्ति की दिशा में एक सफल प्रयोग किया है, इस कम्पनी ने ही सिकुड़न-मुक्त टीशर्ट कोल्ड प्रेस्ट जूस ब्रांड तैयार किया है, इस कम्पनी ने जो टीशर्ट तैयार की है उसको बनाने में सात बोतले उपयोग में ली जाती हैं, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार 2017-18 में भारत में प्लास्टिक कचरे का 6,60,787,85 टन अम्बार लग गया था, सिंगल-यूज प्लास्टिक के फैलने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए लोकप्रिय ब्रांड के जरिए एक टिकाऊ विकल्प तैयार किया जा सके, दूसरी बात प्लास्टिक का ऐसा रूप तैयार किया जाए जो प्रदूषण न फैलाए बल्कि प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में भूमिका निभाए, अभी यह विकल्प कल्पना है, लेकिन इस दिशा में कम्पनियाँ और देश आगे बढ़ रहे हैं, जूते बनाने वाली कम्पनी एडिडास ने 2018 में प्लास्टिक कचरे से पचास लाख जोड़ी जूते तैयार किए इसमें जो प्लास्टिक उपयोग किया गया वह पोस्ट-कम्यूमर रिसाइकिल्ड (पीसीआर) प्लास्टिक था, जो महासागरीय तटों और तटीय क्षेत्रीय से इकट्ठा किया गया, वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग का कारण प्लास्टिक प्रदूषण भी हो सकता है।

सरकार की पहल

आँकड़े के मुताबिक विश्व स्तर पर प्रत्येक मिनट दस लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं, जिसमें एक बैग को 12 मिनट इस्तेमाल करते हैं, भारत में पवित्र कही जाने वाली नदी में प्लास्टिक कचरा का सबसे अधिक भार है, इसी तरह भारत सरकार के आँकड़े 2016 के अनुसार प्रतिदिन 15 हजार टन प्लास्टिक अपशिष्ट निकलता है और लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि देश में पर्यावरण को नष्ट करने में प्लास्टिक का कचरा कितना जिम्मेदार है प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण में प्रदूषण की स्थिति धीरे-धीरे खराब होने से देश में अनेक तरह से समस्याएँ पैदा होने लगीं इसे देखते हुए केन्द्र सरकार ने एक विशेष तरह का कानून 1999 में बनाया, यह कानून प्लास्टिक मैन्युफैक्चर सेल एंड यूसेज रूल्स 1999 में बनाया गया यह कानून बाजार में बिकने वाले सिंगल-यूज पॉलीथीन थैलों को पूरी तरह बाजार से बाहर करने के लिए इसके आकार और इन्हें तैयार करने वाली सामग्री की मोटाई तय की गयी और यह भी तय किया गया कि इससे आकार से अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक के थैले बेचे नहीं जा सकेंगे।

इस कानून से अनिवार्य किया गया कि 8 गुना 12 इंच से कम आकार तथा 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग बेचे जा सकते हैं, इस कानून से प्लास्टिक कचरे से बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकी, इस कानून को और अधिक कारगर ढंग से प्रभावी बनाने के लिए इस कानून में संशोधन करते हुए रिसाइकिल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड यूसेज (अमेंडमेंट) रूल्स 2003 बनाया गया जिससे निर्यातोन्मुख उद्योगों को छूट मिले और कानून बेहतर ढंग से प्रभावी हो सके, कानून में 1999 के कानून में संशोधन करने के बाद भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं हुआ, बाजार में प्लास्टिक के बैग और थैलियाँ पहले जैसे बिकते रहे फिर 2011 में 40 माइक्रोन वाले कम मोटाई वाले कैरी बैग का प्रावधान इस नए कानून में मद्देनजर किया गया, लेकिन इस कानून का असर बाजार में कुछ भी देखने को नहीं मिला।

इसके बाद कुछ खास तरह के कानून प्लास्टिक सामानों के उत्पाद और कचरे को लेकर बनाया गया जिसमें 2016 में बनाया गया।

प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अन्तर्गत प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 40 माइक्रोन से बढ़ाकर 50 माइक्रोन की गई इसके साथ ही वेंडरों, आयातकों तथा प्रोड्यूसरों के लिए पहले से पंजीकृत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन शुल्क का प्रावधान किया गया, इसमें दुकानदारों और फेरीवालों से कहा गया कि वर्ष में कम-से-कम प्रबंधन शुल्क 48,000 हजार देना होगा, लेकिन इस कानून का असर भी बाजार में देखने को नहीं मिला, स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को भरोसे में लेकर कचरे के निपटान के लिए कुछ खास तरह के निर्देश दिये, इसका असर शहरों, कस्बों और गाँवों में देखने को मिला।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यावरण दिवस पर घोषणा की कि सिंगल-यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से 2022 तक चलन से बाहर किया जाएगा, राष्ट्रीय और संगठनात्मक स्तर पर 2025 तक प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम कर देने का लक्ष्य रखा गया है, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने सिंगल-यूज प्लास्टिक को राज्य स्तरीय नियम बनाकर प्रतिबंधित करने का कार्य किया वहीं पर अमकोर, पेप्सिको और यूनीलीवर जैसी अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भी 2025 तक पैकेजिंग में 100 प्रतिशत रिसाइकिलिंग उत्पाद का प्रयोग करने की घोषणा की उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब, नई दिल्ली, हिमांचल प्रदेश और हरियाणा सहित देश के अनेक राज्यों में प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

भारत के अतिरिक्त अमरीका, चीन, बांग्लादेश, आस्ट्रेलिया, हैती, कोस्टारिका, फ्रांस, अफ्रीका, पापुआ न्यूगिनी, रूस और अन्य अनेक देशों में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन भारत में इन प्रतिबंधों का सबसे कम असर जनता में देखने में आ रहा है।

निष्कर्ष

विश्व की अनेक चुनौतियों में कचरा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कचरे से हो रहे प्रदूषण के प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, लेकिन भारत सहित दक्षिण एशिया के देशों में प्लास्टिक और दूसरे तरह के कचरों से बढ़ रहे प्रदूषण के प्रति लोगों में आमतौर पर कोई जागरूकता देखने को नहीं मिलती, भारत के महानगरों में जिसमें दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई शामिल हैं, में प्लास्टिक के कचरे से दिनों-दिन पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएँ बढ़ रही हैं ऐसे में हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वह प्लास्टिक सहित दूसरे तरह के कचरों को कम करने में अपनी भूमिका समझे महज कानून बना देने से कुछ भी होने वाला नहीं है, दो-चार हजार पर यदि कानून के तोड़ने पर जुर्माना या सजा हो भी गई तो इससे कुछ भी असर नहीं पड़ता।

हम कचरा प्रबंधन में अपना फर्ज इस तरह निभा सकते हैं–

कूड़ा-नॉन-डिग्रेडेबल प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, काँच-शीशा (भिन्न रंगों, स्पष्ट, भूरा और हरा) बेकार कागज-पत्तर, जैव खाद्य अपशिष्ट को अलग-अलग करके अलग-अलग थैलों में रखने और निर्धारित डिब्बों या स्थानों पर डालने की आदत डालनी चाहिए।

जैव कूड़े को खाद बनाने के लिए आगे आना चाहिए या जो बना रहे हों उनहें मदद करनी चाहिए।

कागज, काँच, शीशा और लकड़ी को अलग-अलग करके विभिन्न रिसाइकिलिंग केन्द्रों तक पहुँचाने की आदत डालनी चाहिए।

सूती, जूट, सुतली, सन और इसी तरह के दूसरे थैलों को बढ़ावा देकर हम पर्यावरण को बेहतर बनाने में हम योगदान दे सकते हैं।

कचरा उठाने वालों की सेहत के प्रति हमें उनकी मदद करनी चाहिए इससे कचरा निपटान में रुकावट नहीं आती है।

अपनी कार, मोटर, साइकिलें, स्कूटर, बस, टेम्पो आदि को पेट्रोलियम पदार्थों से चलाने की अपेक्षा बैटरी या गैस से चलाने के लिए आगे आना चाहिए।

अन्नदाता किसान भाइयों को पराली या फसल के दूसरे हिस्सों को जलाने की अपेक्षा उन्हें बाजार में बेचने या जरूरतमंद को देने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

जैसे खरीददारी के लिए सूती, जूट, ऊन आदि के थैलों का इस्तेमाल करने के लिए आगे आएं उसी तरह वाहनों की अपेक्षा कम दूरी की यात्रा के लिए पर्यावरण की मित्र मानी जाने वाली साइकिल का प्रयोग रोजमर्रा के जीवन में करने की आदत डालनी चाहिए।

इन उपायों से जहाँ पर्यावरण को बेहतर बनाने में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं वहीं पर अपरिग्रह का स्वदेशी मंत्र को जीवन में ढालने के प्रति आगे बढ़ सकते हैं।

सन्दर्भ :

1. एम.एल. झिंगन, विकास का अर्थशास्त्र आयोजन।
2. डा. एस. के. सिंह, व्यावसायिक पर्यावरण।
3. रोजी जोशी एवं संगम कपूर, व्यावसायिक वातावरण।
4. डा. एस.के. मिश्र, वी.के. पुरी, व्यावसायिक पर्यावरण।
5. डा. चतुर्भुज मेमोरिय, भारतीय अर्थव्यवस्था
6. योजना, 2019-20 अंक
7. कुरुक्षेत्र, 2019-20 अंक
8. हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज पेपर।
9. पर्यावरण एवं पारिस्थितकी
10. विज्ञान प्रगति
11. Environmental & Ecology
12. Earth First
13. Natural Life

SHODH CHETNA – YEAR-6 (JAN. TO JUN., 2020) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed SJIF - 4.076
International Reffered &
Multifocal Research Journal

भूमिगत जल स्तर का भौगोलिक अध्ययन खरगोन जिले (म.प्र.) के विशेष सन्दर्भ में 2013 से 2019

❑ प्रो. आर. आर. आर्य*

शोध सारांश

शोध अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि गिरते जल स्तर के कई कारण है लेकिन प्रमुख कारण बोरिंग (नलकूप) है। यहां जिले की खरगोन तहसील में 38.14 मीटर जलस्तर है,जबकि सबसे अच्छा जल स्तर महेश्वर तहसील का 36.00 मीटर है। जिलें में वर्ष 2003 में जहां 1021 नलकूप थे जो वर्ष 2018 तक 10381 हो गये। निश्चित रूप से गिरते जल स्तर का यह एक बड़ा कारण है।

जिले में इस वर्ष 2019 हो रही लगातार बारिश से भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हुई है। यह स्थिति करीब 40 वर्ष बाद बनी। जब बारिश के दौरान भूजलस्तर 25 से 30 मीटर तक पहुंच गया। पिछले पांच वर्षों में बारिश के दौरान जलस्तर 40 से 45 मीटर पर रहा।

पूरे जिलें में बीते 10–15 सालों में बड़ी मात्रा में बोर कराए गए लेकिन इनके लिए प्रशासनिक अनुमति ही नहीं ली जाती। यदि नियमों की बात की जाय तो बिना अनुमति के बोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अधिकारियों की सुस्त कार्यवाही के कारण जिलें में लगातार बोर की संख्या बड़ रही है। यह भूमिगत जल स्तर के लिए घातक साबित हो रही है। वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर भी शासन–प्रशासन द्वारा कई पहल की गई। लेकिन इसके बाद भी अमल नहीं किया गया। जल विशेषज्ञ संतोष वर्मा बताते है कि जिलें एवं प्रदेश में 60 प्रतिशत सरकारी इमारतों में ही वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गई है और यह निगमों की अनदेखी है।

जिलें में निरन्तर घटती वर्षा के कारण कई जलस्रोत सूख गये थे, परन्तु इस वर्ष (2019) विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में गर्मी के दौरान करीब 1500 हैंडपम्प बंद हो गये थे। बारिश के दौरान लगभग सभी हैंडपम्प फिर से शुरू हो गये। जिले में 12000 से अधिक हैंडपम्प है। इनमें से वर्तमान में 11900 हैंडपम्प चालू है। सिर्फ 100 हैंडपम्प बंद है। जिले में 611 नल जल योजना में 605 नलजल योजना वर्तमान में चालू है। 40 साद बाद 10 से 15 मीटर ऊपर आया भूमिगत जलस्तर।

* सहायक प्राध्यापक, भूगोल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)

पृथ्वी पर पाये जाने वाले प्रत्येक जीव का जीवन जल पर ही निर्भर होता है। अतः इसकी उपलब्धता नितांत आवश्यक है। जल को हम प्रकृति का मुक्त या निःशुल्क उपहार समझते है, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि जल प्रकृति का मुक्त नहीं बहुमूल्य उपहार है। अतः यदि हमने जल का विवेकपूर्ण ढंग से संरक्षण नहीं किया तो हमारे अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न हो जायेगा। जलसंसाधन का संरक्षण एवं उनका प्रबंधन भारत में दैनिक जीवन एवं आयोजनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय–समय पर अनेक प्रकार की सांस्थानिक व्यवस्थाएं लागू की गई,योजनाएं बनाई गई तथा इसके प्रावधान एवं भौतिक उपलब्धता बढ़ाने, अभिगम एवं वितरण सुधारने के लिए बड़ी अवसंरचना परियोजनाएं शुरू की गई। यद्यपि इनके वास्तविक परिणाम विवादित है फिर भी ये प्रयास जल नियमतन की अति राजनीतिक प्रकृति को ही प्रकट करते है। अतः हमें जल संरक्षण को विशेष रूप से वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना होगा।

संसार के प्रत्येक प्राणी का जीवन आधार जल ही है। शायद ही ऐसा काई प्राणी हो जिसे जल की आवश्यकता न हो। जल हमें सागर,नदियों, झीलों, वर्षा एवं भूजल के माध्यम से प्राप्त होता है।

पर्यावरण विद् डॉ.सुभाष सी पाण्डे बताते है कि बीते सालों की अपेक्षा पर्यावरण के साथ खिलवाड़ ज्यादा किया जा रहा है। कैंचमेंट एरिया और ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे है। यह स्थिति पूरे प्रदेश में है। इस कारण निदयों और तालाबों का जल स्तर भी लगातार कम होता जा रहा है। भूमिगत जल का भंडारण जल स्रोतों पर निर्भर करता है। दूसरा कारण यह है कि 90 के दशक से सीमेंटीकरण में तेजी आई वहीं वनों की कटाई भी की जा रही है। यह दोनों ही गिरते भूजल स्तर के बड़े कारण है।

जहां भूजल का दोहन बहुत ज्यादा हुआ है,वहां पर जल स्तर गिरा है। इसका असर ट्यूब वेल, कुआं और नदियों के जल स्तर में देखने को मिल रहा है। नर्मदा जैसी नदियां सूख रही है। अगले साल छोटी नदियां तो दिवाली तक में ही सूख सकती है। जल स्तर को बढ़ाने के लिए बारिश का पानी सहेजना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका सबसे अच्छा तरीका वाटर हार्वेस्टिंग है।

अध्ययन उद्देश्य –

1. खरगोन जिले में जल का वितरण एवं उपलब्धता का अध्ययन करना।
2. खरगोन जिले के जल स्तर का अध्ययन करना।
3. जिले के जल संरक्षण एवं प्रबंधन का अध्ययन करना।

अध्ययन विधि –

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए द्वितीयक आंकड़ों की सहायता से विश्लेषण, तालिका और आरेख के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। आवश्यकतानुसार मानचित्रों का भी उपयोग किया जायेगा।

अध्ययन क्षेत्र –

अध्ययन के लिए मध्यप्रदेश के दक्षिण–पश्चिम में स्थित खरगोन जिले का चयन किया गया जिले का क्षेत्रफल 6541.870 वर्ग किमी. तथा अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश से 22 डिग्री 33मिनट उ.अक्षांश तथा देशान्तरीय विस्तार 75 डिग्री 19 मिनट से 76 डिग्री 14 मिनट पू.देशान्तर तक है। यहां की जनसंख्या 18,73,046 है। जिले में इस वर्ष 2019 में लगातार हो रही बारिश ने जहां औसत बारिश का भी रिकार्ड तोड़ दिया है। साथ ही 40 साल बाद भूमिगत जल स्तर में 10 से 15 मीटर ऊपर आ गया है।

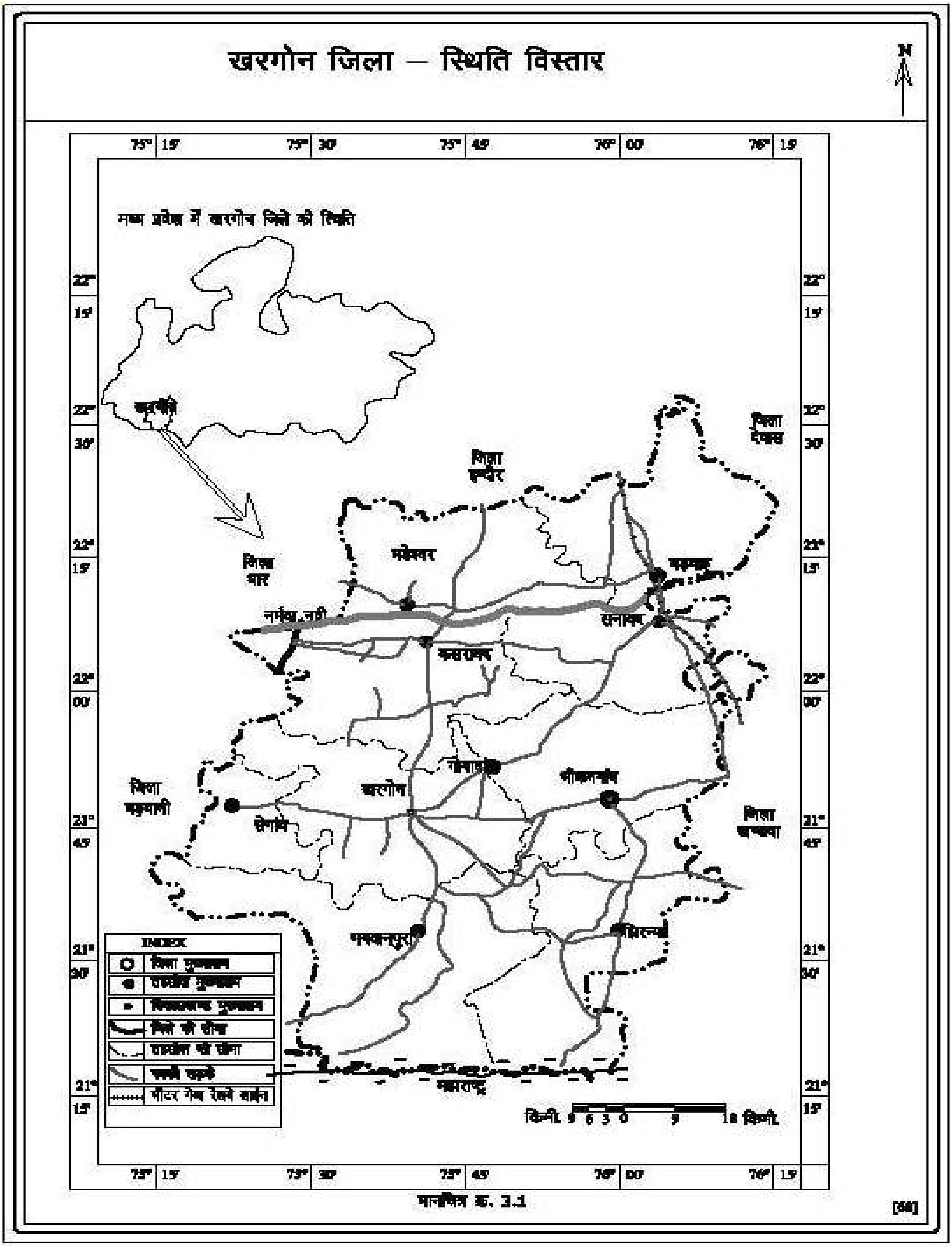
खरगोन जिला – स्थिति विस्तार
N
जिला इन्दौर
जिला धार
जिला बड़वानी
नर्मदा नदी
खरगोन
INDEX
महाराष्ट्र
मानचित्र क्र. 3.1

क्र.	विकासखण्ड	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	औसत
1	**खरगोन**	**40**	**38**	**42**	**40**	**39**	**38**	**30**	**267–38.14**
2	सेगांव	38	41	40	38	36	35	28	256–36.57
3	भगवानपुरा	42	40	40	41	38	38	26	265–37.85
4	गोगांवा	38	36	40	38	39	36	28	255–36.42
5	कसरावद	39	40	38	38	40	38	26	259–37.00
6	बड़वाह	36	39	38	38	40	38	30	259–37.00
7	**महेश्वर**	**38**	**36**	**36**	**38**	**38**	**37**	**29**	**252–36.00**
8	भीकनगांव	40	38	41	39	38	36	30	262–37.42
9	झिरन्या	40	38	40	40	38	40	26	262–37.42

उपर्युक्त तालिका का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि जिलें में निरन्तर जल स्तर में गिरावट पायी गई है,केवल वर्ष 2019 में जल स्तर में सुधार देखा गया है,जिसका प्रमुख कारण अच्छी बारिश है। पिछले 7 वर्षों में जिले के सभी विकासखण्डों में लगातार भूजल–स्तर नीचे जाता दिखाई देता है,जिसका प्रमुख कारण निरन्तर घटती वर्षा की मात्रा एवं भूजल का बढ़ता उपयोग है। जो चिंता का विषय है,हमें इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए हर स्तर पर प्रयास किऐ जाने की सख्त जरूरत है।

जिले में सबसे अधिक भूजल स्तर में गिरावट खरगोन विकासखण्ड में दिखाई देती है। जहां औसतन 38.14 मीटर भूजल स्तर है। शोध अध्ययन में कुछ संभावित कारण प्राप्त हुए है। जिनमें प्रमुख रूप से सीमेंटीकरण में तेजी आई वहीं वनों की कटाई भी की जा रही है। यह दोनों ही गिरते भूजल स्तर के बड़े कारण है। विशेषज्ञ बताते है कि गिरते जल स्तर के कई कारण है लेकिन प्रमुख कारण बोरिंग भी है। पूरे प्रदेश में बीते 15 सालों में बड़ी मात्रा में बोर कराए गए लेकिन इनके लिए प्रशासनिक अनुमति नहीं ली जाती है। हर कॉलोनी या कस्बों में सैकड़ों बोर किए गए है। नगरीय क्षेत्र की कॉलोनियों में तो हर 30 फीट की दूरी पर बोर है। अर्थात प्रत्येक घर में ट्यूब वेल है।

जल स्तर बढ़ाने हेतु कुछ उपाय किए जाने की आवश्यकता है। जिसमें सीमेंटीकरण के स्थान पर पेवर लगाए जाय तो वर्षाजल भूमि में सीधे जायेगा। मकान बनाने की अनुमति पौधे लगाने की शर्त पर ही दी जाए। कॉलोनियों में घर में ट्यूब वेल की अनुमति आस–पास के 10 परिवारों को पेयजल सुविधा देने पर ही दी जाए। एक और प्रमुख उपाय हर घर के छत का पानी हार्वेस्टिंग तकनीक के माध्यम से भूमिगत किया जाय। इस प्रकार छोटे–छोटे उपाय अपनाकर गिरते जल स्तर में सुधार किया जा सकता है।

जिले के महेश्वर विकासखण्ड में जल स्तर सबसे ऊपर है,यहां औसतन 36.00 मीटर पर जल उपलब्ध है। इस नर्मदा घाटी क्षेत्र में नर्मदा नदी के कारण जल स्तर अच्छी स्थिति में है,क्योंकि अधिकांश कृषक इसी नदी से सिंचाई करते है,जिससे बोर करने की आवश्यकता कम है। इस क्षेत्र में सहायक नदियां भी अधिक है। ओंकारेश्वर परियाजना की नहर भी यहां सिंचाई का एक प्रमुख साधन है,जिससे भी जल स्तर संतोषजनक कहा जा सकता है।

भूमिगत जलस्तर घटने के कारण –

1. जिले की अप्रत्याशित बढ़ती जनसंख्या वृद्धि– तेजी से बढ़ती जनसंख्या,बढ़ता औद्योगिकरण,फैलते शहरीकरण के अलावा ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन भी इसके लिए जिम्मेदार है। जिले की बढ़ती जनसंख्या भी भूल स्तर के घटने का कारण है। इस बढ़ती जनसंख्या का पेयजल खासकर भूमिगत

जल पर जबर्दस्त दबाव पड़ रहा है। साथ ही नहरों के समीप उपजाऊ भूमि शहरों की चपेट में आ रही है। जिले में जनसंख्या सन 1971 में जहां 12,48,812 थी जो 2011 में बढ़कर 18,73,046 हो गयी है। अर्थात पिछले पांच दशक 33.32 प्रतिशत जनसंख्या वृध्दि हुई।

2. अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के साधनों में वृद्धि– बढ़ती जनसंख्या एवं सीमटते भूमिसंसाधन ने सीमित भूमि पर अधिक उत्पादन करने के लिए विवश कर दिया है। परिणामस्वरूप गहन कृषि की परम्परा विकसित हुई जो सिंचाई के बिना संभव नहीं है इसलिए नदी–नालों और भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जाने लगा,जिसका प्रभाव भूमिगत जलस्तर पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। धरातलीय और भूमिगत जल के उपयोग के लिए पिछले पांच वर्षों में सिंचाई के साधनों में अप्रत्याशित वृध्दि हुई। वर्ष 2003–04 में शासकीय एवं नीजि कुओं की संख्या 59,150 थी जो वर्तमान (2017–18) में बढ़कर 68,924 हो गयी है। शासकीय एवं नीजि नलकुपों की संख्या वर्ष 2003–04 में 6021 थी जिनकी संख्या वर्ष 2017–18 में बढ़कर 10,381 हो गयी है। इसलिए बेहतासा भूमिगत जल का उपयोग किया जा रहा है।

वर्ष	नहरें	शास–नीजि कुंए	नलकूप शास एवं निजी	तालाब
2003–04	104	59150	6021	84
2016–17	148	68879	10381	101

3. बोतलबन्द जल की संस्कृति :–

जल प्रदूषण की समस्या ने बोलतबन्द जल की संस्कृति को जन्म दिया। बोतलबन्द जल बेचने वाली कम्पनियां भूमिगत जल का जमकर दोहन करती है। नतीजन, भूजल स्तर में गिरावट आती है। जिलें में चार बोतल बंद पानी के प्लांट है, उसी प्रकार वाहन धुलाई के लिए भी लगभग 15 गेरेज है।

गौरतलब है कि भारत बोतलबन्द पानी का दसवां बड़ा उपभोक्ता है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति बोतलबन्द पानी की खपत पांच लीटर सालाना है जबकि वैश्विक औसत 24 है। देश में सन 2013 तक बोतलबन्द जल का कारोबार 60 अरब रूपये था। सन 2018 तक इसके 160 अरब हो जाने का अनुमान है।

4. जिले में घटती वर्षा की मात्रा :–

विगत वर्षों में वर्षा की मात्रा भी घटती जा रही है। सन् 2003–04 में जिले में कुल 832 सेमी. औसत वर्षा हुई जो 2018 में घटकर 725 सेमी.रह गयी,केवल 2019 में 929 सेमी. वर्षा हुई। इस प्रकार घटती वर्षा की मात्रा भूमिगत जल स्तर के घटने का एक प्रमुख कारण है।

5. बिजली सब्सिड़ी –

विभिन्न राज्यों में भूजल के गिरते स्तर पर समय–समय पर विशेषज्ञ चेतावनी देते रहे है। पंजाब में किए गए एक नए अध्ययन से पता चला है कि भूजल में गिरावट के लिए किसानों को दी जाने वाली बिजली सब्सिड़ी भी जिम्मेदार हो सकती है। थ्री फेस मोटर पम्प फ्री करने एवं जीवन धारा योजना से जिले में कुंओं की संख्या में वृध्दि हुई है,वहीं बिजली फ्री करने से भी मोटर पम्पों की संख्या में वृध्दि हुई है,जिसका प्रभाव भूमिगत जलस्तर पर पड़ना स्वाभाविक है।

भूमिगत जलस्तर बढ़ाने के उपाय –

1. प्रत्येक भवन चाहे शासकीय या नीजि हो छत का जल वाटर हार्वेस्टिंग पध्दति से भूमिगत किया जाय।

2. नलकुप खनन की अनुमति सार्वजनिक उपयोग के लिए ही दी जाय।

3. वाहन धुलाई के समय पाइप की बजाए बाल्टी–मग का उपयोग करें।

4. नदी–नालों पर मोटर पम्प लगाने हेतु जिला प्रशासन की अनुमति आवश्यक की जाय तथा कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर होने पर ही दी जाय।

5. नदी वनस्पति को पुर्नजीवित किया जाय।

6. भवन निर्माण की अनुमति पौधे लगाने की शर्त पर दी जाय। प्रत्येक मकान मालिक कम से कम दो पौधे लगाने की जगह सुनिश्चित करें।

7. किसानों को खेत की मेड़ पर वृक्ष लगाने पर ही शासकन की योजनाओं का लाभ दिया जाय।

8. व्यापरियों के लिए नगर के पास स्थिति खाली जमीन पर पौधे लगाने की अनिवार्यता हो।

9. शासकीय एवं नीजि विद्यालयों में पौधे लगाने पर ही वेतन वृध्दियां दी जाय।

10. प्रत्येक कॉलोनियों में सार्वजनिक नल की व्यवस्था हो।

11. सामुदायिक सिंचाई यंत्रों की स्थापना करना।

जल संरक्षण के अन्य उपाय –

1. घर आये मेहमान को पूरे के पूरे, के बजाय आधा गिलास पानी देने की आदत बनाएं।

2. गाड़ी धोते समय पाइप की बजाए बाल्टी–मग का उपयोग करें।

3. पेड़–पौधों को दिन में पानी देने के बजाए रात में दे,जिससे जल का वाष्पीकरण कम होगा।

4. अधिक से अधिक पेड़ लगाएं,वर्षा के जल को सहेजे।

5. नदियों में बिना साबून–शैम्पू से स्नान करें।

भूजल की वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए भूजल का स्तर और न गिरे इस दिशा में काम किए जाने के अलावा उचित उपायों से भूजल संवर्धन की व्यवस्था हमें करनी होगी। इसके अलावा भूजल पुनर्भरण तकनीकों को अपनाया जाना भी आावश्यक है। वर्षाजल संचयन (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) इस दिशा में एक कारगर उपाय हो सकता है। हाल के वर्षों में सुदूर संवेदन उपग्रह–आधारित चित्रों के विश्लेषण तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) द्वारा भूजल संसाधनों के प्रबन्धन में मदद मिली है। भूजल की मॉनिटरिंग एवं प्रबन्धन में भविष्य में ऐसी समुन्नत तकनीकों को और बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।

मुख्य रणनीतियां –

1. जल संसाधन संबंधी सार्वजनिक स्रोतों का विस्तृत डाटा बेस बनाना।

2. प्रदेश में भूजल विकास की गतिविधियों को और अधिक गति देना।

3. जहां भूमिगत जल का भारी दोहन हुआ है,उन इलाकों पर विशेष जोर देते हुए भूमिगत जल पुनर्भरण को बढ़ावा देना।

4. कुशल जल वितरण तंत्र और प्रबंधन के विकास की योजना बानाना।

5. जल के बेहतर प्रबंधन अभ्यासों,जैसे बेहतर हिसाब–किताब रखना, भूमिगत जल का नियंत्रित दोहन और जल का पुनर्चक्रण करना इत्यादि को बढ़ावा देना।

6. नदी घाटी स्तर तक के समन्वित जल प्रबंधन को बढ़ावा देना।

7. अधिक वर्षा के अनुमानों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जल भंडारण संरचनाओं की समीक्षा करना।

8. परम्परागत जलस्रोतों और भूमिगत लज पुनर्भरण संरचनाओं को पुर्नजीवित करना।

9. जलवायु अपरिवर्तन संबंधी शोध और विकास पर जोर देना।

सारांश –

उपर्युक्त शोध अध्ययन से स्पष्ट होता है कि खरगोन जिलें में घटता भूमिगत जल स्तर आने वाली पीढ़ी के लिए चिंता का विषय है,समय रहते व्यक्ति, समाज, शासन–प्रशासन जवाबदेही तय करें, अपनी प्रतिबध्दता सुनिश्चित करें तो अवश्य ही जल संरक्षण में क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है।

जिले के ग्रामों में,जहां आज भी 80 प्रतिशत लोगों को नल का पानी उपलब्ध नहीं है,पेयजल के लिए भूमिगत जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसे कुओं, हैण्डपम्पों तथा ट्यूबवेलों द्वारा प्राप्त किया

जाता है। जिलें में कृषि कार्य के लिए किसान भूमिगत जल पर ही निर्भर है। इस समय जिलें में 50 प्रतिशत से भी अधिक सिंचाई भूमिगत जल से होती है। उद्योगों में भी भूमिगत जल की बड़ी मांग है,यद्यपि नमर्दा नदी के खलघाट और कसरावद के उद्योग नदी पर ही निर्भर है,तथापि नर्मदा के जल स्तर पर ही क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर निर्भर करता है। खाद्य प्रसंस्करण से लेकर वस्त्र उद्योगों तक में भूमिगत जल का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है।

मानव अपने स्वास्थ्य,सुविधा, दिखावा व विलासिता को दिखाने के लिए अमूल्य जल की बर्बादी करने से नहीं चूकता है। पानी का इस्तेमाल करते हुए हम पानी की बचत के बारे में तनिक भी सोचते नहीं है। परिणामस्वरूप अधिकांश जगहों पर जल संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है। यदि हम अपनी आदतों में थोड़ा – सा भी बदलाव कर लें तो पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। बस आवश्यकता है दृढ़संकल्प करने तथा उस पर गंभीरता से अमल करने की,क्योंकि जल है तो हमारा भविष्य है। यदि हम पानी की बचत करते है तो यह भी जल संग्रह का ही एक रूप है। एक अध्ययन से पता चला है कि मानव यदि अपनी आदतों को बदल लें तो 80 प्रतिशत से भी अधिक पानी की बचत हो सकती है। यदि मानव तमाम नहीं कुछ आदत बदल ले तो भी 15 प्रतिशत जल की बचल संभव है। बूंद–बूंद की बचत से एक बड़ी बचत हो सकती है। इस प्रकार पानी की बचत ही जल संरक्षण है।

सन्दर्भ सूची –

1. डॉ.गौतम शिवानन्द – भारत का भूगोल "जल संसाधन का संरक्षण" पृष्ठ क्रमांक 236–239 राम प्रसाद एण्ड संस आगरा।
2. मुखर्जी प्रदीप कुमार – "भूजल का गिरता स्तर : सरोकार एवं समाधान" , मासिक पत्रिका कुरूक्षेत्र नवम्बर 2017
3. उमाशंकर मिश्र – "भूजल स्तर में गिरावट के लिए जिम्मेदार है : बिजली सब्सिड़ी "– इंडिया साइंस वायर,10 अगस्त,2017
4. www.com india waterportel
5. जिला सांख्यिकी पुस्तिका खरगोन वर्ष 2003–04 एवं 2017–18
6. दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया खरगोन, 1 अक्टूबर 2019